Page No.1

राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ६] द्वितीय विधान सभा के छठे सत्र का प्रथम दिवस [संख्या १

सोमवार, १० अगस्त, १९५९.

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बज कर २ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य उपाध्यक्ष पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : तारांकित प्रश्नोत्तर।

[शिक्षा, वित्त, विकास, राजस्व, समाज कल्याण, सामान्य प्रशासन, खनिज एवं उद्योग विभाग]

प्रश्न संख्या १

श्री जगदीशप्रसाद माथुर .

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिए)

श्री तेजाराम गहलोत।

काश्तकारों को कन्सोलिडेशन खर्चे की जानकारी

२. **श्री तेजाराम गहलोत** (सोजत) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगें:-

(क) राजस्थान में किन किन जिलों में, कहाँ कहाँ पर जनवरी, सन् १९५८ से फरवरी, १९५९ तक कन्सोलिडेशन का काम शुरू किया गया या शुरू करने के आदेश दिये गये ?

(ख) उक्त आदेश किन किन आधारों पर दिये गये ?

(ग) क्या यह सही है कि कन्सोलिडेशन का खर्चा काश्तकार से लिया जायेगा ? अगर हाँ तो कितना ?

(घ) क्या सरकार ने कन्सोलिडेश का कार्य शुरू करने के पहले उन काश्तकारों को इस बात से अवगत करा दिया है कि सरकार कन्सोलिडेशन का खर्चा काश्तकारों से लेगी ?

(ङ) क्या उस जमीन पर भी जो काश्तकार म्यूचुअल एक्सचेंज से कन्सोलिडेशन करता है, उक्त खर्चा लगेगा ?

उपमन्त्री, राजस्व (श्रीसम्पतराम) : (क) राजस्थान में निम्न लिखित जिलों की तहसीलों में जनवरी, सन् ५८ से फरवरी, ५९ तक भूमि एकीकरण का कार्य शुरू करने का आदेश दिये गये :—

१. जिला जयपुर की तहसील दौसा, सिकराया बसवा

(श्री सम्पतराम)

२. जिला सवाई माधोपुर की तहसील गंगापुर

३. जिला पाली की तहसील पाली तथा सोजत

४. जिला जालोर की तहसील धासेर

५. जिला जोधपुर की तहसील बिलाड़ा

६. जिला बूँदी की तहसील तालेड़ा।

(ख) क्षेत्र के प्रोजेक्ट क्षेत्रों का भाग होने या उनके बिखरेपन की स्थिति के आधार पर सरकारी आदेशानुसार प्रोजेक्ट क्षेत्र, विकास खण्ड तथा राष्ट्रीय विस्तार खण्डों को प्राथमिकता दी गई है।

(ग) जी हाँ, कृषकों से भूमि एकीकरण व्यय का कुछ भाग फीस के रूप में लिया जावेगा : फीस की दरें निम्न हैं:—

क्षेत्र	प्रति एकड़ तीन वर्ष तक	तीन वर्ष पश्चात्
१. प्रोजेक्ट	३.०	४.०
२. फरटाईल	२.०	२.५०
३. डेजर्ट	०.५०	०.७५

(घ) राजस्थान हॉल्डिंगस : कन्सोलिडेशन एन्ड प्रीवन्सन ऑफ फ्रेगमेन्टेशन, १६५४ तथा रूल्स १६५५ की धारा २७ तथा नियम १६ में फीस वसूल का प्रावधान है।

(ङ) भूमि एकीकरण कार्य जिन ग्रामों में नियमानुसार आपसी रजामन्दी से सम्पन्न हुआ है उन ग्रामों में (ग) पर वर्णित फीस से आधी फीस वसूल की जावेगी।

श्री तेजाराम गहलोत : सोजत, बिलाड़ा जो हैं ये प्रोजेक्ट एरिया में नहीं हैं, वहां फ्रेगमेन्टेशन नहीं हैं फिर ऐसे इलाकों में इस स्टेज पर कन्सोलिडेशन शुरू करने का क्या मकसद है जब कि दूसरे इलाकों में छोटे छोटे टुकड़े मौजूद हैं ?

श्री सम्पतराम : सभी तहसीलों के कम्परेटिव आँकड़े नहीं हैं, फिर भी उचित यह समझा गया। फिर भी फ्रेगमेन्टेशन है और आसानी से काम हो सकता है इसलिए कार्य शुरू किया गया है।

श्री तेजाराम गहलोत : जो कृषक आपस में रजामन्दी से कन्सोलिडेशन करते हैं उन पर सरकार किस आधार पर कन्सोलिडेशन फी वसूल करती है जब कि सरकार को कुछ नहीं करना पड़ता है और कृषक आपस में रजामन्दी से करते हैं ?

श्री सम्पतराम : फ्रेगमेंटेशन, कन्सोलिडेशन का कानून बनाया गया, उसके अनुसार जो काम किया जाता है वह काश्तकारों के म्यूचुऐली एग्री होने पर किया जाता है। एग्री होने के बाद ही ऑपरेशन शुरू होता है। एक, दो केसेज में ऐसी घटना हो जाय जिसमें मनमुटाव रहे अन्यथा म्यूचुऐली एग्रीमेंट से काम होता है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

Page No.3

उदयपुरवाटी विकास खण्ड द्वारा ग्राम पौख को विकास कार्य हेतु द्रव्य

३. **श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर) : क्या मन्त्री, विकास विभाग निम्न-लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

१. उदयपुरवाटी विकास खण्ड की ओर से ग्राम पौख में किस किस विकास कार्य के लिए कितना कितना रुपया दिया गया ?

२. ये विकास कार्य किस माध्यम द्वारा पूरे करवाये गये हैं ?

३. क्या सब कार्य बताये अनुसार पूरे हुए हैं ?

४. क्या इस सम्बन्ध में कुछ शिकायतें हुई हैं ? यदि हाँ, तो क्या जाँच की गई ?

उप मन्त्री, विकास विभाग (श्री संपतराम) : १. सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

२. ये कार्य ग्राम पंचायत एवं विकास मण्डल द्वारा पूरे कराये जा रहे हैं ।

३. पूर्ण विवरण प्रश्न (१) के उत्तर में दी गई सूची में दिया जा चुका है ।

४. अब तक इस सम्बन्ध में कोई शिकायत इस कार्यालय में नहीं आई है ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिए)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : इसके सम्बन्ध में शिकायत कलेक्टर को की गई है । कलेक्टर ने आप के पास नहीं भेजी होगी ।

श्री सम्पतराम : आम तौर से जहाँ विकास कार्य शुरू करते हैं, हो सकता है किन्हीं कारणों से काम को पूरा करने में देरी हो । मगर जहाँ तक प्रयत्न करने का प्रश्न है जनता के स्तर पर और ऑफिशियल स्तर पर प्रयत्न तो पूरा ही किया जाता रहा है ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : आपने कहा कि पंचायतों द्वारा काम पूरे कराये जा रहे हैं । ऐसे उदाहरण हैं जिनमें व्यक्ति विशेष को दिया गया है और उसके द्वारा कार्य हुआ है ।

श्री सम्पतराम : यह हो सकता है कि किन्हीं केसेज में हुआ हो क्योंकि कभी कभी पंचायतों में झगड़े होते हैं और डवेलपमेंट के कार्य चलाने का वातावरण नहीं होता है । ऐसी स्थिति में बी० डी० ओ० स्वयं के प्रयत्न से काम कराता है । यह प्रेक्टिस है कि नवयुवक मण्डल और विकास मण्डल को विश्वास में लेकर कार्य कराये जावें ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : जब पंचायतें होती हैं तो दूसरी किसी संस्था को बनाकर क्यों काम करायें ? इससे आये दिन शिकायतें आती हैं और गड़बड़ी होती हैं । जब यह नियम बना दिया है कि डवेलपमेंट वर्क्स में पंचायतों का सहयोग लेंगे तो यह निश्चित बात होनी चाहिये ।

विकास मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : यह परिस्थिति उत्पन्न होती है कि पंचायत के लोकल कन्सट्रेक्शन के काम होते हैं उनके लिए फंड रेज नहीं कर पाते हैं और गांववाले या व्यक्ति विशेष फंड लगाने को तैयार होते हैं तो ऐसी स्थिति को ध्यान में रख कर नियमों में सुधार किया जाता है ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या ऐसा स्पष्टीकरण सब जगह भेजा जा सकता

Page No.4

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

है कि पंचायत के अलावा कोई रुपया लगाना चाहे तो उसे काम दे दिया जाय।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह ब्लॉक्स में आम तौर से किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जयचन्द्र मोहिल

दलित वर्ग संघ, अजमेर को वार्षिक सहायता

४. **श्री जयचन्द्र मोहिल,** (कपासिन-सु): क्या मन्त्री, समाज कल्याण विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि दलित वर्ग संघ, अजमेर को राज्य सरकार द्वारा वार्षिक सहायता दी जाती है ? यदि हाँ, तो कितनी व कब से और किस कार्य के लिए दी जाती है ? प्रत्येक वर्ष में दी गई सहायता का ब्योरा बतलावे।

(२) दलित वर्ग संघ, अजमेर के इस समय अध्यक्ष कौन हैं और ये गत कितने सालों से लगातार अध्यक्ष रहते आ रहे हैं व इनका चुनाव कब हुआ तथा इसकी कार्यकारिणी के कितने सदस्य हैं और उनके नाम क्या क्या हैं ?

(३) क्या उक्त सहायतार्थ दी गई रकम कार्य समिति की राय से खर्च की जाती है तथा जिस कार्य के निमित्त रकम दी जाती है उसी में खर्च की जाती है ?

(४) क्या इस संघ के आय व्यय की जाँच कराई जाती है ? यदि हाँ, तो किस किस सन् में किस किस द्वारा जाँच कराई गई और जांच में क्या क्या तथ्य पाये गये ?

उप मन्त्री, समाज कल्याण (श्री भीखाभाई) : (१) जी हां, दलित वर्ग संघ, अजमेर को राज्य सरकार द्वारा वार्षिक सहायता दी जाती है। सहायता अस्पृश्यता निवारण के कार्यक्रम के सम्बन्ध में है। राज्य सरकार द्वारा अब तक जो वार्षिक सहायता दी गई है वह इस प्रकार है:—

१९५६-५७	१,००० रु०
१९५७-५८	,,
१९५८-५९	,,

(२) इस समय दलित वर्ग संघ के अध्यक्ष श्री सूर्यमल मौर्य हैं। ये इस पद पर गत ६ वर्षों से हैं। इनका अन्तिम बार चुनाव सन् १९५७ में हुआ था। संघ की कार्यकारिणी में १९ सदस्य हैं, जिनके नाम की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) जी हाँ, सहायता की रकम को संस्था खर्च करती है, जिसमें कार्य समिति भी सम्मिलित है व जिस कार्य के निमित्त सरकार सहायता देती है वह उसी उद्देश्य के निमित खर्च की जाती है।

४. जी हाँ, संस्थाओं को सहायता देने के नियमों के अनुसार संस्थाओं के हिसाब की जाँच चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा होती है। सन् ५६-५७ व ५७-५८ में चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा संस्था के हिसाबों की जाँच हुई है। उनकी रिपोर्ट के अनुसार संस्था द्वारा प्रस्तुत आय-व्यय के आँकड़े सही हैं। सन् ५८-५९ के हिसाब की जांच की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। वह अब प्राप्त होगी।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री जयचन्द्र मोहिल : चार्टर्ड अका-

Page No.5

(श्री जयचन्द्र मोहिल)

उन्टेन्ट सरकारी अधिकारी हैं ?

श्री भीखा भाई : ये सरकारी अधिकारी नहीं हैं। सरकार के द्वारा अलग से जाँच होती है।

श्री जयचन्द्र मोहिल : क्या यह जो जांच करते हैं वह बिल व वाउचर्स के आधार पर सर्टीफाई करते हैं या मौके पर पहुँच कर वास्तविक जाँच करते हैं ?

श्री भीखा भाई : हिसाब की जाँच करते हैं। जो हिसाब विशेषज्ञ होते हैं वे हिसाब की जाँच करके सरकार को देते हैं।

श्री जयचन्द्र मोहिल : क्या सरकार वास्तविकता का पता लगाने के लिए जाँच करना अनिवार्य नहीं समझती है ?

श्री भीखा भाई : जब शिकायत होती है तो जाँच कराई जाती है वर्ना आवश्यकता नहीं होती है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : इन संस्थाओं को शत प्रतिशत राशि सरकार द्वारा दी जाती है। कहीं २५ प्रतिशत दी जाती है फिर सरकार इन संस्थाओं का ऑडिट लोकल ऑडिट फंड से क्यों नहीं करवाती ?

श्री उपाध्यक्ष : लोकल ऑडिटर से क्यों नहीं करवाई ?

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : जिस प्रकार म्यूनिसिपेलिटीज का ऑडिट कराते हैं जो सरकारी मशीनरी होती है उससे क्यों नहीं ऑडिट करवाते हैं ?

श्री भीखा भाई : जो लोकल ऑडिट फण्ड है वह लोकल बॉडीज का ऑडिट करता है, उससे हिसाब का ऑडिट कराते हैं। भारतवर्ष में सभी संस्थाओं के लिए प्रावधान है कि जिन किन्हीं संस्थाओं को ग्रान्ट-इन-एड दी जाती है उनका चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट ऑडिट करके रिपोर्ट दे तब सहायता दी जाती है, हर वर्ष ऐसा होता है। इस वर्ष चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट की रिपोर्ट नहीं आने से एड नहीं दी गई है।

श्री जयचन्द्र मोहिल : क्या यह सही है कि इस संस्था के जनरल सेक्रेटरी ने गड़बड़ी की और मनमाने ढंग से खर्चा करने की गड़बड़ी की है ?

श्री भीखा भाई : ऐसी जानकारी मुझे नहीं दी।

श्री जयचन्द्र मोहिल : यह जानकारी प्राप्त नहीं करने का क्या कारण है ?

श्री भीखा भाई : इसलिए कि जानकारी नहीं दी गई।

श्री उपाध्यक्ष : रावराजा श्रीसरदारसिंह !

हाई स्कूल, उनियारा में एग्रीकल्चर क्लासों को प्रेक्टिकल ट्रेनिङ्ग की व्यवस्था

५. रावराजा श्री सरदारसिंह : (उनियारा) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या यह सही है कि हाई स्कूल में एग्रीकल्चर की क्लासें चालू हैं ? अगर हाँ, तो क्या पढ़ाने के लिये बी० एजी० मास्टर नियुक्त हैं ?

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

(३) क्या प्रेक्टिकल ट्रेनिंग के लिए भी कोई व्यवस्था है ? अगह हाँ, तो क्या क्या ? अगर नहीं, तो क्या सरकार उक्त सुविधा प्रदान करने का विचार रखती है ?

उप मन्त्री, शिक्षा (पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) हाई स्कूल, उनियारा में एग्रीकल्चर का विषय केवल ८ वीं कक्षा तक होबी रूप में है। हाई स्कूल सेक्शन में एग्रीकल्चर न होने के कारण वहाँ पर बी. एजी. अध्यापक की नियुक्ति का प्रश्न नहीं उठता।

(२) जी हाँ। प्रेक्टिकल काम के लिये १८ बीघा जमीन दी गई है। जमीन के साथ एक कुँआ भी है जिसमें कि एक हैंड पम्प लगा हुआ है। यह सुविधा पर्याप्त है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : काश्त करने के लिये उन्हें क्या सुविधा है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जमीन है कुँआ है, पानी है, हैंड पम्प है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : स्टुडेन्ट्स को सिखाने के लिये बैल ट्रेक्टर हैं या क्या है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैंने निवेदन किया कि ८ वीं तक होबी के रूप में पढ़ाया जाता है, हैंड पम्प लगाया हुआ है, क्यारियाँ वगैरह लगा कर फल, फूल, सब्जी और अनाज वगैरह बो सकते हैं।

रावराजा श्री सरदार सिंह : १८बीघा जमीन है, काहे के जरिये काश्त कराई जाती है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : १८ बीघा जमीन है वह उन लड़कों से काश्त नहीं हो सकती।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : एग्रीकल्चर टीचर की तो जरूरत रहेगी ही नहीं तो काश्त का काम कौन सिखायेगा ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : प्रश्न में बी. एजी. का पूछा है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या सरकार वहाँ और कोई सुविधा देने के लिये तैयार है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : सब प्रकार की सुविधाएँ हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रभुलाल पुरोहित !

बस्सी विकास खण्ड द्वारा कुँए बनाने के लिये स्वीकृत धन राशि

(६) **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट): क्या विकास मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) बस्सी विकास खण्ड द्वारा सन् १६५६-५७ में कितने पानी पीने के कुँए बनाने शुरू किये गये ? उनमें से कितने कुँए तैयार हुए और कितने अधूरे पड़े हैं ?

(२) इन कुँओं के लिये कितनी धन राशि, किन किन पंचायतों को विकास अधिकारी ने दी ? इसकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या यह सच है कि सन् १६५६-५७ के तहत ग्राम कनेटा, पंचायत बड़वा में जो धन राशि कुँए के लिए दी है वह ग्रामवासियों को नहीं मिली है ?

उप मन्त्री, विकास (श्री सम्पतराम) : (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई।

(३) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिए)

श्री प्रभुलाल पुरोहित : जो काम अधूरे पड़े हैं उनके विषय में सरकार क्या सोच रही है ?

श्री सम्पतराम : काम अधूरे पड़े हैं इसके माने यह नहीं कि रकम नहीं दी है।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : अधूरे किस कारण पड़े हुए हैं ?

श्री सम्पतराम : कहीं पब्लिक कन्ट्रीब्युशन पूरी तरह से नहीं मिला है, कहीं सामान नहीं आया है। कुछ केसेज ऐसे हो सकते हैं जहाँ स्टार्ट नहीं किया जैसे कि ५ गाँवों में हुआ है, वह रुपया वापिस जमा कर लिया गया है।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : दो साल हो गये अभी तक कुछ भी उन्नति नहीं हुई ?

श्री सम्पतराम : समझा नहीं।

श्री नाथूराम करोल (लालसोट-सु): ग्राम कनेटा के लिये पंचायत बड़वा में जो धनराशि सरपंच को दी है वह अभी तक उस सरपंच के पास ही है और दो साल हो गये कोई कार्य शुरू नहीं किया गया है इनके पूछने का मतलब यह है।

श्री सम्पतराम : जिस कुएँ के बारे में जिस आदमी ने काम शुरू किया है उसको रुपया दिया जा चुका है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

कार्यालयों का स्थानान्तरण

(७) **श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर) : क्या मन्त्री, राजस्व विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सिकराय तहसील की मुंसफी व मजिस्ट्रेटी बांदीकुई से हट कर कहीं अन्यत्र ले जाई जा रही है ?

(२) क्या यह सही है कि तहसील बसवा का कार्यालय वहाँ से हटा कर बाँदीकुई लाने का निश्चय किया जा चुका है ?

(३) क्या यह सही है कि बसवा तहसील की मुंसफी व मजिस्ट्रेटी दोनों के अधिकार मुंसिफ को दिये जा रहे हैं ?

उपमन्त्री, राजस्व (श्री सम्पतराम) : (१) जी नहीं। पर एक ऐसा सुझाव जरूर है जो विचाराधीन है।

(२) अभी ऐसा कोई निश्चय नहीं किया गया है।

(३) अभी तक ऐसा कोई निश्चय नहीं किया गया है।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : नं० १ के उत्तर में आपने कहा कि सुझाव जरूर आया है तो किनकी ओर से यह सुझाव आया है ?

Page No.8

श्री सम्पतराम : जनता की ओर से भी आया है और लोगों ने भी दिया है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : पिछली बार सदन में यह प्रश्न आया था कि जूडिशियरी और एग्जीक्यूटिव के दोनों अधिकार एक को नहीं देने चाहिये फिर ऐसा क्यों किया जा रहा है ?

श्री सम्पतराम : यह एक ब्रोड इश्यू है कि जूडिशियरी का एग्जीक्यूटिव से सेपरेशन होना चाहिये पर वह प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : ऐसा सुझाव बाँदीकुई की जनता की तरफ से आया है या किसी और जगह से ?

श्री सम्पतराम : यह मुझे पता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल !

राजस्थान निर्माण से पूर्व के देशी राज्यों के शिक्षकों को प्रशिक्षित करने हेतु प्रशिक्षण संस्थाओं को मान्यताएँ

८. **श्री गिरधारीलाल** (नोखा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान बनने से पूर्व प्रान्त के विभिन्न देशी राज्यों में शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिये कहाँ २ पर कौन कौन सी प्रशिक्षण संस्थाएँ कब से कार्य कर रही थीं और उनको विभिन्न रियायतों में क्या मान्यताएँ प्राप्त थीं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(ख) राजस्थान बनने के उपरान्त उपरोक्त रियासती शिक्षण मान्यता को किस आधार पर स्वीकृत किया गया है ?

(ग) क्या राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत यह आधार एज्यूकेशन कोड की मूल भावना के प्रतिकूल नहीं है ?

(घ) क्या एज्यूकेशन कोड की किसी भी धारा में यह प्रावधान है कि कोई जे. टी. सी, पी. टी. सी. अथवा एस. टी. सी. प्रशिक्षित ग्रेज्यूएट ट्रेन्ड ग्रेज्युएट समझा जावे ? यदि हाँ, तो किस धारा के आधार पर ?

उपमन्त्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) वान्छित सूचना संलग्न के कॉलम नम्बर ५ में अंकित है।

(ग) एज्यूकेशन कोड में इस विषय की कोई धारा नहीं है अतः कोड की मूल भावना के प्रतिकूल होने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

(घ) जी नहीं, एज्यूकेशन कोड की किसी भी धारा में यह प्रावधान नहीं है कि जे. टी. सी., पी. टी. सी. अथवा एस. टी. सी. प्रशिक्षित ग्रेज्यूएट ट्रेन्ड ग्रेजुएट समझा जाये। अध्यापकों की योग्यता के विषय में एज्यूकेशन कोड में कोई धारा नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिए)

श्री गिरधारीलाल : (ख) का कोई जवाब नहीं दिया।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : वांछित सूचना संलग्न सूची के कालम नं० ५ में अंकित है।

Page No.9

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रभुलाल पुरोहित !

मौजा सुकार, तहसील बामनवास के रकबे को जागीरदार को देना

९. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :–

(१) क्या यह सच है कि मौजा सुकार, तहसील बामनवास में नम्बर २३४४ से २३७२ तक का रकबा जो पहले सार्वजनिक बीड़ था एक जागीरदार को दे दिया गया है ? यदि हाँ, तो क्यों ?

(२) क्या यह सच है कि ग्राम की जनता सन ५५ से इसके लिये पुकार रही है ?

(३) क्या यह सच है कि सेटिलमेंट ऑफिसर श्री कौल को फरवरी, ५५ में जनता का प्रार्थना-पत्र उचित कार्यवाही हेतु असिस्टेन्ट सेटिलमेंट ऑफिसर द्वारा भेजा गया है ?

(४) यदि हाँ, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं हुई, तो क्यों, और कब होगी ?

(५) क्या यह सच है कि तहसीलदार, बामनवास ने अमावरा ठिकाना जिसने आज तक सरकार को चार्ज नहीं दिया उसे मुआवजा दिला कर गैर कानूनी कार्यवाही की है ?

उपमंत्री, राजस्व (श्री सम्पतराम) : (१) जी नहीं । नम्बरान २३४४ लगायत २३७२ में से नम्बर २३६२ व २३६७ गैर मुमकिन बिला नाम हैं । नम्बर २३५५ : १० चरागाह हैं । नम्बर २३४४ लगायत २३४८ व २३५० बुद्धा खाती के खातेदारी में दर्ज हैं बाकी नम्बरान २३४९, २३५१ लगायत २३५४, २३५६ लगायत २३६६, २३६८ लगायत २३७२ कुल २० किता ६६।) १ बकिस्म बारानी दोयम (हुकन) जागीरदार की खुदकाश्त में दर्ज है ।

(२) हरिजन (कोली) ग्राम सुकार ने १८–३–५३ को दरख्वास्त की कि जागीरदार ने ७०-८० बीघा बीड़ जो अपने नाम पर दर्ज कराली है वह जमीन हमें दिलाई जावे । इस दरख्वास्त पर कार्यवाही चालू कर बहुकम सहायक अधिकारी, बंदोबस्त दिनांक ११-११-५४ दरख्वास्त को इसलिये दाखिल दफ्तर किया गया कि प्रार्थी की ओर से उचित उपस्थित और सबूत पेश नहीं किये गये ।

(३) जी नहीं ।

(४) प्रश्न नहीं उठता ।

(५) जी नहीं । तहसीलदार बामनवास ने ठिकाने अमावरे का चार्ज पूर्ण रूप से ले लिया है और जागीरदार को अन्तर्कालीन मुआवजा के लगभग २८,६०२) रु० दिए गए हैं जो अवैधानिक कार्यवाही नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल !

राजस्थान निर्माण उपरांत नये डिग्री कालेजों को पुस्तकें खरीदने हेतु स्वीकृत धन राशि ।

(१०) **श्री गिरधारीलाल** (नोहा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:––

राजस्थान बनने के उपरान्त कितने नये डिग्री कॉलेज बने तथा उनमें से प्रत्येक में अद्यावधि पुस्तकें खरीदने के लिए कितनी कितनी धन राशि स्वीकृत की गई ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखें ।

Page No.10

उप मन्त्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई): राजस्थान बनने के उपरान्त निम्नलिखित १५ नये डिग्री कॉलेज बने:—

१. गवर्नमेंट	कॉलेज	गंगानगर
२. एम. एस. जे.	,,	भरतपुर
३. राजस्थान	,,	जयपुर
४. कॉमर्स	,,	जयपुर
५. गवर्नमेंट	,,	बांसवाड़ा
६. गवर्नमेंट	,,	भीलवाड़ा
७. एम. एस. गर्ल्स	,,	बीकानेर
८. लोहिया	,,	चुरू
९. बांगड़	,,	डीडवाना
१०. गवर्नमेंट	,,	झालावाड़
११. राजमहल गर्ल्स	,,	जोधपुर
१२. महारानी	,,	कोटा
१३. कल्यान	,,	सीकर
१४. गवर्नमेंट	,,	सिरोही
१५. गवर्नमेंट एस. डी. कॉलेज,		ब्यावर

लाईब्रेरी ग्रान्ट की सूचना प्राप्त की जा रही है आने पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

श्री गिरधारीलाल : क्वेश्चन का जवाब दुबारा दिया जाय। सुन नहीं पाया।

श्री उपाध्यक्ष : You will repeat the answer please.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : लाईब्रेरी ग्रान्ट की सूचना प्राप्त की जा रही है आने पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

श्री गिरधारीलाल : कब जवाब दे दिया जायगा ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : ५६—६० की तो मेरे पास है...

श्री उपाध्यक्ष : May be given on the next turn.

प्रश्न संख्या ११

श्री भैरोंसिंह !

(अनुपस्थित)

श्री प्रभुलाल पुरोहित !

ग्राम बिनोरी तहसील लालसोट के खसरा की गैर कानूनी खातेदारी

१२. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट): क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या तहसील लालसोट, ग्राम बिनोरी के खसरा नम्बर १८१।४३,५४।१,५५। २, १८२।२,१८४।२ की खातेदारी जिन जिन अफसरों ने गैर कानूनी तरीके पर दी थी उनको सस्पेन्ड करके उन्हें बहाल कर दिया गया और यह दण्ड उस अपराध के लिये काफी है ?

(२) क्या उपरोक्त नम्बरान में जो हजारों पेड़ व पुख्ता कोटी हैं और ये साबित भी हो चुके हैं उसके लिए सरकार ने कोई नीलामी व मुआवजा सम्बन्धी कार्यवाही की है ? यदि हाँ, तो क्या ? नहीं, तो सरकारी नफा व नुकसान पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है ?

(३) क्या उपरोक्त खातेदारों ने जो उसके अलावा और जमीन अपने २ अधिकार में कर रखी हैं उसकी ईजाजत सरकार से

(श्री प्रभुलाल पुरोहित)

उन्होंने ले ली है ? यदि नहीं, तो क्या उस नाजायज फायदा उठाने वालों पर सरकार कुछ ध्यान दे रही है ?

(४) क्या उपरोक्त मामलों की जांच के आदेश देकर कीमत वसूल कराने का प्रबन्ध किया जायेगा ? अगर हां, तो कब तक ?

उप मंत्री, राजस्व (श्री सम्पतराम): (१) जी हां, बहाल तो किया गया पर मौत्तिली के समय का निर्वाह भत्ता वेतन के चौथाई के हिसाब से ही दिया गया तथा ३ साल के लिए वार्षिक वेतन वृद्धि को रोक दिया गया। यह सजा काफी मानी गई। यह दण्ड राजस्व मंडल द्वारा भी ठीक माना गया है। राज्य सरकार इस मामले पर विचार कर रही है कि यह दण्ड उपयुक्त है अथवा नहीं।

(२) मुआवजे की वसूली की कार्यवाही हो रही है। कोटी व लकड़ी का तकमीना लगाया जा चुका है व वसूली की कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है।

(३) जी हां, बिला इजाजत काश्त करने पर उनसे ६ गुना लगान बतौर जुर्माना वसूल किया जा रहा है।

(४) जांच होकर कार्यवाही वसूल शुरू कर दी गई है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : कई स्थानों पर देखा गया है कि गलत नाम खातेदारी में दर्ज करने पर हत्यायें तक होगई हैं और माननीय मंत्री महोदय यह कहते हैं कि यह सजा काफी है।

श्री सम्पतराम : यह तो वेग बात हुई कि सभी जगह ऐसी बातें होती हैं। राजस्व मंडल ने यह फैसला किया है। सरकार ने इसके महत्व को समझा है और अगर यह महसूस होता है कि दण्ड कम मिला है तो दण्ड बढ़ाया भी जा सकता है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : मैंने किसी एक के लिये बात नहीं कही है। मैंने जनरल बात कही है। उसमें यह देखा जाता है कि अदालत में जितने मामले देखे जाते हैं वे सब पटवारियों द्वारा खातेदारी के मामलों में गलत इन्द्राज करना होता है।

श्री उपाध्यक्ष : इन्होंने भी सजा के बारे में जनरल ही बात कही है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार को इसके लिये उन अधिकारियों के खिलाफ गंभीरता से कड़ा कदम उठाना चाहिये।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : (अजमेर पूर्व) उसकी कितनी रकम आंकी गई और आया वह उसके अनुसार वसूल हो रही है ? (विराम) मेरे प्रश्न को आपने सुना नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : सुन भी लिया गया है और समझ भी लिया गया है उसका जवाब दिया जा रहा है।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : क्या अब भी कोई कार्यवाही की जा रही है ?

श्री संपतराम : कीमत आंकी गई उसके अनुसार वसूल हो रही है।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : कितनी कितनी रकम आंकी गई ?

श्री सम्पतराम : कुँए के तीन हजार और पेड़ों के.... ....

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : यह वसूली कब से जारी की गई ?

श्री सम्पतराम : निश्चित तारीख मेरे पास नहीं है।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : इस सम्बन्ध में सदन में कई प्रश्न पहले भी पूछे जा चुके हैं। उसके उत्तर में भी आपने कहा कि वसूली की जा रही है मगर उस बात को आज १। साल का अर्सा होगया है।

श्री सम्पतराम : जब यह प्रश्न उठाया गया उसी समय यह बात नोटिस में आई थी।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : सवा वर्ष का समय होगया है अब तक कितनी वसूली हुई ?

श्री सम्पतराम : वसूली तो होने में १। वर्ष क्या २।। वर्ष भी लग सकते हैं और २।। २।। वर्षों में भी कुछ भी वसूली नहीं हो सकती क्योंकि जब केस कोर्ट में चला जाता है तो उसमें समय लग सकता है।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : मैं यही पूछना चाहता हूँ कि कितनी वसूली हुई ?

श्री सम्पतराम : वसूली नहीं हुई।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : सदन को माननीय मंत्री के उत्तर से यह पता था कि वसूली हो रही है। उन्होंने सदन को यह जानकारी दी कि वसूली की कार्यवाही हो रही है। मगर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। यह गलत इन्फोरमेशन दी गई।

श्री संपतराम : वसूली के बहुत से प्रोसीडिंग्स होते हैं। उनको पहले नोटिस दिया जाता है और नोटिस के बावजूद भी अगर वे रुपया जमा नहीं कराते तो उनके खिलाफ पी. डी. आर. की कार्यवाही करनी पड़ती है। हमने अपनी कार्यवाही शुरू करदी है। वसूली का मतलब यह नहीं कि रुपया खजाने में जमा हो गया है।

श्री मदनसिंह : मामले अदालत में चल रहे हैं या किसी दूसरी स्टेज पर हैं और किस स्टेज पर हैं ? यह आप कृपा कर बता दें।

(राजस्व मंत्री श्री दामोदरलाल व्यास के बोलने हेतु खड़े होने पर)

श्री मदनसिंह : आप बतादें।

मंत्री, राजस्व (श्री दामोदरलाल व्यास) : मैं बता रहा हूँ। जैसा सदन को बताया गया है कि वसूली की कार्यवाही की जा रही है उसके लिये किसी आदमी को जमीन अलॉट हुई उसमें कुँए की कीमत कायम करदी। उसको नोटिस दिया गया कि इतना रुपया कुँए का कायम किया गया। उसको ऐतराज करने का भी मौका दिया जाता है वसूली करने से पहले। वह उस पर ऐतराज करता है उसको भी सुनते हैं। इसलिए यह कहा गया है कि वसूली की कार्यवाही जारी है।

श्री मदनसिंह : यह जो कुँए की रकम निश्चित हुई वह किस तारीख को निश्चित हुई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : तारीख तो मुझे मालूम नहीं मगर यह जरूर है कि

Page No.13

(श्री दामोदरलाल व्यास)

इसमें कई ऑफिसरों को सस्पेन्ड किया गया। और सारी इन्क्वारी होने के बाद में कुँए की कीमत तय की गई ?

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : क्या यह सही है कि अधिकारियों ने वहाँ पर ६ पेड़ ही बताये थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह बिल्कुल सही है कि इन्सपेक्टर और पटवारी ने गलत रिपोर्ट की और तहसीलदार ने उन पर विश्वास करके खुद ने जाँच नहीं की। जाँच करने पर पता लगा कि वहाँ पर ज्यादा पेड़ थे और कुँआ भी था। इसलिए उस कुँए के रुपये भी कायम किये गये।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : अधिकारियों ने ६० पेड़ों की जगह ६ पेड़ ही बताये। यह क्या उन्होंने बेईमानी से किया या जिसको अलॉट कराना चाहते थे उसके साथ साजिश करके ऐसा किया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : साजिश तो होगी ही।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : तो उनके खिलाफ क्रिमिनल केस क्यों नहीं लाया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उनके खिलाफ कार्यवाही की गई। उनको सजा भी दी गई।

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार बोलने हेतु बीच में ही खड़े हुए)

मैं जबाब दे रहा हूँ तो आप बीच में बोलें यह तो कोई तरीका नहीं है। आप सुनिये जो कुछ मैं कह रहा हूँ।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार: मैं ज्यादा कुछ नहीं पूछना चाहता हूँ। मैं तो सिर्फ यही पूछना चाहता हूँ कि सरकार को धोखा देकर फायदा उठाया तो उसमें क्रिमिनल केस धोखा देही का बनता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आपको इसका जवाब दे दिया कि उनको सजा दी गई है और अगर गवर्नमेंट समझेगी कि सजा पर्याप्त है या नहीं तो क्रिमिनल केस चलाना चाहिये या नहीं यह देखेगी।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : अगर साजिश से ऐसा गलत कदम उठाया गया है तो यह तो एक सीरियस ऑफेन्स होता है और उसको सजा मिलनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : That is correct, but what has been pointed out is that the Government is considering over the point whether the criminal case can be taken up or not.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : माननीय मंत्री महोदय जो उसको सजा दी गई है काफी समझते हैं !

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं यह दुबारा कहूँगा कि इस पर दुबारा विचार किया जा सकता है कि क्रिमिनल केस किया जा सकता है या नहीं।

प्रश्न संख्या १३

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिए)

नेक्स्ट। श्री गिरधारीलाल

Page No.14

भरतपुर जिले में बाढ़ एवं वर्षा से गिरे मकानों की सहायतार्थ वितरित धनराशि

(१४)**श्री गिरधारीलाल** (नोखा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या सरकार यह बतायेगी कि जो २ लाख, ८० हजार रुपया भरतपुर जिले में भयंकर बाढ़ व बरसात से गिरे हुए मकानों की सहायतार्थ स्वीकृत किये थे उनमें से कितना वितरित किया गया व कितना रुपया लेप्स हुआ है ?

(ख) क्या यह सही है कि भरतपुर शहर में जो रुपया बांटा गया है वह अधिकतर तहसील के पटवारी, गिरदावर, पंच व सरपंचों को बाँटा गया और जिन शरणार्थियों ने प्रार्थना पत्र दिये थे उन्हें केवल ८० में से ४ को रुपया मिला है ?

(ग) क्या सरकार को पता है कि जिन पटवारी, गिरदावर, पंच व सरपंचों को रुपया कर्जा दिया गया है उनके पक्के मकानात बने हुए हैं ?

(घ) क्या सरकार ऐसे व्यक्तियों की सूची प्रस्तुत करेगी ?

(ङ) क्या यह सही है कि भरतपुर शहर में रुपया तहसीलदार ने तकावी कमेटी की बगैर सलाह के बाँटा है ?

(च) क्या सरकार को रुपया लेप्स हुआ है उसको बांटने के लिये पुनः स्वीकृति देगी ?

उप मंत्री, राजस्व (श्री सम्पतराम) :

(क) भरतपुर जिले में अधिक वर्षा व बाढ़ से गिरे हुए मकानों की सहायतार्थ २,८०,००० रुपये की धनराशि की स्वीकृति दी गई थी जिसमें से १,५०,३२५ रुपये ही वितरित किया गया है शेष रुपया लेप्स हो गया।

(ख) यह सही है कि जो शरणार्थी तकावी लेना चाहते थे उन्हें दी गई पर जो निःशुल्क सहायता चाहते थे उन्हें इस मद में से कोई सहायता नहीं दी गई। तकावी चाहने वाले केवल ४ शरणार्थी ही थे और उन्हें तकावी दी गई।

(ग) चूंकि शहर भरतपुर में किसी भी पटवारी, गिरदावर, पंच व सरपंच को तकावी नहीं दी गई अतः यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) यह सही नहीं है।

(च) लेप्स हुई धन राशि को पुनः बांटने की स्वीकृति देने का तो नियम नहीं है। इस साल के बजट में ४३,००० रु० जिलाधीश भरतपुर को दिये हैं जो कि इस प्रकार से पीड़ितों को सहायार्थ दिये जावेंगे। अगर कोई व्यक्ति जो अब भी सहायता लेना चाहता है और उसको दिया जाना वाजिब हुआ तो जिलाधीश अब भी दे सकता है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : (डीग) यह किसकी गलती से हुआ ?

श्री सम्पतराम : लेने वालों की गलती से।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : क्या वे वक्त पर लेने के लिये नहीं पहुंचे ?

Page No.15

श्री सम्पतराम : बहुत सी जगह दख्वस्तिं नहीं आईं। मीटिंग बुलाई गई उसमें कार्यावाही नहीं हुई होगी। जब तक सारी फोरमेलिटीज नहीं पूरी की जावें तब तक नहीं मिलता।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : देने का निर्णय किस महीने में कब दिया गया ?

श्री सम्पतराम : यह तारीख तो मेरे पास नहीं है। यह तो अलग अलग जगह अलग अलग तारीखों को मीटिंग हुई। एक मीटिंग नहीं हुई कई मीटिंगें हुई।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : क्या वे लेने के लिए नहीं गये ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : इसमें यह निश्चित रूप से कहा गया है कि लेने के लिये समय में नहीं गये।

श्री उपाध्यक्ष : जिन्होंने यह प्रश्न पूछा है उनको पूछने का मौका मिलना चाहिये।

श्री गिरधारीलाल : क्या यह सही है कि तकावी के लिए ८० शरणार्थियों ने दख्वस्तिं दीं और उनमें से ४ को ही दी गई।

श्री सम्पतराम : इसका उत्तर मैं दे चुका हूँ।

श्री गिरधारीलाल : जब ८० व्यक्तियों ने दख्वस्तिं दीं तो उनको जरूरत होनी चाहिए थी तभी उन्होंने अर्जियें दीं।

श्री सम्पतराम : जो एप्लीकेशनन्स आई उनमें लोगों ने फ्री-ग्रान्ट चाही थी। उन्होंने प्रार्थना-पत्र यह समझ कर दिये कि यह फ्री-ग्रान्ट है। जिन्होंने तकावी लोन लेना चाहा उनको तकावी लोन दे दिया गया।

श्री गिरधारीलाल : क्या यह सही है कि जिन शरणार्थियों ने दख्वस्तिं दीं और जिनको आवश्यकता थी उनको सहायता नहीं मिली ?

श्री सम्पतराम : मैं इसका उत्तर दे चुका हूँ।

डॉ० बहादुरसिंह : (धौलपुर) क्या यह सही है कि दख्वस्तिं देने पर भी प्रार्थियों को तहसीलदार ने रुपया वितरण नहीं कराया ?

श्री सम्पतराम : इस सम्बन्ध में हर तहसील में एक कमेटी बनाई गई थी जो रुपया वितरण करती थी लेकिन यह मानना कि जिनको आवश्यकता थी उनको रुपया नहीं दिया गया यह सही नहीं है।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या देर होने से नहीं मिला ?

श्री सम्पतराम : यदि कोई स्पेसिफिक केस बतायें तो उसकी जाँच की जा सकती है। सब के सब को नहीं मिली यह सही नहीं है कहना।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी: क्या सरकार उनको फिर से रुपया वितरण करने का विचार रखती है ?

श्री सम्पतराम : इसका मैं उत्तर दे चुका हूँ।

श्री गिरधारीलाल : रुपया लेप्स होने का क्या कारण था ? दख्वस्तिं जिन्होंने दी थीं उनको पूरी तरह से इन्कार नहीं किया गया

(श्री गिरधारीलाल)

और दूसरी तरफ रुपया लेप्स होगया ?

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, २ लाख ८० हजार रुपया इसके लिए दिया गया। हर जगह इसके लिए रुपया वितरण करने के लिए कमेटियाँ बनाई गई। लोगों को इसके विश्वास में लिया गया। हरएक तहसील में रुपयों का अलॉटमेन्ट हुआ। रुपया बाँटने की इस प्रकार व्यवस्था की गई। रुपया न मिल पाया हो, यह दूसरी बात है। जिनकी सिक्योरिटी आई, जिन्होंने बोन्ड्स भर दिये उनको रुपया दिया गया। किसी केस में कोई ऐसी बात हुई न हो तो उसके लिए स्पेसिफिक बतायें मैं जांच करने के लिए तैयार हूँ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : जाँच कराने के लिए तैयार हैं ?

श्री सम्पतराम: सब केसों में जाँच कराने का सवाल नहीं है। आप कोई केस बताइये कि उनको नहीं मिला। जाँच कराई जा सकती है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : आधे को नहीं मिला।

मंत्री, राजस्व (श्री दामोदरलाल व्यास) : अनेक दरख्वास्तें पेश हुई हैं। कई खारिज हुई हैं। कई ऑर्डर के अन्तर्गत नहीं हैं तो कइयों ने बोन्ड्स नहीं भरे हैं। जिनकी ओर से ऐसी शिकायत है कि उनको नहीं मिला ऐसा केस बताईये। सब के लिए तो सदन में जानकारी देना मुश्किल है। जिसके लिए पूछना चाहता हैं उसके लिए सूचना दें ताकि सदन को जानकारी देने में सहूलियत रहे। माननीय सदस्य को भी उसकी सूचना मिल जावेगी।

श्री मुरलीधर व्यास : (बीकानेर सिटी):— जो जानकारी माननीय मंत्री महोदय की ओर से दी जा रही है वह यह है कि जिनको नहीं दी जा सकी वैसे लोग रह गये लेकिन जो लोग लेने के हकदार थे वे भी तो रह गये ?

श्री दामोदरलाल व्यास : ऐसी मेरी जानकारी में नहीं है कि जो लोग हकदार थे वे भी रह गये।

श्री मदनसिंह : ८० में से चार को मिली। ऐसे कितने ही आदमी रह गये। यह तो पता लगा सकते हैं क्योंकि यह आम शिकायत है कि तकावी नहीं मिली। तहसीलदार द्वारा फाइलें दबाई जा रही हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इस सम्बन्ध में तहसीलदार की ओर से या लेने वालों की ओर से... ....

श्री मदनसिंह : कौनसी तारीख है यह तो बतायें ? क्यों इन्कारी कर दी और कौनसी तारीख को इन्कारी कर दी यह तो बतायें ? जब तारीख ही नहीं बता सकते हैं तो केवल ऊपर की हवा की बात करके संतोष कराना चाहते हैं ?

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : यह बाढ़ पीड़ितों का प्रश्न है और मैं समझता हूं कि सरकार को इस सम्बन्ध में उदार होना चाहिये। यदि वे समझते हैं कि रुपया ठीक नहीं बँट पाया तो जांच कराना चाहिये और बँटवारा चाहिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : तकावी लेने के लिए लोग तैयार नहीं थे। दाँतावाले साहब ने कहा कि लोगों ने इन्कार नहीं किया। लेकिन यह सही है कि लोगों ने बोन्ड्स नहीं भरे, जमानत नहीं दी उनको

Page No.17

(श्री दामोदरलाल व्यास)

नहीं मिली। लेकिन आप ऐसे लोगों को बताईये कि जो हकदार थे और उनको नहीं मिली तो मैं जानकारी करुँगा ?

श्री श्रीभानसिंह : (बयाना) २ - लाख, ८० हजार रुपया आपने सैंक्शन किया था। तहसीलों से डिमान्ड मंगाई थी कि पर तहसील कितनी रिक्वायरमेन्ट है और वह गवर्नमेन्ट के पास गई होगी। फिर जब ऑफिसर्स ने डिमान्ड स्वीकृत की तो फिर क्या वजह है कि आधा पैसा तो खर्च हुआ और आधा पैसा लेप्स हो गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : बहुत से लोगों ने बोन्ड्स भरने से इन्कार कर दिया, लोग जमानत देने के लिए तैयार नहीं थे। हरएक तहसील के मकान की शुमारी तो नहीं की थी। अलॉमेन्ट के लिए कमेटी मुकर्रर की जिसमें ऑफिशियल और नोन ऑफिशियल दोनों ही प्रकार के मेम्बर्स थे। मकान और नुकसान देख कर उसने तकावी मंजूर की और जो नियम के खिलाफ बोन्ड्स नहीं भरना चाहते थे या जमानत नहीं दिलाना चाहते थे उनको नहीं मिली। ऐसा आदमी कोई नहीं रहा जिसको जरुरत थी और उसको तकावी नहीं मिली। ऐसा कोई हो तो बताईये मैं जानकारी करूंगा।

श्री श्रीभानसिंह : मिनिस्टर महोदय ही बतायें कि कितने आदमी थे जो कि हकदार थे और जिन्होंने बोन्स नहीं भरे और वे रह गये ?

Is the Hon'ble Minister in a position to say as to how many people did not fill the conditions and how many did not follow under the rules ?

श्री दामोदर व्यास : That information can be furnished but I want a notice for it.

श्री श्रीभानसिंह : माननीय मंत्री महोदय कह रहे हैं कि अधिक ने बोन्डस नहीं भरे, आये रूल्स के मुताबिक नहीं थे। कितनी ऐसी केटेगेरीज थीं जिससे १ लाख, ८० हजार रुपया लेप्स हो गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : प्रश्न पूछ लीजिये जबाब दे दूंगा।

श्री श्रीभानसिंह : सप्लीमेन्टरीज में कह रहे हैं कि १ लाख, ८० हजार रुपया लेप्स हुआ। कितने आदमी रूल्स के तहत में नहीं आते थे यह केटेगेरिकल बताईये कि क्यों नहीं आते थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : स्पेसिफिक जानकारी चाहते हैं उसके लिए नोटिस की आवश्यकता है वर्ना अर्ज कर दिया गया कि रूल्स के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र रिजेक्ट हुए।

श्री श्रीभानसिंह : मैं यह हाऊस में जानना चाहूँगा कि रूल्स के अन्तर्गत रिजेक्ट हुए तो कितने हुए ?

श्री उपाध्यक्ष : Well, these details may be furnished next time.

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी !

संस्कृत भाषा के पुनरुद्धार हेतु कार्य

१५. **श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** (डीग) : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

(क) सरकार ने संस्कृत भाषा को अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए अब तक क्या क्रियात्मक कदम उठाये हैं ?

(ख) क्या सरकार संस्कृत भाषा के प्रचार व प्रसार हेतु कोई विशेष धन राशि व्यय करने का प्रावधान रखने का विचार कर रही है ?

(ग) संस्कृत भाषा को किन-किन कक्षाओं में अनिवार्य किया गया है ?

(घ) क्या सरकार संस्कृत की पाठ्य विधि में आधुनिक सभी विषयों का समावेश करेगी तथा उसको विशेष उपयोगी बनाने के हेतु तन्निमित्त सुझाव देने के लिये कोई विशेष समिति की नियुक्ति करने का विचार रखती है ?

उप मंत्री, शिक्षा (श्री पूनम चन्द बिश्नोई) : (क) (१) प्रवेशिका, उपाध्याय या मध्यमा, शास्त्री और आचार्य परीक्षा जिन्होंने अंग्रेजी व अन्य सामान्य विषय लेकर १६५४ की नियमावली से उत्तीर्ण की है उन्हें मैट्रिक, इन्टर बी. ए. और एम. ए. के समकक्ष मान लिया गया है । इसके अनुसार मिनिस्ट्रीयल, सबोर्डिनेन्ट और एजुकेशनल सर्विसेज में जिनके लिए मैट्रिक, इन्टर, बी. ए. और एम. ए. की योग्यता निर्धारित की है वहाँ प्रवेशिका, उपाध्याय या मध्यमा, शास्त्री और आचार्य की योग्यता-वालों को लिया जा सकेगा ।

(२) संस्कृत के विकास के लिए संचालक, संस्कृत शिक्षा का पृथक विभाग कर संचालक, संस्कृत शिक्षा का नया पद बनाया गया है ।

(३) संस्कृत पढ़नेवाले आचार्य, शास्त्री, उपाध्याय और प्रवेशिका के छात्रों को क्रमशः २००, १५०, १००, और ५०) रु० वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाती है ।

(४) राजकीय सहायता प्राप्त संस्कृत संस्थाओं को पाठ्य सामग्री व फर्नीचर हेतु २०,००० रुपये दिये गये हैं ।

(५) ....

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : इसमें पांच कोई है ही नहीं चार ही हैं ।

एक माननीय सदस्य सप्लीमेन्टरी का जवाब है ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इसमें आ रहा है । आपने अच्छी तरह इसको देखा नहीं है । क बोलकर फिर (१), (२), (३), (४) बोला हूं । ध्यान से सुनें तो सदन का समय जाया नहीं होगा ।

श्री चन्दनमल वैद : चार के बजाय ५ का जबाब दे रहे हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : 'क' के अन्तर्गत १, २, ३, ४, कहे हैं ।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : पांचवां तो बोलिये, आप बैठ क्या गये ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : (५) गैर सरकारी संस्कृत संस्थाओं को जिन्हें अब तक ४० से ५० प्रतिशत राजकीय सहायता मिलती थी अब ६५ से ७५ प्रतिशत सहायता दी जाती है ।

(६) राजकीय संस्कृत संस्थाओं के भवनों में सुधार हेतु ४०,००० रु० की धन राशि दी गई है ।

Page No.19

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

(७) राजकीय संस्कृत कॉलेजों में फर्नीचर सुधार हेतु १०,००० रु० की तथा पुस्तकालयों के सुधार हेतु १०,००० रु० अनावृतक ग्रान्ट दी गई है।

(८) विश्वविद्यालय में प्राच्य विद्या विभाग की स्थापना हेतु २०,००० रु० दिये गये हैं।

(९) संस्कृत संस्थाओं में आधुनिक विषय के स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए ग्रेजुएट ग्रेड के अध्यापकों के नवीन पद दिये गए हैं।

(१०) वेदों के कुछ अंशों को वैज्ञानिक तौर पर विमर्श करने व हिन्दी में अनुवाद करने हेतु राजस्थान वैदिक तत्व शोध संस्थान, दुर्गापुरा को ४०,००० रु० की सहायता दी गई है।

(११) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से बी. ए. के बाद जिन्होंने आचार्य पास किया है उन्हें भविष्य में एम. ए. के स्थान पर लिये जाने हेतु निर्णय हो चुका है।

(ख) इस हेतु तृतीय पंचवर्षीय योजना में विशेष धन राशि रखने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

(ग) कक्षा ६ से कक्षा ८ तक संस्कृत पढ़ना अनिवार्य है।

(घ) संस्कृत की पाठ्य विधि में आधुनिक सभी विषयों का समावेश है अत: इस कार्य के लिए समिति की निुयक्ति की आवश्यकता नहीं है।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : संस्कृत स्कूल खोलने के सम्बन्ध में सरकार ने कोई नीति निर्धारित की है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : हालांकि इस प्रश्न से इसका ताल्लुक नहीं है। तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो संस्थायें खोली जा रही हैं उनके बारे में मैं अभी नहीं कह सकता कि क्या नीति निर्धारित की गई है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : संस्कृत के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की जो नीति है संस्कृत के प्रसार और प्रचार के सम्बन्ध में क्या उसको राजस्थान सरकार ने अपनाया है ?

मंत्री, शिक्षा (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): हमने जो संस्कृत कमेटी नियुक्त की थी उसकी रिकमन्डेशन्स को हम लागू कर रहे हैं। उस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी उसने भारत सरकार द्वारा नियुक्त मंडल की रिपोर्ट को देख कर ही रिपोर्ट दी है जिसको हम कार्यान्वित कर रहे हैं।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : भारत सरकार ने जिस तरह से संस्कृत के प्रसार और प्रचार के लिए मंडल बनाया है क्या राजस्थान सरकार भी उसी तरह का मंडल बनाने की सोच रही है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मंडल तो सुझाव देता है। हमने तो जो समिति इसके लिए कायम की थी उसने जो रिकमन्डेशन्स की उसको कार्यान्वित कर रहे हैं।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : क्या यह सही है कि वर्तमान में जो मिडिल स्कूल आदि चल रहे हैं उनको आप संस्कृत पाठशाला में परिवर्तित कर रहे हैं ?

Page No.20

श्री पूनमचन्द विश्नोई : जी नहीं ।

श्री मदनसिंह : क्या इस प्रकार का प्रश्न सामने आया या नहीं ?

श्री पूनमचंद विश्नोई : जी नहीं ।

श्री मदनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का प्रश्न आया है, कई मिडिल स्कूलों को संस्कृत पाठशालायें बना दी गई हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : आपने जो प्रश्न पूछा वह आप भी समझते हैं और उसको समझ कर ही मंत्री महोदय ने जवाब दिया है ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : क्या इस संस्कृत विषय को केवल संस्कृत पाठशालाओं में ही समावेश किया है या जिस प्रकार अंग्रेजी कक्षा में पढ़ाई जाती है उसी प्रकार इसको भी समावेश किया है ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आपका मतलब यह हो कि टेक्स्ट बुक लिखी जाय तो वह अलग चीज है या सभी विषयों का ज्ञान संस्कृत में ये दोनों चीजें अलग अलग हैं ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी: मेरा निवेदन करने का मतलब यह है कि जिस प्रकार संस्कृत की कॉलेजों या पाठशालाओं में जिस प्रकार गणित, भूगोल, इतिहास, अंग्रेजी, हिन्दी ये विषय पढ़ाये जाते हैं क्या उसी प्रकार संस्कृत के भी पाठन का प्रबन्ध है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि जिस प्रकार दूसरे विषय रखे गए हैं उसी तरह यह भी आ जाय । आमतौरपर हाई स्कूल और हायर सेकिन्डरी स्कूलों में ऑपशनल की तौर पर है ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी: माध्यम तो हिन्दी है ?

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): आपने कक्षा ५ से ८ तक संस्कृत विषय को कम्पलसरी कब से किया है ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : यह काफी अरसे से चल रहा है ?

श्री पी० के० चौधरी : कबसे ? When did you pass those orders ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : एग्जेक्ट टाईम तो देना मुश्किल है लेकिन करीब ६, ७ साल से यह चल रहा है ।

श्री पी० के० चौधरी : I Would like to point a number of schools where the Sanskrit is not compulsory from 6th to 8th.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वहाँ पर टीचर्स नहीं भेज पाये होंगे ।

श्री श्री भानसिंह : कक्षा ५ से संस्कृत को कम्पलसरी करने की किस एज्युकेशन बोर्डी ने सिफारिश की है ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : पाँचवी से नहीं है मैंने ६ ठी से ८ वीं तक का निवेदन किया है ।

श्री श्रीभानसिंह : ६ ठी से ले लीजिये यह आपने किस बोडी की रिकमन्डेशन को इम्पलीमेन्ट किया है ? किसने गवर्नमेन्ट को यह सुझाव दिया है कि इसको कक्षा ६ से कम्पलसरी किया जाय ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : कक्षा ६ से इसलिए किया गया है कि इसमें छात्र प्राईमरी स्टेज को पास कर लेता है।

श्री श्री भानसिंह : I would like to know the policy of the Government in accordance to which recommendation of any Educational Body the Government is making Sankrit compulsory; or is it just a figment of your imagination?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उस वक्त एज्युकेशन डिपार्टमेन्ट ने जिस हिसाब से तय किया था उसी पर अमल करते आ रहे हैं।

श्री श्रीभानसिंह : क्या आप इस बारे में री-कन्सीडर करना आवश्यक नहीं समझते क्योंकि छटी क्लास के छात्र का माइन्ड इतना डवलेप नहीं हो पाता जिस कारण वह इस लेंग्वेज को रट सके?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह अलग से प्रश्न है। हिन्दुस्तान में केवल एक ही स्टेट ऐसी है जहाँ कक्षा ८ से संस्कृत पढ़ाई जाती है। इसको ऑपश्नल सबजेक्ट की तौर पर रखा जाय दूसरी भाषाओं की तरह उस पर विचार किया जा रहा है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : किन किन विद्यालयों में सब विषयों की पढ़ाई संस्कृत में होती है, यह बता सकते हैं?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह तो मैं नहीं कह सकता किन्तु जिस प्रकार अंग्रेजी, गणित, भूगोल, आदि विषय हैं उसी तरह इसको भी रखा गया है।

श्री पी० के० चौधरी : What is the ... ...

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : संस्कृत पर विशेष तौर से जोर दिया जाता है। प्रवेशिका आदि की योग्यता कराने की कोशिश की जाती है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल!

अल्प संख्यक भाषा-भाषी समिति का गठन

१६. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर)** : Will the Education Minister be pleased to state :—

1. Whether a Linguistic Minorities Committee was appointed by the Government and it gave its report in 1957 or 1958?

2. Is it a fact that this Committee made the following recommendation amongst others :—

"The medium of instruction and examination shall be through the mother tongue upto class V."

3. Is this recommendation of the Committee being implemented by the Government so far as Sindhi students in Rajasthan are concerned?

4. If yes, please give a list of the books that are prescribed for study for such students and whether they are in Sindhi or Hindi language?

उप मंत्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) :

1. Yes. The report was received by the Government in October, 1958.

Page No.22

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

2. Yes.

3. Yes.

4. The list is placed on the table of the House. The books are written in Sindhi language and are printed both in Arabic and Hindi script.

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रभुलाल पुरोहित !

हायर सेकिन्डरी स्कूलों में ऐच्छिक संस्कृत विषय

१७. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) राजस्थान में हायर सेकिन्डरी स्कूलों में ऐच्छिक संस्कृत विषय कहाँ पर पढ़ाया जाता है ?

(ख) क्या उन सभी स्थानों में संस्कृत के सीनियर अध्यापकों की नियुक्तियाँ हो चुकी हैं ?

(ग) यदि नहीं, तो रिक्त स्थान होते हुए भी नियुक्तियाँ अब तक क्यों नहीं की गई हैं ?

(घ) हायर सेकिन्डरी स्कूल, गांधीनगर, (जयपुर) व रूपनगढ़ (अजमेर) में पिछले वर्षों से संस्कृत के सीनियर अध्यापकों की पद पूर्ति क्यों नहीं की गई है ?

उपमन्त्री, शिक्षा (श्रीपूनमचन्द विश्नोई):

(क) जिन हायर सेकिन्डरी स्कूलों में ऐच्छिक संस्कृत विषय पढ़ाया जाता है उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) जी नहीं। क्योंकि सभी हायर सेकिन्डरी स्कूलों में संस्कृत के सीनियर अध्यापकों के पद स्वीकृत नहीं हैं।

(ग) कोई रिक्त स्थान नहीं है अतः नियुक्ति करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) गांधी नगर व रूपनगढ़ हायर सेकिन्डरी स्कूलों में संस्कृत के सीनियर अध्यापकों का पद स्वीकृत नहीं है, अतः पद पूर्ति का प्रश्न ही नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द

सेटलमेंट भूमि एकीकरण एवं लैंड रेकॉर्डस विभाग

१८. **श्री लक्ष्मीचन्द** (साँचोर) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सेटलमेन्ट भूमि एकीकरण विभाग व लैंड रेकॉर्डस विभाग का कार्य एक ही तरह का है ?

(२) यदि हाँ, तो उनके लिये सेपरेट एजेन्सी रखने के क्या कारण हैं ?

(३) क्या निकट भविष्य में उक्त विभागों को सम्मिलित करने का विचार सरकार रखती है ?

उप मन्त्री, राजस्व (श्री सम्पतराम) :

१. एकीकरण व सेटलमेंट के कार्य अलग अलग हैं। केवल आरम्भ में तरमीम का कार्य व खसरा नक्शा व खतौनी आदि बनाने का कार्य एक सा ही है।

२. सवाल नहीं उठता।

(श्री सम्पतराम)

३. जी नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा

ग्राम डूँगरली के किसानों के नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स की रकम

१६. **श्री रामनारायण वर्मा** (पीपल्दा-सु): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

१. क्या यह सही है कि धन्नालाल आत्मज हीरालाल पटेल, ग्राम डूँगरली, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा ने नेशनल सेविंग्ज सर्टिफिकेट की रकम २० रु० दिनांक २८-८-५४ तथा २०० रु० दिनांक १७-४ ५४ को तहसील पीपल्दा में क्रमशः रोकड़पाना ८७ एवं ४८ पर जमा किये थे ?

२. यदि हाँ, तो ग्राम डूँगरली के किसानों की रकम जो पटेल धन्नालाल द्वारा तहसील में जमा हुई थी अब तक किसानों को लौटाई या नहीं ?

३. नेशनल सेविंग्ज सर्टिफिकेट्स की रकम साधारणतया कितने समय बाद लौटाई जाती हैं ? क्या उक्त धन राशि का नियमानुसार समय बाकी है ? यदि हाँ, तो कितना ?

उप मंत्री, वित्त (रिखबचन्द धारीवाल) : १. जी हाँ

२. दोनों ही रकमों के सर्टिफिकेट्स खरीदे जाकर किसानों को दे दिये गये थे। १६० रुपये के सर्टिफिकेट्स तो जून तथा जुलाई, १६५७ में ही भुनवाये जा चुके हैं।

३. अल्पबचत योजना के अन्तर्गत आजकल १२ वर्षीय राष्ट्रीय योजना बचत सर्टिफिकेट्स तथा १० वर्षीय ट्रेजरी सेविंग्स डिपोजिट सर्टिफिकेट्स धन लगाने के मुख्य साधन हैं। इसके अतिरिक्त १५ वर्षीय एन्युटी सर्टिफिकेट्स पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक तथा किम्युनेटिव टाईम डिपोजिट योजनायें भी प्रचलित हैं। पूरी जानकारी बुकलेट में दी हुई है। साधारणतः राष्ट्रीय योजना बचत सर्टिफिकेट्स की रकम अवधि की समाप्ति पर ही दी जाती है। खरीदने की तिथि के १ वर्ष बाद आवश्यकता पड़ने पर यह सर्टिफिकेट भुनवाये तथा गिर्वी रखे जा सकते हैं, ऐसी भी सुविधा है।

(कृपया परिशिष्ट ७ देखिए)

श्री रामनारायण वर्मा : शेष रकम क्यों नहीं दी गई ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह तो जितनी भुनवाई उतनी की रकम दे दी गई। बाकी के सर्टिफिकेट्स उसके मौजूद हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द !

सांचोर ब्लॉक द्वारा किये गये कार्य

२०. **श्री लक्ष्मीचन्द** (साँचोर) : क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) साँचोर ब्लॉक द्वारा कौन कौन से कार्य कम्पलीट किये जा चुके हैं तथा कम्पलीशन सर्टिफिकेट दिये जा चुके हैं ?

(ख) कौन कौन से कार्य अधूरे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उप मन्त्री, विकास (श्री सम्पत राम) : (क) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। (ख) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ८ देखिए)

Page No.24

श्री लक्ष्मीचन्द : यह कम्पलीशन सर्टीफिकेट देते वक्त किन किन मुद्दों पर ध्यान दिया जाता है ?

श्री सम्पतराम : जो रुपया हमने दिया वह उसमें खर्च हुआ या नहीं, पब्लिक कन्ट्रीब्यूशन जितना चाहिये था उतना हुआ या नहीं, जिस तरह के जितने काम पूरे करने थे वे पूरे हुए या नहीं ।

श्री लक्ष्मीचन्द : इन सारे कामों की देखभाल करने के लिये कोई कमेटी मुकर्रर है या आपके विभाग के ओवरसीयर ही करते हैं ?

श्री सम्पतराम : जरूरत पड़ने पर डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर टैक्नीकल स्टाफ भी रहता है उससे एग्जामिन करा लेते हैं । वैसे इसके नियम बने हुए हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीमसेन

नोखा- साँकडा विकास खण्ड

२१. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:- नोखा-साँकड़ा विकास खण्ड कब से काम कर रहे हैं? उनकी वार्षिक रिपोर्ट्स की प्रतियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उप मन्त्री, विकास (श्रीसम्पतराम) : नोखा विकास खण्ड अक्टूबर, सन् १६५५ से और सांकडा विकास खण्ड अक्टूबर, १६५४ से काम कर रहे हैं । उनकी वार्षिक प्रगति की रिपोर्ट की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिए)

श्री भीमसेन : क्या कोई इवेलुएशन कमेटी मुकर्रर हुई है ?

श्री सम्पतराम : कुछ सलेक्टेड ब्लॉक्स में करते हैं सब ब्लॉकस में नहीं करते ।

श्री भीमसेन : बिना इसके फिर क्या मालूम कि रिपोर्ट की बात ठीक है ?

श्री सम्पतराम : रिपोर्ट में बताई गई प्रोग्रेस की बातें ठीक इसलिये मान लेते हैं कि हमारे बी० डी० ओ०, कलेक्टर वगैरह सारा स्टाफ व हमारा डिपार्टमेन्ट का रिप्रेजेन्टेशन भी वहाँ जाता है और इसके अलावा इवेल्यूएशन कमेटी सलेक्टेड ब्लॉक्स में जा सकती है । सब जगह तो उसका जाना सम्भव भी नहीं ।

श्री भीमसेन : आपने यह लिखा है कि एग्रीकल्चर डिमॉन्स्ट्रेशन भी हैं पर यह डिमॉन्स्ट्रेशन बिना फार्म के कैसे हो सकता है ?

श्री सम्पतराम : यह जरूरी नहीं कि सरकारी फार्म ही हों तभी डिमॉन्स्ट्रेशन हो । किसान के खेत पर भी कुछ जमीन सलेक्ट कर ली जाती है और वहाँ हमारा टैक्नीकल स्टाफ नये तरीके से खेती करके बताता है, बीज का प्रयोग आदि भी बताता है ।

श्री भीमसेन : नये तरीके से खेती करने के सम्बन्ध में प्रोग्रेस रिपोर्ट में कोई जिक्र नहीं है फिर कैसे माना जावे कि इस बारे में कोई कदम उठाया गया है ?

श्री सम्पतराम : ये बहुत डिटेल की बातें हैं जिसके लिये डिपार्टमेन्ट उनसे एक्सपेक्ट नहीं करता । यह माना जाता है कि जिन जिन बातों के लिये डिपार्टमेन्ट उनको आदेश देता है वे सारी बातें कार्यरूप में परिणित की जाती हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पी. के. चौधरी ।

हेमावास बाँध की जमीन में खातेदारी के पट्टे

२२. **श्री पी. के. चौधरी** (फुलेरा) : क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) मानपुरा गाँव, तहसील पाली में कितने ऐसे काश्तकार हैं जिनको खातेदारी के पट्टे हेमावास बाँध की जमीन में मिल चुके हैं ?

(२) क्या इन लोगों से पानी की अलग रकम (आबपाशी की) ली जाती है ? अगर ली जाती है, तो कितनी ?

(३) क्या सरकार यह भी बतलावेगी कि उनसे बीघोड़ी की रकम प्रति बीघा कितनी ली जाती है ?

(४) क्या इन काश्तकारों को बिना लिखित हुक्म के ही लाटा उठाने से गाँव के पटवारी ने रोक दिया था ? यदि हाँ, तो क्यों ? क्या इन्हीं काश्तकारों ने अपने खुद की खातेदारी जमीनों में काश्त किया था और बीज बोया था ?

(५) क्या ये काश्तकार कई वर्षों से इन्हीं जमीनों में काश्त करते हैं ? यदि हाँ, तो कब से ?

(६) क्या कलेक्टर पाली ने इन लोगों को काश्त करने के पहले कोई लिखित नोटिस द्वारा रोक दिया था ? यदि नहीं, तो अब लाटा रोकने का प्रश्न क्यों पैदा होता है ?

उप मन्त्री, राजस्व (श्री सम्पतराम) : (१) ५७ व्यक्ति । मगर ये पट्टे राज्य सरकार की आज्ञा क्रमांक एफ ६।१७२ राज । त्र । ५७ दिनांक १।१२।५८ के अनुसार खारिज कर दिये गये ।

(२) जी हाँ, ७५ न. पैसे प्रति बीघा सिंचाई विभाग द्वारा वसूल की जाती है ।

(३) काश्तशुदा भूमि पर २. ५० न. पै. प्रति बीघा ।

(४) जी नहीं ! इन काश्तकारों ने सरकारी भूमि में बिना आज्ञा काश्त की थी इसलिए जिलाधीश की आज्ञा से पटवारी ने लाटा उठाने से रोका था । इन्होंने खातेदारी भूमि में काश्त नहीं की थी ।

(५) जब जब बाँध हेमावास खाली होता है तब तब तहसील से एक रबी की फसल के लिये आराजी काश्त करने की आज्ञा अलग अलग व्यक्तियों को दी जाती है ।

(६) जी हाँ, इन काश्तकारों को बाँध हेमावास की भूमि पर बिना आज्ञा काश्त नहीं करने बाबत मौखिक आज्ञा दी गई थी किन्तु रकम बीघोड़ी बकाया जमा नहीं कराने पर लाटा रोका गया था ।

श्री तेजाराम (सोजत) : क्या यह सही है कि जिस भूमि के पट्टे सरकार ने कैंसिल किये हालां कि उन पर उनका कब्जा है और वे काश्त करते हैं वे ट्रेस पासर्स गिने जा सकते हैं ? अगर नहीं गिने जाते तो बगैर ट्रेस पासर्स डिक्लेयर किये छः गुना लगान नहीं लगाया जा सकता

श्री सम्पतराम : उनको ट्रेस-पासर्स ही माना जावेगा जब तक कि उनको स्वीकृति नहीं दी जाती ।

श्री तेजाराम : स्वीकृति का प्रश्न पैदा नहीं होता । पहले से उनका उस जमीन पर हक है, कब्जा है । कब्जे से बेदखल करने का प्रोविजन कानून में कहीं नहीं है और इस

(श्री तेजाराम)

तरह वे ट्रेस-पासर्स की परिधि में नहीं आ सकते ।

मंत्री, राजस्व (श्री दामोदरलाल व्यास): क्लेक्टर या मजिस्ट्रेट के द्वारा जब वह ट्रेस-पासर्स डिक्लेअर कर दिया गया है तो कानून के अनुसार किसान को हक है कि वह अपील करके खुदकाश्त काश्तकार डिक्लेअर करा ले अपने आपको। अब यह सरकार के अधिकार में नहीं है कि उसको ट्रेस-पासर्स नहीं मान कर खातेदार टीनेन्ट या खुदकाश्त होल्डर माना जावे। क्लेक्टर के ऑर्डर के खिलाफ सरकार नहीं जा सकती। ये जुडिशियरी के मामले हैं।

श्री तेजाराम : क्या सरकार ऐसा कोई जनरल ऑर्डर क्लेक्टर को नहीं दे सकती कि जिनको पहले स्टेट के वक्त से पट्टे मिले हुये हैं उनको ट्रेस-पासर्स डिक्लेअर नहीं करे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सरकार ने पट्टे के लिए अलॉटमेन्ट के कैंसिल और कब्जे के नियम बनारखे हैं और उनको प्रकाशित भी कर दिया है। इससे ज्यादा कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या सरकार को मालूम है कि जोधपुर स्टेट के वक्त के पट्टे उनको मिले हुए हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जोधपुर स्टेट के वक्त क्या था इसकी जानकारी नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : ट्रेस-पासर्स को नोटिस कब दिये गये ?

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय सदस्य उनकी तरफ से दरख्वास्त लेकर मेरे पास आये थे और मैंने उनके सामने ही क्लेक्टर को आदेश दिये थे। पर वे इसके पहले ही ट्रेस-पासर्स डिक्लेअर कर चुके थे। अब मैं अर्ज करूँगा कि जहाँ तक मुकद्दमे का सवाल है उनको जुडिशियरी कोर्ट करती हैं। हम उसमें किसी प्रकार का दखल नहीं दे सकते। माननीय सदस्य को और काश्तकारों को अगर ऐतराज है तो उनको एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन अपीलों में मौका है। उनमें वे अपने राईट को डिक्लेअर करा सकते हैं।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : हेमावास बांध को प्रोजेक्ट एरिया डिक्लेअर किया है क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। पर इतना जरूर है कि इसका ताल्लुक इससे नहीं है।

श्री मदनसिंह (दाँता रामगढ़) : जो जोतेगा वह जमीन का मालिक होगा क्या वह सिद्धान्त खतम हो गया है ?

(हँसी)

श्री दामोदरलाल व्यास : वह है और आगे भी कायम रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीमसेन !

देहाती क्षेत्र की शालाओं का समय तथा उनके अवकाश

२३. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे : क्या सरकार देहाती क्षेत्र की प्राथमिक शालाओं के समय तथा अवकाश में किसानों की सुविधानुसार परिवर्त्तन करने का

(श्री भीमसेन)

इरादा रखती है ? अगर हां, तो सरकार इस इरादे को कब तक क्रियान्वित कर सकेगी ?

उप मन्त्री, शिक्षा (श्री पूनम चन्द विश्नोई) : यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री भीमसेन : कब तक निर्णय लेलेंगे।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : पंचायत समितियों के नीचे प्राईमरी स्कूल देने का निर्णय लिया है। इसका प्रयोग इस साल अपनाया है। अगर सफलता मिलती है तो सोचेंगे कि सभी स्कूलों में इस तरह कर दिया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रावतराम !

पी० सी० बी० हायर सेकिन्डरी स्कूल, सुजानगढ़ में हरिजन छात्र

२४. **श्री रावतराम** (चुरू-सु०): क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

(१) पी० सी० बी० हायर सेकिन्डरी स्कूल, सुजानगढ, जिला चुरू में कुल कितने हरिजन छात्र विद्याध्ययन करते हैं ? उनके नाम व कक्षाओं के विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें ?

(२) क्या यह सही है कि उपरोक्त छात्रों ने सन् १६५८–५६ में छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना-पत्र उपरोक्त हायर सेकिन्डरी स्कूल के प्रधानाध्यापक की मार्फत समाज कल्याण विभाग को भेजे थे ? अगर हाँ, तो कितने छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई ? ब्योरेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(३) क्या यह सही है कि उक्त हायर सेकिन्डरी स्कूल के ६ छात्रों के छात्रवृत्ति के फार्म समाज कल्याण विभाग को नहीं भेजे गये ? यदि हां, तो क्यों, तथा इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करने का इरादा रखती है ?

(४) उक्त हायर सेकिन्डरी स्कूल के फार्म नहीं भेजने से जो छात्र छात्रवृत्ति प्राप्त करने से वंचित रह गए हैं, क्या उन छात्रों को सरकार सन् १६५८–५६ की छात्र वृत्ति देगी ?

उप मंत्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) :

(१) सूची संलग्न है।

(२) जी हां, सूची संलग्न है।

(३) जी नहीं। कोई भी फार्म नहीं रोका गया। कुल फार्म समाज कल्याण विभाग को भेज दिये गये थे।

(४) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट १० देखिए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री पी. के चौधरी !

औद्योगिक स्टेट, भीलवाड़ा

२५. **श्री पी०के० चौधरी** (फुलेरा) : Will the Industries Minister be pleased to state :

(a) When was the foundation stone of the Industrial Estate at Bhilwara laid ? How many sheds have so far been constructed ?

(b) Have any of those sheds been occupied ? If so, by whom ?

(श्री पी० के० चौधरी)

(c) How many persons have applied for allotment of sheds to them in the Estate area ?

(d) At what distance from the heart of the town as well as the industrial area the Estate is situated?

उप, मंत्री उद्योग, (श्री रिखबचन्द धारीवाल) :

(a) 31st March, 1958 Construction is still going on.

(b) Since construction work has not been completed, the question of their occupation does not arise.

(c) Three parties.

(d) About 1½ miles away from the town as well as Industrial area.

श्री पी. के. चौधरी : Not a single shed has been completed till now ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : It is still under construction and they have not yet been completed.

श्री पी. के. चौधरी : Not a single shed has been completed ?

श्री उपाध्यक्ष : They are under construction which means not completed.

श्री पी. के. चौधरी : How many applications have been received for accommodation in the sheds ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : Application forms have been sent to about 25 persons to apply on those prescribed forms and to pay 3 months' advance rent 3 persons have paid, 10 have promised to pay very shortly.

श्री पी. के. चौधरी : इन्डस्ट्रियल एस्टेट में कितने शैड्स का प्रोविजन रखेंगे ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : At present twelve sheds are being constructed. There will be 24 sheds in all.

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीमसेन !

लूणकरणसर तहसील में लैंड रेवेन्यू की वसूली

*६. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) लूणकरणसर तहसील में इस वर्ष कौन कौन से वर्षों की कितनी कितनी रकम (लैण्ड रेवेन्यू) वसूल करनी थी व वास्तव में अब तक कितनी वसूल की जा चुकी है ?

(ख) क्या यह सही है कि लूणकरणसर तथा बीकानेर तहसील के काफी गांवों में इस साल अनाज पैदा न होने तथा पिछले दो, तीन वर्षों की लगातार कहतसालियों के कारण किसानों की आर्थिक हालत ठीक नहीं है, खास तौर से लूणकरणसर, सहजरासर, मोटोलाई, तेजरासर, गुसाईंसर, नौरंगदेसर, सरेरा के गांवों में ?

(ग) अगर हाँ, तो क्या ऐसी हालत में सरकार कुर्की जारी करने से पहले संबन्धित पंचायतों के पंचों व सरपंचों से संबन्धित किसानों की आर्थिक हालत के बारे में राय लेने का विचार रखती है ?

Page No.29

उप मंत्री, राजस्व (श्री सम्पतराम) : (क) संवत् २०१४ तक की कुल बकाया रु० ६०,०७४ है और वसूली, बकाया आदि का विवरण निम्नांकित है :

संवत्	काबिल वसूली	इस साल वसूल हुई	बाकी बकाया
२००८	६७	२३	४४
२००६	—	—	—
२०१०	१३२	—	१३२
२०११	११,०४८	७,२०५	३,८४३
२०१२	८,०७३	६,०६३	१,६८०
२०१३	२०,०८६	१२,३७३	७,७१३
२०१४	५०,६६८	३७,५३६	१३,१२६
मीजान	६०,०७४	६३,२३३	२६,८४१

(ख) जी नहीं। कहतसाली केवल २०१४ में थी शेष वर्षों में आर्थिक हालत ठीक ही थी।

(ग) कुर्की आदि जारी करने की कार्यवाही राजस्थान भू राजस्व—भुगतान प्राक्लन प्रत्यर्पण और वसूली के नियम, १६५८ के अन्तर्गत की जाती है। इसमें पंच अथवा सरपंच से राय लेने का प्रावधान नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा।

माध्यमिक शाला, पीपल्दा कलां में संस्कृत अध्यापक की व्यवस्था

२७. **श्री रामनारायण वर्मा** (पीपल्दा—सु०) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जब से प्राथमिक शाला पीपल्दा कलाँ, जिला कोटा को माध्यमिक शाला में परिवर्तित किया है तब से वहाँ संस्कृत अध्यापक की व्यवस्था नहीं हुई है ?

(२) क्या यह भी सही है कि गत वर्ष बिना संस्कृत का ज्ञान कराये ही विद्यार्थियों को अगली क्लास में चढ़ा दिया है ?

(३) क्या यह भी सही है कि वर्तमान सत्र के प्रारम्भ में वहाँ संस्कृत अध्यापक के स्थान पर एक ऐसे अध्यापक को भेजा गया है जो संस्कृत विद्या से अनभिज्ञ है ?

(४) क्या इस वर्ष निरीक्षण के समय निरीक्षक ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है ? यदि हाँ, तो अब तक व्यवस्था क्यों नहीं हुई ?

उप मंत्री, शिक्षा (श्री पूनमचंद बिसनोई) : (१) जी नहीं।

(२) जी नहीं।

(३) जी नहीं।

(४) प्रश्न नहीं उठता।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जयचन्द्र मोहिल।

ईशरदा गांव (सवाई माधोपुर) के चारों ओर बनी दीवार

२८. **श्री जयचन्द्र मोहिल** (कपासिन—सु०) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सत्य है कि सवाई माधोपुर जिला के ईशरदा ग्राम के चारों ओर दीवार बनी हुई है और इस ग्राम के निवासियों को ग्राम के बाहर जाने आने के लिए इस दीवार में तीन दरवाजे बने हुए हैं ?

(श्री जयचन्द्र मोहिल)

(ख) क्या जागीरदार ईशरदा ने इन तीनों दरवाजों का पट्टा अपने कर्मचारियों के नाम कर दिया है ? यदि हां, तो कब ?

(ग) क्या यह सत्य है कि उक्त पट्टा प्राप्त कर्मचारी उन दरवाजों को अपनी निजी सम्पत्ति मान कर उक्त दरवाजों को ६ बजे रात को बन्द कर देते हैं और ६ बजे सुबह खोलते हैं ?

उप मंत्री, राजस्व : (श्रीसम्पतराम) : (क) जी हां।

(ख) सरकार को इसकी कोई सूचना नहीं है।

(ग) ठिकाने के समय से यह परम्परा चली आ रही है कि सुरक्षा की दृष्टि से दरवाजे रात्रि को ६ बजे बन्द कर दिये जाते हैं और सुबह पांच बजे खोले जाते हैं।

जिलाधीश, सवाईमाधोपुर को यह आदेश भेज दिया गया है कि वे स्वयं मौके पर जाँच करें और यदि यह पावें कि इस तरह फाटक बन्द करने में आम जनता को असुविधा होती है तो फाटक को रात में बंद करना रोक दें।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, जब प्राईवेट सम्पत्ति उनकी घोषित हो गई तो फिर जिलाधीश को क्या अधिकार है कि वह दरवाजे खुलवावें या बन्द करावें ? मैं समझता हूँ कि यह उचित नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : That is not important now.

(साइरन की आवाज-१२-०० म० प०)

श्री मदनसिंह : इम्पोरटेन्ट है। यह भोंपू बज रहा है इसको बज जाने दिया जाय मैं इसके बाद में पूछूँगा।

श्री उपाध्यक्ष : I consider it as not important.

श्री मदनसिंह : किसी भी प्राईवेट सम्पत्ति में इस प्रकार दखल करना मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

निलम्बित राजकीय कर्मचारियों के विरुद्ध जाँच की अवधि

२६. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : Will the Chief Minister be Pleased to state :—

(a) What were the rules in force before the Rajasthan Government Servants (Enquiries in Corruption) Rules, 1955 dated 24.1.56 Notification No. F. 1 (6) 29 (HA) 56 came in force and what is the position after their repeal on 31.8.1957 ?

(b) What is the pariod prescribed within which the inquiry against Government servant who is under suspension, should be completed ?

मुख्य मंत्री, (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (a) No rules were in force but certain instructions were issued in 1952 which remained in force till 1955 . A copy of the Government order No.F. 23 (36) Appts, (A) / 57 dated 10.10.57 is placed on the table of the House,

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

(b) Six months, as for as possible.
(कृपया परीशिष्ट ११ देखिए)

श्री मुरलीधर व्यास : Enquiries are still pending before the Enquiry Committee......

जब ६ महीने का समय निश्चित रखा गया है तो ६ महीने से अधिक के ऐसे कितने केसेज़ पेन्डिंग पड़े हैं इन्क्वायरी के लिए जिनके ऊपर अभी तक सरकार ने फैसला नहीं लिया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह अलग प्रश्न है ।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने ही यह इन्क्वायरी का समय ६ महीने का रखा है और जब यह ६ महीने का समय रखा है तो ऐसे कितने भ्रष्टाचार के संबंध में इन्क्वायरी के केसेज़ हैं जो कि अभी तक पेन्डिंग पड़े हैं और उनका कोई डिसीज़न नहीं हुआ है । यह प्रश्न इसी से संबंधित है और जब तक यह उत्तर नहीं आयेगा तब तक क्या है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आपने तो यह पूछा था कि नेचर ऑफ इन्क्वायरी के क्या रूल्स हैं । अगर आपने यह चाहा होता कि कितनी इन्क्वायरीज़ ६ महीने से अधिक पेन्डिंग पड़ी हैं तो मैं यह सूचना भी लेता आता ।

श्री मुरलीधर व्यास : जब आपका पीरियड ऑफ सस्पेन्शन ६ महीने का है और यह समय सरकारी तौर पर है और यह कह दिया जाये कि सब इन्क्वायरीज़ ६ महीने के अन्दर हो गयी या फिर यह समझ लें कि ६ महीने का पीरियड जरूर है पर उनमें ६ महीने के बजाय साल, दो साल या तीन साल भी लग सकते हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : ६ महीने से अधिक का समय भी कुछ केसेज़ में लग जाता है । उसके लिए जो हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट कन्सर्न्ड हैं वे नीचे के ऑफिसर से जानकारी करते हैं कि देरी क्यों लगी है । हां, कुछ ऐसी इन्क्वायरी हो सकती हैं जिनमें समय ज्यादा लग सकता है । इसलिए मैंने कहा कि एज़फार एज़ ६ महीने में इन्क्वायरी पूरी हो जानी चाहिए ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी-बाजार, जयपुर): Has the Government issued any instructions to the Heads of Departments that enquiries against suspended persons should be completed within six months.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : That is implied.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : That is not impled. Whether the instructions were given or not ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : I say that when this provision is there, that it should be within six months it means that they have to follow it.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : That is not my question. I only want to know whether Government has issued directions that it should be completed within six months. ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : No separate orders have been issued.

श्री मुरलीधर व्यास : क्या आप भ्रष्टाचार के संबंध में कोई फिगर्स ऐसे बता सकते हैं कि इतनी इन्क्वायरीज़ पेन्डिंग पड़ी हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : That is a separate question, Mr. Vyas.

श्री मुरलीधर व्यास

तहसील सूरतगढ़ में नाजायज काश्त

३०. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार के पास तहसील सूरतगढ़ में चक नं० ३४ एस० टी० जी० व ५ एल० जी० डब्ल्यू० में नाजायज़ काश्त की कोई शिकायत आई है ? यदि हाँ, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

उप मंत्री, राजस्व (श्री सम्पतराम) : यह मामला डाईरेक्टर कोलोनाईजेशन के जेर तहकीकात है। उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या आपके पास इस प्रकार की शिकायत वहाँ के नागरिकों ने की या नहीं और आपके पास पहुँची या नहीं ?

श्री सम्पतराम : शिकायत आने पर ही तो जांच करने का सवाल पैदा हुआ।

श्री मुरलीधर व्यास : शिकायत आये कितना समय हो चुका ?

श्री सम्पतराम : इसका मुझे ख्याल नहीं है कि कितना समय हो गया।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने कहा कि यह मामला डाईरेक्टर कोलोनाईजेशन के जेर तहकीकात है तो डाईरेक्टर ने जवाब दिया या नहीं ? इसके लिए क्या कार्यवाही की जा रही है या फिर कोई भी आदमी जबर्दस्ती सरकारी जमीन पर काश्त कर ले तो सरकार इसके लिए क्या कार्यवाही करती है इसके लिए आप बताईये ?

श्री सम्पतराम : हर नाजाइज चीज की शिकायत होती है और उसकी इन्क्वायरी होती है। लेकिन डेफीनेट डेट बताना कि फलां तारीख को यह शिकायत आई यह सूचना मेरे पास नहीं है। अगर माननीय सदस्य जानना चाहें तो मैं जानकारी करके उनको बता सकता हूँ।

श्री मुरलीधर व्यास : यह तो एक पर्टीक्यूलर चीज के लिए शिकायत है। यहां तो चक नम्बर ३४ बताया गया है साफ, और इसके लिए उत्तर निश्चित मिलना चाहिए।

मंत्री, राजस्व (श्री दामोदरलाल व्यास): इस प्रकार से अनऑथेराईज्ड़ काश्त करने के बारे में एक प्रोसीजर है और, उसको फोलो करने के लिए ही डाईरेक्टर को लिखा गया था और उन्होंने इसकी जांच की है और वह इसकी फाईनल रिपोर्ट नहीं दे सके हैं इसलिए यह कहना मुश्किल है कि क्या है ? लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि ज्यों ही उनकी रिपोर्ट आयेगी मैं आपको बता दूँगा।

श्रीउपाध्यक्ष : श्री भैरवलाल 'काला बादल'

Page No.33

देवस्थान विभाग, झालावाड़ व झालरापाटन के कर्मचारियों का फिक्सेशन

३१. **श्री भैरवलाल 'कालाबादल'** (अकलेरा-सु०) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) देवस्थान विभाग, झालावाड़ और झालरापाटन के कर्मचारियों का फिक्सेशन कब व किसके आदेश से किया गया ?

(ख) क्या उपरोक्त कर्मचारियों को एरियर की रकम दी गई ? यदि नहीं, तो विलम्ब का क्या कारण है ?

(ग) क्या यह सही है कि अब भी १६ कर्मचारियों का फिक्सेशन नहीं किया गया है ? यदि हां, तो उनका फिक्सेशन कब तक किया जा सकेगा ?

उप मंत्री, राजस्व (श्री सम्पतराम) : (क) देवस्थान झालावाड़ और झालरापाटन के कर्मचारियों का फिक्सेशन युनीफाईड पे स्केल में अब तक नहीं हुआ है।

(ख) फिक्सेशन नहीं होने के कारण एरियर की रकम चुकाने का प्रश्न पैदा नहीं होता। मामला विचाराधीन है।

(ग) अब तक फिक्सेशन किसी का भी नहीं हुआ है। युनीफाईड पे-स्केल में फिक्सेशन किये जाने का मामला सरकार के विचाराधीन है।

श्री रामचन्द्र (डग-सु०) : यह फिक्सेशन की कार्यवाही कब से आरम्भ हुई है ?

श्री सम्पतराम : इसकी कार्यवाही तो बहुत दिनों से चल रही थी लेकिन १-३-५६ में यह फिक्सेशन कर दिया था। लेकिन जो कर्मचारी थे उन्होंने कहा कि हमारा फिक्सेशन १-४-५० से होना चाहिए। इसलिए इसके लिए फाईनेन्स डिपार्टमेन्ट में और आगे कार्यवाही चल रही है।

श्री रामचन्द्र : तो कम से कम यह मालूम होगा कि ६ महीने से या दो वर्ष से कब से कार्यवाही चल रही है ?

श्री सम्पतराम : मैं नहीं समझता कि कार्यवाही से आपका क्या मतलब है ? उनको हमने १-३-५६ से यूनीफाईड पे-स्केल में फिक्स कर दिया है लेकिन उन्होंने कहा कि हमें १-४-५० से फिक्स किया जाये। उसकी कार्यवाही विभाग में चल रही है और उस पर जो भी निर्णय होगा वह आपको सूचित कर दिया जायगा।

श्री रामचन्द्र : सन् ५६ से कार्यवाही चल रही है तो फिर कार्यवाही का कितना हिस्सा पूरा हो गया है ?

मंत्री, राजस्व (श्री दामोदरलाल व्यास) : जैसा आपको अभी अर्ज किया कि १-३-५६ से उनको फिक्स कर दिया गया है। पर इस पर उन्होंने ऐतराज किया कि नहीं हमें तो १-४-५० से फिक्स करना चाहिये तो विभाग ने उनके ऐतराज पर गौर करके फाईनेन्स डिपार्टमेन्ट को रेफर कर रखा है। अभी उसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं। बाद में बता दिया जायेगा।

श्री भैरवलाल (काला बादल): उन्होंने यह ऐतराज किस तारीख को किया था ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

Page No.34

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास.

टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, बीकानेर द्वारा आमन्त्रित टेण्डर

३२. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सत्य है कि टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, बीकानेर ने जनवरी, फरवरी ५६ में कुछ रेडियो सेट्स तथा बिजली का सामान खरीदने के लिए स्थानीय डीलर्स को टेण्डर देने की सूचना दी थी ? यदि हाँ, तो उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखें ?

(ख) टेण्डर्स किन किन लोगों ने दिये तथा उनमें क्या रेटस दिये गये थे ?

(ग) टेण्डर्स मिल जाने के बाद उक्त सामान किसके यहाँ से किस रेट में खरीदा गया ?

उप मंत्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) एक इलेक्ट्रिक मल्टी रेकॉर्ड चेन्जर खरीदने के लिए टेण्डर्स फरवरी, १६५६ में माँगे गये थे व कुछ बिजली के सामान के लिए मार्च, ५६ में टेण्डर्स मांगे गये थे। दोनों टेण्डर नोटिसेज की प्रतिलिपियां सलग्न हैं।

(ख) जिन लोगों से टेण्डर्स आये और उन्होंने जो रेट्स दी उनकी सूचियां सलग्न हैं।

(ग) इलेक्ट्रिक मल्टी रेकॉर्ड चेन्जर का ऑर्डर मेसर्स मोडर्न इलेक्ट्रोनिक्स, के. ई. एम. रोड, बीकानेर को दिया गया था किन्तु उस कम्पनी ने समय पर ठीक सामान सप्लाई नहीं किया। इसलिए यह चीज खरीदी नहीं जा सकी। बाकी के सामान के लिए जिन डीलर्स को ऑर्डर दिया गया था उनके नाम व रेट की सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट १२ देखिये)

श्री मुरलीधर व्यास : आपने अभी यह कहा कि इस डीलर ने सामान समय पर नहीं दिया तो कौन सी तिथि थी कि उस तिथि के अन्दर नहीं दिया और देरी हो गई देने में ? क्या ऐसी कोई तारीख है कि उस तारीख तक देना था और उसके पहले नहीं दिया गया ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : समय पर ठीक सामान नहीं दिया, यह मैंने कहा है। वह समय पर दें और ठीक सामान दें। अगर सामान ठीक नहीं है तो भी रिजेक्ट किया जा सकता है। समय अकेला ही नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : तो क्या यह मान लिया जावे कि कोई समय है या नहीं ? तो वह कौन सा समय था और किस तारीख तक का था कि उस समय तक दें दें ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : डेट ऑफ डिलीवरी हमारी इसमें दी हुई नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : यह सामान बाद में जो लिया गया है तो टेण्डर कॉल करके लिया गया या ऐसे ही दूसरे व्यापारी से लिया गया है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इलेक्ट्रिक रेकॉर्ड चेन्जर खरीदा नहीं गया। दूसरे सामान जिनके टेण्डर्स एप्रूव किए गए थे उन्हीं से खरीदा गया है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

ग्राम घाटबा, तहसील नावां में पत्थर पर रॉयल्टी

१. **श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर): क्या मन्त्री, खनिज विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि तहसील नावां के ग्राम घाटवा में ठेकेदार किसानों से अपने खेत की जमीन से अपने उपयोग में लेने के पत्थर पर भी रॉयल्टी वसूल करता है ?

(२) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में काश्तकारों की ओर से ठेकेदार के विरुद्ध सरकार के पास कई शिकायतें आई हैं ?

उप मंत्री, वित्त (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (१) जी नहीं।

(२) जी हां, शिकायत करनेवाले को उत्तर दिया जा चुका है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : रॉयल्टी ली है और आप कहते हैं कि जरूरत नहीं है। यह क्या उत्तर दिया !

श्री रिखबचन्द धारीवाल : उत्तर जो कायदे कानून के अनुसार है वही दिया है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : जो रॉयल्टी ली है उसकी शिकायत की गई है उस पर क्या किया है आपने ?

श्री रिखबचंद धारीवाल : कोई शिकायत नहीं पाई गई ठीक। रसीद वगैरह पेश नहीं हुई इसलिए प्रूव नहीं हुआ सिर्फ शिकायत कर देने से ही मतलब नहीं निकलता है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुये।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : एक प्रश्न और है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न नं० १३।

अधिकारियों के विरुद्ध इन्क्वायरी के लिए सरकार द्वारा आदेश

१३. श्री **भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि चेयरमैन, रेवेन्यू बोर्ड को श्री आहूजा की कमिश्नर डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी के पद पर नियुक्ति के पश्चात् भी कई अधिकारियों के विरुद्ध इन्क्वायरी किये जाने के लिये सरकार की ओर से आदेश जारी किए गये हैं ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया: जी नहीं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह माना जाय कि किसी गजेटेड ऑफिसर के खिलाफ रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन ने कोई इन्क्वायरी नहीं की है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वह कर सकते हैं अगर प्रेलिमिनेरी इन्क्वायरी का सवाल है तो।

श्री भैरोंसिंह : क्वेश्चन मेरा यही है कि डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी के लिए एक स्पेशल ऑफिसर को अपॉइन्ट किया हुआ है तो उसके बाद रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन से इस प्रकार की इन्क्वायरी क्यों कराई जाती है ? आप कहते हैं कि इन्क्वायरी नहीं कराते हैं तो क्या यह मान लिया जाय कि उनके डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी ऑफिसर नियुक्त होने के बाद से अभी तक रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन ने किसी भी गजेटेड ऑफिसर के खिलाफ कोई इन्क्वायरी नहीं की है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इन्क्वायरी दो तरह की हैं, एक तो प्रेलिमिनेरी और दूसरी डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी। जहां तक प्रेलिमिनेरी इन्क्वायरी का सवाल है प्रेलिमिनेरी इन्क्वायरी के लिये उनको भी काम सौंपा जा सकता है और मेटर भी दिये जा सकते हैं जिसके अन्दर इन्क्वायरी कराना चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या यह माना जाय कि जो स्पेशल ऑफिसर नियुक्त किये गये हैं श्री आहूजा, वे प्रेलिमिनेरी इन्क्वायरी नहीं कर सकते हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जब से श्री आहूजा नियुक्त किये गये हैं तब से जहां तक मेरा ख्याल है प्रेलिमिनेरी इन्क्वायरी नहीं सौंपी गई है। वह इसलिये है कि डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी के मामले उनको रेफर किये जा सकें।

श्री भैरोंसिंह : जिन किसी की रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन ने प्रेलिमिनेरी इन्क्वायरी की है वे केसेज स्पेशल इन्क्वायरी ऑफिसर को रेफर नहीं किये गये हैं। क्या वे रेफर इसलिये नहीं किये गये हैं कि एक हाईअर ऑफिसर के द्वारा की गई प्रेलिमिनेरी इन्क्वायरी के बाद जूनियर आदमी को डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी करने के लिए कागजात नहीं भेजे जायं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह जरूरी नहीं कि प्रेलिमिनेरी इन्क्वायरी की है तो उसके बाद अगर डिपार्टमेन्टल ऑफिसर यह समझता है कि उसमें कोई खास गलती नहीं है और वह सजा के लायक मामला नहीं समझता है तो उसको भेजे जाने की आवश्यकता नहीं है। गवर्नमेन्ट चाहे तो डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी के लिये फर्दर इन्क्वायरी कमिश्नर जो बनाए गए हैं उनके पास भेजे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

सभापति तालिका का मनोनयन

श्री उपाध्यक्ष : मैं निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए मनोनीत करता हूँ :-

(१) श्री आबिदअली,

(२) श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल,

(३) श्री बरकतुल्लाखां और

(४) श्री मुरलीधर व्यास

सदन की मेज पर रखे जानेवाले पत्र, अध्यादेश, नियम आदि।

श्री नाथूराम मिर्धा (यातायात मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान ट्रान्सपोर्ट ऑथोरिटीज (कान्स्टीट्यूशन एण्ड प्रोसिडिंग्स) वेलिडिटेटिंग ऑर्डीनेन्स, १९५९ (ऑर्डीनेन्स नं० ३ ऑफ १९५९) को सदन की मेज पर रखता हूँ।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं डूङ्गरपुर स्टेट देवस्थान निधि (संशोधन) ऑर्डीनेन्स, १९५९ (ऑर्डीनेन्स नं० ४ ऑफ १९५९) को सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री नाथूराम मिर्धा (यातायात मन्त्री): श्री उपाध्यक्ष, मैं होम (बी) विभाग विज्ञप्ति

Page No.37

(श्री नाथूराम मिर्धा)

संख्या डी ४३६७ । एफ. १ (७) ।(१) एच. बी. । ५६, दिनांक २१ जुलाई, १९५६ जिसके द्वारा राजस्थान मोटर वेहीकल्स रूल्स, १६५१ के नियम १०८ में संशोधन किया गया है को सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (श्रम मन्त्री) :— उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन्डस्ट्रीयल डिस्प्यूट्स रूल्स, १६५८ को सदन की मेज पर रखता हूँ ।

सभा द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति महोदय अथवा राज्यपाल महोदय की अनुमति ।

सचिव (राजस्थान विधान सभा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन की मेज पर गत सत्र में पारित उन विधेयकों का विवरण जिन पर राष्ट्रपति महोदय अथवा राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है रखता हूँ ।

(क) राष्ट्रपति महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक :—

1. The Rajasthan Urban Improvement Bill, 1957.

2. The Rajasthan Industrial Tribunal (Constitution and Proceedings) Validating Bill, 1959.

3. The Rajasthan Land Rerorms and Resumption of Jagirs (11th Amendment) Bill, 1959.

4. The Rajasthan Jagirdars Compensation and Rehabilitation Grants (Final Orders Validation) Bill, 1958.

5. The Rajathan Land Reforms & Resumption of Jagirs (10th Amendment) Bill, 1958.

(ख) राज्यपाल महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक:—

1. The Rajathan Land Revenue (Amendment) Bill, 1959.

2. The Rajasthan Panchayat (Amendment) Bill, 1959.

3. The Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments) (Amendment) Bill, 1959.

4. The Rajasthan Ministers Salaries (Amendment) Bill, 1959.

5. The Rajasthan Premises (Control of Rent & Eviction) Amendment Bill, 1959

6. The Rajasthan Forest (Amendment) Bill, 1959.

7. The Rajasthan Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) Amendment Bill, 1959.

8. The Rajasthan Discontinuation of Cesses Bill, 1959.

9. The Ajmer Shamlat Deh (Regulation) Repeal Bill, 1959.

समितियों के प्रतिवेदनों का उपस्थापन राजस्थान गोशाला विधेयक, १६५८ ।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान गोशाला विधेयक, १६५८ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन को उपस्थापित करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सीडस एंड सीडलिंग्ज बिल, १६५८ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं ।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान प्रिवेन्शन ऑफ फ्यूनरल फीस्ट्स बिल, १६५६ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापना करता हूं ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (विधि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं ।

विधेयकों का पुनः स्थापन

श्रीनाथूराम मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान ट्रान्सपोर्ट ऑथोरिटीज (कंस्टिट्यूशन एंड प्रोसिडिंग्ज) वेलिडेशन बिल, १६५६ को पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री दामोदरलाल व्यास (देवस्थान मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं डूंगरपुर राज्य देवस्थान निधि (संशोधन) विधेयक, १६५६ को पुरस्थापित करता हूं ।

कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (विधि मंत्री) अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कार्य

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

सलाहकार समिति के प्रथम प्रतिवेदन को स्वीकार किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि बिजनेश एडवाईजरी कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकार किया जाय । जो इसके पक्ष में हैं वे 'हां' कहें और जो विपक्ष में हैं वे 'ना' कहें ।

'हां' पक्ष जीता । प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

१२-२० म. प.

समधिराज्य संसद-पार्षद की प्रान्तीय शाखा सम्बन्धी संकल्प

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निम्न संकल्प सदन की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत करता हूं :

"This House resolves that a provincial Branch of the Commonwealth Parliamentary Association be formed for the Rajasthan Legislature and the Secretary, Legislative Assembly, Rajasthan, be authorised to take necessary steps in that direction."

यह एसोसियेशन १६५६ के पहले भी था और एम्पायर एसोसियेशन के तौर पर बना हुआ था और इसमें अलग अलग जगह के लेजिस्लेचर्स और दूसरे बहुत से शरीक होते थे। लेकिन सन् १६४८ के बाद इसका नाम कोमनवैल्थ पार्लियामेन्टरी एसोसियेशन हुआ और पार्लियामेन्ट और दूसरी अलग अलग संस्थाएं इसकी मेम्बर्स हैं । हमारे भारतवर्ष के बहुत से राज्यों के लेजिस्लेचर्स भी इसके मेम्बर्स हैं और इसकी मेम्बरशिप शुल्क देने

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

के बाद हर साल अलग अलग राज्यों में इसके सम्मेलन होते हैं जिनमें हरेक मेम्बर विधान सभा के प्रतिनिधि जाते हैं और उसमें हिस्सा लेते हैं। इससे एक दूसरे के विचार जानने का और अन्य दूसरी बातें जानने का मौका प्राप्त होता है और साथ ही जो लोग वहां पर जाते हैं उनके आने जाने का और उस देश में रहने का खर्चा जिस देश में मीटिंग होती है वह देश उठाता है। मैं समझता हूं कि हम भी इसमें शरीक हों तो यह उचित होगा। इसमें विरोध जैसी बात होनी नहीं चाहिये क्योंकि इससे हमें भी अलग अलग जगहों की डेमोक्रेटिक संस्थाओं को जानने का अवसर प्राप्त होगा इसलिये यह संकल्प प्रस्तुत किया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संकल्प माननीय मुख्यमन्त्री जी ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(संकल्प स्वीकार किया गया)

राजस्थान परिवहन सत्ता (संघटन तथा कार्यवाही) वैधकरण विधेयक, १९५९

(विचार विमर्श एवं पारण)

श्री नाथूराम मिर्धा (यातायात मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान ट्रान्सपोर्ट ऑथोरिटीज (कांस्टिट्यूशन एंड प्रोसिडिंग्ज) वेलिडेटिंग बिल, १९-५९ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री श्री भानसिंह (बयाना) ; उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बिल को विचारार्थ लेने का जो मोशन प्रस्तुत किया है मैं चाहता हूँ कि उस पर उनका एक स्टेटमेन्ट होना चाहिये। हाई कोर्ट के एक केस का रेफ़रेन्स है जिसकी वजह से ऑर्डिनेन्स पास हुआ। उसके क्या सर्कमस्टान्सेज थे ? उसके फैक्ट्स दें तो मालूम हो क्योंकि हाई कोर्ट का जजमेन्ट हमारे सामने है नहीं। इसके बिना निर्णय पर नहीं पहुँच सकते कि ऑर्डिनेन्स की वेलिडिटी थी या नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : You want a statement pertaining to High Court Judgement ?

श्री श्रीभानसिंह : All the circumstances which led to the introduction of this Bill and ordinance.

श्री उपाध्यक्ष : Are you not satisfied with what is contained in the aims and Objects of the Bill ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी-बाजार जयपुर) : Not at all.

श्री उपाध्यक्ष : I would expect from Mr. Satish Chandra so far as the Judgement itself is concerned ......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : We would like to hear from his own mouth.

श्री उपाध्यक्ष :- I would request the Hon. Minister to please consume only 5 to 10 minutes.

श्री नाथूराम मिर्धा (यातायात मंत्री) : मुझे यह उम्मीद थी कि माननीय सदस्य इसके बारे में बहुत कुछ जानकारी रखते होंगे इसलिये मुझे ज्यादा जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है। इसके बारे में ऑर्डिनेन्स जिसे सदन की मेज पर रखा है उसकी भूमिका को यदि माननीय सदस्य पढ़ लेते या पढ़ा होगा तो उसमें सारे फैक्ट्स अर्ज किये हैं फिर भी आपकी आज्ञानुसार और माननीय सदस्यों की इच्छानुसार कुछ बातें जो इस विधेयक को इस अधिवेशन में पेश करने के बारे में है, मैं भूमिका के रूप में निवेदन करना चाहूँगा।

Page No.40

(श्री नाथूराम मिर्धा)

जब से हमारा यह राजस्थान बना तब से ट्रांसपोर्ट का कानून यहां पर लागू है। वह एक पार्लियामेन्ट का एक्ट था और उस एक्ट के नीचे जो रूल्स यहां पर लागू हुए थे वे राजस्थान सरकार द्वारा बनाये हुए थे। आर. टी. ए. और एस. टी. ए. के कान्स्टीट्यूशन का ताल्लुक कानून की धारा ४४ से है और इसी के नीचे उसका गठन किया जाता है। सन् ५६ में जो कानून का संशोधन हुआ उसके मुताबित यह कहा गया कि आर. टी. ए. और एस. टी. ए. के चेयर मैन जुडिशियल एक्सपीरियेन्स के आदमी हों। यह कानून ५६ में पास हुआ और सन् ५७ की फरवरी में लागू हुआ। हमारे यहां वही कानून और रूल्स चल रहे थे। यह जो नया अमेन्डमेन्ट ४४ दफा में हुआ इसके बाद रूल्स में तरमीम करने की आवश्यकता हुई और इस प्रकार कानून में रद्दोबदल होने के बाद रूल्स में तरमीम करने की बात राजस्थान सरकार ने सोची थी। लेकिन उसके साथ साथ एक बात और चल रही थी और वह यह कि भारत सरकार ने सभी स्टेट्स के पास सूचना भेजी थी कि हम एक्ट के अन्तर्गत मोडल रूल्स सब स्टेस को सर्क्यूलेट करेंगे इसलिए अभी तरमीम न किये जांय और जब तक रूल्स राज्य सरकार के सामने न आवें तब तक परिवर्तन न किया जांय। इस प्रकार की बात चल रही थी। जो मोडल रूल्स बनाने की बात थी वे रूल्स अब तक भारत सरकार से बनकर राज्य सरकार के पास नहीं आये और दफा ४४ में जो संशोधन किया गया उसमें जुडिशियल एक्सपीरियेन्स की बात कही गई थी। इसके अन्तर्गत जो रूल्स आर. टी. ए. के कांस्टिट्यूशन के बारे में थे उनमें यह था कि अमुक अमुक मेम्बर्स होंगे जैसे कमिश्नर, डी. आई. जी. सुपरिन्टेन्डिंग इन्जिनियर वगैरह। इसके बाद यह भी था कि कमिश्नर आर. टी. ए. का चेयरमैन रहेगा। लेकिन हाईकोर्ट का जजमेन्ट हुआ उसमें आर टी. ए. और एस. टी. ए. की ऑथोरिटी को चेलेन्ज किया गया और उसमें कहा गया कि कमिश्नर्स में से सभी जुडिशियल एक्सपीरियेन्स के नहीं कहे जा सकते क्योंकि कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनको जुडिशियल एक्सपीरियेन्स नहीं हो...

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : खुद के लिये भी कह दें।

श्री नाथूराम मिर्धा : हां, मेरे लिये भी कह रहा हूं। एस. टी. ए. रूल्स १०७ के नीचे है उसमें कहा गया है....

श्री भैरोंसिंह : धारा १०८ के नीचे है।

श्री नाथूराम मिर्धा : No, it is under 107.

उसके लिये जुडिशियल एक्सपीरियेन्स का आदमी होना चाहिये.......

श्री चंदनमल वैद (सरदारशहर) क्या आपके रूल्स में यह लिखा है कि मिनिस्टर चेयरमैन होंगे एस. टी. ए. के ?

श्रीनाथूराम मिर्धा : जी हां, यह लिखा है। इन रूल्स में परिवर्तन करने की आवश्यकता महसूस तब की जब कि हाई कोर्ट का जजमेन्ट हमारे सामने आया। आर. टी ए. और एस. टी. ए. के कांस्टिट्यूशन को किसी आदमी ने इन बोडिज के सामने चेलेन्ज नहीं किया बल्कि सीधे हाई कोर्ट के सामने गये और

(श्री नाथूराम मिर्धा)

उन्होंने जो व्यूज जजमेन्ट में लिखे हैं उनके अनुसार अभी जो कमिशनर्स चेयरमैन हैं उनमें से कई कमिशनर्स जुडिशियल एक्सपीरियेन्स के हो सकते हैं लेकिन कई नहीं भी हो सकते इसलिये रूल्स डिफेक्टिव हैं इसलिये उनको चेयरमैन नहीं रख सकते जो जुडिशियल एक्सपीरियेन्स के नहीं हैं। इसी तरह से एस. टी. ए. के लिये कहा गया। धारा १०७ के नीचे है उसके अनुसार रहना चाहिये।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : आपने सदन में कई बार कहा कि मैं जुडिशियल ऑफिसर हूँ अब कैसे हट गये ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कई बार नहीं कहा। आपने एक दफा बहुत कहा, तब मैंने कह दिया। इसमें आपकी और मेरी राय का सवाल नहीं है हाई कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है।

श्री चन्दनमल बैद : बहुत बुरा किया।

श्री नाथूराम मिर्धा : बुरा नहीं किया। जो अदालत करती है वह ठीक करती है। आप क्यों चिन्ता करते हैं, मैं समझता हूँ कि ठीक किया है।

उसके बाद इन रूल्स में कमी रही उसकी वजह से इन बॉडीज को गैर कानूनी घोषित कर दिया। इसलिए जितना काम हुआ २ फरवरी से जब तक जजमेंट डिक्लेअर किया गया तब तक जो कार्यवाही इन बॉडीज ने की उस कार्यवाही को वेलीडेट करना जरूरी होता है क्योंकि इन बॉडीज ने कई फैसले किये ...

श्री श्रीभानसिंह :(बयाना) Is the Hon'ble Minister in a position to state इतने कितने फैसले रद्दोबदल हो जायेंगे जिससे राजस्थान में बहुत गम्भीर हलचल हो जायेगी जैसा कि आपने लिखा है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरा ख्याल है कि पाँचों आर० टी० ए० व एस० टी० ए. ने जो फैसले किये हैं वे हजारों की तादाद से ऊपर हैं। जो हजारों की तादाद में फैसले किये गये वे अगर तितर बितर हो जाते हैं तो जो ट्रान्सपोर्ट, चलने वाली गाड़ियाँ और रूट्स हैं वे सारे के सारे तितर बितर हो सकते हैं। हजारों की तादाद में फैसले किये हैं इस साल, डेढ़ साल में उस कार्यवाही को वेलीडेट करने के लिए यह कानून सदन में प्रस्तुत किया गया है। मैं आशा करता हूं कि जो कार्यवाही हुई है, जो नियमों में लेकुना रहा जिसे हाई कोर्ट ने कुछ मामलों को लेकर बताया उसको दूर किया गया है। अब चेअरमैन कमिश्नर हैं। उनका नाम रख देने से उन्होंने मान लिया कि वे जुडिशियल एक्सपीरियेन्सड आदमी हैं।

श्री श्रीभानसिंह : मिनिस्टरकहीं भी नहीं है, राजस्थान की यूनीक एग्जाम्पल है।

श्री नाथूराम मिर्धा : एस. टी. ए. के चेअरमैन अब लॉ सेक्रेटरी हैं। इस तरह हमने लीगेलाईज किया है। जो कार्यवाही हुई है उसको वेलीडेट करने के लिए कानून रखा है।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय उपाध्यक्ष..............

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : आपने जो अध्यादेश जारी किया है वह किस तारीख को जारी किया है ?

Page No.42

श्री उपाध्यक्ष : Dr. Bahadur Singh to move his amendment.

श्री गिरधारीलाल : मैं तारीख जानना चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : तारीख आपको पता लग जायेगी।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : I move that the Bill be referred to a Select Committee, the personnel of which will be given later on. The Committee would submit its report within a week.

माननीय उपाध्यक्ष, यह जो ऑर्डीनेन्स है और जो विधेयक प्रस्तुत हुआ है उसको सलेक्ट कमेटी को भेजने का मेरा अभिप्राय है। वह इस बात के लिए है कि हमारा पिछला अधिवेशन १८ मई को एडजोर्न हुआ था। उसके बाद हम अब दो महीने के बाद मिल रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आया कि इस दरम्यान में इस तरह का ऑर्डीनेन्स जारी करने की क्या जरूर थी जिसमें हाई कोर्ट द्वारा किये निर्णय के बाद ट्रान्सपोर्ट ऑथोरिटीज के फैसलों को वेलीडेट करते हैं? जो हाईकोर्ट ने निर्णय दिया उसे हमें इस प्रकार के कानून के द्वारा रद्द नहीं करना चाहिए। एक मामला क्या, हजारों मामले हों पर हमें न्यायमूर्तियों के निर्णय का सम्मान करना चाहिए न कि इस प्रकार के कानून के द्वारा समाप्त कर दें। मैं समझता हूँ कि न्यायमूर्तियों ने जो निर्णय दिया है और उसके द्वारा किसी तरह फैसले रद्द होते हैं तो हम सदन में बैठ कर उस पर विचार करते तो अधिक उत्तम होता, बजाय इसके कि अर्डीनेन्स जारी कर दें। मैं समझता हूँ कि हाईकोर्ट का कोई भी निर्णय हो उसका हमें सम्मान करना चाहिए। जहाँ तक इस निर्णय का प्रश्न है मैं समझता हूँ कि यह बहुत महत्वपूर्ण था। क्योंकि आप देखें कि करीब १८ स्टेट्स में ट्रान्सपोर्ट कमेटियाँ थी और हैं और उनमें से एक में भी मिनिस्टर चेअरमैन नहीं है। आप देखें आंध्र में ट्रान्सपोर्ट कमिशनर चेअरमैन हैं, आसाम में हिल्स कमिशनर चेअरमैन हैं, बिहार में मेम्बर, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू चेअरमैन हैं, बम्बई में सेक्रेटरी टू दी गवर्नमेंट लोकल सेल्फ डिपार्टमेंट चेअरमैन हैं, केरल में फर्स्ट मेम्बर, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू चेअरमैन हैं, मध्य प्रदेश में प्रेसीडेन्ट, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू चेअरमैन हैं, मद्रास में वन मैन एस० टी० ए० बट पार्ट टाईम मेम्बर, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू चेअरमैन हैं यानि एक आदमी एस० टी० ए० हैं लेकिन पार्ट टाईम मेम्बर, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू चेअरमैन हैं। इसी प्रकार मैसूर में डिविजनल कमिशनर बंगलोर चेअरमैन हैं, उड़ीसा में मेम्बर, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू चेअरमैन हैं, पंजाब में प्रोविन्सियल ट्रान्सपोर्ट कन्ट्रोलर चेअरमैन हैं, राजस्थान के अन्दर ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर को चेअरमैन रखते हैं, यू० पी० में ट्रान्सपोर्ट कमिशनर चेयरमैन हैं, वेस्ट बंगाल में ट्रान्सपोर्ट कमिशनर चेअरमैन हैं, जम्मू और काश्मीर में एस० टी० ए. नहीं है, दिल्ली में जुडिशियल सेक्रेटरी ऑफ दी एडमिनिस्ट्रेशन चेअरमैन हैं, हिमाचल प्रदेश में जुडिशियल सेक्रेटरी चेअरमैन हैं, मनीपुर में डिप्टी कमिशनर चेअरमैन हैं और त्रिपुरा में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एण्ड कलेक्टर चेअरमैन हैं................

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री): किस कमेटी के ?

Page No.43

डॉ० बहादुरसिंह : एस०टी० ए० के।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आपने ऑर्डीनेन्स देखा होगा, जिसमें लॉ सेक्रेटरी का प्रोविजन रखा है।

डॉ० बहादुरसिंह : मैं बताना चाहता हूँ कि इस तरह का प्रोविजन सारी स्टेट्स में था और इस प्रकार की व्यवस्था दूसरे राज्यों में थी पर हमने एक नवीन व्यवस्था रख कर हाई कोर्ट को मजबूर किया और जब हाई कोर्ट ने हमारे खिलाफ फैसला दिया तो अब सदन में हाई कोर्ट के फैसले के खत्ता लगाना चाहते हैं कि जो फैसला दिया है उसको ड्रोप किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया की रिपोर्ट है, उसके कुछ कोटेशनस रखना चाहता हूँ। यह रिपोर्ट है कमेटी ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट रीआर्गेनाईजेशन की। यह मार्च, १९५९ में दी है। इसमें से मैं थोड़ा सा पढ़कर सुनाऊँगा जिसमें यह व्यवस्था दी है कि स्टेट ट्रान्सपोर्ट ऑथोरिटी का किस प्रकार गठन किया जाय। वह कमेटी सारी स्टेट्स में घूमी और कुछ नतीजों पर पहुँची। उसकी रिपोर्ट में मिनिस्टर का कहीं जिक्र नहीं है। मिनिस्टर के बारे में लिखा है कि इस प्रकार नहीं रखना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये सब चीजें हैं जो हाई कोर्ट के फैसले की पुष्टि करती हैं। जो फैसले ऑथोरिटी ने किये उनसे यदि किसी प्रकार किसी के साथ अन्याय होता है क्योंकि चेअरमैन जुडिशियल एक्स्पीपीरियेन्सड व्यक्ति नहीं थे और जिस व्यक्ति को न्याय करने का तजुर्बा नहीं था उसके द्वारा कुछ न्याय हो गया हो या अन्याय हो गया हो तो उसको हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार सुधार सकते हैं। उस कमेटी की जो रिपोर्ट है उसके पेज ६०, ६१ की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ।

' पैरा ९ में बतलाया है :—The composition of State Transport Authorities should be as follow:—

(a) an official Chairman with Judicial experience,

देखिए, उन्होंने स्पष्ट किया है कि जुडिशियल एक्सपीरियेन्सड व्यक्ति हो, लेकिन हमने गलती कब सुधारी जब हाई कोर्ट ने हमको चाबुक मारी। जो दूसरी स्टेट्स थीं और पहली स्टेट्स थीं उनकी कॉपी करते तो संभवतया यह स्थिति नहीं होती। उन्होंने बी में बताया है :—

(b) two other official members,

(c) two non-officials.

The Transport Commissioner should normally be a very senior officer and should make a good Chairman of the State Transport Authority. One of the Deputy Commissioners may be the Secretary. If, however, he is not senior in rank in relation to the Chairman of t.e Regional Transport Authorities it would not be appropriate for him to be Chairman of the State Transport Authority—In that case he can be a Member-Secretary of the State Transport Authority.........

श्री उपाध्यक्ष महोदय : हमको इस विधेयक को आज पारित करना है यह ध्यान में रहे।

डॉ० बहादुरसिंह : जी हाँ, मैं जल्दी कर देता हूँ..................

But he should in any event be a senior officer equal in status to a

Page No.44

(डॉ० बहादुरसिंह)

District Collector or Deputy Commissioner.

As regards Non-Official members, we suggest that they should be representatives of bodies like Chambers of Commerce and Trade Association. We are making separate recommendations as to how road transport operators, railways and persons in active political life, such as member of Legislative Assemblies, can have a say in transport matters, and we do not consider that they should be represented on the State Transport Authority.

यानि कमेटी ने स्पष्ट सुझाव दे दिया है कि कौन चेअरमैन हो, जो एस. टी. ए. बनाई जाय, वह किस प्रकार बनाई जाय। पर हमने किस प्रकार बनाई कि उसकी वजह से आज विधान सभा के समक्ष इस प्रकार का विधेयक आया। यही नहीं, इस रिपोर्ट में जो एक गम्भीर बात थी जिससे हाई कोर्ट के फैसले की अधिक पुष्टि होगी वह यह थी कि जो अपील एस. टी. ए. में होती है तो एक तरफ रीजनल ट्रान्सपोर्ट ऑथोरिटी परमिट देती है उसके बाद दूसरी तरफ फैसला करती है। मैं एक धौलपुर की नजीर प्रस्तुत करता हूँ कि धौलपुर स्टेट में एक तरफ हाई कोर्ट के जज जुडिशियल सेक्रेटरी थे। वे एक तरफ हाई कोर्ट में फैसले देते थे और दूसरी तरफ अपील सुन लिया करते थे। वही बात सामने आ गई। एक तरफ एस. टी. ए., आर. टी. ए. फैसला दे देती है और दूसरी तरफ अपील सुनती है। इस अपील के बारे में कमेटी ने कहा है वह मैं थोड़ा आपके सामने प्रस्तुत कर दूँ तो अत्युत्तम होगा। पैरा २ में बताया है :

"Appeals against orders of Regional Transport Authorities are at present generally heard by an Appellate Committee or Appeal Board of the State Transport Authority, and revision applications under section 64 A of the Motor Vehicles Act are heard generally at regular meetings of the State Transport Authorities. We understand that the Appeal Board are finding in increasingly difficult to dispose of the numerous appeals with the requisite speed. Many of the matters dealt with by the Regional and State Transport Authorities have gone to the High Courts and their rulings and findings are often referred to in arguments about points of law and procedure. Often there is an appeal against orders passed by State Transport Authorities and it is sometimes heard by the Secretary of Home Department or by a Minister or Deputy Minister."

इसके बारे में उन्होंने थोड़ा और खुलासा किया है पैरा नं० २३ में

"We consider the present procedure to be unsatisfactory because the hearing of appeals and revision applications inevitably diverts that attention of the State Transport Authorities from their normal work of planning, regulating and developing road transport.

Again, a political functionary like a Minister or a Deputy Minister

(डॉ० बहादुरसिंह)

or a Parliamentary Secretary can not be expected to find the requisite time for studying the intricate points of law that may be raised before him.

तो इस प्रकार से इस कमेटी ने अच्छी तरह इस बात की जांच की। मैं समझता हूँ कमेटी को यह अच्छी तरह से मालूम था क्योंकि कमेटी सभी जगहों पर गई और देखा कि किसी भी स्टेट में एस. टी. ए. का चेयरमैन मिनिस्टर नहीं था। क्योंकि इसमें जो अपील वगैरह होती है उसमें जो पोईन्ट रेज किये जाते हैं वह पोलिटिकल मैन अच्छी तरह नहीं कर सकता। यह मैं मानता हूं कि तजुर्बा उनको हो सकता है पर राजनैतिक कारण इतना गम्भीर कारण है कि जिसके कारण राजनैतिक कार्यकर्ता कभी दावा नहीं कर सकता कि वह पूरी तरह उसमें रह कर न्यायमूर्त्ति की तरह काम करेगा। हमारी सरकार ने निर्णय दिया है कि न्याय व्यवस्था और शासन व्यवस्था को अलग अलग रखेंगे। अगर हाईकोर्ट के फैसले की कद्र करना है तो इस तरह के ऑर्डिनेन्स पास नहीं करने चाहिये। यह विधान सभा उच्च न्यायालय के तौर पर कार्य करना चाहती है, इसके लिए अच्छी तरह बजाय सदन में ही विचार करने के प्रवर समिति में बैठ कर अच्छी तरह से विचार करें कि आया सर्वोच्च न्यायालय का काम हमें करना चाहिये कि नहीं, हमें कहाँ तक न्याय की हत्या करनी है, न्याय का गला घोटना है। ऑर्डिनेन्स को ६ सप्ताह में कानून के रूप में पास करना चाहिये इसलिए मैंने एक सप्ताह का टाईम दिया है कि वहां सलेक्ट कमेटी में बैठ कर सोचेंगे कि उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ हमें कानून पास करना चाहिये या नहीं।

१६ फरवरी, १९५७ से १६ मई, १९५६ तक के फैसले हजारों की तादाद में हो सकते हैं। उन हजारों लोगों को न्याय की आशा थी, उनके न्याय की हत्या विधान सभा न कर दे इसलिए प्रवर समिति में इसे रख कर इस पर अच्छी तरह से विचार करने की आवश्यकता है।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय उपाध्यक्ष, सौरी....

अध्यक्ष महोदय,...

श्री उपाध्यक्ष : You were correct. You were correct previously.

श्री भैरोंसिंह : मैं थोड़ा कन्फ्यूजन में पड़ गया....

श्री उपाध्यक्ष : आपने पहले जिस तरह एड्रेस किया वह करेक्ट एड्रेस था।

श्री भैरोंसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे सबसे पहले राजस्थान सरकार के यातायात मन्त्री को इस बात के लिए बधाई देनी पड़ेगी कि उनके बीच में और राजस्थान उच्च न्यायालय के बीच में एक संघर्ष चला था उस संघर्ष में उन्होंने विजय प्राप्त की है। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक रिट दायर की गई थी, उस रिट से सम्बन्ध था, उसके द्वारा हाई कोर्ट का स्पष्ट रूप से निर्णय हो गया कि माननीय यातायात मन्त्री चाहे वे स्वयं अपने आपको सदन में जुडिशियल एक्सपीरियेन्स का जुडिशियल ऑफिसर बताते हों पर हाई कोर्ट की, उच्च न्यायालय की दृष्टि में वे जुडिशियल एक्सपीरियेन्स के आदमी नहीं हैं।

हमें उच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत करना चाहिये था पर ऐसा नहीं किया गया।

(श्री भैरोंसिंह)

राजस्थान सरकार द्वारा यह सोच कर कि यदि यातायात मन्त्री के हाथों से अपीलेट ऑथेरिटी का अधिकार चला जाता है तो पार्टी के व्यू को नजर में रख कर यह निर्णय लिया गया होगा कि किस तरह से यह निर्णय लिया जाय। पर राजस्थान में यह पहली नजीर होगी कि हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध हमने एक ऐसा कदम उठाया है कि इस प्रकार की सारी चीजों पर इसका असर रहेगा। लोग हाई कोर्ट में गए हैं, रिटें मंजूर हुई हैं, साथ ही साथ सरकार ने कानूनों में दुरुस्ती भी की हैं और कुछ गलती करने के कारण पिछली कार्यवाहियां थीं उन्हें भी दुरुस्त किया है। जहां तक वह कदम था इस बात को स्वीकार करते हुए सरकार का साथ दिया पर इस कानून में एक नई बात हुई है। अब तक जो कानून बने हैं उनमें गल्तियों को गलती मान कर दुरुस्त किया है पर आज इसके जरिये जो संशोधन की प्रति सदन में रखी गई है उससे महसूस होता है कि एक गलती हमने की है उस ही को आईन्दा भी करने की चेष्टा कर रहे हैं। यदि इस प्रकार की गलती करने की चेष्टा है, हम गल्तियां करते रहें और उन गलतियों के कारण जिन लोगों का नुकसान होता है वे प्रोटेक्शन सीक करने के लिए हाई कोर्ट में जाते हैं और उच्च न्यायालय ने अपने फैसले से उन्हें प्रोटेक्शन भी दिया तो हम अपनी इस प्रकार की कार्यवाहियों को वैध घोषित करा देंगे तो कहना पड़ेगा कि हाउस में लेजिस्लेटिव बिजनेस के सम्बन्ध में, कानून पास कराने में हम किसी प्रकार का और दृष्टिकोण नहीं रखते हमारा सिर्फ एक ही दृष्टिकोण है कि एस. टी. ए. का चेमरमैन यदि राजस्थान का कोई व्यक्ति रह सकता है तो वह राजस्थान के यातायात मन्त्री श्री नाथूराम मिर्धा रह सकते हैं चाहे उच्च न्यायालय की दृष्टि में वे जुडिशियल एक्सपीरियेन्स के आदमी न हों। कैसे बने इसका भी जबर्दस्त इतिहास है जैसा कि मन्त्री महोदय ने कहा था कि जुडिशियल एक्सपीरियेन्स का एस. टी. ए. होना चाहिये सरकार कहेगी कि हमने हाई कोर्ट के निर्णय को स्वीकार किया है यातायात मन्त्री श्री नाथूराम मिर्धा की जगह श्री प्रभुदयाल लोईवाल को लाकर सब्सटीट्यूट कर दिया। अब सब्सटीट्यूट करने की बात क्यों पैदा हुई? पार्लियामेंट ने धारा ४४ के पार्ट २ में संशोधन किया कि एस. टी. ए. का चेयरमैन कौन हो सकता है तो यह प्रश्न वहां १६५६ में उठा और मोटर विहिकल्स एक्ट में अमेंडमेंट करने के लिए जोईन्ट सलेक्ट कमेटी को रेफर किया। उसने इस पर विचार किया कि एस. टी. ए. के माने अपीलेन्ट ऑथेरिटी है और उनको अपना जुडिशियल माईन्ड अप्लाई करना पड़ता है, उनके किथ एन्ड किन्स के केसेज आते हैं, उनकी पार्टी के केसेज आते हैं तो मिनिस्टर के तबके के एग्जीक्युटिव ऑफिसर का निर्णय ठीक नहीं हो सकता। उस जोईन्ट सलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट देखें। उसमें साफ लिखा हुआ है कि जुडिशियल एक्सपीरियेन्स का व्यक्ति अपीलेंट ऑथेरिटी होना चाहिये। इसलिए संशोधन किया गया। अब प्रश्न यह आता है, जिस तरह से माननीय यातायात मन्त्री ने कहा मुझे उनको सुन कर बड़ा अफसोस हुआ कि सदन में इस प्रकार की गलत बातें कही जाती हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अभी शोर्ट स्टेटमेंट दिया कि भारत सरकार मोडल रूल्स बना रही है इसलिए इसकी हमने आवश्यकता नहीं समझी और भारत सरकार ने यह आदेश दिये कि जब तक मोडल रूल्स नहीं बनें इसमें संशोधन नहीं किया जावे। मैं इस सम्बन्ध में भारत सर-

(श्री भैरोंसिंह)

कार की एक चिट्ठी माननीय यातायात मन्त्री महोदय की जानकारी के लिये ही नहीं बल्कि सदन की जानकारी के लिये बताना चाहता हूं।

Ministry of Transport & Communication No. 5P.L. 59 Subject • Constitution of Appellate Authority under the Motor Vehicles Act, 39.

अब मैं अगर माननीय उपाध्यक्ष, आज्ञा दें तो इसको पढ़ कर सुना दूं।

श्री उपाध्यक्ष : Addressed to whom?

श्री भैरोंसिंह : स्टेट गवर्नमेंन्ट को। उन्होंने सेक्सन ४४ में एमेन्डमेंट हुआ उसके अनुसार सारी स्टेटों को लैटर लिखा। इस सारे लैटर को माननीय मंत्री या कोई भी सदस्य पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद में क्या घटनाएं घटित होती हैं? हमारी राज्य सरकार कई दिनों तक इसको दबाये रखती है। सरकार यह देखती है कि धारा ४४ में एमेन्डमेंट हो चुका है। माननीय मंत्री महोदय को सदन और बाहर जुडिशियल माईन्डेड नहीं कह सकते लेकिन उनकी इच्छा यह थी कि वे इसके चेअरमैन बने रहें। मगर सरकार के धारा ४४ के एमेन्डमेंट के कारण निश्चित रूप से यह बात सामने आई कि किस प्रकार से इनको चेयरमैन बनाये रखा जाए। इसका परिणाम किस प्रकार से उन्होंने इस पत्र को दबा कर रखा और एक दूसरा नोटिफिकेशन निकाला कि एस. टी. ए. के चेयरमैन श्री नाथूरामजी मिर्धा, यातायात मन्त्री होंगे। यातायात मन्त्री पहले भी चेयरमैन थे।

१०८ धारा में जो इस प्रकार की व्यवस्था थी उसमें एस. टी. ए. के चेयरमैन के अलावा दो दूसरे अधिकारी होते थे। उसमें ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर का जिक्र था। अब उन्होंने यह दूसरा नोटिफिकेशन निकाला कि श्री नाथूराम मिर्धा, मिनिस्टर, ट्रान्सपोर्ट इसके चेयरमैन होंगे। जब उन्होंने यह देखा कि अब सेक्शन ४४ में एमेन्डमेंट हो गया है तो इनको किस प्रकार से चेयरमैन रखा जाय तो उन्होंने उनका नाम जोड़ा और जब उन्होंने उनका नाम जोड़ा तो उन्होंने भारत सरकार को भी इसकी इत्तिला दी उसमें उन्होंने लिखा : नाथूराम मिर्धा, बी. ए., एलएल. बी. चेयरमैन, एस. टी. ए.। भारत सरकार को जो पत्र लिखा गया उसमें नाथूराम मिर्धा को बी. ए. एलएल. बी. लिखा गया और यह नहीं लिखा गया कि यातायात मन्त्री। इससे भारत सरकार को भी धोखा दिया गया जिससे भारत सरकार यह समझे कि नाथूराम मिर्धा कोई जुडिशियल एक्सपीरियेन्स के आदमी हैं।

एक माननीय सदस्य : आप एम. ए., एलएल. बी. हैं।

श्री भैरोंसिंह: Sorry, M. A ; LL. B.

उपाध्यक्ष महोदय, लोग परेशान होते हैं जब एस. डी. ए. के पास अपील करते हैं। वहां से स्टे ऑर्डर मिलते हैं वे किस प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से वहां पर अपीलें सुनी जाती हैं इसके लिए अगर आज कोई कहे कि वह एक जुडिशियल बॉडी है तो मैं यह कहूंगा कि यहां के लोग जितने भी मोटर चलानेवाले हैं उनके रीएक्शन को सुनें तो आपको असलियत का पता चलेगा कि वहां पर किस प्रकार से कार्यवाही चलती है। सवाई माधोपुर से टोंक तक एक गाड़ी चलती है। बद्रीदास ने हाई कोर्ट में एक रिट की।

Page No.48

(श्री भैरोंसिंह)

उसने उसमें कई पोईन्ट उठाए हैं। उसमें एक यह भी पोईन्ट उठाया कि एस. टी. ए. एपीलेट ऑथेरिटी ही नहीं है। हमारे राज्य के डिप्टि गवर्नमेंट एडवोकेट छंगानी ने इसके सम्बन्ध में ४ मुद्दे उठाये :—

(१) यातायात मन्त्री ने करीब १०० का (जहां हजार की बात कही जाती है) उन्होंने हाई कोर्ट में यही कहा कि १०० अपीलों का फैसला किया है और जुडिशियल एक्सपीरियेन्स गेन किया है।

(२) उन्होंने ४ वर्ष और कुछ महिने वकालात की है इसलिए उनको जुडिशियल एक्सपीरियेन्स है।

(३) आप रेवेन्यू मिनिस्टर थे और उन्होंने तीन महीने और कुछ दिन तक पट्टों के फैसले किए इसलिए इनको जुडिशियल एक्सपीरियेन्स है।

तीन बातें डिप्टि एडवोकेट जनरल ने कही। इस पर हाई कोर्ट ने निर्णय दिया। इसमें से इस बात को डिप्टि गवर्नमेंट एडवोकेट ने माना कि २७ मार्च को ये रेवेन्यू बोर्ड में चले गए थे।

जब यह कहा गया कि राजस्थान हाई कोर्ट के लीगल प्रेक्टीशनर रहे हैं और एडवोकेट रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि शायद एक भी दिन ऐसा न आया होगा जिस दिन उन्होंने हाई कोर्ट में बहस की हो। मगर राजस्थान हाई कोर्ट के एडवोकेट लिखते हैं। उसका फायदा डिप्टि गवर्नमेंट एडवोकेट ने उठा कर यह कोशिश की है कि आपको लीगल एक्सपीरियेन्स भी है। मगर हाई कोर्ट ने बहुत डीटेल्स में जाकर जुडिशियल एक्सपीरियेन्स और लीगल एक्सपीरियेन्स को अलग अलग दिशाओं में देखा है। उन्होंने एक छोटी सी बात कह कर इसका उत्तर दिया कि जितने भी हाई कोर्ट में वकील जाते हैं वे सिर्फ एक पार्टी के वकील बन कर पैरवी करते हैं और वे वहां पर अपना जुडिशियल माईन्ड सप्लाई नहीं करते। वे तो अपने फरीक का हित देखते हैं। जुडिशियल माईन्डेड उस व्यक्ति को नहीं कह सकते जो एक तरफ का ही ध्यान रखता है। वे लोग जुडिशियल माईन्डेड आदमी कहे जा सकते हैं जो अदालत में बैठ कर निर्णय करते हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मुन्सिफ, सेशन जज। इसलिए हाई कोर्ट ने कहा कि जो जुडिशियल कोर्ट में रह कर फैसले करते हैं उनको ही जुडिशियल माईन्डेड ऑफिसर कह सकते हैं।

इसलिए न तो वकालत को जुडिशियल एक्सपीरियेन्स माना, न १०० केसेज को तय करने से आदमी जुडिशियल एक्सपीरियेन्स का आदमी माना जाना जा सकता है और न रेवेन्यू मिनिस्टर रह कर २४ दिन तक अपीलें सुनी इससे जुडिशियल माइण्ड और एक्सपीरियेंस कहा जा सकता है। आखिर में हाई कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि नाथूराम मिर्धा, जुडिशियल एक्सपीरियेंस के आदमी नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : We are more personal than relevant to the question.

श्री भैरोंसिंह : The whole question is personal.

तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि हाई कोर्ट ने निर्णय क्या दिया। कई रूलिंग आई कि जुडिशियल बॉडी है। यह भी आया कि क्वेसी-जुडिशियल है। हाई कोर्ट ने एक बात

(श्री भैरोंसिंह)

को स्वीकार किया कि जितने केसेज होते हैं जिनमें अपीलें होती हैं उन सब में जुडिशियल माईन्ड एप्लाई करना होता है। अपील सुनने का काम कोई मामूली काम नहीं है उसमें जुडिशियल माईन्ड एप्लाई करना पड़ता है। इस प्रकार का इन्टरप्रेटेशन लेजिस्लेचर का था और राजस्थान हाई कोर्ट ने भी निष्कर्ष निकाला और निर्णय लिया कि अपील सुनने के मामलों में जुडिशियल माईन्ड और एक्स-पीरियेंस का व्यक्ति होना चाहिए। जब हाई कोर्ट ने निर्णय लिया तो मेरी समझ में नहीं आता कि हमारे यातायात मन्त्री को फिर अपीलें सुनने का काम क्यों दिया जावे? मैं यह कहूंगा कि यह तो एक प्रकार की क्लेवर-नेस कहूँ तो ज्यादा उपयुक्त होगी। १०० केसेज में एस. टी. ए. के सदस्यों के अलावा दो सदस्य और होते थे। फिर एस. टी. ए. का आपने चेयरमैन अलग बनाया। पहले सब-कमेटी एस. टी. ए. बनी। दो व्यक्ति और चेअरमैन की अपीलेट ऑथेरेटी बना दी और उसको सब-कमेटी कहते हैं। उसमें हमारे यातायात मन्त्री जुडिशियल एक्सपीरियेंस के नहीं रहते। सरकार को अपील सुनने का काम उनको देना ही था। क्योंकि मैं समझता हूँ कि उन्होंने यह इलेक्शन के बाद तय कर लिया कि वहां जाकर ५ साल तक चेयरमैन का काम करूंगा दूसरा कोई चेयरमैन नहीं रह सकता। अगर ऐसा करते हैं तो आप इले-क्शन के साथ धोखा करते हैं। आप एस. टी. एम. से बहुत होशियारी से निकले चाहे मजबूरी से निकले। नोटिफिकेशन निकाला गया कि एस. टी. ए. के चेयरमैन प्रभुदयाल लोईवाल को चेयरमैन बना दिया गया है। जब लोगों ने यह सुना तो उन्होंने एक ठंडी सांस ली कि जुडिशियल ऑफिसर से उनको इंसाफ मिलेगा। उनको क्या मालूम था कि १० दिन बाद ही उनको यह ठंडी सांस फिर गर्म सांस लेनी होगी और वह समय आया...

इमिडियेटली हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद एक दूसरा नोटिफिकेशन निकला। उसमें रूल १८८ को अमेन्ड कर दिया। जहां २ मेम्बर अपीलेट के मैम्बर्स हो सकते थे उसमें नियुक्ति कर दी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर और एक आदमी की। एस. टी. ए. का सम्बन्ध नहीं रहा। यदि लॉ डिपार्टमेन्ट ने इसको अच्छी तरह से देखा है और मैंने भी कल कुछ लीगल एडवाईजर्स से राय ली है तो सरकार ने जो यह अमेन्डमेन्ट किया है वह कानूनन उचित नहीं है। इसलिए उचित नहीं है कि रूल मेकिंग का सरकार को अधिकार है उसमें इस तरह के अधिकार नहीं हैं। केवल अधिकार है कि बिजनेस को कन्डक्ट करना। कितने समय में अपील हो सकेगी, कब हो सकती है, कौन पेश करेगा और किस प्रकार से सुनवाई होगी इन सब बातों को लेकर रूल बनाने का सरकार को अधिकार है। एस. टी. ए. और आर. टी. ए. में परिवर्तन करने का अधिकार सरकार को नहीं था। कुछ बातें थीं कि उन बातों के कारण जिद्द पर आ गये होंगे कि चैयरमैन रहूँगा। तो सरकार ने विचार किया होगा कि यदि एक साथी जिद्द भी करता है तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिये और उन्होंने नियम, कानून, हाई कोर्ट की मंशा के विपरीत, जनता की मंशा के विपरीत, लेजिस्लेटिव की भावना के विपरीत सारी बातों को ताक में रख कर नाथूरामजी को चेयरमैन बना दिया। अपीलेट ऑथेरिटी का चैयरमैन बना दिया।

(शेम शेम की आवाज)

Page No.50

(श्री भैरोंसिंह)

इसमें सरकार यह बहाना निकाल रही है कि पार्लियामेन्ट में एमेन्डमेन्ट हुआ है। एस.-टी. ए. के लिए हुआ है न कि अपीलेट ऑथेरिटी के लिए हुआ है और जुडिशियल एक्सपीरियेन्स की बात अपीलेट के साथ नहीं जोड़ी जावेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, बाकी की स्टेट्स का हाल देखें कि कहां कहां एस. टी. ए. कहां कहां अपीलेट ऑथेरिटी है। भारतवर्ष की अधिकांश रियासतें ऐसी हैं एस. टी. ए. की सब-कमेटी ही अपीलेट ऑथेरिटी है। कुछ स्टेट्स का नाम और उसके रिलेवेन्ट रूल में आपको बताऊं। आसाम के अन्दर एस. टी.-ए. की सब कमेटी है। रूल ८६ है। बंगाल में रूल ८४ है और एस. टी. ए. की सब-कमेटी अपीलेट ऑथेरिटी है। बॉम्बे में है और यू. पी. में है। राजस्थान में भी इस प्रकार की व्यवस्था थी लेकिन बदकिस्मती से वह अब रही नहीं। उदाहरण किसी प्रकार दिया नहीं जा सकता। कुछ स्टेट्स के रूल्स मैंने देखे हैं। बाकी की स्टेट्स के रूल्स मैंने देखे नहीं लेकिन उनका भी पता लगाया जा सकता है कि किस किस स्टेट में अपीलेट ऑथेरिटी को एस. टी. ए. के अधिकार दे रखे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अब प्रश्न यह पैदा होता है कि जन भावना के खिलाफ क्यों कदम उठाना पड़ता है? हाउस निर्णय करेगा कि क्या गलती की गई और भविष्य में क्या गलती कर रही है सरकार, उसका वह निर्णय करेगा। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जुडिशियल जजमेन्ट होता है, लेजिस्लेचर की जो मंशा है और इस सम्बन्ध में पार्लियामेन्ट की जोईन्ट कमेटी ने उदाहरण दिया है उनको आपको स्वीकार करना चाहिये। इसका कोई औचित्य नहीं है कि एक आदमी नाराज होता है। सीधी बात तो यह पैदा होती है कि लेजिस्लेचर और हाई कोर्ट की रूलिंग को किस प्रकार इन्टरप्रेट करते हैं। ऐसी ही आपकी कार्यवाही होगी तो फिर हाई कोर्ट का कोई सैंन्स नहीं रहेगा। कोई आदमी हाई कोर्ट में जावेगा, मुकदमा जीतेगा लेकिन सरकार का प्रभाव होगा और हमारी सरकार उसको अवैध कर देगी। इस प्रकार के कानून, इस प्रकार के नियम और इस प्रकार से जुडिशियरी के प्रति एक मंशा पैदा करना हमारी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा द्योतक नहीं है। जब मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का भाषण सुनता हूं या अन्य सुनते हैं तो वे कहते हैं कि हमारा राज्य डेमोक्रेसी की इन्फेन्सी में है, बचपन में है और वह पनप रहा है और उसको पनपाने में सबको सहयोग देना चाहिये जिससे कि हमारे यहां प्रजातन्त्र का पौधा फले फूले। मैं समझता हूँ और निवेदन करूंगा कि प्रजातन्त्र के पौधे को पनपाने के लिये जिस प्रकार की बातें जुडिशियल फैकशन में होनी चाहिये उतनी हो तो वास्तव में मानना चाहिये कि पौधा बढ़ने जा रहा है लेकिन उसके लिए जहर पैदा करें और उसकी जड़ ही खुदवायें तो मानना चाहिये कि कहीं भाषण दें जनता में, मुख्य मंत्रीजी भाषण दें जनता पर उनके भाषण का प्रभाव पड़े या नहीं उसका कोई असर नहीं होनेवाला है। सरकार यह दृष्टि लगाये कि हमने प्रजातन्त्र के पौधे में पानी डाला है या जहर डाला है जिससे कि वह उखड़ जाय।

फिर प्रश्न पैदा होता है कि ये बातें क्यों होती हैं जिनके लिए कि हाई कोर्ट में लोगों को जाना पड़े? नोटिफिकेशन की कॉपी और ऑर्डर्स मेरे पास हैं। मैं आपको एक उदाहरण

(श्री भैरोंसिंह)

दूंगा। एक, दो मिनट के लिए समय लूंगा। अजमेर और जयपुर के बीच गाड़ियां चलती हैं। इन्डियन पीनल कोड में व्यवस्था है कि परमिट देते समय यह ध्यान रखा जाय कि जनता को कितनी सुविधा होती है और कितना समय बचता है, कितनी दूरी पास करते हैं। पब्लिक कन्वीनियेन्स सामने रख कर आर. टी.-ए. परमिट इश्यू करता है। अजमेर जब अलग राज्य था तब अजमेर से किशनगढ़ और किशनगढ़ से जयपुर दो गाड़ियां चलती थीं। अजमेर का इन्टीग्रेशन हुआ. कई गाड़ियों के मालिकों ने दरख्वास्तें दीं और उनको परमिट मिला। ४६ या ५० व्यक्तियों को परमिट मंजूर कर दिये। जब गाड़ियाँ चलती रहेंगी तो किशनगढ़ और अजमेर के ओपरेटर्स के हितों पर कुठाराघात होगा। उन्होंने एस. डी. एम. में जाकर एप्लीकेशन पेश की। जिस दिन ये लोग गये उस दिन उनके पास जजमेन्ट की फाईल नहीं थी, आर. टी. ए. ने ओ. स्टे ऑर्डर्स इश्यू कर दिये। पहले मालिकों ने हजारों, लाखों रुपयों कि गाड़ियां आर. टी. ए. के कहने के अनुसार खरीद ली थी लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी कि ज्यों ही स्टे ऑर्डर्स इश्यू किया यातायात मंत्रीजी को हाई कोर्ट ने ऑर्डर्स इश्यू कर दिये, ये एस. टी. ए. से हट गये। उन लोगों ने गाड़ियाँ चलाना शुरू कर दिया। उसके बाद नयो एस. टी. ए. कॉन्स्टिट्यूट हुई। उसने फिर स्टे ऑर्डर्स कर दिये। उसके लिए लोगों ने पैरवी की और उपाध्यक्ष महोदय, सब को सुन कर ताज्जुब होगा कि उनको फिर परमिट दे दिया। यह हाई कोर्ट के फैसले की हमारी सरकार ने और उन्होंने तामील की। दो बार स्टे ऑर्डर्स इश्यू कर दिये। यातायात...

(शेम शेम की आवाज)

मंत्रीजी मेरे साथ चलें। मेरे दफ्तर में बैठ कर बाहर बस ऑपरेटर्स क्या बातें करते हैं उनको सुनें। अजमेर के परमिट कैसे मिले हैं, क्या दँत कथायें हैं। मैं उन दँत कथाओं का जिक्र करूं तो मुझे कहा जायेगा कि उनका सबूत लाओ। ऐसे मामलों में सबूत पेश करना बहुत मुश्किल है और सबूत नहीं मिलता है। लेकिन ये दंत कथाएं हैं कि लोग पैसा खर्च करते हैं और जो खर्च करते हैं उनको लाभ भी मिलता है। जिनको लाभ मिलता है वे शिकायतें नहीं करते हैं। ये दन्त कथाएं अजमेर के लिए चल रही हैं। बीकानेर, कोटा' दिल्ली रूट्स हैं और भी कई राजस्थान के रूट्स हैं और कोई ऐसा रूट नहीं है कि जिसके लिए इस प्रकार की दंत कथायें न चलती हों। कोई सबूत मांगे यह देना मुश्किल है। ओनेस्टली इन्कार करें और माननीय मुख्य मंत्रीजी इन्कार करें लेकिन यहां सदन में इन्कार करने की गर्ज से इन्कार करें लेकिन मैं समझता हूँ कि उनके कानों में ये बातें अवश्य पहुँचती होंगी कि बिना पैसे दिये परमिट नहीं मिलता है। वे सुनते जरूर हैं लेकिन इन्कार कर देते हैं। जितने बस...

(शेम शेम की आवाज)

ओपरेटर्स हैं यदि वे एक आवाज से कहें कि एस. टी. ए. में पैसे और रिश्तेदारी की आवश्यकता नहीं है तो मैं मानूंगा कि हमारे एस.-टी. ए. के प्रति श्रद्धा जाग्रत हुई है लेकिन इसके विपरीत बातें सुनने को मिलती हैं। जब अलग बातें करें, किसी अधिकारी से बात कर रहे हैं, अधिकारी भी यह कह कर निकलता है कि सरकार का मामला है हम इन मामलों में किसी प्रकार भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते।

उपाध्यक्ष महोदय, आज कोई यह पूछे कि क्या श्री प्रभुदयाल लोईवाला जुडिशियल

(श्री भैरोंसिंह)

एक्सीपीरिएन्स के आदमी नहीं ? क्या उनमें अपील सुनने की योग्यता नहीं है ? क्या वे अपना जुडिशियल माईन्ड एप्लाई नहीं कर सकते जिसके कारण आप एक नोन जुडिशियल व्यक्ति को अपीलेट ऑथेरिटी और चेयरमैन बनाना चाहते हैं । राजस्थान के सेशन जज का जिसको अनुभव है, जो व्यक्ति राजस्थान का लॉ सेक्रेटरी है, जो कानूनों का इन्टरप्रीटेशन करता है और जिसकी राय कानून के मामले में सर्वोपरि है क्या वह व्यक्ति एस० टी० ए० का चेयरमैन नहीं हो सकता, अपीलें नहीं सुन सकता ? क्यों नहीं सुन सकता? क्या उनके पास ज्यादा काम है या उनको किसी प्रकार की दिक्कत है ?

एक माननीय सदस्य : उनके पास समय नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : अगर सरकार इसी काम के लिये अलग से किसी व्यक्ति की नियुक्ति करती है तो मैं समझता हूं किसी भी विधान सभाई को उसमें ऐतराज नहीं होगा । उससे पब्लिक एक्सचेकर पर भार ही क्यों न पड़े लेकिन यह भार भार नहीं है जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया जाता है तो हम सब इसका स्वागत करेंगे लेकिन यह बात चलेगी नहीं । क्यों नहीं चलेगी, वह इसलिए कि हमारी सरकार इस बात की कोशिश में है कि हमें तो श्री मिर्धाजी को ही अपीलेट ऑथेरिटी का चेयरमैन रखना है । मैं मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जिस रूल का अमेन्डमेन्ट किया जा रहा है उस रूल को वे अच्छी तरह से देखें । इसके बारे में जितने भी लीगल एक्सपेक्टस हैं उनको देखें और जो भी कानूनी सलाहकार हैं उनसे इस विषय में सलाह लें कि क्या इस प्रकार रूल में अमेन्डमेन्ट कर सकते हैं ? हमें रूल में अमेन्डमेन्ट्स करने का अधिकार है लेकिन इस प्रकार अलग से एस० टी० ए० की नियुक्ति का अधिकार आपको है या नहीं ? मुझे जहां तक जानकारी है इस बारे में भी बस ऑपरेटर्स को इस प्रकार की कानूनी सलाह मिली है । वे इस रूल के अमेन्डमेन्ट को लेकर फिर हाई कोर्ट में जानेवाले हैं । आगे उसका क्या हाल होगा यह तो बाद में देखने की बात है । लेकिन मेरा तो यही निवेदन है कि किसी प्रकार का अमेन्डमेन्ट करने के पहले हमें पूरी तरह से सोच विचार लेना चाहिये । मैं फिर से आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार का अमेन्डमेन्ट आप करने जा रहे हैं वह जनता की भावनाओं के, लेजिस्लेचर की भावनाओं के और जुडिशियल भावनाओं के भी विपरीत है । मेरा ऐसा ख्याल है कि हाई कोर्ट में यह जाने पर इस प्रकार की स्थिति और पैदा हो जावेगी कि हमें दुबारा इसमें संशोधन करने की आवश्यकता होगी ।

उपाध्यक्ष महोदय, कुछ घटनाएँ ऐसी हैं जिनको राजस्थान का बच्चा बच्चा जानता है । ट्रांसपोर्ट महकमे के बारे में मैं समझता हूं मोटर में बैठनेवाला हर मुसाफिर जब बसेज में किसी प्रकार की असुविधा देखता है तो वह बस ड्राईवर को गालियां देता है, उसके मालिक को गालियां देता है । तो उस ड्राईवर का एक ही जवाब होता है कि हमें कितने कितने टैक्सेज देने पड़ते हैं । इन टैक्सेज के अलावा एक सुपर टैक्स और हमें देना पड़ता है जिसकी कानून में कोई गुंजाइश नहीं । आज होता क्या है? गाडियां बिकती हैं, रूट्स बिकते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानता हूं ये सब बातें मुख्य मंत्री मोहदय की, जानकारी में भी हैं कि जिनके नाम से परमिट इश्यू होता

(श्री भैरोंसिंह)

है क्या वे गाड़ियां चलाते हैं या दूसरे चलाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आम रिवाज सा हो गया है परमिट लेना हो तो रिश्तेदारी के कारण परमिट मिल सकता है। आज हम देखते हैं रूट्स जो बिकती हैं उसके कारण लोगों के आमदनी बंधी हुई है। किसी को २०० सौ रुपये माहवार मिलता है, किसी को ३००, किसी को ४०० इस प्रकार की आमदनी बंधी हुई है। यह एक आम बात हो गई है कि जितने भी आदमियों के परमिट बिके हुए हैं उनमें मामाजी पैसा ले लेते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं माईनर्स के नाम भी परमिट इश्यू किया जाता है और वह आगे जाकर बिकता है।

गाड़ियां बिकती हैं, रूट्स बिकती हैं। मान लीजिये मैंने अपने नाम से परमिट ले लिया। उसको मैं बेच देता हूं उसमें १० २० हजार की आमदनी हो जाती है। इसका खुले आम बाजार चल रहा है, रूट खरीदते हैं, गाड़ियां बिकती हैं। यह एक प्रकार से आमदनी का जरिया हो गया है जो खुले आम बढ़ता जारहा है। रूट्स के बारे में केवल धारणायें ही नहीं यह एक सही स्थिति है जिसका सबूत है जैसा कि अभी माननीय यातायात मंत्री महोदय ने बताया कि उन्होंने करीब एक हजार अपीलें सुनी होंगी।

श्री नाथूराम मिर्धा (मंत्री यातायात) : मैंने यह नहीं कहा था। मैंने कहा था कुल आर० टी० ए० और एस० टी० ए० में एक हजार के करीब केसेज थे।

श्री चंदनमल वैद (सरदारशहर) : आर० टी० ए० की भी आप ही सुनवाई करते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आर० टी० ए० को ही अवैध करार दिया था।

श्री चंदनमल वैद : सारे आर० टी०-ए० को अवैध करार नहीं दिया था।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप जजमेन्ट देखिये।

श्री चंदनमल वैद : मैं जजमेन्ट देख कर ही बात कह रहा हूं। जो आर० टी० ए० जुडिशियल माईन्ड नहीं थे उनको अवैध करार दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : इस कन्ट्रोवरसी को जाने दीजिये। श्री भैरोंसिंह आरम्भ रखें।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, खैर, मैं यह नहीं कहता कि आपने एक हजार अपीलें सुनी हैं। जिस प्रकार की बात आपने कही थी बहुत मुमकिन है आर० टी० ए० और एस० टी० ए० ने मिल कर एक हजार केसेज को डिसपोज ऑफ किये हों, उनकी संख्या एक हजार के करीब है। प्रश्न मेरा यह है कि जिस समय से हमारे माननीय यातायात मंत्री चेयरमैन बने उस समय से लेकर आज तक के केसेज का ईयर वाईज परसेन्टेज निकाल कर देखिये तो उससे पता चलेगा कि आपने कितने आर० टी० ए० के ऑर्डर्स को क्वश किया है और आपके पहले की अपीलेट ऑथेरिटी ने श्री रामनिवास मिर्धा और श्री रामकरण जोशी जब चेयरमैन थे उस समय कितने ऐसे केसेज हुए ..

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : ऐसे तो कई रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो संसार सागर है कई आयेंगे और कई जायेंगे।

Page No.54

श्री मदनसिंह : लेकिन ऐसे तो नहीं आयेंगे ।

श्री भैरोंसिंह : मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जिस समय श्री रामनिवासजी मिर्धा, श्री रामकरणजी जोशी यातायात मंत्री थे तब उनके समय में कितने केसेज हुए ? उससे यह पता चल जायेगा कि उस समय कितना परसेन्टेज रहा आर० टी० ए० के ऑर्डर्स के क्श करने का और अब इनके समय में कितना रहा । यह तो आंकड़े वे बता सकते हैं लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि उस समय के आंकड़ों में और आज के आंकड़ों में आपको रात दिन का अन्तर मिलेगा । इसका कारण या तो यह हो सकता है कि इनके पूर्व जो मंत्री थे वे जुडिशियल माईन्ड एप्लाई नहीं करते होंगे जिसके कारण वे आर० टी० ए० और एस० टी० ए० के ऑर्डर्स को क्श कर सकें और हमारे वर्त्तमान यातायात मंत्री बहुत बारीकी से जुडिशियल माईन्ड होकर माईन्युटली इसको देखते होंगे जिसके कारण इनको बहुत ज्यादा स्टे ऑर्डर्स देने पड़े हों । उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यातायात मंत्री किस प्रकार माईन्युटली देखते हैं इसकी छोटी सी नजीर मैं आपको बताऊंगा ..

श्री उपाध्यक्ष : आप भी बहुत माईन्युटली जा रहे हैं ।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : स्टे ऑर्डर्स का परसेन्टेज ही बता दीजिये बाकी परसेन्टेज तो हम पूछते नहीं हैं ।

(श्री नाथूराम मिर्धा सदन से बाहर जाने लगे)

श्री चंदनमल वैद : क्या मंत्री महोदय खाना खाने जा रहे हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां ।

श्री भैरोंसिंह : माननीय मंत्री महोदय मेरे कहने पर इतने झेंपते हैं तो मैं भाषण समाप्त कर दूं । मैं माननीय यातायात मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे यहां रहें और परसेन्टेज का सवाल जाने दें किन्तु वे इतना तो बता दें कि उन्होंने कितने ऑर्डर्स को क्श किया है ? इसके आंकड़े उनके पास होंगे वे स्वयं बतायेंगे । जहां तक राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले का संबन्ध है वह बद्रीदास की रिट थी सवाई माधोपुर से टोंक को जो गाड़ियां चलती थीं । उसके बारे में वहां के सुपरिन्टेन्डेन्ट ने यह लिख दिया कि इस रूट पर आवागमन कम है अतः जो दो परमिट मिले हैं वे ही ठीक हैं उससे ज्यादा परमिट न दिये जांय । तीसरे आदमी ने परमिट के लिए दर्ख्वास्त दे दी उस पर यह हुआ कि इस रूट को गजट के अन्दर एडवरटाईज करेंगे । Only there was a question of advertisement of that road. केवल एडवर्टिजमेन्ट का प्रश्न था । इस ऑर्डर को लेकर दूसरी पार्टी एस. टी. ए. में गई और वहां से परमिट हासिल किया । हालां कि परमिट के पोईन्ट पर रिजेक्ट करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता था पर एस. टी. ए. ने माईन्युटली देखा कि एडवर्टिजमेन्ट करने का तो परमिट उस पार्टी को नहीं देने का केवल बहाना है । पर इस चीज को हाईकोर्ट ने और माईन्युटली देखा और फैसला दिया कि एस. टी. ए. ने बिल्कुल माईन्युटली नहीं देखा । आर० टी० ए० का फैसला और ऑर्डर रिजेक्शन का नहीं था वह तो केवल एडवर्टिजमेन्ट करने का था ।

Page No.55

(श्री भैरोंसिंह)

हाईकोर्ट ने एस० टी० ए० के माईन्युटली स्टेडी करने के बारे में अपने फीचर्स पेश किये हैं। वे सब हाई कोर्ट के फैसले में सम्मिलित हैं। इन सारी स्पष्ट परिस्थितियों में हम क्या कहें ? हम यदि यह कहें कि इसमें कोई आपत्ति है जिस प्रकार की बात सरकार की ओर से कही जा रही है कि अपीलेट ऑथेरिटी के वे चेयरमैन रहते हैं तो क्या आपत्ति है ? हमें आपत्ति है। पहले तो कानूनी आपत्ति है और दूसरी कम से कम यह भी आपत्ति है कि यातायात मन्त्री स्वयं भी एक पार्टी बनते हैं। किस प्रकार से ? राजस्थान में हम कई रूटों को नेशनेलाईज करनेवाले हैं। कई रूटें ऑलरेडी नेशनेलाईज्ड हैं। सिरोही बस सर्विस है। टोंक बस सर्विस थी। आज भले ही उसे घाटे की चीज बता कर बन्द कर दी हो। सरकारी गाड़ियां भी चलती हैं। ट्रांसपोर्ट विभग इसको देखता है और इस ट्रांसपोर्ट विभाग के यातायात मन्त्रीजी इंचार्ज हैं। अब यदि इन केसों में सिरोही बस सर्विस या टोंक बस सर्विस या जिनको नेशनेलाईज करने जा रहे हैं उन बस रूटों के बारे में यातायात मन्त्रीजी के सामने मामले जावें तो उनको दर्द होगा, दुविधा भी होगी कि सरकार के इन्टरेस्ट को या पार्टी के इन्टरेस्ट को ध्यान में रखा जावे ? किसके इन्टरेस्ट को ध्यान में रखा जावे ? यह कहा जा सकता है कि जुडिशियरी ऑफिसर को भी सरकार से तनख्वाह मिलती है और वे भी सरकार के खिलाफ जाते हैं। पर यहां तो डाईरेक्टली उसके बेनिफिट से सम्बन्धित है। वहां तो सिर्फ जुडिशियरी का मामला था। पर यहां तो डाईरेक्ट सरकार का इन-टरेस्ट है। स्टेटमेन्ट वे देते हैं, पॉलिसी वे निर्धारित करते हैं तो उनका ध्यान यही रहेगा कि कौन से रूट को सुपरसीड करके या कोनसिल करके सरकारी परमिट से बस चलावें। सभी बातें ध्यान में रख कर यातायात मन्त्री को नीति के कारण, व्यवस्था के कारण से निर्णय लेने पड़ते हैं। तो इस तरह से ~~स्व्यांकि~~ तो इन्टरेस्टेड पर्सन है। उसे एस० टी० ए० का चेयरमैन बनाने की भावना के विपरीत यह बात है।

इन शब्दों के साथ अन्त में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय यातायात मन्त्री से खुद से निवेदन करूंगा...............

एक माननीय सदस्य : वे तो नहीं हैं यहां।

श्री भैरोंसिंह : वे बाहर कमेटी रूम में बैठे २ सुन रहे होंगे। तो मैं निवेदन करूंगा और निवेदन इसलिए कर रहा हूं कि इसमें हमारी सबकी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। जनता की भावना की प्रतिष्ठा का प्रश्न है, लेजिस्लेचर पार्टी की प्रतिष्ठा का प्रश्न है, हाई कोर्ट के फैसले की प्रतिष्ठा का प्रश्न है, इन सब बातों को देख कर, सब की प्रतिष्ठा को देख कर वे अपनी प्रतिष्ठा का विचार न करें। उसे इन सबकी प्रतिष्ठा के सामने सरेन्डर कर दें और घोषणा कर दें यहां सदन में कि एस० टी० ए० का चेयरमैन बने रहने में मेरा कोई निजी मतलब नहीं है, अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं है और इसलिए मैं त्याग पत्र देता हूं। सरकार गर्व से इसका प्रचार करेगी, सदन तालियों की गड़गड़ाहट में इसका स्वागत करेगा। तारीफ की जावेगी। राजस्थान सरकार की भी तारीफ की जावेगी। यदि उनका निजी स्वार्थ नहीं है तो निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि वे अपने त्याग पत्र की घोषणा करेंगे विधान सभा में। अगर इतने पर भी वे त्याग पत्र नहीं देंगे तो दूसरा

Page No.56

(श्री भैरोंसिंह)

मतलब माननीय सदस्य लगावेंगे । इन्हीं शब्दों के साथ में माननीय मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि यातायात विभाग के अपीलेट ऑथिरिटी के इस प्रश्न पर सीरियेसली सरकार विचार करे और साथ साथ इस प्रकार का निर्णय ले कि ऐसे व्यक्ति को अपीलेट ऑथेरिटी का चेयरमैन बनाया जावे जिसमें जनता का, लोगों का सभी का कॉन्फीडेन्स क्रीएट हो। जुडिशियरी में लोगों का कॉन्फीडेन्स बना रहे। आप भी चाहते हैं कि मोटर ट्रान्सपोर्ट यहां का डवेलप हो, सरकार का मोटर ट्रान्सपोर्ट का इन्टरेस्ट सुरक्षित रहे, जनता का भी हित सुरक्षित रहे तो इन बातों को ध्यान में रख कर अच्छा निर्णय लेने में संकोच नहीं होना चाहिए। हमारे यातायात मन्त्रीजी के पास काम और भी बहुत हैं। पी० डब्ल्यु ०डी० है, फोरेस्ट है, कॉ-ऑपरेटिव है और यातायात को छोड़ कर दूसरे कई विभाग हैं जिनके कारण उनको बेकारी महसूस नहीं होगी।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : डिपार्टमेन्ट का मेनेजमेन्ट पर्सनल इनक्लिनेशन पर डिपेन्ड करता है।

श्री भैरोंसिंह : मैं उनके इस मोटिव को समझ नहीं पाया। आप बोलेंगे तब इस मोटिव को ज्यादा क्लीयर करेंगे।

श्री श्रीभानसिंह : पर्सनल इनक्लिनेशन की बात कर रहा हूं। मोटिव तो आप इम्प्यूट कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : मैं तो पर्सनल इनक्लिनेशन भी नहीं समझ सकता। वे खुद ही बतावेंगे कि परसनल इनक्लिनेशन क्या हो सकता है ?

श्री चंदनमल बैद : पर्सनल इनक्लिनेशन का माने रुचि।

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह : रुचि भी क्या हो सकती है, यह आप दोनों बतानेवाले हैं।

अब इतना निवेदन करता हूं कि इन सारी बातों को ध्यान में रख कर, स्पोर्टसमैन स्प्रिट के आधार पर, डेमोक्रेटिक व्यक्ति के आधार पर डिस्टिंगिश लेजिस्लेटर के नाते यातायात मन्त्रीजी किसी भी प्रकार की बातों में न आकर तुरन्त अभी सदन में घोषणा कर दें कि मैं इससे त्याग पत्र देता हूं। किसी दूसरे योग्य व्यक्ति को एस० टी० ए० का चेयरमैन बना दिया जाय। पर अगर ये ही बने रहे तो जुडिशियरी के नाम पर और जुडिशियरी अफसर के नाम पर लोगों के दिमाग में अश्रद्धा होगी और धीरे धीरे आज जो लोगों को जुडिशियरी में श्रद्धा है वह कम होकर एक्जीक्युटिव के साथ जैसी अश्रद्धा है वैसी अश्रद्धा उनके साथ हो जावेगी। इस दृष्टिकोण को सामने रख कर, राजस्थान के भविष्य को सामने रख कर, राजस्थान को अच्छा न्याय दे सकें, भविष्य में राजस्थान की जनता को न्याय दिये जाने की बात को ध्यान में रख कर, हाई कोर्ट के फैसले के सम्मान को ध्यान में रख कर, मैं एक तीन लाईन का रुलिंग कोट करके अपना स्थान ग्रहण करूंगा। वह रूलिंग है राजस्थान के इन्हीं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस श्री सरजूप्रसाद जी का। उन्होंने कामताप्रसाद बनाम स्टेट ऑफ आसाम में एक रुलिंग दी है उसकी तीन लाइनें मैं सदन में पढ़ कर सुना देता हूं :—

"We quite appreciate that the Regional Transport Authorities or the State Transport Authority are quasi-

Page No.57

(श्री भैरोंसिंह)

judical Bodies and in the interest of maintaining the confidence of the Public, the members of these Bodies should conduct themselves with absolute fairness and impartiality.

It would have been far more desirable to constitute another Regional Transport Authority to deside these cases when serious allegations or charges had been made against some members of that Body. Even if some of the members of such Bodies carry with them an ill-repute, that should be enough to disqualify them from sitting on such Bodies."

उपाध्यक्ष महोदय, इस सारी स्थिति के अन्दर ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। नया जो फैसला हुआ है वह भी इन्हीं न्यायाधीश का है। पहलेवाला भी इनका ही है। और हाई कोर्टों को छोड़ कर अपने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के फैसले की भावना को एप्रीसियेट करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मजबूर होकर हमें यह मानना पड़ेगा कि आपका जुडिशियरी के रूलिंग की भावना में विश्वास नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ दुबारा मैं निवेदन करूंगा कि जनता की इन चेयरमैन के प्रति अच्छे प्रकार की भावना नहीं है, इल-रेपूटेशन है। इस कारण उनको त्याग-पत्र देकर किसी भी दूसरे योग्य जुडिशियरी अफसर को चेयरमैन बनाना चाहिये। यह उनके और राजस्थान के हित में दोनों के हित में होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर): उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने जो बिल प्रस्तुत है उसके द्वारा यह चाहा गया है कि १६५७ से लेकर अब तक जितने फैसले एम. टी. ए. ने किये हैं और जिनको राजस्थान हाई कोर्ट ने इन्वेलिड करार दे दिये हैं उनको वेलिड किया जावे।

इस दर्मियान में माननीय मुख्य मंत्रीजी का कहना है कि हजारों फैसले हो गये हैं। तो यह कोई मौजू नहीं होगा कि उनको हम इन्वेलिड होने दें और इस तरह से उन सारी पार्टियों को भारी नुकसान हो। उन्हें वेलिडेट तो करना है। करना भी चाहिये। हजारों पार्टियों ने इसमें हिस्सा लिया है उनके सब के फैसले रद्द हो जाते हैं तो एक विकट समस्या पेश हो जाती है। उनका कोई कसूर नहीं है। इसलिए बिना कसूर उनको दण्ड देना उचित नहीं होगा। इसलिए उनको वेलिडेट करना कर्त्तव्य हो जाता है।

लेकिन इसके साथ साथ कोई ऐसा मामला जुड़ा हुआ है कि जिसके ऊपर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। पहली बात यह है कि यह एक्ट एक सेन्ट्रल एक्ट है और उसमें अमेन्डमेन्ट सन् ५६ में हुए और १६ फरवरी, १६५७ से वह अमल में आया। तो १६ फरवरी से लेकर जब तक हाई कोर्ट ने फैसला ५६ में दिया तब तक हमारी गवर्नमेन्ट क्या कर रही थी? जब उस एक्ट में तरमीम हुई कि एस०टी० ए० के चेयरमैन जुडिशियल एक्सपीरियेन्स के होने चाहिए तो हमारे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्ट ने या लॉ डिपार्टमेन्ट ने उसकी ओर ध्यान क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं इस बात को सोचा कि जिस एक्ट के मातहत हमें पावर्स मिली हुई हैं उस एक्ट में जब तरमीम हो गई और उसमें लिख दिया गया है कि चेयरमैन जुडिशियल एक्सपीरियेन्ट

(श्री चन्दनमल वैद)

का होगा तो वे दो साल से क्या करते रहे ? मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से यह प्रार्थना करूंगा कि वे बतायें कि ट्रान्सपोर्ट ऑथेरिटी ने या तो उनको इस बात की सूचना नहीं दी और अगर सूचना दी भी तो लॉ डिपार्टमेन्ट से राय ली या नहीं ली ? हम इस बात को जानने के मुस्तैद हैं कि ऐसा क्यों हुआ ? दो साल से वे यह गलती करते रहे और अब उसको वेलीडेट करना चाहते हैं। तो उनको वेलीडेट करने के पहले यह जानना हम चाहेंगे कि ये गल्तियां किसके कारण से हुई ? किसने यह गलती की ? ट्रान्सपोर्ट डाईरेक्टर ने की या सेक्रेटरी ने की या फिर लॉ डिपार्टमेन्ट के कारण से यह गलती हुई और उसने गलत राय दे दी। हमें यह जानने का हक है। मैं समझता हूँ कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे।

दूसरी मुद्दे की बात यह है कि यह कानून इसलिए बनाया जा रहा है कि जितनी भी गल्तियां की हैं उनको हम इसके द्वारा ठीक करें। हमारी कोई भी पार्टी चाहे मिनीस्टर हो, या कमिश्नर हो या डाईरेक्टर हो वह कोई गलती करें और जब हाई कोर्ट उनको उनकी गल्तियों के बारे में बता दे तो फिर दूसरा कानून बना कर उन गल्तियों को वेलीडेट करालें तो फिर ठीक है आप गलती करते जाईये। इसका मतलब यह है कि जान कर भी गल्तियां की जा सकती हैं। मैं यह चार्ज नहीं लगाता कि यह जानबूझ कर किया गया है। लेकिन आज मान लीजिए कि आपकी जगह दूसरा आदमी आता है और वह कानून की अवहेलना करता है और उस कानून की अवहेलना पर कोई आदमी जब तक हाई कोर्ट में नहीं जाता तब तक कानून की अवहेलना करने दी जाय तो ऐसी प्रवृत्ति को हमें बढ़ावा नहीं देना चाहिए और यह ठीक नहीं है। तो ऐसी स्थिति अगर आये तो क्या हो ? मैं समझता हूँ कि मुख्य मंत्रीजी मौजूद हैं वे इस बात पर गंभीरता से सोचें। अगर इस प्रकार की प्रवृत्ति जारी करती है तो यह ठीक नहीं है। यह कानून का राज्य है। हमारी मर्जी आए जैसा करते रहें तो जो कुछ हाई कोर्ट ने कहा बहुमत की पर्टी से उसको वेलीडेट करवा लेंगे तो फिर कानून बनाने की जरूरत क्या है ? हमने कानून को माना नहीं और हाई कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया तो फिर दूसरा कानून बना लिया तो यह एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर सदन को गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए।

तीसरे मुद्दे की बात यह है कि हाई कोर्ट ने ठहराया है कि एस० टी० ए० के चेयरमैन को जुडिशियल एक्सपीरियेन्स का होना चाहिए। उसे रिविज़न, एप्लीकेसन, कुछ अपील्स सुनने का अधिकार है या नहीं इसका तो मुझे मालूम नहीं और कुछ परमिट्स देने का अधिकार है वह क्वैसी-जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑथेरिटीज है। जब यह ठहरा दिया कि चेयरमैन को जुडिशियल एक्सपीरियेन्स का होना चहिए तो एक ऐसी बॉडी जिसका काम बिल्कुल अपील सुनने का है वह परमिट्स नहीं देती है लेकिन और दूसरा काम नहीं करती है। उस अपीलेट ऑथेरिटी का चेयरमैन बिना जुडिशियल एक्सपीरियेन्स का आदमी कैसे हो सकता है ? जब मैंने सुना कि हमारे मिनिस्टर साहब जो कि इस बात के लिए योग्य नहीं ठहराये गये,

(श्री चन्दनमल वैद)

ऐसा मैं तो नहीं कहता, वह चेयमैन नही हो सकते और वह अपीलेट बॉडी के चेयमैन हो गये तो यह जो दो, ढाई साल का समय गुजरा है वह उनकी जानकारी में गुजरा है। ऐसा नहीं हो सकता कि यह उनकी जानकारी में नहीं था। पर उन्होंने यह सोचा कि अभी तो ऐसा कर लेते हैं और जब हाई कोर्ट में क्वेश्चन आयेगा तो देख लेंगे, ऐसा उन्होंने सोचा। मालूम नहीं इस चेयरमैनशिप के कौनसा गोंद लगा हुआ है कि जिसकी तरफ हमारे माननीय मंत्री महोदय बराबर चिपके जाते हैं। तो फिर दूसरी बॉडी जो कि उसकी अपर बॉडी है, जिसका काम केवल अपील सुनने का है उस कमेटी के चेयरमैन अगर वे होना चाहते हैं तो मैं यह समझता कि हूँ फिर मेरे जो विरोधी दल के सदस्य हैं उन्होंने जो कुछ कहा है उसमें कुछ सच्चाई तो नहीं है, इसमें मुझे सन्देह होता है। तो आज जो कुछ हम ट्रान्सपोर्ट विभाग के बारे में बातें सुन रहे हैं वे गलत हैं या सही हैं यह मैं नही कहता लेकिन उनके हित में यह जरूर है कि जहाँ तक हो सके इस अपीलेट बॉडी से अलग रहें तो इसमें सब का हित है।

मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि इस बिल को हमें पास तो करना ही है और पास करना ही चाहिए।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो बिल के द्वारा सदन से वेलीडेट कराया जा रहा है और जो राजस्थान सरकार ने पहले ऑर्डिनेन्स के रूप में इश्यु किया मैं कम से कम इस बिल के जितने भी प्रोविजन्स हैं उनसे सहमत नहीं हूं। सहमत नहीं होने से जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि राजस्थान के अन्दर इतनी लीगल मशीनरी मौजूद है और इतना बड़ा एक ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्ट मौजूद है और इसके अलावा एडवोकेट जनरल, असिस्टेन्ट एडवोकेट जनरल इतनी सब कानून की मशीनरी होते हुए भी क्या यह कहा जाये कि यह सब मशीनरी लोटस ईटर्स की मशीनरी है जो कि अफीम खाकर सन् १६५६ तक आराम से नशे में सो रही थी। सन् १६५६ में कानून बना और १६ फरवरी, सन् १६५७ में इनफोर्स हुआ और आज सन् १६५६ तक किसी भी ऑथेरिटी को, किसी भी इन्डीविजुअल को, एज़ इन्डीविजुअल, एज़ ऑफिसर, एज़ कलेक्टर यह मालूम नहीं हुआ कि ऐसा कानून है और इसका जो चेयरमैन हो वह जुडिशियल एक्सीपीरियेन्स का हो। मैं इस बात को नहीं मानता। मेरे पूर्व वक्ता ने तो यह कहा कि हो सकता है इस पर ध्यान नहीं गया हो। मैं यह मान कर चलता हूं कि १६ फरवरी, सन् १६५७ को यह जिस समय इनफोर्स हुआ था उस समय माननीय मुख्य मंत्री महोदय को मालूम था, उस समय लॉ डिपार्टमेन्ट को मालूम था और ट्रान्सपोर्ट ऑथेरिटीज़ को मालूम था। जहां तक मेरी जानकारी है उसमें मैं नहीं कह सकता कि कहां तक यह सच है लेकिन मैं यह सच मान कर चलता हूँ कि माननीय मंत्री महोदय का इन्फ्लुएन्स था कि उन्होंने सन् १६५६ तक इसको चेन्ज नहीं होने दिया। सही माने में उनको इसे चेन्ज करना चाहिए था। हमारी सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के कानून को नहीं माना। जब लॉ डिपार्टमेन्ट ने यह राय दी, मुझे यह इनफॉर्मेशन है कि लॉ डिपार्टमेन्ट ने यह राय दी कि आप इसको चेंज करिये, सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के एक्ट के मुताबिक आप इसको री-कॉन्सटीट्यूट कीजिए then it was the

(श्री श्रीमानसिंह)ः

Hon'ble Minister, I am told, who refused to re-constitute the tribunal.

तो फिर यह कहना और यह रिमार्क्स जिनमें तथ्य है तो मैं नहीं समझ पाता कि आप अब हमसे क्यों वेलीडेट कराना चाहते हैं ? उनके कन्टीन्यू करने से और सन् १६५६ तक अडॉप्ट करने में यह राय दी कि आप जुडिशियल एक्सपीरियेन्स में नहीं आते हैं और इसको चेन्ज होना चाहिए और अब यह कहना कि यह हमारे ध्यान में नहीं था और यह कहना कि हमारा लॉ डिपार्टमेन्ट सो रहा था और यह कहना कि इससे हजारों केसेज़ को नुकसान होगा अगर इसको वेलीडेट नहीं किया गया तो, ठीक नहीं है । अगर आपकी गलती है और उससे नुकसान सबको होता है तो नुकसान होना चाहिए। ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्ट के परसोनेल्स को चेन्ज होना चाहिए जो कि दो-दो और ढाई-ढाई साल तक इतनी खास चीज से इगनोरेन्ट रहते हैं कि देश में क्या कानून बन रहे हैं।

दूसरी बात यह है कि आज जो अगर इस तरह की एक लेजिस्लेटिव सोवरेन बॉडी है, मैं यह मानता हूं, मगर लेजिस्लेटिव फन्क्शन्स दूसरे हैं और एक जुडिशियरी का हैड है हमारे देश के अन्दर और राजस्थान के अन्दर तो जुडिशियरी का महत्व दूसरा है। ढाई साल के अर्से में जैसा कि कहा जाता है कि Ignorance of law is no excuse. But today that very ignorance is becoming an excuse for validation.

जब हम हर जगह साईट करते हैं इन चीजों को और आज हम इन चीजों को यहां पर यह कहना चाहते हैं कि हम इगनोरेन्ट थे इसलिए वेलीडेट करेंगे ? वेलीडेट करा कर एक कन्फलिक्ट इन्ट्रोड्यूस कर रहे हैं जनतन्त्र के अन्दर जो जनतन्त्र के लिए घातक रहेगा। आखिर आप गलती करेंगे तो हाई कोर्ट फैसला आपके अगेन्स्ट में देगा। हाई कोर्ट यह देखता है कि जो कानून के तहत राईट्स हैं, जो कानून लेजिस्लेचर बनाता है, पार्लियामेन्ट बनाती हैं, उन कानूनों के तहत हरेक मनुष्य एक्ट करे। उस कानून के तहत जब आप एक्ट नहीं करते हैं तो ओबवियस है कि कानून के तहत में मनुष्यों के जो राईट्स माने गये हैं उनको प्रोटेक्शन देने के लिए हाई कोर्ट काम करेगा। हाई कोर्ट प्रोटेक्शन देता है तो लेजिस्लेचर मेजोरिटी के बल पर उसके जजमेंट को सेट एसाइड कर दे। मैं कम से कम परनेली इस ओपिनियन का हूँ कि चाहे १०० मरते हों, संभवतः १०० को ही यहां पर रेफर किया है। अगर आपने १००,१५० अपीलें गलत सुन ली हैं और गलत फैसल कर दी गई हैं तो राजस्थान के ट्रान्सपोर्ट के अन्दर उन १०० केसेज़ की वजह से कोई सटकनल नहीं आनेवाला है मगर एक प्रिन्सीपल की और एक स्वस्थ जनतन्त्र की परम्परा की नींव हम डालेंगे यदि जो डिसीज़न जुडिशियल सुप्रीम ऑथोरिटी के हो गये हैं उनको हम मानेंगे तो। जुडिशियरी किसी के राइट्स की गारन्टी करती है तो लेजिस्लेचर का यह एक परम कर्त्तव्य है उनके डिसीज़न्स को विथ-ड्यू-रेस्पेक्ट, डेफरेन्स और ऑनर से ट्रीट करें। अगर मेजोरिटी की वजह से आप चेन्ज कर देंगे और मेजोरिटी को चेन्ज करना पड़ेगा। क्योंकि न मेजोरिटी को यह मालूम है कि कितने केसेज़ इफेक्ट होंगे और न सदन को यह मालूम है कि इन्डिविजुअल कितने केसेज़ हैं जिनको लेजिस्लेटिव असेम्बली में वेलीडेट किया जा सकता है। तो मेजोरिटी

(श्री श्रीमानसिंह)

का यह सदुपयोग नहीं है। इसके बारे में सदन को सोचना पड़ेगा कि एक तरफ हम जहां डेमोक्रेसी से ऑर्डिनेन्स की पावर्स ज्यादा गवर्नमेंट काम में लाती है तो उस तरफ हम जनतन्त्र की अवहेलना करते हैं और दूसरी तरफ जनतन्त्र में एक मशीनरी प्रोवाइड की गई है जुडिशियरी जिसको कि इम्पार्शियल, इन्डिपेन्डेन्ट और सब तरह की नजर से उसको देखते हैं और यह एडजेक्टिव्ज़ काम में लाते हैं, उस जुडिशियरी के डिसीजन्स लेजिस्लेचर बदलता गया तो यह जरूरी हो जायगा कि जनता का हाई कोर्ट के अन्दर कॉन्फीडेन्स नहीं रहेगा मगर लेजिस्लेचर के अन्दर ज्यादा कॉन्फीडेन्स रहेगा। आगे चल कर यह भी मांग हो जाय कि हाई कोर्ट के पावर्स को एज्यूम कर लें। आखिर आज भी हम एक कॉमन मैन को देखते हैं, मैं बहुत से आदमियों को जानता हूँ कि जो यह कहते हैं कि हमारी हाई कोर्ट के जज को सिफारिश कर दें। क्यों? क्योंकि वे यह जानते हैं कि लेजिस्लेचर हाई कोर्ट के फैसलों को रद्द कर सकता है। दूसरे कानून बना सकता है। इस तरह से हाई कोर्ट से जनता का कॉन्फीडेन्स चला जाय और अगर लेजिस्लेचर ही जुडिशियल बॉडी बन जाने लगे और दोनों फंक्शन एज्यूम कर ले तो यह लेजिस्लेचर के लिए अच्छा हो सकता है, लेजिस्लेचर के इन्डिविजुअल मेम्बर्स के लिए अच्छा हो सकता है मगर जनतन्त्र के लिए अच्छा नहीं हो सकता। न यह जनतन्त्र का सिद्धान्त है और न जनतन्त्र के लिए हम अच्छी परम्परा डाल रहे हैं। इस एंगिल से यह देखा जाय तो मेरी कम से कम यह राय है कि हजारों केसेज़ को नुकसान पहुंच सकता है मगर जनतन्त्र के मूल सिद्धान्त को नुकसान नहीं पहुंचे यह देख कर हमको कदम लेना पड़ेगा।

फिर यह कहना कि हजार आदमियों को नुकसान होगा। मैं यह कह सकता हूँ कि उनमें १००, १५० आदमी ऐसे होंगे जिनको कि लेजिटिमेटली नुकसान होना चाहिए। हजार आदमियों के परमिट्स कैन्सिल हो जाते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो इस डिपार्टमेन्ट की रेप्यूटेशन है, करप्शन, फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म व कास्टिज्म की वह अनर्थ हो जायगी। एक सबसे ज्यादा मिस्ट्री अनर्थ हो जायगी। मैं यह कहता हूँ कि इस डिपार्टमेंट को क्यों रीकॉन्स्टीट्यूट किया? और अगर रीकॉन्स्टीट्यूशन के अन्दर पुराने आदमियों को सबको हटा दिया गया है मगर जयपुर डिविजन में एक ऑनरेबल मेम्बर को कोई नोमीनेट करते हैं जो कि यहां के मेम्बर हैं और नोमीनेट करने के लिए आपको भरतपुर से श्री हरिसिंह ही मिले थे। एस. टी. ए. के लिए श्रीमती सुमित्रा देवी ही मिली थीं नोमीनेट करने के लिए. With due apologies to the Hon'ble madam present here but this is an indication, a pointer नोमीनेट करने के लिए यही थे। सारे जयपुर डिविजन के अन्दर इन पर्सन्स के अलावा इस ट्रान्सपोर्ट के मुद्दे को समझने के लिए, ट्रान्सपोर्ट की नॉलेज रखने वाला कोई और दूसरा व्यक्ति ही नहीं था। भरतपुर से श्री हरिसिंह ही हो सकते हैं। आखिर क्या स्टेंडिंग है उनका लॉ के अन्दर? पब्लिक के अन्दर उनकी क्या स्टेन्डिंग है? उनका एक्सपीरियेन्स क्या है? सारे डिविजन में ये दो ही व्यक्ति थे?

श्री भैरोंसिंह : (श्रीमाधोपुर) उनकी क्वालिफिकेशन है बी० ए० एलएल० बी.।

Page No.62

श्री श्रीभानसिंह : क्वालिफिकेशन होगी बी० ए० एलएल० बी०। मैं यह कहता हूँ कि रीकॉन्स्टीट्यूशन के अन्दर जब इस तरह के मेम्बर बनते हैं, मैं मेम्बरों को इस बात के लिए दोष नहीं देता हूँ। दोष मन्त्री महोदय का है। मैं मि० रामजी काक को बधाई देता हूँ कि जिन्होंने रेजिगनेश दे दिया था लेकिन मन्त्री महोदय ने उनको फिर भी रिलीव नहीं किया था। इस तरह से रीकॉन्स्टीट्यूशन को इन्वेलीडेट कराने के अन्दर यही व्यक्ति प्रेजेन्ट रहते है। ट्रान्सपोर्ट बॉडीज के अन्दर श्रद्धा कैसे हो सकती है? किस आदमी को इस तरह की बॉडी पर श्रद्धा हो सकती है कि आखिर यह क्या है? अभी कुछ चन्द महिने पहले........

श्री नाथूराम मिर्धा (मंत्री यातायात): श्रीश्रीभानसिंहको रखें तो हो सकती है श्रद्धा?

श्री श्रीभानसिंह : आप जरा बिराजियेगा। श्रीभानसिंह में आप से ज्यादा श्रद्धा होगी। मैं गारन्टी के साथ कह सकता हूँ कहीं भी रख दें। आप जरा धैर्य रखें। एन्ड में मैं कह दूँ कि यही सुझाव देनेवाला हूँ कि आप के पास पोर्टफोलिये बहुत ज्यादा हैं इसलिए उनको कम किया जाय। आपका एकाध पोर्टफोलियो किसी दूसरे मिनिस्टर को दिया जाय। आखिर यह सुझाव है जो कि बाद में आयेगा अगर आप शान्ति से बिराजेंगे तो...

श्री नाथूराम मिर्धा : वह पोर्टफोलियो लेकर आपको सौप दें?

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न आपके देने का नहीं है। आपके छोड़ने का है।

श्री श्रीभानसिंह : लेने वाले बहुत मिल जायेंगे। मैं शायद नहीं हूँ लेकिन बहुत हैं आपके साथी।

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : आपको देदेंगे तो..........

श्री श्रीभानसिंह : आप भी तैयार हैं लेने के लिए।

माननीय उपाध्यक्ष, मैं समझ नहीं सका कि मन्त्री महोदय ने क्यों एक दम नाराज होकर कहा कि आपको पोर्टफोलियो देदें?

श्री नाथूराम मिर्धा : उनकी वजह से तो रेप्यूटेशन खराब है और अगर आपको देदें तो ठीक हो जायेगी।

श्री श्रीभानसिंह : आर० टी०ए० और एस० टी० ए० की जो रेप्यूटेशन है उसके लिए मैं दावे के साथ कहता हूँ कि परमिट्स टेलीफोन पर मिलते हैं। कोई भी अभी तक परमिट्स मेरिट पर नहीं मिलता है। सब टेलीफोन पर मिलते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह कौन टेलीफोन करता है? किसके टेलीफोन पर मिलते हैं? यही तो मैं जानना चाहता हूँ।

श्री श्रीभानसिंह : यह मैं नहीं कह सकता हूँ।

श्री भैरोंसिंह : इनसे ज्यादा तो आप जानते होंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा : नहीं, मैं नहीं जानता हूँ इसीलिए तो पूछ रहा हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : Let us drop these telephone messages and come to the Bill itself.

श्री श्रीभनसिंह : There was one letter written to the Hon'ble Minister but that slipped from my hands, otherwise I would have produced it. When permits were being given in Bhartpur and Cama. That letter I would have produced.

मैं कहना चाहता हूँ कि जिस वक्त में भरतपुर से पहाड़ी के परमिट्स मिल रहे थे तो शायद माननीय श्री आबिदअली इस बात का सबूत देंगे कि some member rang me up from Ajmer and said कि साहब यहां पर परमिट्स सिफारिश से मिल रहे हैं इसलिये जब तक सिफारिश नहीं होती तब तक नहीं मिलेगा। आजकल ऐसी बातों के लिये ट्रन्क कॉल करने के लिये भी आदमी नहीं शर्माते और कहते हैं कि किसी भी तरह से सिफारिश करके परमिट दिलवाईये क्योंकि बिना सिफारिश के नहीं मिलता है। यह रेपुटेशन है आपकी। आप चाहे नाराज हों उसकी मुझे चिन्ता नहीं है लेकिन इसलिये कहता हूं कि आपको सुधारना पड़ेगा और स्ट्रोंग कदम लेना पड़ेगा और करप्शन को रूट-आउट करना पड़ेगा। यहां मैं पर्सनेली आप पर या किसी ऑफिसर विशेष पर आरोप नहीं लगाना चाहता लेकिन यह मानना पड़ेगा कि जिन डिपार्टमेन्ट्स में करप्शन के लिये थोड़ी भी जगह है उन डिपार्टमेन्ट्स में घातक चीजें बढ़ती जारही हैं। उनको आप इग्नोर करते रहें केवल फाल्स प्रेस्टिज के लिये कि यह डिपार्टमेन्ट मेरे नीचे है इसलिये इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, अगर आप यह व्यू लें तो एक दिन वह आयेगा जब कि आप कन्ट्रोल नहीं कर सकेंगे। इसलिये मैं बता रहा था कि आपको रीकॉन्स्टिट्यूट करना चाहिये और उसमें ऐसे मेम्बर्स लाने चाहिये जो ईमानदार हों। आखिर राजस्थान में डेढ़ करोड़ जनता है उसमें क्या आपको ओनेस्ट आदमी नहीं मिल सकते ? माना कि आपने नोन ऑफिशियल्स को भी रख लिया लेकिन ट्रान्सपोर्ट कमीशन गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया ने बनाया उसने यह सिफारिश की थी कि एक पोलिटिशियन इम्पार्शियल नहीं रह सकता। एक मेडम का नाम रख लिया। पोलिटिशियन का पार्टी एफिलियेशन होता है, उसकी कांस्टीट्युएन्सी का एफिलियेशन होता है और विलेज का एफिलियेशन भी होता है और वह अपने एफिलियेशनवालों की मदद हर तरह से करने की कोशिश कर सकता है। इसलिये मैंने यह बात कही है। इसलिये नहीं कि मैं आप पर या किसी पर चार्ज लगा रहा हूं। मैंने एक पोलिटिशियन की हैसियत से कहा था कि जो स्टेन्डर्ड ऑब्जेक्टिवली देखने को होना चाहिये वह उनमें नहीं हो सकता। जो आदमी सब्जेक्टिव टू पोलिटिकल इन्फ्ल्यूएन्स है वह इम्पार्शियल नहीं हो सकता। इसलिये हमको चाहिये कि जो लोग पोलिटिशियन्स नहीं हैं और जो ईकोनोमिस्ट हैं या जो जुडिशियल एक्सपीरियेन्स रखते हैं और जो लॉ पढ़े हुए हैं, जानकार हैं इस तरह के आदमियों को रखना चाहिये। इसी तरह से मैंने हरिसिंहजी का नाम लिया। ठीक है, गवर्नमेन्ट या आपको दृष्टिकोण से अच्छे आदमी हो सकते हैं लेकिन भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में ही देखा जाय तो उनसे अच्छी रेपुटेशन के, बैटर क्वालिफाईड और बेटर स्टेन्डिंग के और तजुर्बेकार लोग भी मौजूद हैं। आपने एक यंग आदमी को लिफ्ट दिया. मैं उसकी बुराई नहीं करता लेकिन जो पब्लिक में हेलोनैस पैदा नहीं कर सकता, जो

Page No.64

(श्री श्रीभानसिंह)

पब्लिक में रेपुटेशन गेदर नहीं कर सकता उस टाईप को लेने के बजाय उन आदमियों को लेते जो रेपुटेशन गेदर कर सकते हैं तो ज्यादा अच्छा होता। रीकॉन्स्टिट्यूट करते समय ऐसे आदमियों को लेते तो रेपुटेशन बढ़ता। इसको आपने नहीं देखा। कमीशन ने जो रिपोर्ट सबमिट की उसको भी आपने नहीं देखा। कमीशन ने कहा था कि वन मैन आर० टी० ओ० बॉडी होनी चाहिये। मैं यह जानना चाहता हूं कि कमीशन की रिकमेंन्डेशन का फायदा क्यों नहीं उठाया गया? आपको कमीशन की रिकमेंन्डेशन को इग्नोर नहीं करना चाहिये था। आखिर आपने गवर्नमेंट लेवल या केबिनेट लेवल पर सोचा होगा। उसकी रिपोर्ट मेरे पास है आप ले सकते हैं................

श्री नाथूराम मिर्धा : जिस रिपोर्ट का आप जिक्र करते हैं उसकी रिकमेन्डेशन बहुत ज्यादा डिस्प्यूटेड हैं। इस पर डेवेलपमेंट कौंसिल में विचार किया गया और यह तय पाया कि उसकी रिकमेन्डेशन बहुत ज्यादा डिस्प्यूटेड हैं इसलिए उसको आइडियल नहीं मान सकते........

श्री भैरोंसिंह : डवेलपमेंट कौंसिल की राय डिस्प्यूटेड है क्या?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं खुद उसकी पहली मीटिंग में शरीक हुआ था। उसके कई मुद्दे डिफेक्टिव हैं। इसके बारे में सबकी डिफरेन्ट राय है।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलुम्बर): श्री चन्दनमलजी भी उसके मेम्बर थे।

श्री नाथूराम मिर्धा : उन्होंने राय दे दी।

श्री श्रीभानसिंह : डिस्प्यूटेड के बारे में तो मन्त्रीजी हाउस में उत्तर देंगे तब जवाब देंगे लेकिन क्या कमेटी की रिपोर्ट आर. टी. ए. और एस. टी. ए. के मेम्बर्स हैं उनसे ज्यादा डिस्प्यूटेड है?.... ..

श्री नाथूराम मिर्धा : यह आपका ख्याल है।

श्री श्रीभानसिंह : फिर भी गवर्नमेंट को ध्यान रखना चाहिये था। वन मैन आर-टी० ए० रखने की रिपोर्ट के मैं फेवर में हूँ। जितने परमिट्स दिये जाते हैं वे किस तरह से दिये जाते हैं, यह सब लोग जानते हैं। तीन दफा पिछले महीने मीटिंग पोस्टपोन हो चुकी है, फ्रस्टरेशन होता है, कोरम भी पूरा नहीं होता क्योंकि जो डी०-आई० जी० वहां पर थे वे स्पेशल आई०जी० एन्टीकरप्शन हो गये और उनकी जगह पर दूसरे गये उनके ऑर्डर्स नहीं निकाले गये। कमिश्नर साहब का भी ट्रान्सफर हो गया। ये कॉम्पलीकेशन्स होते हुए भी नोटिफाई कर दिया कि फलां दिन मीटिंग होगी। दूसरे लोग आये लेकिन कोरम पूरा नहीं हुआ। आर०-टी० ए० पब्लिक इन्ट्रेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए है और इसीलिये आप डिविजन्स में इसका निर्माण करते हैं और जब पब्लिक इन्ट्रेस्ट को सेफगार्ड करने का है और मीटिंग नहीं होती है ड्यू टू वान्ट ऑफ कोरम तो किस तरह से पब्लिक का हित सुरक्षित रह सकता है? वन मैन कमीशन के लिये एक्सपीरियेन्स्ड सोलिड आदमी मिल सकता है। हम नोनऑफिशियल मेम्बर्स को रखना चाहें तो हम अखबार में पढ़ते हैं कि आज मुख्य

Page No.65

(श्री श्रीमानसिंह)

मन्त्री जी ने चैम्बर आॅफ कोमर्स को एड्रेस किया या फूड मिनिस्टर ने ट्रेड एसोसियेशन को एड्रेस किया। जब ये एसोसियेशन्स मौजूद हैं तो क्या इनके रिप्रेजेन्टेटिव्ज में से ऐसा कोई नहीं है जो ट्रान्सपोर्ट को एन्लाइट कर सके, हैल्प कर सके या एडवाइज कर सके? जो एसोसियेशन्स ट्रान्सपोर्ट में इन्ट्रेस्टेड हैं उनकी यूनियन्स मौजूद हैं। हम उनको बाई पास करते हैं और इन्डिविज्युअल्स को प्रेफर करते हैं जो न तो कॉमर्स या ट्रेड यूनियन्स या रूरल एरिया को रिप्रेजेन्ट करते हैं बल्कि पर्सनल इन्ट्रेस्ट को रिप्रेजेन्ट करते हैं और यदि पर्सनल इन्ट्रेस्ट को ही पब्लिक इन्ट्रेस्ट माना जाय तो मैं इसको कभी भी नहीं मान सकता। जब इस बॉडी को रीकॉन्स्टिट्यूट करने का आपको मौका मिला तो आपको ट्रान्सपोर्ट रीआॅर्गेनाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट को मानना चाहिये था और उसके अनुसार काम करने का मौका देना चाहिये था।

फिर बात यह है, मैं मान कर चलता हूँ कि यह कहाँ तक सच है यह नहीं कह सकता, मन्त्रीजी किसी न किसी तरह से किसी न किसी केपेसिटी में इस आॅर्गेनाइजेशन में रहना चाहते हैं। वे इसमें रहना चहते हैं तो मैं नहीं समझता यह कहाँ तक उचित है? यदि ये बॉडिज पॉलिसी फ्रेम करतीं तो मैं समझता कि उनका रहना जरूरी था लेकिन पॉलिसी मेकिंग बॉडी इनमें से कोई नहीं है न आर. टी. ए. है, न एस. टी. ए. है और न अपेलेट आॅथेरिटी है तो मन्त्रीजी को एस. टी. ओ. से हाई कोर्ट ने हटाया तो अपेलेट आॅथेरिटी में रहना क्यों पसन्द करते हैं? या तो यह कि उन्होंने इसको प्रेस्टीज पोइन्ट बना लिया है जिसकी वजह से उधर से हाई कोर्ट ने हटाया तो अपेलेट आॅथेरिटी में जा बैठे। बट वाई? हाउस यह जानना जरूर चाहता है कि आप उसमें क्यों रहना चाहते हैं? आखिर अपेलेट आॅथेरिट में भी जुडिशियल एक्सपीरियेन्स की जरूरत है। मैं आपकी जुडिशियल नॉलेज को चैलेन्ज करता हूँ। आपको लीगल नॉलेज हो सकती है, लीगल एक्सपीरियेन्स हो सकता है लेकिन आप में जुडिशियल एक्सपीरियेन्स नहीं हो सकता। जुडिशियल एक्सपीरियेन्स के लिए एक जज की जरूरत है, एक जज के एप्रोच की जरूरत है। जुडिशियल एक्सपीरियेन्स इम्पार्शियल और कॉम्पलेसाइट होता है और वह एक्सपीरियेन्स किसी पोलिटिशियन में होना मान कर नहीं चल सकते और वह भी उसमें जिसका पार्टी एफिलियेशन है नहीं मान सकते। इसलिये मैं निवेदन करूँगा कि आप अपने आपको अपेलेट आॅथेरिटी से विथड्रा करें।

२ म. प.

(श्री मुरलीधर व्यास, सभापति पदासीन)

(करतल ध्वनि)

माननीय चेयरमैन, जैसा कि एक माननीय सदस्य ने हाउस का ध्यान आकर्षित किया, वह इस प्रकार किया कि मंत्री लीगल क्वालिफाइड हैं न कि लीगल एक्सपीरियेंसड हैं तो डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी ने सेन्ट्रल को लैटर क्यों लिखा और डिफरेन्सियेट कैसे किया कि One is a Minister for the Transport and one is Mr. Nathu Ram Mirbha...............

(श्री श्रीमानसिंह)

तो शायद गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया से जो लैटर आते जाते होंगे, क्योंकि होम मिनिस्टर यहां बैठे हुए हैं, वे बतायेंगे वे होम मिनिस्टर के नाम से जाते होंगे, श्री रामकिशोर व्यास, होम मिनिस्टर के नाम से। सो एण्ड सो लिख दिया। फिर गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया को लैटर लिखने की क्या जरूरत पड़ी, जो नाथूराम मिर्धा, बी. ए. एलएल. बी., एम. ए. एलएल. बी. के नाम से गया। यह हो सकता है कि इसमें एक दो एक्सप्लेनेशन मिनिस्टर दे सकते हैं कि जुडिशियल एक्सपीरियेन्स की बात आज तक कन्फ्यूजन में रही कि एलएल. बी. क्वालिफाइड लीगेली एक्सपीरियेंसड हैं। यह चीज आज तक कॉम्प्लीकेटेड रही। अगर किसी ने लॉ पास कर लिया तो वह क्वालिफाइड है। मगर अगर यह कन्फ्यूजन होता तो उनको यह लिखने की जरूरत नहीं थी। वे यह लिख सकते थे that the Hon'ble Minister for Transport is qualified in law.

मगर यह लैटर है, यह कॉरसपोन्डेंस है There is a difference between the Minister for Transport and an individual.

यह कॉरसपोन्डेन्स बिटविन इन्डीविजुअल होती तो इन्डीविजुअल केपेसिटी में भेजते, श्री नाथूराम मिर्धा, चेयरमैन ऑफ एस. टी.-ए.तो आखिर कुछ सर्कमस्टान्सेज क्लीअर हो जाती कि आपकी नॉलेज में यह चीज थी कि गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया ने अमेडमेंट किया है, यह आपकी नॉलेज में था या नहीं।

अब जैसा कि मैंने कहा कि रोड ट्रान्सपोर्ट कमीशन की रिकमन्डेशन के बारे में कुछ बताना चाहता था लेकिन यह इसके स्कोप में नहीं आती। मगर मैं एक रिकमन्डेशन की तरफ माननीय होम मिनिस्टर, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर के थ्रू सरकार को यह कमेटी का सजेशन जरूर बताना चाहूंगा। हम देखें कि आज जिस तरह के प्लानिंग युग में हम हैं उसमें ट्रांसपोर्ट का महत्व है क्योंकि ट्रांसपोर्ट पॉलिसी एडजस्ट होती है, फर्स्ट, सैकिंड और थर्डप्लान से। इसे देखते हुए कमेटी ने रिकमेन्ड किया है कि पी. डब्ल्यू. डी. और ट्रांसपोर्ट के जो पोर्ट फोलियोज हैं वे एक्सक्लूजिवली एक पर रहने चाहिये। हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर के पास एग्रीकल्चर है, फोरेस्ट भी है। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट और पी. डब्ल्यू. डी. के दोनों पोर्टफोलियोज रहते हुए मैं नहीं जान सकता कि किस तरह इन पोर्ट फोलियोज को अफीसियेन्टली मैनेज कर सकते हैं। अगर अफीसियेन्टली मेनेज करने की क्वालिफिकेशन और टाइम होता और एक दो पोर्टफोलियो के इन्चार्ज होते तो ट्रांसपोर्ट और पी. डब्ल्यू. डी. में जो सेन्ट्रल का अमेडमेंट हुआ वह उनके ध्यान में आ जाता। वे ट्रांसपोर्ट की ओर ध्यान नहीं दे सके और जब अपील आई तो उसका ध्यान गया। उस समय ध्यान दे दें तो पी. डब्ल्यू. डी. का जो वर्क है रोड और ट्रान्सपोर्ट का उसमें कॉपरेशन नहीं करा सकते यानि कॉपरेशन को हैल्प नहीं कर सकते और कॉपरेशन की तरफ ध्यान दें तो एग्रीकल्चर का वर्क नहीं हो सकता। नतीजा यह है कि हर एक डिपार्टमेंट का वर्क सफर कर रहा है क्योंकि यह ह्यूमनली इम्पोसिबल है, बियोन्ड केपेसिटी इतने कॉन्ट्रेडिक्टरी डिपार्टमेंट हैं उनको एक मिनिस्टर मेनेज करे और अफीसियेन्टली मेनेज कर ले यह इम्पोसिबल है। अब जो रोड कमीशन का सुझाव है उसके अनुसार अगर माननीय मन्त्रीजी ट्रांसपोर्ट लेना चाहें,

Page No.67

(श्री श्रीमानसिंह)

ट्रांसपोर्ट और पी. डब्ल्यू. डी. को एक में रखें जिससे अच्छी तरह टाइम दे सकें। लेकिन जैसा कमेटी ने कहा कि इन्डीविजुअल मिनिस्टर पोर्टफोलियो रखे पी. डब्ल्यू. डी. और ट्रांसपोर्ट का तो उनका एक सजेशन है जिसमें माननीय मन्त्री के द्वारा, माननीय होम मिनिस्टर के द्वारा, चीफ मिनिस्टर तक पहुँचना चाहता हूँ.... वैसे रयूमर जो परसों तक थी कि बस ऑपरेटर्स माननीय मन्त्रीजी को एट-होम देने के लिए फंड कलेक्ट कर रहे हैं... कि आप एक पोर्टफोलियो रखें और चार, पांच दूसरे मिनिस्टरों को दे दें जिससे जो ट्रांसपोर्ट पॉलिसी गलत हो रही है, क्रिटिसिज्म हो रहा है, गलती हो रही हैं, उनके लिए होल्ली टाइम डिवोट कर सकें और कन्ट्रोल कर सकें। आखिर जो क्रिटिसिज्म होते हैं वे बैर से या दुश्मनी से नहीं होते हैं, उनमें कुछ तथ्य हैं। एक माननीय सदस्य ने बताया कि इसके ऑफिस तक खुल गए हैं, परमिट इन्फ्लूएन्सल आदमी लेते हैं और वे सेल कर देते हैं। अभी एक रीसेन्टली भरतपुर में केस चल रहा है, भरतपुर और आगरा रोड का। इस तरह के कई और केसेज हैं जिनमें लोगों ने परमिट लिये और बेचे हैं। तो जो ये कमियाँ हैं इन कमियों को तभी दूर कर सकते हैं जब कि एक मैन आर. टी. ए. हो और जुडिशियल एक्सपीरियेन्सड आदमी हो। वह एस. टी. ए. का मेम्बर होना चाहिए। मैं नहीं समझता कि अपीलेट ट्रिब्यूनल की क्या जरूरत है? अगर लाजिमी है तो उसमें जुडिशियल आदमी होने चाहिए। अगर उसमें पोलिटिसियन इन केपेसिटी ऑफ मिनिस्टर, इन केपेसिटी ऑफ एम. एल. एज. या लॉकल बोडीज के आदमी गए तो जहाँ पोलिटिसियन होंगे, वहां प्राइवेट इन्ट्रेस्ट सामने आयेगा, पब्लिक इन्ट्रेस्ट सामने आयेगा और फिर प्राइवेट इन्ट्रेस्ट जीत जायेगा।

इन सब दृष्टिकोणों को रखते हुए मैं निवेदन करूंगा कि जिन केसेज को वेलीडेट कर रहे हैं उनको अलोबोरेट करें। अजमेर बस रूट पर क्या था? भरतपुर रूट पर क्या था? क्यों किया था? कब अमेंडमेंट ध्यान में आया? क्यों इतना टाइम लगा? चेंज होनी चाहिए थी, वह लॉ डिपार्टमेंट से क्यों नहीं कराई या ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर चेंज नहीं कराना चाहते थे? इन सब सर्कम्सटान्सेज को अलोबोरेट करें ताकि हाउस के सामने क्लीअर पिक्चर हो और वेलीडेट किया जाय। यह क्लीअर पिक्चर न हो और क्योंकि मेजोरिटी है इसलिए जो ऑर्डिनेन्स कर दिया है उसको जल्दी पास कराना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि यह जनतन्त्र के लिए ठीक नहीं है। हाई कोर्ट भी कहेगा कि हम जनता के हक की रक्षा करते हैं और लेजिस्लेचर उसको रद्द करने के लिए कानून बना देता है। यह कहां तक ठीक है इससे जनता में कहां तक कॉन्फीडेन्स रहेगा? इन सब बातों पर मन्त्री महोदय एक डेढ़ घंटे में विचार रखेंगे तो भले ही मेरे सामने क्लीअर पिक्चर आ सकती है। इस वेलीडेशन बिल से मेरी काफी कन्फ्यूज्ड थिंकिंग हो गई है और सर्कम्सटान्सेज मेरे सामने नहीं हैं। अन्त में मैं यही निवेदन करते हुए अपने विचार हाउस के सामने रख देता हूँ।

श्री सभापति : श्री पी. के. चौधरी।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : सभापति महोदय, इस वेलीडेशन बिल के संबंध में मैं चाहूंगा कि सदन के मेम्बर्स डिसपेसनेटली विचार करने की कोशिश करें आया यह वेली-

Page No.68

(श्री पी. के. चौधरी)

डेशन बिल लाना जरूरी था या नहीं ? जरूरी था तो क्यों जरूरी था ? अगर हमको इसको लाना ही था तो इसके फार रीचिंग कॉन्सी-क्यूएन्सेज क्या हो सकते हैं ?

सबसे पहले, सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि हाई कोर्ट का जो निर्णय था उसको मैंने वेलकम किया है और मैं समझता था कि इस निर्णय से कम से कम जो दिए हुए परमिट हैं वे कैंसिल हो जाते हैं और उससे गवर्नमेंट को क्लीन मामला मिलता है। मिसाल के तौर पर अजमेर-जयपुर का डाईरेक्ट रूट नहीं है, जयपुर-कोटा का डाईरेक्ट रूट नहीं है, कोटा-अजमेर का डाईरेक्ट रूट नहीं है। यह इसलिए नहीं है कि पुराने परमिट होल्डर्स थे, उनके परमिट थे, कोटा-देवली, अजमेर-देवली, जयपुर-देवली, देवली-कोटा और उनकी टर्म्स और कन्डीशन्स ऐसी थी जिसकी वजह से डाईरेक्ट परमिट सरकार नहीं दे सकती है, कानूनी अड़चन आती है। लेकिन आज जब हाई कोर्ट के डिसीजन की वजह से सारे के सारे परमिट जो डाईरेक्ट रूट पर पीस मील, बाई फर्केट परमिट थे वे कैन्सिल हो जाते हैं और एक मौका मिलता है जिसमें हम डाईरेक्ट रूट के परमिट इस फैसले का फायदा उठा कर दे सकते थे। मैं समझता हूँ कि पब्लिक इन्ट्रेस्ट में यह रहता जब सारे पुराने परमिट कैंसिल हो जाते तो नये परमिट इश्यू हो जाते। अजमेर से जयपुर डाइरेक्ट परमिट हो जाता। अजमेर से कोटा डाइरेक्ट परमिट इश्यू हो जाता। जहां जहां बाई फर्केटेड रूट्स हैं, एक रूट पर दो, तीन टुकड़ों में परमिट हैं और चूंकि तीन साल के परमिट दे चुके थे इसलिए डाईरेक्ट परमिट जो पब्लिक कन्वीनियेन्स के लिए हैं वे नहीं दिये जा सकते थे अब एक मौका मिला है कि उन सारे परमिटों के कैन्सिल हो जाने की वजह से आप डाइरेक्ट परमिट इश्यू कर सकते थे।....

मुझे याद है इस सदन में हमने इस सवाल को उठाया था कि क्यों नहीं जयपुर-अजमेर, जयपुर-कोटा के बीच डाईरेक्ट परमिट दिये जाय ? जहां तक मेरी मेमोरी मेरा साथ देती है मुझे याद है मन्त्री महोदय ने उत्तर दिया था कि कानूनी दिक्कत है। पेरेलल रूट्स पर डाईरेक्ट परमिट नहीं दे सकते। परमिट नहीं देते तो मैं मानता। इस फैसले के बाद रास्ता साफ होता कि परमिट नहीं दे सकते।

दूसरी बात यह है कि एग्जीक्यूटिव के किसी एक्शन को जुडिशियल ऑथोरिटी हाई कोर्ट या कोई भी कोर्ट गैर कानूनी, अल्ट्रावायर्स करार देता है, उसको फिर वेलिडेट करना, लेजिस्लेशन लाकर उस अधिकार को इस्तेमाल करके जो जुडिशियल डिसिजन है उसको कन्ट्राडिक्ट करना कहां तक डेमोक्रेसी के लिये प्रोपर है ? इसके लिये माननीन सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान लॉ कमीशन की रिपोर्ट की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। हिन्दुस्तान का लीगल स्टेज डवेलप हुआ है वह लॉ कमीशन की रिपोर्ट पर। ब्रिटिशर्स ने जो लीगल स्टेट्स को इतना डवेलप किया वह ४ लॉ कमीशन्स अपोईन्ट करके उनके सुझाये हुए रास्ते पर लीगल सिस्टम को मान कर डवेलप किया है।

हमारे यहां पर इन्डिपेन्डेन्स आने के बाद डेलिगेटेड डेलिगेशन होना शुरू हुआ तब देश में मांग हुई कि अभी जो लीगल पोजिशन है उसको फर्दर एग्जामिन करने के लिये लॉ कमीशन अपोईन्ट किया जाय। इसको सेंट्रल

(श्री पी. के. चौधरी)

गवर्नमेंट ने माना और लॉ कमिश्नर अपोइन्ट किया। लॉ कमीशन ने जुडिशियल डिसिजन्स को बाई पास करने का रूल मेकिंग पावर्स को बाई पास करने का इवेड करने के लिये स्ट्रीगेस्ट पोसिबल वे में बायकाट किया है। हिन्दुस्तान में पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी को पनपाना है तो अबाउट लीगल इन्टरप्रिटेशन, जुडिशियरी के, हाई कोर्टस् के डिसिजन होते हैं उनको गवर्नमेंट को किसी भी तरह अवोइड नहीं करना चाहिये बल्कि जुडिशियरी को सब्मिट करना चाहिये before that superior position.

तभी हमारी पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी अच्छी तरह से चल सकती है। एग्जीक्यूटिव ऑथेरिटी अपने पावर्स का दुरुपयोग करती है, लॉ का मिसइन्टरप्रिटेशन करती है इसलिये जुडिशियरी की व्यवस्था रखी है कि हिन्दुस्तान की जुडिशियरी एग्जीक्यूटिव को....

Whenever they digest...

लॉ की प्रेमिसेस है उसके बाहर जाता है तो लॉ को इन्टरप्रेट करता है

Whether it is legal or illegal.

लीगल है कि इल्लीगल है यह पावर हमारे कॉन्स्टीट्यूशन ने एग्जीक्यूटिव को नहीं दिया है जुडिशियरी के ऊपर यह काम दिया है। इसीलिये इन्डिपेन्डेन्ट जुडिशियरी मेंटेन करते हैं। इसलिये करते हैं........

Whenever the Executive slips away from the legal path.

कानून के रास्ते से स्खलित हो जाते हैं तो जुडिशियरी करेक्ट इन्टरप्रिटेशन ऑफ लॉ देती है। लॉ का इन्टरप्रिटेशन जुडिशियरी देती है तो वह लेजिस्लेशन चाहे किसी ने किया हो उसको मानना चाहिये... according to the interpretation of the law Court. What was the intention of the Legislature in passing a particular legislation, they see.

तो कोई भी कोर्ट इन्टरप्रिटेशन देता है तो सब चीजों को ध्यान में रख कर देता है, इसको हमें मानना चाहिये। पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी सिर्फ कॉन्स्टीट्यूशन से नहीं चलती है इसके लिये इंग्लैंड के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा था :

You can expose the Constitution but you cannot expose the Parliamentary Democracy. Parliamentary Democracy flourishes on conventions and not on the Constitution.

क्योंकि पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी फ्लोरिशेज हो, इंग्लैंड के कॉन्स्टीट्यूशन को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं पर कन्वेंशन्स को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते।

Convention is developed by itself in a country.

तो अब हमको पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी को पनपाना है तो हमें हैल्दी कन्वेन्शन्स को पनपाना चाहिये और वे कन्वेन्शन्स यह होने चाहिये कि जुडिशियरी का जो फैसला हो उसे मंजूर करना चाहिये। उसको बाई पास करने के लिये दूसरा वेलिडेटिंग लेजिस्लेशन नहीं लाना चाहिये। यह जो नोटिफिकेशन है उसमें ट्रान्सपोर्ट की अपीलेंट ऑथेरिटी है उसके लिये निकाला है कि ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर रहेंगे, राजस्थान के लीगल रिमेम्ब्रेन्सर एस.-

Page No.70

(श्री पी. के. चौधरी)

टी. ए. का चेअरमैन होगा। इसको अपीलेट ऑथेरिटी बनाया है......

I have no words to condemn this action of the Government.
स्ट्रोंगेस्ट पोसिबल वर्ड्स में इसको कन्डेम करना चाहिये।

१९५६ में मोटर विहिकल्स एक्ट का अमेंडमेंट हुआ था। मैं पढ़ कर सुना देता हूँ, पहला अमेंडमेंट है :

In Section 44 of the Principle Act—

(a) in sub—section (2)

(i) for the words "such member of officials and non-officials as the State Government may think fit to appoint" the words "a Chairman who has had judicial experience and such other officials and non-officials not being less than two as the State Government may think fit to appoint" shall be substituted.

यह पहले का जो इसका प्रोविजन था ट्रान्सपोर्ट ऑथेरिटीज अपोइन्ट करने का उसमें जुडिशियल एक्सपीरियेन्स का नहीं था। पर फिर पार्लियामेंट ने देखा कि एस. टी. ए., आर. टी. ए. का काम ऐसा है कि जुडिशियल एक्सपीरियेन्स होना चाहिये.... Who can assess the facts like a Judge? पार्लियामेंट ने देखा १९३९ में मोटर विहिकल्स एक्ट पास हुआ। इतने वर्षों का उनको एक्सपीरियेन्स हुआ कि आर. टी. ए., एस. टी. ए. के फंक्शन में कुछ गड़बड़ हो रही है नहीं तो लेजिस्लेचर की कोई जरूरत नहीं होती। जो कानून हम पास करते हैं उसमें चेन्ज तभी लाते हैं जब कि हमें महसूस होता है कि इसमें खामियाँ हैं।

पार्लियामेंट ने मोटर विहिकल्स एक्ट को अमेंड किया। पहले क्वालिफिकेशन नहीं रखी थी कि जुडिशियल एक्सपीरियेन्स का चेअरमैन हो पर बाद में उन्होंने १० साल के एक्सपीरियेन्स के बाद, जो उन्होंने १०साल का फंक्शन देखा इससे उनको महसूस हुआ कि आर. टी. ए. और एस.टी. ए. जुडिशियल माईन्ड से वर्क नहीं करते, वे इम्पाशियल वर्क नहीं करते इसलिये उन्होंने एमेंड किया और यह प्रोवाइड किया कि चेअरमैन जो रहेगा वह जुडिशियल माईन्ड का व्यक्ति रहेगा। जब पार्लियामेंट ने एमेंडमेंट किया और हम जब यह देखते हैं कि पार्लियामेंट के एमेंडमेंट पर हाई कोर्ट का फैसला होता है फिर भी आप उसको बाई पास करने के लिये अपीलेट ऑथेरेटी के नाम से दूसरी कमेटी बनाते हैं उसमें उसी आदमी को रखते हैं जिसको हाई कोर्ट ने डिसक्वालीफाई किया है He is not fit to hold the post under the Act.

अब हमको यह देखना है कि लॉ का इन्टेन्शन क्या है? अपीलेट बड़ी है उसमें चेअरमैन आर. टी. ए. और एस. टी. ए. के जुडिशियल माइन्ड के व्यक्ति रहने चाहिये। अब हम हमारे लेजिस्लेचर के पावर हैं उनमे और हाई कोर्ट का फैसला है उसको

(श्री पी. के. चौधरी)

बाई पास करते हैं। सभापति महोदय, इसको देखते हुए हमें यह बात रीएलाइज होती है कि You can expose the constitution of England but You cannot expose the Parliamentary Democracy because you cannot expose the Conventions. Conventions are developed. कोई भी पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी सिर्फ लीगेलिटीज पर चल नहीं सकती। जब तक कोई कन्वेन्शन हो।

Parliamentary Democracy fulfill नहीं कर पावेंगे। यह जो नोटिफिकेशन हुआ है मैं समझता हूँ कि इससे बुरीबात कोई नहीं हो सकती It is a shame faced action. यह जो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर सब कमेटी बना कर फिर से उसके चेअरमैन बन रहे हैं वह पार्लियामेंटरी कन्विक्शन्स के बिल्कुल खिलाफ है।

You are murdering the Parliamentary Convention in a Parliamentary Democracy, a Government who claims to establish a Parliamentary Democracy.

मैं इसको नहीं मानता। मैंने जब तक नहीं देखा तब तक मुझे विश्वास नहीं हुआ Unless I came to see it with my own eyes.

इस तरह से फंक्शन कर सकते हैं They can do so.

मैं मानता हूँ कि इससे बुरा एक्शन कुछ नहीं हो सकता और इसको देखते हुए यह जो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर को अपील सुनने का अधिकार देते रहना चाहिए चाहे कानून में हो या नहीं हो इससे मालूम होता है कि उनको इससे इन्ट्रेस्ट है He is interested in it. नहीं तो मैं नहीं समझता कि उनको इससे क्या लाभ है ? वे मिनिस्टर तो है हीं Already he is a Minister. उनके पास काफी काम है। इतना काम होते हुए भी फिर यह काम लेना मैं नहीं समझता He is over burdened by his work.

वे क्यों होना चाहिये ? इससे विरोध पैदा होता है जो ऑर्डीनरी कोर्स में होता है। Why he is interested for deciding the appeals ?

एरर ऑफ जजमेंट होता है वह जब होता है जब गलती से कोई डिसिजन ले लिया जाता है लेकिन यहाँ हम इसको एरर ऑफ जजमेंट नहीं कह सकते।

It was a bonafide mistake. It is a deliberate action. Deliberate action to bye-pass the law.

एक दफे लोक सभा के स्पीकर श्री मावलंकर एक जगह भाषण दे रहे थे। उनसे किसी ने पूछा कि हम कायदे ऐसे बनादें जिससे कोई देश में बुराई ही न रहे। यह आजादी मिलने से पहले की बात है। आजादी नहीं मिली थी उससे पहले की यह बात है। तब उन्होंने कहा था कि Fraud runs ahead the law. फ्रॉड लॉ के आगे आगे जाता

Page No.72

(श्री पी. के. चौधरी)

है। तो यहां भी हम देखते हैं कि जो लोग लॉ को आई पास करना चाहते हैं It is an instance that any body in the country could have brought about such an affair. All those cases must be placed before the House. These are the cases and these are the considerations तो मैं इस बात को मानूंगा कि इसके देखने के बाद इस वेलिडेटिंग को पास करना गलत होगा। क्योंकि हमको यह देखना होगा कि १,००० केसेज हैं उनको हाउस के सामने रखे जावें जिससे हम यह देख सकें कि इससे गवर्नमेंट को इतना नुकसान होगा। यह सारी की सारी बात हमारे सामने आनी चाहिये-क्योंकि हमको शंका होती है कि मिनिस्टर चेअरमैन रहने के लिये इन्ट्रेस्टेड हैं। अगर नहीं होते तो यह सब-कमेटी नहीं बनाते। मैं जो गवर्नमेंट की एक्टीविटीज हैं उनको कन्डेम्न करता हूं। मैं यह-कहूंगा कि इस नोटिफिकेशन को विथड्रा करना चाहिये और जो लीगल बात है उस पर हमको चलना चाहिये।

दूसरी बात, सभापति महोदय, आर. टी.-ए. और एस. टी. ए. हैं उनके in their life time they have not discharged properly.

उनके विशेष फंक्शन तो पेसेन्जर के कम्फर्ट को देखना है। जहाँ पर ४० सीट हैं वहां पर ४८ या ५० आदमी बैठते हैं और उसको पास कर दी जाती है। यह सब देख कर इन्तजाम होना चाहिये।

आप देखेंगे कि एक मोटर बस में ४० आदमियों के बैठने की गुंजाइश है उसको आप ५० की सीट की परमिशन दे देते हैं। आर. टी. ए. ने कभी इस तरफ देखा है? जब ईन्सपेक्टर और आर. टी. ओ. कभी रिपोर्ट करते हैं कि लोगों को इससे तकलीफ होती है सीट्स कम होनी चाहिये तो यह कहा जाता है कि ठीक है टैक्स ज्यादा मिल जाता है। आर. टी. ए. की यह भी ड्यूटी है कि मोटर विहिकल एक्ट के अनुसार सिटिंग का ध्यान रखे। मगर इसका कोई ध्यान नहीं रखते। इसलिए एग्जिस्टिंग आर. टी. ए. और एस. टी. ए. हैं they don't see towards the public facilities. दूसरी बात का and in view of this new Notification— मैं समझता हूं कि सदन को इसे वेलिडेट करने से पहले ज्यादा गौर से सोचना चाहिये और मिनिस्टर महोदय से भी निवेदन करूंगा कि १,००० केसेज हैं उनसे आप अवगत करावें जिससे हमारे दिमाग में जो शंका है वह यह कि मंत्री महोदय इन्ट्रेस्टेड हैं वह दूर हो सके। फिर हम उचित समझेंगे तो इसको मंजूर करेंगे और नहीं समझेंगे तो नहीं करेंगे।

ठाकुर श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़): माननीय सभापति महोदय, आज सदन के समक्ष आर. टी. ए. वेलीडेटिंग बिल के सम्बन्ध में चर्चा हो रही है। सदन के कई माननीय सदस्यों ने इस प्रश्न को लेकर बहस की। प्रश्न केवल दो ही हैं कि आज तक जो फैसले हुए उनको कानूनन मान्यता देना और जो पहले चेअरमैन थे वे अब ट्रान्सपोर्ट की अपील नहीं सुन सकें। ऐसे दो प्रश्न हैं। इस पर विचार लेकर सभी सदस्य करीबन-करीबन जनता के हित की दृष्टि से और कॉन्स्टिट्यूशन की दृष्टि से, कानून की दृष्टि से और हाई कोर्ट से जो फैसला हुआ उस दृष्टि से राय देते आये। केवल यह प्रश्न उठता है

(ठा० श्री मदनसिंह)

कि हमारे माननीय मन्त्री हैं उनको अपील सुनने का चेअरमैन को अधिकार है या नहीं, आया वे अपील सुन सकते हैं या नहीं ? और साथसाथ सदस्यों ने यह भी फरमाया कि इसमें इन्ट्रेस्ट क्या है ? वह मैं समझता हूँ मंत्री महोदय नहीं बता सकेंगे क्योंकि कई कमियाँ हो सकती हैं। यदि कोई कमरे में जाकर पूछे तो वे बता सकते हैं लेकिन यदि सदन में पूछे तो वे उचित नहीं समझेंगे कि आपको बतायें। इन-एक्सपीरियेन्स्ड होने के कारण से भी मैं समझता हूँ कुछ कमियाँ रह गई हैं और उनको पारित कराने के लिए धारा १०८ में अपील सुनने के लिए समिति समझिये या बोर्ड बना है। मुझे एक मिसाल याद है। हमारे गाँव में पंचायत का चुनाव हुआ। एक सरपंच की एवज में वहां दूसरा सरपंच आ गया। उनको चार्ज देने के लिए बार बार कहलाया। तहसीलदार ने भी कहा कि चार्ज दे दीजिये। हम समझाने गये कि आप अच्छे सरपंच थे, अब दूसरा सरपंच आ गया है और कानून यह कहता है कि दूसरा सरपंच आ गया है तो फिर आपको उसको चार्ज दे देना चाहिये। वह काम करेगा। लेकिन वे माने नहीं। उनके चार्ज न देने का कारण यह था कि उनके एक क्लर्क था वह सब काम करता था और होशियार था। वह कहता था वैसा ही सरपंच करते थे। यदि मंत्री महोदय जुडिशियल दृष्टि रखते हैं दूसरा फैसला हुआ है, जिस कारण से आगे जाकर इस को नहीं छोड़ते हैं तो बदनामी होने की बात होती है। चार, छः महीने एक्सपीरियेन्स करके इस सीट पर आवें तब तक इसको छोड़ दीजिये। माननीय सदस्यों को भी शंका हो रही है और जब तक आप सीट छोड़ेंगे नहीं यह शंका जावेगी नहीं। कुछ केसेज ऐसे सामने आ गये हैं जिनकी वजह से आपको इस सीट को छोड़ देना चाहिये और जैसा कि श्री माधोपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने बताया, आम जनता में यह भावना है कि अपील का फैसला हुआ है उसको देखते हुए त्रुटियाँ हुई हैं। सीट पर मोह रखने का कारण यह हो सकता है कि कोई घोटाला हो। मैं नहीं समझता कि माननीय मंत्री महोदय घोटाला कर सकते हैं। वे कानून के विशेषज्ञ न होने से ट्रान्सपोर्ट में नीचे के जो कर्मचारी हैं उनके जो फैसले हुए हैं उनसे जनता त्राहि त्राहि कर उठी है। उनको ढंकने का तरीका नहीं है यह कि उसी पोस्ट पर रह कर जो खराबियां हो गई हैं उनको मिटावें। मैं समझता हूँ कि आपको इस सीट को छोड़ देना चाहिये। केरल जैसी राजस्थान में भी घटना न हो कि जनता का प्रबल बहुमत आपको इसको छोड़ने के लिए बाध्य कर दे। असेम्बली के सदस्यों के द्वारा समझाये न समझें तो फिर जनता का बड़ा भारी समूह आपके दफ्तर को घेर कर कहेगा कि कुर्सी छोड़ दो, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। केरल में ऐसा हो सकता है तो राजस्थान में भी किस प्रकार आप अपनी पोस्ट को छोड़ सकते हैं उसके लिए होनेवाली घटना की ओर मैं आपको पहले से ही निमन्त्रण दे देता हूँ। असेम्बली का हर सदस्य आपको समझा रहा है, आपके काम करने की आगे काफी गुन्जाइश है। यदि आप ज्यादा जिद्द रखेंगे तो आज जितने जुडिशियल ब्रेन रखनेवाले हैं उन पर इसका बुरा असर पड़ेगा और यह समझेंगे कि जुडिशियरी तो नाम मात्र की चीज़ है। मिनिस्टर चाहेगा वैसा करेगा। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की जिद्द को आप छोड़ेंगे तो प्रजातन्त्र के लिए अच्छा होगा। हमारी भी कई चीजें गई हैं। नाथूरामजी इस चेयरमैनशिप को न छोड़ें तो फिर हम अपनी जागीरों को क्यों छोड़ें ?

(ठा० श्री मदनसिंह)

असेम्बली के मेम्बर्स की आवाज है। प्रजातन्त्र में जिस तरह से होना चाहिये, कानूनकी दृष्टि से जैसा होना चाहिये, पार्लियामेन्ट के फैसले की दृष्टि से जैसा होना चाहिये वैसा यह होना चाहिये। यदि आप आज ही खड़े होकर स्तीफा दे दें तो यह त्रुटि मिट सकती है।

दूसरी यह इम्पोर्टेन्ट चीज़ बन गई है कि जितने इजाजत दिये हुए फैसले हैं उनको मान्यता दी जाय। हाई कोर्ट के फैसले में जो बातें हैं उनको देखते हुए यह बड़ा ही विचारणीय प्रश्न है। सारे के सारे फैसले खत्म कर देते तो पब्लिक को नुकसान। लेकिन ऐसे फैसले हैं जिनको बता सकते हैं कि उनको वापिस लिये ही जांय, फिर कोई बात नहीं रहती है। अच्छे २ रूट्स के परमिट बने हैं उनकी लिस्ट बनाई जाय तो मालूम होगा कि राज्य कर्मचारियों के नाम से, मिनिस्टरों के रिश्तेदारों के नाम से, नेता और पूंजीपतियों के नाम से बने हैं। हाई कोर्ट के फैसले से यह बात हो गई है, जनता ने हाई कोर्ट का विश्वास किया था उसके बाद हमारी अपील मंजूर हो जाय, हमारी चीज़ सही तरीके से हो गई कि वह हो जाय, हमारे परमिट केन्सल न हो, ये जो शिकायतें हैं और जो क्लीयर केस हैं उनको पेन्डिग न रख कर, उनका फाईनल डिसिजन न होकर वापिस दे दिये जाँय तो यह बात कोई हो सकती है।

इतना ही नहीं जैसी आपकी क्वालिफिकेशन है आप के साथियों की क्वालिफिकेशन के लिए भी निवेदन करूंगा। कोटा आर. टी. ओ. ऑफिस में नित्यानन्दजी वैद्य हैं। इस जमाने में एक वैद्यजी का टान्सपोर्ट में रखने का क्या कारण है? क्या गाड़ियों के पेट दुखने लगा था या रोग हो गया था? ये ऐसी चीजें हैं जो पक्षपात की ओर इशारा करती हैं। वैसे ही कांग्रेस पार्टी पक्षपात के लिए मशहूर तो है ही। भारतवर्ष में इस पार्टी के द्वारा जो इस प्रकार के काम हुए हैं वे केवल पार्टी को प्रोत्साहन देने के सिवाय क्या हैं? कोई मिनिस्टिर जब ही पोस्ट बनाये इस तरह से रखता है जब कि वह इन्ट्रेस्टेड हो। मिनिस्टर पर नहीं रखिये तो पार्टी का तो निश्चित है उसकी महरबानी हो, उसको परमिट मिले। परमिट तो उन गरीबों को मिलना चाहिये जो आज मिल कर बिजनैस करना चाहते हैं, करते हैं। यदि लिस्ट देखी जाय तो परमिट सिवाय पूंजीपतियों के और किसी को नहीं मिले हैं। यदि मिनिस्टर साहब देखें तो उनको मालूम होना चाहिये कि एक, २ एक आदमी के दस दस परमिट हैं, आधा राजस्थान तो एक ही आदमी ने कवर कर रखा है। यह क्या साबित करता है? पक्षपात, घोटाला। निष्पक्ष कोई चीज़ होती और गरीब और अमीर को ठीक ढंग से परमिट मिलते तो माना जा सकता था। आज जितनी आवाज उठ रही हैं और ये चीज़ें सामने आ रही हैं वे इस कारण से कि इनएक्सपीरियेन्स्ड हैं। मेरे पास ऐसा सबूत नहीं है कि आपने घोटाला किया हो, हाई कोर्ट का फैसला हो फिर भी न माना जाय तो यह इनएक्सपीरियेन्स्ड आदमी से ऐसी चीज़ हो सकती है। हाई कोर्ट का निर्णय माना जाना चाहिये, पूरा होना चाहिये। यदि नहीं माना जाता है तो फिर एक व्यक्ति को हाई कोर्ट में कैसे विश्वास हो सकता है? यह तो यही होगा कि चाहे हाई कोर्ट के कितने ही फैसले हो जाँय, भारत सरकार के कितने ही कानून हों हम चाहे वैसा कर सकते हैं। भारत सरकार के और भी कानून हैं, टैक्सेज़ का है, ट्रान्सपोर्ट का है।

(ठा० श्री मदनसिंह)

टैक्सेज़ के कानून को रिलीज़ करने का काम हो, चाहे उसमें कमी हो या बेशी तो कहते हैं कि भारत सरकार से पास हुआ है, पार्लियामेन्ट का कानून है, इसको मानना चाहिये । एक नीति बर्ती जाय। लेकिन यहां कहां एक नीति बर्ती जा रही है ? इस-लिए जनता को निश्चत रूप से विश्वास हो गया है कि पक्षपात का बोलबाला है। राजस्थान गवर्नमेन्ट में पक्षपात का बोलबाला है। हाई कोर्ट में जुडिशियल पोस्ट के लिए ही दिया हुआ नहीं है किन्तु नाथूराम के नाम से भी फैसला हुआ है कि कॉम्पीटेन्ट नहीं हैं, यह शख्स जुडिशियल ब्रेन नहीं रखता है, उनको नहीं रखना चाहिये । इस पोस्ट पर होते तो ठीक बात थी । व्यक्तिगत रूप में हुआ है कि ब्रेन नहीं रखते हैं इसलिए उनको नहीं रखना चाहिये ।

मैं समझता हूँ, जहां तक उस फैसले का ताल्लुक है हमें उसकी कद्र करनी चाहिये । हो सकता है आप जो यह अमेन्डमेन्ट करने जा रहे हैं उसके बारे में रिट हो सकती है । एक मिनिस्टर की चर्चा होती है किसी एक कांड को लेकर यह एक अजीब तमाशा है जब कि हाई कोर्ट का एक निर्णय हो जाता है उस पर भी आप अपने पद को सरेन्डर करना नहीं चाहते । आपको चाहिये तो यह था कि उसके निर्णय को मान्य करते हुए इस पद पर नहीं रहते । आपको अटूट विश्वास हो कि मैंने पक्षपात नहीं किया है लेकिन फिर भी पहले भी ऐसे मंत्री महोदय हुए हैं जिन्होंने अपने खिलाफ इन्क्वायरी तक करवाई है । जब आपको विश्वास है कि आपने किसी प्रकार के घोटाले नहीं किये तो आपको इन्क्वारी बैठाने में किसी प्रकार भी ऐतराज नहीं होना चाहिये और उस इन्क्वायरी के बाद आपको यह पोस्ट मिलनी चाहिये । मैं समझता हूं आज जो स्थिति है उसमें तो यह डाउट पक्का होता जा रहा है। आप जो यह बात करने जा रहे हैं वह एक प्रकार से प्रजातंत्र का हनन है, वह भी केवल एक आदमी को एक पोस्ट पर रखने के लिए । मैं तो समझता हूं आपको अधिकार हो तो आप किसी दिन यह भी कर सकते हैं, यदि वोट नहीं भी मिले तो आप यह कह सकते हैं कि मैं तो मिनिस्टर ही रहूंगा । यदि इस प्रकार की बातें होती हैं तो वे एक प्रकार से एकतंत्र को प्रोत्साहन देने वाली हैं । एकतंत्र में पले हुए लोगों के लिए भी यह एक अच्छी मिसाल नहीं होगी और प्रजातंत्र के लिए भी अच्छी चीज़ नहीं होगी कि नाथूरामजी इस पोस्ट पर चिपके रहें और इसको न छोड़ें। आज तब कि हम एकतंत्र में विश्वास करने-वाले लोग भी आपके प्रजातंत्र के साथ कोऑपरेशन कर रहे हैं वैसी हालत में आप प्रजातंत्र के हामी इस प्रकार की कार्यवाही करते हैं तो इस का बुरा असर पड़नेवाला है । असेम्बली के माननीय सदस्य इसको वेलिडियेट करें या न करें, यह दूसरी बात है लेकिन जहां तक आपको इस पोस्ट से अलग करने का सवाल है वह उचित है और आपको इससे अलग हट जाना चाहिये। अगर आप नहीं हटते हैं तो यह पब्लिक का फ़र्ज होगा कि वह आपको इस पोस्ट से हटाये ।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान परिवहन वैधकरण विधेयक जो सदन के सामने पेश हुआ है उसमें यह देखना है कि क्या यह घोटाले की वजह से पेश हुआ है या राज-स्थान हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके

(श्री पुरुषोत्तम लाल शर्मा)

बेसिस पर पेश हुआ है। यही बात सही है कि राजस्थान हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके अनुसार जुडिशियल एक्सपीरियन्स का चेयरमैन नहीं था इस बेसिस पर फैसला दिया है इसलिए जो भी आज्ञायें दी गई उनको अवैध करार दिया जा सकता है। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि हमें यह बात मान्य करनी होगी : हम देश में जुडिशियरी को सर्वमान्य स्थान देते हैं। उसके जो भी फैसले हों उनको हमें मान्य करने चाहिए लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी देखना है कि हमारे सामने जो विधेयक पेश हुआ है उसको अगर हम पास नहीं करेंगे तो उससे क्या क्या डिफिकल्टीज पैदा हो सकती हैं और उससे जनता का क्या नुकसान हो सकता है। जुडिशियरी जो विधान सभा कानून बनाती है उसका अर्थ जुडिशियरी निकालती है। कानून बनाने का अधिकार विधान सभा को है और उसका इन्टरप्रेट करने का अधिकार जुडिशियरी को है। जहां तक जुडिशियल एक्सपीरिएन्स का सवाल है उस सम्बन्ध में जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया है वह उपयुक्त है, उसको हमें मान्य करना चाहिए। हमारे संविधान में जुडिशियरी को सर्वोच्च सत्ता प्रदान की है। उसको हमें मान्य करना होगा। यह विधेयक जो पेश हुआ है उसको अगर हम पास नहीं करते हैं तो हमारे प्रदेश में यह डिफिकल्टी हो सकती है कि जनता को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़े। यहां पर किसी व्यक्ति विशेष का सवाल नहीं है, न नाथूरामजी का ही सवाल है। देखना हमें यह है कि जो आर० टी० ए० और एस० टी० ए० ने फैसले किये हैं जो कि सैकड़ों की तादाद में हैं उनको हम वैध करार नहीं देते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होगा, यह हमें सोचना, समझना है। घोटाले भी हो सकते हैं। घोटालों की व्याख्या हमें नहीं करनी है। हमें तो यह देखना है कि जो सन् ५६ से लेकर सन् ५६ तक फैसले दिये गये हैं उनका वैधकरण न करने से जनता को नुकसान होगा या नहीं। घटोले हैं इससे इन्कार नहीं किया जा सकता लेकिन यह भी है बहुत से बिना घोटालेवाले भी हैं उन बेचारों को इससे कितना नुकसान होगा, कितना कष्ट होगा, यह भी हमें ध्यान में रखना है। अगर हम इस बिल को पास नहीं करेंगे तो जनता के लिए यह कष्टदायक हो सकता है।

इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इस विधेयक को पास करना आवश्यक है। इसको पास नहीं करते हैं तो जितने भी ऑर्डर्स दिये गये हैं वे सब इल्लीगल हो जायेंगे और जो रूट्स चल रहे हैं वे बन्द हो जायेंगे और जिन जिन लोगों ने गाड़ियां खरीदी हैं वे सब बेकार हो जावेंगी। इसलिए हमें इस दृष्टिकोण से इसको सोचना है। हमें व्यक्तिगत आक्षेप से परे रह कर इन बातों को सोचना है। जो कुछ भी घोटाले हुए हों उनको परे रखते हुए हमें यह देखना है कि हम इसको वैध करार नहीं देते हैं तो जनता को कितना नुकसान हो सकता है ?

इसके अलावा इस बिल में जो अपीलेट ऑथेरिटी की अलग कमेटी कायम की गई है जैसा कि गजट में आया हुआ है उसमें जुडिशियल एक्सपीरिएन्स के चेयरमैन नहीं हैं। यह हमारा मान्य सिद्धान्त है कि जुडिशियरी में सर्वोच्च सत्ता है और उसके द्वारा जो फैसला हो उसको नहीं मानने के लिए रास्ता ढूंढना हमारे लिये उपयुक्त नहीं है। मैं मानता हूं कि राजस्थान सरकार को मोटर

(श्री पुरुषोत्तम लाल शर्मा)

विहिकल्स एक्ट के अन्तर्गत रूल्स बनाने के अधिकार हैं। इसके मायने यह नहीं कि हाई-कोर्ट द्वारा जो फैसला हुआ है उसके विपरीत नियम बना दें नहीं तो जनता के दिमाग में यह भावना पैदा होगी कि जुडिशियरी को कन्डेम करने के लिए ही एक्जीक्यूटिव ऐसा काम करती है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जुडिशियल एक्सपर्ट होना क्यों बताया गया है। यह इसलिए कि आर० टी० ए० के और एस० टी० ए० को मामले का फैसला देना होता है उसकी अपील एस० टी० ए० पास जाती है जो जुडिशियल एक्सपर्ट हो वही अपील सुन सकता है। जुडिशियल एक्सपर्ट की परिभाषा हाई कोर्ट ने फैसले में जो की है उसके अनुसार मजिस्ट्रेट या जज जो रात दिन फैसले लिखते हैं, मुकदमें सुनते हैं, वे ही जुडिशियल एक्सपर्टस हैं। उसमें कानून जानने-वाले वकील को नहीं माना गया है। इसके विवेचन के बारे में सर्वोच्च न्यायालय में केस गया हुआ है। लेकिन जहां तक सर्वोच्च न्यायालय से फैसला न हो जाय वहां तक हाई कोर्ट का निर्णय सर्व मान्य है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला इससे विपरीत न हो जाय तब तक अभी जो फैसला है उसकी हमें कद्र करनी चाहिये। अगर हम उसको मान्य नहीं करते हैं तो जनता के दिमाग में एक प्रकार की शंका पैदा हो जायेगी। ऐसी शंका हमें पैदा नहीं होने देनी चाहिये।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हाई कोर्ट के फैसले का आदर किया जावे। मैं यह नहीं समझता कि क्या घोटाले हुए? आज हजारों, सैकड़ों आदमी मोटरों के परमिट के वास्ते आते हैं और सैकड़ों, हजारों को परमिट मिलते हैं, सैकड़ों हजारों को नहीं मिलते। नहीं मिलनेवाले जो हैं वे अफवाएं भी उड़ाया करते हैं। कई बातें सच भी हो सकती हैं इन सबका निर्णय करनेवाले हम नहीं। न यह उपयुक्त समय ही है। अभी तो यह सोचना है कि इस कानून को पास करना चाहिये या नहीं। इसलिए कहना चाहूंगा कि जुडिशियरी के फैसले को समक्ष रखते हुए आगे का क्या कार्यक्रम हो उस पर पुनर्विचार करें, सोचें समझें। क्योंकि हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वह मिनिस्टर महोदय की जुडिशियरी की योग्यता की कमी की वजह से दिया है और फिर भी आप उसी तरह का प्रोविजन रखें तो मैं तो यही समझूंगा कि आप हाई कोर्ट के निर्णय के विपरीत कार्य कर रहे हैं और यह जो आपकी कार्यवाही है वह भी आगे जाकर अगर हाई कोर्ट में गई तो अल्ट्रा-वायर्स हो सकती है। इसलिए मैं तो यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस पर पुनर्विचार करें और जो यह विधेयक रखा है उसको किसी प्रकार का संकोच नहीं करते हुए निस्संकोच जनता के हित को समक्ष रखते हुए पास करना चाहिये। यही मेरा नम्र निवेदन है।

श्री **लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : सभापति महोदय, जो विधेयक रखा है उसका मैं विरोध करता हूँ। आज से पहले राजस्थान की जनता में यह धारणा थी कि उच्च न्यायालय से जो निर्णय होता है सरकार को उसे मानना पड़ता है अगर कोई सरकार के रवैये से और सरकार की कार्यवाही से असन्तुष्ट होता तो उच्च न्यायालय में जाकर न्याय ले सकता था और सरकार को उसे मानने को बाध्य किया जा सकता था। पर आज यही सरकार उस उच्च न्यायालय से हुए फैसले को रद्द करने जा रही

(श्री लक्ष्मीचन्द)

है जिस न्यायालय ने रिमार्क किया है कि जुडिशियरी माईन्डेड को ही चेयरमैन बनाया जाना चाहिए और चूंकि जुडिशियरी माईन्डेड चेयरमैन नहीं था इसलिए १६ फरवरी के बाद से जो निर्णय एस. टी. ए. ने किये हैं वे गलत हुए हैं। पर आज हाई कोर्ट की उस मंशा को इस विधान सभा में बहुमत के जोर पर रद्द करार दिया जा रहा है। आज हमारी सरकार अपने बहुमत के आधार पर इस किस्म का विधान सभा के पास से ठप्पा लगवाना चाहती है कि जो कार्यवाही हाई कोर्ट ने रद्द कर दी उसे वापिस ठीक घोषित किया जाय। सरकार के इन कारनामों से जनता में यह धारणा बन जावेगी, सभापति महोदय, कि हाई कोर्ट में भी जाकर न्याय प्राप्त करना कोई मतलब नहीं रखता। हालांकि कितना रुपया उस न्याय को हासिल करने में खर्च किया जाता है, यह सभी जानते हैं। आज यह राजस्थान की सरकार विधान सभा द्वारा पीछे की अपनी हाई-कोर्ट द्वारा रद्द की गई कार्यवाही पर एक हस्ताक्षर करवाना चाहती है, पास करवाना चाहती है कि हमने जो पहले कार्यावाही की हैं वह ठीक है। पहले की गल्तियां ठीक हैं। ठीक है, पहले आपने गल्तियां की और वे आप ठीक करना चाहें तो यह थोड़ा समझ में भी आ सकता है। पर भविष्य में फिर गल्ती करने क्यों जा रहे हैं? आज भी गुडिशियरी माईन्डेड अफसर को आप चेयरमैन बनाना नहीं चाहते हैं। जनता जिस गलती का परिणाम पहले भुगत चुकी वही गलती आप फिर करना चाह रहे हैं। फिर हाई कोर्ट उसको रद्द करेगा। फिर आपको कानून लाना पड़ेगा कि हमने और भी गलती की है उसको भी रद्द कर दिया जावे बहुमत के आधार पर आप अपने पूर्व कारनामों पर दस्तखत करवा सकते हैं। पर जनता के लिए फिर कौनसी सुरक्षित जगह होगी, परिणाम क्या होगा? जनता खर्चे से जेर बार होगी फिर भी कोई भरोसा नहीं हो सकता। सरकार कह देगी कि हमने जो कार्यवाही की है वह ठीक है। तो जनता को दुविधा इस प्रकार से होगी। न कि आज हमारे मुख्य मन्त्रीजी ने जिस तरह टर्म्स ऑफ रेफरेन्स बताया है कि जनता के हित के लिए यह होगा, वह जनता के हित में होगा। जनता के हित को तो आज तक धक्का दिया है और भविष्य में और धक्का देने जा रहे हैं। जब एक बार कोर्ट ने मान लिया कि जुडिशियरी माईन्डेड चेयरमैन नहीं है दूसरा आदमी होना चाहिये जो जस्टिस दे सके पर आप फिर उन्हीं को थोप रहे हैं। हो सकता है कि वह गैर कानूनी कार्यवाही भी करें। आपने इस प्रकार का आदमी पहले से ही रखा होता तो उच्च न्यायालय आपकी कार्यवाही को ठीक मानता। आप फिर उसी आदमी को रख रहे हैं फिर मुसीबत होगी। भला कोनसा जनता का ऐसा नुकसान हो रहा है किसी दूसरे आदमी को रख देने में? कौन सी ऐसी दूसरे गुडिशियरी माईन्डेड आदमी को रख देने में केरल जैसी स्थिति राजस्थान में पैदा हो रही है? कौनसा ऐसा राजस्थान की इस कांग्रेसी सरकार को धक्का लगने वाला है? कौनसी सरकार उखेड़ रही है कि आप अपने पुराने कारनामों पर विधान सभा के दस्तखत करवा रहे हैं?

इस प्रकार से जो न्यायालय ने माना है कि गैर कानूनी कार्यवाही हुई है उसको आप आगे से न करने की सोचें। आपकी गैर कानूनी कार्यवाही कैसी होती है इसका एक दृष्टान्त देना चाहता हूं।

जयपुर-किशनगढ़ रूट पर एक आर. जे.-एल. ७१६ बस चलती है। उसके अन्दर ३६

(श्री लक्ष्मीचन्द)

सीटों तक आदमी बैठ सकते हैं। मैं भी इसमें ट्रेवल कर रहा था। इस ट्रेवल के दर्मियान क्या हुआ? मोटर मालिक ने ५७ सीटें भर दीं। लोग उस बस में खड़े हुए बैठने को उनको जगह नहीं। आ. टी. ओ. का इन्सपेक्टर भी उसमें था। मैंने उससे कहा कि इस प्रकार से सवारियां किस तरह भरी जा रही हैं तो कहा गया कि मोटर पर ५७ सीटों का लेख है इसलिए इतनी सवारियां तो ली ही जावेगी। मोटर कन्डक्टर ने यह जवाब दिया। सवारियां मोटर में खड़ी चलीं। आगे जाकर दूदू में पुलिस स्टेशन पर गाड़ी को रोका। पुलिस को दिखाया गया और चैक करवाया गया तो परमिट के घोटाले सामने आये। ३७ सीटों की सवारी का इन्दराज काट कर ५७ किया हुआ था। अगर ऊपर देखने वाला कोई जुडिशियरी माइन्डेड होता तो इन सब चीजों को अवश्य देखता। ये घोटाले नहीं चलने देता। यह ३७ पर ५७ किये हुए पर किसी के दस्तखत नहीं, न आर. टी. ओ. के और न किसी अफसर के और यह सब चलता है। कौन देखता है? तो इस प्रकार के कारनामें क्यों हुए! आर. टी. ओ. का इन्सपेक्टर मौजूद था पर उसने भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। यह सब क्यों होता है? कोई जुडिशियरी माइन्डेड अफसर नहीं होने से यह सब होता है। फिर तारीफ क्या? कम्पलेन्ट बुक भी हर बस में आर. टी. ओ. की ओर से दी जाती है। वह उसके पास नहीं थी। उसके पास अपनी एक प्राईवेट बुक थी। हमने कम्पलेन्ट बुक मांगी। उसने अपनी प्राईवेट बुक प्रजेन्ट की। हमने पूछा यह किस ऑथेरिटी की सप्लाई की हुई है? कोई जवाब नहीं मिला। आखिर ये सब कम्पलेन्ट हमने बगरू पुलिस के थानेदार को लिख कर दी, आर. टी. ओ. को लिख कर दी। पर उसका भी कोई परिणाम हुआ हो, यह हमें नहीं मालूम।

सरकार ने माना है कि घोटाले हुए हैं और इस प्रकार की बातें उच्च न्यायालय ने भी मानी हैं और अगर जुडिशियरी माइन्ड का आदमी होता तो ये घोटाले नहीं होने देता। उसके पास घोटालों की लोग अपील करते तो वह उन्हें देखता और फौरन दूर करता। पर आज उच्च न्यायालय के उस फैसले के अनुसार काम करने के बजाय अपने पुराने कारनामों पर इस सदन का ठप्पा लगवाना चाहती है सरकार। यह ठप्पा ही लगवाना है।

ः म. प.

इसके बाद में जो रूट्स के परमिट्स दिये जाते हैं उनमें नाम तो किसी जगह का है और चलती हैं और कहीं पर। जैसे एक परमिट दिया गया है भीमा से जात के लिए वाया मोरसिंह धूमड़िया और वह मोरसिंह धूमड़िया होकर नहीं जाती बल्कि भीमा से जात किसी और जगह से ही होकर जाती है। हम देखते हैं, कम्पलेन करते हैं, सब कुछ करते हैं लेकिन आर. टी. ए. वही करता है जो उसके मन में होती है। इसीलिए उच्च न्यायालय ने इसको ठीक नहीं माना है। यातायात डिपार्टमेंट मनचाही कार्यवाही करता है, इसलिए यह वैध नहीं है और जब वैध नहीं है तो हमारी सरकार कहती है कि आप लोग बैठ करके इसको वैध कर दीजिये। मगर मेरी समझ में नहीं आता कि आप अब भविष्य में भी ऐसी गलती क्यों कर रहे हैं? आप भविष्य में भी उन्हीं को यह पावर्स देना चाहते हैं। जनता

(श्री लक्ष्मीचन्द)

के सामने परिस्थिति अब पैदा होगी। जनता का साधारण हित किस में होगा ? जनता एक तरफ तो बर्बाद हुई, वह हाई कोर्ट में गई। पैसे से बर्बाद हुई और निर्णय लिया और आज हम उस निर्णय को मानने के लिए तैयार नहीं हैं और भविष्य में भी इस प्रकार की गलती करने जा रहे हैं। इसलिए जो कुछ गलती सरकार द्वारा हो चुकी है और जिसको उच्च न्यायालय ने भी गलती माना है तो फिर विधान सभा क्यों उसको ठीक करे ? आखिर राजस्थान के अन्दर ऐसी चीजें क्यों की जाती हैं ? उच्च न्यायालय के फैसले को क्यों नहीं माना जाता है ? इसलिए मैं सदन के माननीय सदस्यों से यही प्रार्थना करूंगा कि जो बिल आया है उसका कड़े से कड़ा विरोध किया जावे। इसलिए उच्च न्यायालय ने जिसको ठीक नहीं माना है उसको विधान सभा मानने के लिए तैयार नहीं है।

श्री सभापति : श्री सोहनलाल भटनागर।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलुम्बर) : माननीय सभापति महोदय, भरतपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसका मैं विरोध करता हूं। माननीय सभापतिजी, इस छोटे से बिल को लेकर आज सदन में जो जो बातें कही गई हैं मेरे ख्याल से जो आक्षेप लगाये गए हैं वे उनसे कोई ताल्लुक नहीं रखते। एक तरफ तो यह कहा जाता है कि प्रजातन्त्र की हत्या की जा रही है और हाई कोर्ट ने जो कुछ निर्णय दिया है उसको खत्म किया जा रहा है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि प्रजातन्त्र के अन्दर सुपरमेसी ऑफ दी लेजिस्लेचर मुख्य चीज होती है। जुडिशियरी लॉ को इन्टरप्रेट करती है और लेजिस्लेचर लॉ का निर्माण करता है। इस दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो यह बिल्कुल सही है कि हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसका यहां विरोध नहीं किया जा रहा है लेकिन लेजिस्लेचर की जो सर्वोच्च सत्ता है उसको कायम रखना बहुत जरूरी है। इस दृष्टिकोण से यह कॉम्पीटेन्ट है या नहीं लेजिस्लेचर, इस चीज को देखना है। अगर कोई लुकोना था और अगर उसको पूरा अब कर दिया जाता है तो मेरे ख्याल से इसमें कोई बुरी चीज नहीं होती है। आज पार्लियामेंट में भी जब कि आज कानून का राज्य है कई ऐसे लीगल क्लॉजेज रह सकते हैं कि एक कानून है जो जन हित में हो सकता है और कोई कानूनी लुकोना रह जाये तो वह अल्ट्रा-वायरस करार किया जाये तो उनका वैधकरण कर दिया जाता है और ऐसे हमारे सदन ने भी पांच, सात कानून पास किये हैं और उनका वैधकरण किया है। इस बिल को लेकर यह कहा जा रहा है कि भूत में जो कुछ किया गया है हमारे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर साहब को चेयरमैन बनाया गया सब-कमेटी का वह उनको नहीं होना चाहिये। मेरे ख्याल से सभापति महोदय, यह जो बात है यह बिल के स्कोप के बिल्कुल बाहर है। हमें सिर्फ यह देखना है कि जो कुछ वैधकरण किया गया और जो कुछ बातें इस बिल के विरोध में कही गई हैं वे ठीक हैं या नहीं। लेकिन जो सब-कमेटी बनाई गई है

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : मैं माननीय सदस्य की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि यह सब-कमेटी नहीं है।

श्री सोहनलाल भटनागर : तो जो अपीलेट ऑथेरिटी बनाई गई है तो सभापति महोदय, यह बात बिल्कुल सही है कि जो

(श्री सोहनलाल भटनागर)

कुछ किया गया है उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। यदि भूत में जो कुछ हुआ है उसका वैधकरण नहीं किया जाता है तो उसके अच्छे परिणाम नहीं निकलेंगे। एक मामूली सा जो लुकोना है और जो कानून के इन्टरप्रिटेशन की बात थी उसको लेकर ही हाई कोर्ट ने इसको इन्वेलिड करार दिया एस. टी. ए. को और आर. टी. ए. को। जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा कि सरकार बैठी क्यों रही और इस तरह से निर्णय क्यों नहीं किया तो इसका कारण तो यही हो सकता है कि सरकार ने यही सोचा कि एस. टी. ए. के चेयरमैन हमारे यातायात मन्त्री थे और उनका चार साल का जुडिशियल एक्सपीरियेन्स था उसको नहीं माना है और जो कमिशनर थे जो आर. टी. ए. के मेम्बर थे और जो कि उच्च पद के अधिकारी हैं और कलेक्टर से लेकर काफी जुडिशियल एक्सपीरियेन्स रखते हैं। वैसे यह इन्टरप्रिटेशन का सवाल था और इस दृष्टिकोण को लेकर सरकार बैठी रही कि जो कुछ कॉनस्टिट्यूशन में दिया गया है वह बिल्कुल ठीक है और कोई फ्लो नहीं है। हो सकता है कि जब यह कानून का जमाना है तो उसमें हाई कोर्ट ने इस चीज को उठाया और यह निर्णय जो दिया कि नहीं जुडिशियल एक्सपीरियेन्स वकील का नहीं हो सकता और वह जुडिशियल एक्सपीरियेन्स उन्हों का हो सकता हैं कि एवीडेन्स हो उनको वे करें। अगर वकीलों को देखा जाये तो वह हाई कोर्ट के जज बन सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं इसलिए मेरे ख्याल से इस छोटी सी बात के ऊपर सरकार को कोसना ठीक नहीं है और यदि इस बिल के द्वारा अगर उन चीजों का और बॉडी का वैधकरण नहीं किया जाता है तो इससे बहुत नुकसान हो सकता है।

जैसा कहा गया कि हजारों लोगों को परमिट दिए गये मेरे ख्याल से परमिट देने का जो सिस्टम है वह बहुत लम्बा है। पहले पेपर्स में निकाला जाता है, फिर गजट में शाया होता है और परमिट देने में साल भर तक करीब करीब लग जाता है। इस तरह से अगर हजार केसिज होते हैं तो हजार गाड़ियाँ पड़ी रहती हैं और इससे हमारा धन एक जगह संग्रहित पड़ा रहेगा। अगर इसका वैधकरण कर दिया जाता है तो कोई बात नहीं है। अगर भविष्य की बात है कि यातायात मन्त्री को नहीं बनाया जाना चाहिए यह बिल्कुल ही स्कोप के बाहर की चीज है और जब रूल्स की बात आये तो उसके बारे में बात की जा सकती है।

श्री सभापति : श्री हीराभाई।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : माननीय चेयरमैन महोदय, जो आज हमारे यातायात मन्त्रीजी ने बिल पेश किया है उसका मैं विरोध करता हूं। विरोध करने के पहले तो मैं यही कहूंगा कि मकसद तो बिल्कुल विरोध करने का नहीं था। हम एक तरफ राज्य का विकेन्द्रीकरण करने जा रहे हैं और दूसरी तरफ सवाल वही ठेकेदारी जैसा आ जाता है। न्याय और प्रशासन को हम अलग करना चाहते हैं और हमारी १ करोड़, ४० लाख जनता की हमारे यातायात मन्त्रीजी की ओर दिलचस्पी है। उन्हीं के हाथ में न्याय देने की बात है तो उसके विषय में सोच विचार करके न्याय दें। मैं समझता हूँ कि यातायात मन्त्रीजी के पास ही न्याय देने की बात रखी गई तो यह बिल्कुल अन्याय होगा।

(श्री हीराभाई)

भविष्य में जो कुछ न्याय होगा तो होगा ही लेकिन ऐसी पावर्स उनके पास नहीं होनी चाहिये। जनता हमारे मन्त्रीजी को एक भगवान् के रूप में मानती है और जहां विधान सभा में कानून उनके द्वारा पेश होते हैं और उन्हीं के द्वारा पास होते हैं और कानून के अधिकारों का विकेन्द्रीकरण नहीं करके अपने हाथ में रखते हैं और वह केवल यह सोचें कि मैं ही न्याय दूं तो यह बात ठीक नहीं है... उसका कारण यही होगा कि मिनिस्टर का दबाव हजारों व्यक्तियों पर रहता है, चाहे अपने लिहाज से रहता हो, न्याय से रहता हो या उनके अधिकार से रहता हो परन्तु उनका दबाव पूरा जनता पर रहता है। ऐसी हालत में यह सारा डिपार्टमेंट आपके आधीन रहता है, तो...

(श्री बरकतुल्ला खां सभापति, पदासीन)

डिपार्टमेंट यह समझता है कि यह मन्त्रीजी का रिश्तेदार है, उनकी पार्टी का आदमी है। अगर फैसला उसके विरोध में दे देंगे तो यह (मन्त्रीजी) चेयरमैन हैं वे उसकी अपील बहाल रखेंगे या खारिज कर देंगे। उसमें मैं समझता हूँ कि न्याय हाई कोर्ट में होगा और उसी प्रभाव से न अपील कोर्ट में होगा। इसलिए उस दृष्टि से वह सारी जनता के लिये बिल्कुल अहित होगा इसलिए कानून बनाना है उससे मैं सहमत हूँ। बाकी उसमें एक स्वतन्त्र आदमी न्याय देने वाला हो। अगर वह न्याय देगा स्वतन्त्र रह कर तो वह ठीक न्याय देगा। मिनिस्टर एक तरफ देश का चाहे मार्ग दर्शन करना चाहते हैं और तरह तरह की अपनी भावना फैलाना चाहते हैं और वह आदमी न्याय देगा तो उसमें उसके साथ न्याय नहीं होगा। मैं नहीं कहता हूँ कि मन्त्री महोदय भ्रष्टाचारी होंगे लेकिन मैं कह सकता हूँ कि पानखा काण्ड जैसी हालत आखिर में हो जायेगी। आप ने भ्रष्टाचार नहीं किया होगा तो भी लोग लाकर खड़ा करेंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि मन्त्री महोदय को उससे दूर रहना चाहिये। कानून में अगर कोई गलती हो तो उसको दुरुस्त कराने की कोशिश करनी चाहिये। मैं समझता हूँ कि जब मन्त्री महोदय जनता के हित के लिए काम करते हैं लेकिन उस पद पर रह कर आप नहीं कर सकते हैं। आपके पास सभी पद हैं। आप कृषि मंत्री हैं, आप यातायात मंत्री हैं, आप पहले से ही निर्माण मन्त्री हैं, आप सहकारी मन्त्री हैं, आप वन मन्त्री हैं। वह सारी बागडोर हाथ में लेते हुये फिर उसी पर न्याय देने जा रहे हैं। एक तरफ यह सारी आपकी मालिकय है, आप की ही समझ लें, आप हमारे निगेवान हैं। अच्छा न्याय (कानून) बना कर समाज और मुल्क को चलानेवाले हैं। आप किसी को अच्छा कहेंगे और किसी को बुरा कहेंगे और अगर किसी को बुरा कहा गया तो वकील लोग तो पानी इधर से उधर लगा सकते हैं। कानून तो इधर से उधर बहुत सारा किया जाता है। उसमें कहीं पर आपका हाथ नहीं भी होगा तो वे कहेंगे कि आपका हाथ है। कहीं पर मेरे साथी होंगे और कहीं पर आपके साथी होंगे तो मैं यह कह देना चाहता हूं कि दरअसल में आप अपने साथियों पर ज्यादा जोर देंगे और उनको न्याय देने की कोशिश करेंगे। उसमें आपके खिलाफ भ्रष्टाचारी आयन्दा होगी। भ्रष्टाचार इस तरह से हो सकता है कि लोग चाहे कितनी ही अच्छी भावना आप रखें यही कहेंगे कि भ्रष्टाचारी हैं। यहां पर मैं एक कहावत का जिक्र कर देता हूं कि एक टोकरी में होला जला कर रख

(श्री हीराभाई)

दें तो लोग जितने भी वहां पर बैठे होंगे जब तक होला टोकरी में रहेगा उनकी भावना ऐसी ही होगी कि एक एक उठा कर उसको खा जावें। चाहे पेट भरा होगा लेकिन फिर भी उनको हाथ उसकी तरफ जायेगा। फिर भी अगर पेट फूल जायेगा तो उसके लिए जुलाब देना पड़ेगा ताकि पेट साफ हो या डॉक्टर को जितने भी काम पहले से किये होंगे वह सब बखान करने पड़ेंगे तब जाकर शरीर साफ होगा। ऐसी स्थिति माननीय मन्त्री जी खुद मोल ले रहे हैं। उससे मैं सहमत नहीं हूँ। मैं तो उनको यहां बिल्कुल यातायात मन्त्री समझ कर कह रहा हूँ कि जो कुछ अब तक कलंक लगा है वह लग गया है। अब आगे नहीं लगना चाहिए और देश को आगे उठाना चाहिए। न्याय के लिए एक स्वतन्त्र बॉडी कायम करें, स्वतन्त्र आदमी को चेयरमैन बना कर न्याय देने के लिए तैयार रहें। आप एक अच्छा कानून बना रहे हैं उसमें आप खुद कुछ बनने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए ही घाटा है। हमारे लिए तो वही स्थिति है कि ६ महीने बाद जुलूस निकालेंगे, काले झण्डे निकालेंगे और जितना प्रदर्शन कर सकते हैं करके आपकी आँखें खोल कर आपको दिखायेंगे। यह ठीक है कि आपका बहुमत है और बहुमत के डंडे के बल पर आप ठेकेदारी चलायेंगे लेकिन जनता को बारबार डंडे के बल पर चलाना मुश्किल है। उन सारे कार्यों को पानी में मिलाना बिलकुल बेकार है। इस तरह से न्याय आप अच्छा नहीं दे सकेंगे। कानून के सिर पर कोढ़ बना देना चाहते हैं, और जितने भी आपने काम किए हैं उन कामों को खत्म करने जा रहे हैं। मैं यह नहीं कहता कि हमारे मन्त्री योग्य नहीं हैं। मैं समझता हूँ कि कानून में बिल्कुल स्पष्ट न्याय देना है। चाहे आप बिल्कुल योग्य हों लेकिन यह चीज आने से अयोग्य बन जायेंगे। भ्रष्टाचार में फँसेंगे, हजारों की थैलियों के आगे फैसलों को बदलने के लिए कुछ करना पड़ेगा। इसलिये मैं समझता हूँ कि उसमें आप न रह कर अच्छे कानून बनायें। उस कानून के अन्दर यह बॉडी कायम की जाय। इसका स्वतन्त्र चेयरमैन कायम किया जाय जो कि न तो पैसों की तरफ देखे और न रिश्तेदारों की तरफ देखे। वर्ना पार्टी आपके हाथ में है, प्रशासन भी आपके हाथ में है। दूसरे, न्याय के काम भी आप अपने हाथ में ले रहे हैं। तो इन दोनों, तीनों बातों का मेल खाना बहुत मुश्किल है। यही आपके लिए बुरा है। जनता के लिए तो एक साल अकाल पड़ा तो सारे परिवार खत्म नहीं होंगे। उनके फिर बच्चे बच्ची पैदा होंगे। लेकिन आपकी जिन्दगी में आगे कुछ क्या होने वाला है यह मालूम नहीं है। अगर आप जनता के साथ न्याय कराना चाहते हैं तो यह कानून आपके हाथ में न रह कर एक ऐसी बॉडी कायम की जाय, एक स्वतन्त्र बॉडी कायम की जाय उसी के द्वारा होना चाहिए। मैं नहीं कह सकता हूँ कि हाई कोर्ट के जज या सुप्रीम कोर्ट के जज हों। हम राज्य में विकेन्द्रीकरण करना चाहते हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि एक स्वतन्त्र बॉडी कायम की जाय। न्याय की बागडोर इस सम्बन्ध में उसी के हाथ में दी जाय। आप इस पद को छोड़ कर और कार्यक्रम हैं उनकी तरफ ध्यान दें तो मैं समझता हूँ, आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। बस इतना ही मुझे कहना था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) राजस्थान ट्रान्सपोर्ट ऑथरिटी-

Page No.84

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

रिटी (कॉन्स्टिट्यूशन एन्ड प्रोसीडिंग्स) वेलिडेशन बिल, १९५९ विचारार्थ सदन में प्रस्तुत है। सभापति महोदय, मैं इस पर विचार आगे प्रकट करूँ....

३. १९. म. प.

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उससे पहले जिन परिस्थितियों में यह बिल लाने की आवश्यकता हुई उन सारी परिस्थितियों के ऊपर, हाई कोर्ट के निर्णय के ऊपर और हाई कोर्ट के सारे फैसले को पढ़ने के बाद, राजस्थान मोटर विहिकल्स एक्ट और रूल्स के अध्ययन के बाद मेरे दिमाग में यह शंका पैदा हुई और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूर्व इसके कि मैं अपने विचार इस बिल के सम्बन्ध में सदन के सामने रखूँ मैं आपसे उसके बारे में एक निर्णय चाहूँगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मोटर विहीकल्स एक्ट के सेक्शन ४४ जिसका संशोधन १९५६ में हुआ वह संशोधन हमारी देश की लोकसभा ने किया और सेक्शन ४४ में यह प्रोविज़न रखा गया ४४ (२) में कि हमारी एस. टी. ए. या अपीलेट ऑथेरिटी का कॉन्स्टीट्यूशन किस प्रकार से होना चाहिये और उस एमेंडमेंट में यह प्रावधान रख दिया गया कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल एक्सपीरियेन्स का आदमी होगा। राजस्थान में जो एस. टी. ए. या अपीलेट ऑथेरिटी का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें जुडिशियल एक्सपीरियेन्स का आदमी नहीं था। इसलिए हाई कोर्ट में उसको एक रिट के द्वारा चेलेन्ज किया गया।........

हाई कोर्ट ने होल्ड किया कि एक्ट की धारा ४४ के प्रोविजन्स को कॉन्ट्राविन किया गया है और एस. टी. ए. का कॉन्स्टिट्यूशन प्रोपर नहीं है इसलिए इसको नल एन्ड वॉइड डिक्लेअर किया गया। मैं समझता हूँ जिस कानून के तहत जिस बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन है यदि उसकी तहत उसका कॉनस्टिट्यूशन इल्लीगल, अल्ट्रावायर्स और नल एंड वोइड है तो मैं समझता हूं जो संस्था कानून बनाती है वही उसको चेन्ज करने या वेलिडेट करने के लिये कॉम्पीटेन्ट है। जिस बॉडी, एसोसियेशन या ट्रिब्यूनल ने निर्णय दिया है कि यदि वह खुद नल एंड वोइड है लॉ की नजर से तो मैं समझता हूँ वही लेजिस्लेचर या लोक सभा इस बात के लिये कॉम्पीटेन्ट है कि वह इस बिल में वेलिडेटिंग बिल लावे। जहां तक वर्तमान बिल का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ राजस्थान विधान सभा को इस वेलिडेटिंग बिल को पास करने का कोई अधिकार नहीं है। भारत की पार्लियामेंट ही इसको पास कर सकती है क्योंकि आर. टी. ए. और एस. टी ए. का कॉन्स्टिट्यूशन धारा ४४ के अन्डर में है और यदि वह इल्लीगल करार दिया जाता है तो भारतीय लोक सभा ही कॉम्पीटेन्ट है और वही सारे प्रोसिडिंग्ज को वेलिडेट कर सकती है। राजस्थान विधान सभा को इसके लिये कोई अधिकार नहीं है। इसके लिये मैं एक उदाहरण आपके सामने रखूँगा।

राजस्थान विधान सभा ने राजस्थान टाउन म्यूनिसिपेलिटीज एक्ट बनाया जिसके द्वारा नगरपालिकाओं को अधिकार दिया कि वे टैक्स या आक्ट्राय लगा सकती हैं। उनका इस तरह से टैक्स लगाना यदि अनियमित है और इसमें कानून की धाराओं का उल्लंघन किया गया है तो मैं अदब के साथ कहूंगा कि

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

किसी भी नगरपालिका को यह अधिकार नहीं है कि अपने रेजोल्युशन द्वारा सारे टैक्स को वेलिडेट करके लीगल करार देदें। इसके लिये राजस्थान विधान सभा में ही कानून लाना पड़ेगा। हम को याद है कि टैक्स रिएलाइज होना था और हाई कोर्ट ने उसको इल्लीगल करार दे दिया तो राजस्थान विधान सभा में बिल पास किया गया था न कि कोई एसोसियेशन या बॉडी उसे पास कर सकती थी। इसी तरह से मेरी धारणा है कि जिस प्रकार राजस्थान विधान सभा ने टाउन म्यूनिसिपल एक्ट को पास किया था और उसके तहत चलनेवाली बॉडीज किसी भी प्रकार से कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट के लिये वेलिडेशन बिल पास नहीं कर सकती थी क्योंकि राजस्थान विधानसभा ने उसे पासकिया था इसलिये उसी के द्वारा वेलिडेशन बिल पास कराना पड़ा था उसी तरह से मोटर विहिकल एक्ट की धारा ४४ के तहत राजस्थान में आर. टी. ए. और एस. टी. ए. का निर्माण किया गया था और हाई कोर्ट ने उसको नल एन्ड वॉइड करार दे दिया तो लोक सभा ही उसको वेलिडेट कर सकती है न कि राजस्थान विधान सभा। इस पर आगे बोलने से पहले निवेदन करूँगा कि इस पोइन्ट के बारे में कुछ निर्णय हो जाय, एन्लाइटन हो जाय तब आगे चलें।

श्री उपाध्यक्ष : मैं चाहूँगा कि डिबेट जारी रखें।

I will be considering this constitutional point.

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : थोड़ा गवर्नमेंन्ट की तरफ से एन्लाइट कर दिया जाय कि गवर्नमेन्ट ने इस पोइन्ट को कन्सीडर किया है या नहीं और यदि कन्सीडर किया है तो वह किस नतीजे पर पहुँची है। यदि गवर्नमेन्ट ने कन्सीडर किया है तो उस पर बहस की जाय और उसके बाद आगे बढ़ा जाय।

श्री चन्दनमल बैद (सरदारशहर) : उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने कॉन्स्टिट्यूशनल पोईन्ट उठाया है। मैं समझता हूँ जब तक उसका निर्णय न हो जाय तब तक इसको आगे चालू रखना उचित नहीं होगा। ज्यादा अच्छा यह होगा कि एडवोकेट जनरल को सुनलें और उसके बाद निर्णय करलें कि हमारे पावर में है या नहीं। पहले हम एनलाइटन हो जावें तब आगे बढ़ें।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : The objection should have been from the proper seat.

श्री उपाध्यक्ष : I entertain the objection even though it is from an improper seat.

मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूँगा कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन पोईन्ट को एन्टरटेन कर लिया है। Therefore the Hon'ble Member may conclude the debate and then I will give my ruling.

श्री भैरोंसिंह : मैं पहले कुछ कह नहीं सकता लेकिन मान लीजिये कि आपका निर्णय इस प्रकार का हो गया कि राजस्थान विधान सभा को इसे वेलिडेट करने का कोई अधिकार नहीं है तो इस पर बहस करने से विशेष लाभ नहीं होगा। ज्यादा अच्छा यह होगा कि

Page No.86

(श्री भैरोंसिंह)

उपाध्यक्ष महोदय चाहें तो माननीय सदस्यों को इस पोईन्ट पर सुनलें ताकि बाद में आसानी से निर्णय लिया जा सके। सबसे पहले माननीय यातायात मंत्रीजी, सदन को एनलाइट करें तो ज्यादा अच्छा होगा because he has got Judicial officers experience. He has been Judicial experienced officer.

श्री उपाध्यक्ष : मैंने अपना आबजर्वेशन दे दिया है। माननीय सदस्य जारी रखें।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Let the Hon'ble Minister incharge of the Bill should say and clarify whether he has examined it.

श्री उपाध्यक्ष : I have examined this Constitutional issue...

श्री पी० के० चौधरी : The person who is piloting the Bill...

श्री नाथूराम मिर्धा: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अहमियत का पोईन्ट सोच कर इसे उठा रहे हैं और शायद यह सोच रहे हैं कि दूसरों को इसका ज्ञान नहीं है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस पोजिशन को अच्छी तरह से एग्जामिन् कर लिया गया है। मैं भी अच्छी तरह से जानता हूँ कि यह सेन्ट्रल एक्ट पार्लिमेन्ट का है। लेकिन वे समझ लें कि ट्रान्सपोर्ट का सब्जेक्ट कॉन्करेन्ट लिस्ट में है और आर्टिकल २ के तहत रूल्स बनाने का अख्तियार स्टेट गवर्नमेंन्ट को भी है और उसी को काम में लाते हुए हमने इसको विधान सभा में पेश किया है।

श्री श्रीभानसिंह : On a point of clarification Sir,

कॉन्करेन्ट लिस्ट में जो अगर सेन्टर लेजिस्लेट कर देता है तो क्या उसे अमेन्ड करने के लिए स्टेट ऑथेराइज्ड है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : This only a Validating Bill.

श्री भैरोंसिंह : यह नहीं है।

श्री पी०के०चौधरी : But no provision should be made in contravention of the provisions of the Central Legislature. So it is in contravention of the Central Legislature.

श्री नाथूराम मिर्धा : यह कोई कॉन्ट्राबेन्शन नहीं है बल्कि समझ की भूल है।

श्री भैरोंसिंह : इसका निर्णय पहले होना चाहिये कि वेलिडेट कर सकते हैं या नहीं।

श्री श्रीभानसिंह : We may hear the Hon'ble Law Minister now. He is here.

श्री उपाध्यक्ष : I would like to hear the Hon'ble member.

श्री रामकिशोर व्यास (विधि मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने यह प्रश्न उपस्थित किया गया है कि मौजूदा बिल सदन के सामने है जिसमें हाई कोर्ट के जजमेंट के द्वारा जो निर्णय लिया गया था और उस दर्मियान में जो फैसले हुए थे उसको वेलीडेट करने के लिए यह बिल है

(श्री रामकिशोर व्यास)

उसको पास करने का अधिकार सदन को है या नहीं ? सदन के एक माननीय सदस्य ने इस बात को उठाया कि ऐसा अधिकार केवल पार्लियामेंट को है, स्टेट लेजिस्लेचर को नहीं। मेरी ऐसी मान्यता है कि स्टेट लेजिस्लेचर को अधिकार है कि इस तरह के बिल बना सकती है। यह क्यों अधिकार हैं उसके बारे में मैं राय पेश करना चाहता हूँ कि वे क्या वजूहात हैं : पहली वजह यह है जो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर ने आपके सामने रखी है वह यह कि मोटर विहिकल एक्ट कॉनकरेन्ट लिस्ट पर है उस पर धारा सभा और पार्लियामेंट दोनों नियम बना सकती हैं, कायदे बना सकती हैं। ऐसी मिसालें आपको मिलेगी, यू. पी. की मिलेगी, बम्बई की मिलेगी। जो कॉनकरेन्ट लिस्ट पर है उसका अधिकार स्टेट लेजिस्लेचर को भी है और पार्लियामेंट को भी है। अगर स्टेट लेजिस्लेचर चाहे तो.......

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) एडोप्सन एक्ट के बाद भी।

श्री रामकिशोर व्यास : सुन लीजिये।

श्री चन्दनमल वेद (सरदारशहर) : Are you competent to amend the Central Act ?

श्री रामकिशोर व्यास : रूल्स को अमेंड कर सकते हैं, क्योंकि कॉनकरेन्ट लिस्ट पर दोनों का जुरिस्डिक्शन होती है।

दूसरी दलील यह है कि इस एक्ट को अडोप्ट किया है। जब अडोप्ट किया है तो अमेंडमेंट भी ला सकते हैं, लेजिस्लेट कर सकते हैं। जो अडोप्टेड एक्ट हैं उन पर धारा सभा को अधिकार है कि अगर उसके सामने बिल आये तो उस पर राय दे।

इन दो वजूहात से मुझे अर्ज करना है कि मौजूदा धारा सभा को इस बिल को सुनने, इस पर राय बनाने और इसको पास करने या न पास करने का पूरा अधिकार है।

श्री पी. के चौधरी (फुलेरा) : Can you pass a thing which is in cantravention of the Central Provisions.

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय विधि मन्त्री के कहने के बाद में मैं समझता हूँ कि पहले गुंजाइस नहीं थी लेकिन अब काफी गुंजाइस पैदा हुई है। उनका स्पष्ट मतलब है कि चूंकि हमने सेन्ट्रल का मोटर विहिकल एक्ट अडोप्ट किया है और अडोप्ट करने के बाद अधिकार प्राप्त होता है कि उसमें संशोधन कर दें। मैं ऐसा समझता हूं कि संशोधन करने का यह तरीका नहीं है। या तो आप संशोधन नहीं करते........मान लीजिये, थोड़ी देर के लिए यह मान ले कि आपको कुछ संशोधन करने का अधिकार है तो आपने रूल्स में अमेंडमेंट किया है अभी तक सेशन १४ में संशोधन नहीं किया है। जब तक उसमें कोई संशोधन नहीं करते हैं, आपके कहने के अनुसार, मैं समझता हूँ, पिछली कार्यवाही को किसी प्रकार वेलिडेट नहीं कर सकते।

दूसरा प्रश्न यह आता है कि आपने एडोप्सन किया है इस स्थिति में आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, यह बात नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि यह बिल्कुल स्पष्ट है कि उसमें कोई संशोधन नहीं कर सकते। अगर संशोधन करने की बात आती तो अपने १९५०

(श्री भैरोंसिंह)

में इसे अडोप्ट किया है, १९५६ के अन्दर सेक्शन १४।२। के अन्दर अमेंडमेंट हुआ उस समय विधान सभा की राय नहीं ली गई। यदि इस तरह की चीज होती, इस पर लेजिस्लेट करने का अधिकार होता तो जिस समय पार्लियमेन्ट अमेंडमेंट कर रही थी उस समय राजस्थान विधान सभा और बाकी की विधान सभाओं की कोई न कोई सहमति ली जाती लेकिन नहीं ली गई। यह कनक्लूजिवली प्रूफ है कि जो पार्लियामेन्ट का बनाया हुआ कानून है जिसे राजस्थान सरकार ने अडोप्ट किया है उसमें राजस्थान की सरकार या राजस्थान की विधान सभा किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं कर सकती। पार्लियामेंट यदि कोई संशोधन करना चाहे तो कर सकती है।

जहां वर्त्तमान केस है, सेक्शन ४४।२। का क्वेश्चन इसमें है। इसकी किसी प्रकार राजस्थान ने तामील नहीं की। उसके अनुसार कार्य नहीं किया तो उसके कारण कोई कार्यवाही अवैध होगी। क्योंकि दफा ४४।२। में बिना किसी प्रकार का संशोधन किये रूल में संशोधन करके उन चीजों को वेलिडेट करने की कार्यवाही करते हैं तो इसका मतलब यह है कि सेन्ट्रल लेजिस्लेचर की जो पावर्स हैं उनको रख कर उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि यह इस प्रकार का पोइन्ट है जिसमें आपकी ओर से निर्णय आना चाहिए और यदि आवश्यकता हो तो जैसा एक माननीय सदस्य ने सजेस्ट किया है ए. जी. की राय ली जाय।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): ए. जी. ?

श्री भैरोंसिंह : एडवोकेट जनरल।

श्री रामकिशोर व्यास : आपने पोईन्ट रेज किया है.... आपक्या फर्मा रहे हैं?

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय कानून मन्त्री ने यह फर्माया कि चूंकि यह कॉनकरेन्ट सबजेक्ट है इस वास्ते हम भी लेजिस्लेशन बना सकते हैं। सह यही है कि यह कॉनकरेन्ट सबजेक्ट है लेकिन कॉनकरेन्ट सबजेक्ट का मतलब यह है कि इस विषय में पार्लियामेंट कानून बना सकती है और स्टेट लेजिस्लेचर भी बना सकती है लेकिन पार्लियामेंट के बनाये हुए कानून में स्टेट लेजिस्लेचर अमेंडमेंट कर सकती है, इसमें मुझे डाउट है। मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट के बनाये हुए कानून में हम अमेंडमेंट नहीं कर सकते। यह सवाल अमेंडमेंट का है।

उनका कहना है कि यह कानून अडोप्ट किया है। १९५० में यह कानून अडोप्ट किया और १९५६ में अमेंडमेंट हुआ तो उसको अडोप्ट किया था या नहीं किया था? अडोप्सन का मतलब यह है कि चूंकि कॉनकरेन्ट सबजेक्ट है इस वास्ते सेन्ट्रल का कानून बनाया हुआ है वह आप पर भी लागू होगा। उसके फ्यूचर के लिए आपसे सहमति लेते नहीं, आपको कोई पूछता नहीं और वह इप्सोफेक्टो लागू होता है। जब यह बात है तो आप उस कानून में अमेंडमेंट नहीं कर सकते। उस कानून को कन्ट्रावीन करने के लिए फैसलों को वेलिडेट नहीं कर सकते और वेलिडेट वही कर सकते हैं जिन्होंने कानून बनाया है। मैं दर्ख्वास्त करूँगा कि इसको लाइटली नहीं किया जाय और एडवोकेट जनरल, जो इस सदन के

(श्री चन्दनमल वैद)

माननीय सदस्य हैं और इसलिए हैं कि इसके कामों के सिलसिले में सदन को कानूनी सलाह दिया करें, मैं समझता हूँ कि उनको बुलाया जाय और सदन को मौका दिया जाय। फिर तय कर सकें कि सचमुच में जो दो व्यूज हैं उनमें से कौनसा व्यू सही है और कौनसा गलत है। उनको कहने का मौका दिया जाय तो मैं समझता हूं कि ज्यादा अच्छा होगा। यदि हल्केपन से इसे लिया जायेगा तो जो दो, ढाई साल की कार्यवाही को जो यातायात मन्त्री की है वेलिडेट करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, एक दिन का समय बर्बाद कर रहे हैं, उसी तरह से फिर इनवेलिड हो जायेगा और फिर उसे वेलिडेट करने के लिए पार्लियामेंट को या लेजिस्लेचर को इकट्ठा होना पड़ेगा, समय बर्बाद करना पड़ेगा, हजारों रुपया जनता का बर्बाद होगा। एडवोकेट जनरल इस काम के लिए हैं और इस काम के लिए सदन के माननीय सदस्य हैं, उनको वेल्यूड राय हम सुनें और फैसला करें कि क्या करना चाहिए ?

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) :

It is also a point that while the Ordinance is passed, it is written that the Ordinance is passed under the assent of the President. The Governor cannot pass it without the assent of the President. Whether you have obtained the specific instructions on the point from the President that the State Legislature can pass this Ordinance.

श्री रामकिशोर व्यास (विधी मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, एक पोइन्ट और नया सदन के सामने रखा गया और बातें तो वही हैं मुझे उनको दुबारा दोहराने की जरूरत नहीं है। यह फिर से कहा गया कि इस बात को हल्के तरीके से न लिया जाय। जो सेन्ट्रल एनेक्टमेंट है और पार्लियामेन्ट ने लॉ बनाया है उसको हम अमेंड नहीं कर सकते, इसको पूरा जाँचा जाय। इसको हल्के तरीके से देखा गया तो दिक्कत और परेशानी होगी। मैं आपसे बहुत नम्रता-पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि इसको हल्के तरीके से देखने का सवाल नहीं है और हल्के तरीके से देखा नहीं है। जब बिल लाया गया उसके पहले सोचा गया, जाँचा गया। यह राय है कि जो कॉनकरेन्ट जुरिस्डिक्शन का बिल है उस पर लेजिस्लेचर बिल बना सकता है। कॉनकरेन्ट का मतलब यह है कि पार्लिया-मेन्ट एनेक्टमेंट कर सकती है....

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : उसके एनेक्टमेंट में अमेंडमेंट नहीं कर सकते।

श्री रामकिशोर व्यास : कॉनकरेन्ट का मतलब यह है दोनों लेजिस्लेशन कर सकते हैं। कॉनकरेन्ट लेजिस्लेशन का मतलब यह है कि स्टेट लेजिस्लेशन इस पर लेजिस्लेट कर सकती है और पार्लियामेन्ट भी कर सकती है। आपका फर्माना यह है कि पार्लियामेन्ट ने इसे बनया है इसलिए हम अमेंडमेंट नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते तो कॉनकरेन्ट लिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती, उनका बनाया है वैसा ही रहना चाहिए। कॉनकरेन्ट जुरिस्डिक्शन का अभिप्राय यह नहीं है कि उनका अधिकार है उसे अपन नहीं कर सकते। कॉनकरेन्ट सबजेक्ट इस प्रकार का नहीं हो सकता। कॉनकरेन्ट जुरिस्डिक्शन वह होगा जिसमें स्टेट का भी जुरिस्डिक्शन है पार्लिया-

Page No.90

(श्री रामकिशोर व्यास)

मेंन्ट का भी है। इस पर सोचा गया है, विचारा गया है। इसलिए पहले जैसा मैंने कहा है वही अभी कहता हूं। इसके अलावा पहले भी किया गया है। मैं इलेस्ट्रेशन दे सकता हूं, अपनी धारा सभा के दे सकता हूं। इन्डस्ट्रीयल डिस्प्यूट एक्ट सेन्ट्रल का है उसमें अमेंडमेंट किया है, सी. पी. सी. में अमेंडमेंट किया है, कॉनकरेन्ट जुरिस्डिक्शन था उसमें किया है, यह नई बात नहीं है। ऐसी मिसालें हैं जिनमें कॉनकरेन्ट जुरिस्डिक्शन के एक्ट्स में संशोधन किया है। मोटर विहिकल एक्ट अडोप्टेड एक्ट है इसलिए इसमें चेंज कर सकते हैं।

तीसरा आपने रूल्स के बारे में कहा। उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूँ कि मोटर विहिकल एक्ट में खुद में प्रोविजन दिया गया है कि जो रूल मेकिंग पावर्स हैं वह सेन्ट्रल से स्टेट को डेलीगेटेडे हैं, मोटर विहिकल एक्ट का सेक्शन है ....

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : वह है।

श्री रामकिशोर व्यास :A state Government may make rules for the purpose of carrying into effect the provisions of this Chapter.

It is Section 68...

तो वह रूल मेकिंग पावर स्टेट लेजिस्लेचर को दी हुई है। जब रूल मेकिंग पावर अन्डर दी लॉ स्टेट को दी हुई है तो स्टेट लेजिस्लेचर कॉम्पीटेन्ट है रूल्स बनाने के लिए। तो जो सदन रूल बनाने का अधिकार रखता है वह रूल्स को अमेंड करने का अधिकार भी रखता है। अगर रूल्स बना सकते हैं तो रूल्स का संशोधन भी कर सकते हैं। इसलिए इसमें दिक्कत पैदा होती नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि इस बात के लिए हाउस कॉम्पीटेन्ट है और इस पर लेजिस्लेशन कर सकता है।

श्री बिशम्भरनाथ जोशी (चाँदीकुई): On a point of clarification, sir.......

श्री उपाध्यक्ष : Yes please clarify the position.

श्री बिशम्भरनाथ जोशी : The Hon'ble Minister has stated that it is competent for the State Legislature to enact with respect to the subject of the Central But the position which is before us is different. A Central Act was passed which has been adopted to Rajasthan. That means we have made provisions of that Act applicable to the State of Rajasthan. Now the provisions of that Central Act regarding the Composition and Constitution of the State Transport Authority have been made applicable to the State of Rajasthan. But the effect of this would be to introduce an amendment in the Central Act. It is a cardinal principle that whenever there is a conflict between the Central and the State Govt. Acts, it is the Central Act which prevails upon.

श्री उपाध्यक्ष :Do you agree this proposition that C. P. C was passed by the parliament and....

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : No amendment was passed by this House.

श्री विशम्भरनाथ जोशी : There is a diffeience. Those provisions were not repugnant or contrary to the central Legislature and here we are enacting the Legislature wh ch will be in violation or contrary to the Central Legislation. So there is a difference.

श्री सोहनलाल भटनागर (सलुम्बर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें जो कॉनकरेंट लिस्ट आर्टिकल है उसमें दिया है :

Mechanically propelle vehicles including the priuciples on which taxes on such vehicles are to be levied. तो यह है कॉनकरेंट लिस्ट । आर्टिकल २५४ है उसमें लिखा है :

"Where a law made by the Legislature of a State with respect to one of the matters enumerated in the Concurrent 'List nontains any provisions of an earlier law made by Parliament or an axisting law with respect to that matter, then, the law so made by the Legislature of such State shall if it has been reserved for the consideration of the president and has received his assent, prevail in that State:"

श्री विशम्भरनाथ जोशी (चाँदीकुई): It is supporting.

श्री सोहनलाल भटनागर : असेंट ली है और प्रेसिडेन्ट की ली है यह तो मन्त्री महोदय बतायेंगे But the Law made by the Legislaure will be enforced.

श्री बिशम्भरनाथ जोशी : But only when it is assented by the President and not otherwise.

श्री चन्दनमल वैद : (सरदारशहर) माननीय उपाध्यक्ष, अभी सलुम्बर से आनेवाले माननीय सदस्य ने बताया रूल और कानून बना सकती है पर ऐसा रूल या कानून नहीं बना सकती जो पार्लियामेंट से बना हुआ है वह रूल या संशोधन उस कानून के विपरीत हो तो यह जो लेजिस्लेशन कर रहे हैं वह सेंन्टर का मोटर विहिकल एक्ट बना हुआ है उसकी मंशा के विपरीत है। १६ फरवरी, १६५७ के बाद जो एस.टी.ए. का कम्पोजिशन होगा उसका चेयरमैन जुडिशियल एक्सपीरियेन्स का आदमी होगा। हम इस लेजिस्लेशन के जरिये सेन्ट्रल एक्ट के इस प्रोविजन का कन्ट्रावेन्शन कर रहे हैं। तो क्या जो कानून पार्लियामेंट से पास हुआ है उसका हम कन्ट्रावेन्शन कर सकते हैं ?...

श्री उपाध्यक्ष : I have grasped the position. The point is whether the Bill be referred to the Select Committee and so the debate is continuing on this position only. When its disposed of, then it will be desirable for the House when it is taken for consideration.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरीबाजार,) The Bill is here for consideration to the select Committee.

Page No.92

श्री उपाध्यक्ष : So we are to dispose of this first question and then the second question will arise for consideration. You can, therefore, consider this question lateron.

श्री चन्दनमल वैद : मेरा प्रश्न यह है कि जो पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोइन्ट सदन के सामने है उसका निर्णय नहीं कर लेते तब तक आगे कैसे प्रोसीड हो सकते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करूंगा कि सलेक्टकमेटी को रेफर कियाजाय या नहीं, यह प्रश्न सदन के सामने है। सलेक्ट कमेटी को यह चला जाता है तो इस पर सलेक्ट कमेटी निर्णय करेगी . . .

एक माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष .....

श्री उपाध्यक्ष : You give me a patient hearing...................................

दूसरा यह है कि इस प्रश्न के समाप्त हो जाने के बाद कन्सीडरेशन के आधार पर सदन के सामने आता है तो उसस्टेज पर भी निर्णय लिया जा सकता है ।

तीसरे मैंने कहा मैं दत्तचित होकर इसका अध्ययन कर रहा हूँ तब तक आप इसको आरम्भ रखें । आरम्भ रखिये । मैं अपनी रूलिंग इस पर देने वाला हूं । आप आरम्भ रखें ।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : On a point of Order, Sir,.......................

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): There is a motion before the House. One is that the Hon'ble Minister....

श्री उपाध्यक्ष : There is a point of Order now raised by Shri Bhairon-Singh and that is to be given a preference.

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय उपाध्यक्ष, आपने बहस करने की आज्ञा दी। निश्चित रूप से आपकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा और करना भी चाहिए। पर मैं जानकारी चाहूँगा कि जब सदन के सामने एक प्रकार की बात चल रही है कि जिस पर सदन बहस कर रहा है उस पर बहस करने का अधिकार नहीं है तो क्या सदन को अधिकार है कि जिस पर बहस नहीं कर सकता उसको सलेक्ट कमेटी में भेजने के बारे में बहस कर सके ? विवेचन मुद्दे का यह है कि हम इसको कन्सीडर कर सकते हैं कि नहीं ? यदि बद्किस्मती से हाउस ने निर्णय ले लिया कि सलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय तो बाहर के लोग क्या कहेंगे कि जिस पर सदन बहस नहीं कर सकता था उसको डिस्कस करके सलेक्ट कमेटी में भेज दिया। हाउस द्वारा सलेक्ट कमेटी में भेजे जाने का निर्णय ले लेने के बाद में यदि माननीय उपाध्यक्ष द्वारा यह निर्णय दे दिया जाता है कि हाउस इस पर बहस नहीं कर सकता तो लोगों के दिमाग में क्या इम्प्रेशन पैदा होगा कि राजस्थान विधान सभा ने उस चीज को सलेक्ट कमेटी में भेजने का निर्णय ले लिया जिस पर कि उसे डिस्कस करने का अधिकार नहीं था।

इस लिए मैं चाहूँगा कि यदि इस प्रकार की दिक्कत होती है तो हाउस को एड्जर्न कर

(श्री भैरोंसिंह)

दिया जाय और कल रूलिंग दे दी जाय यदि इस प्रकार की व्यवस्था होती है तो ज्यादा उपयुक्त होगा।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर-पूर्व): इस सम्बन्ध में माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपका ध्यान कॉन्स्टिट्यूशन की धारा २५४ (२) की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, इसमें लिखा है :

"Where a Law made by the Legislature of a State specified in Part A or Part B of the First Schedule with respect to one of the matters enumerated in the Concurrent List contains any provision repugnant to the provisions of an earlier law made by Partiament or an existing law with respect to that matter, then the law...

अनेक माननीय सदस्य : Not Audible.

श्री उपाध्यक्ष : He would have been audible for me but you have disturbed.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : "then the law so made by the Legislature of such State shall, if it has been reserved for the consideration of the President and has received his assent, prevail in that State.........

सो मंशा यह है कि जो कॉनकरेंट लिस्ट में है उसके सम्बन्ध में पार्लियामेंट के कानून होते हुए भी विधान सभा प्रेसिडेन्ट की राय लेने का इरादा रखते हुए अपने विधेयक को डिस्कस कर सकती है।

श्री उपाध्यक्ष : I hope we have enongh discussion on this Constitutional Point in the light of my observation.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपके आदेशानुसार मैं इस बिल के संबंध में अपने विचार रखूंगा लेकिन साथ में यह अफसोस जरूर जाहिर करूंगा कि ऐसी कठिन और विषम परिस्थिति में जब कानून की बात पैदा होती है कम से कम हमारे लॉ मिनिस्टर साहब को हाउस को कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन के बारे में पोजिशन क्लीयर करनी चाहिये लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि कॉन्स्टीट्यूशनल पोजिशन उन्होंने गहराई के साथ नहीं रखी।

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने अपने विचार आपके सामने रखे। आप उनको मानें या नहीं मानें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : This is very unfortunate for us to have such a Law Minister who cannot give us proper interpretation on the law point which is simple before us.

श्री उपाध्यक्ष : Be true to the debate rather than personal.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं इसी संबंध में निवेदन कर रहा हूं। इस बिल के बारे में सदन के अधिकांश सदस्यों ने अपने अपने विचार व्यक्त किये और इस बिल का

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

विरोध करने के बारे में जब मैं खड़ा होता हूँ तो मुझे स्मरण होता है कि इस बिल को पाइलोट करनेवाले माननीय यातायात मन्त्री सम्भव है उन पर मेरे विचारों का शायद कोई असर न पड़े क्योंकि वे कहते हैं कि कौए के काँव काँव करने से ढ़ोर मरते नहीं। यदि इसी एटीच्यूड के साथ बैठे हैं तो मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। लेकिन माननीय उपाध्यक्ष, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो स्थिति खड़ी हुई है वह १९५७ के फरवरी के महीने में राजस्थान की सरकार ने एस० टी० ए० और आर० टी० ए० का कॉन्स्टिट्यूशन किया उसके बारे में हाई कोर्ट में रिट हुई और हाई कोर्ट ने निर्णय लिया कि आर. टी. ए. और एस. टी. ए. के चेअरमैन जुडिशियल एक्सपीरियेन्स के आदमी होने चाहिये जो नहीं थे और इसलिए उनका कॉन्स्टिट्यूशन इल्लीगल था।

मगर उनके कितने ही निर्णय हो गये इसलिए उनको वैध रखने के लिए इस कानून को सदन में पेश करना आवश्यक हुआ। माननीय उपाध्यक्ष, यह कानून पेश किया है उसके संबन्ध में ऑर्डिनेन्स निकाला उसके स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रिजन्स में साफ लिखा है कि अगर हमने इसको वेलिडेट नहीं किया तो यह हो सकता है कि जितने भी पेन्डिंग केसेज होंगे जैसा कि यातायात मंत्री ने अपने भाषण के प्रारंभ में बताया लगभग १,००० केसेज होंगे उनको री-ओपन करना होगा और काम बहुत बढ़ जावेगा, इसलिए सरकार ने यह उचित समझा कि इसको वेलिडेटिंग किया जावे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इन सारी बातों को दो हिस्सों में बाँट सकते हैं। प्रश्न यह पैदा होता है कि पुराने केसेज के लिए वेलिडेट किया जावे तो भविष्य के बारे में राजस्थान हाई कोर्ट का रूलिंग है और उसकी जो भावना है क्या राजस्थान सरकार ने उसका आदर किया है ? मैं समझता हूं कि सरकार ने जो रवैया अख्तियार किया है वह किसी प्रकार से प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता। राजस्थान सरकार ने किसी जेल गये हुए व्यक्ति को जिसको हाई कोर्ट ने सजा दी नौकरी में रख लिया और उसको राजस्थान सरकार ने प्रोफेसर बना दिया और जिस समय राजस्थान विधान सभा में उसके लिए प्रश्न खड़ा हुआ तो यह कहा गया कि हाई कोर्ट के निर्णय के बाद हमको अधिकार है कि हम नियुक्ति कर सकते हैं। हाई कोर्ट के निर्णय पर सरकार बैठ सकती है। सरकार अपना सुपीरीयर राइट मानती है तो मैं समझता हूं कि यह जुडिशियरी का बड़ा भारी अपमान है। अगर ऐसा हुआ तो लोगों का जुडिशियरी से भी विश्वास हटता जावेगा जिस तरह से लोकतन्त्र से हटता जा रहा है। लोकतंत्र में केवल लोगों को विश्वास बचा है तो वह जुडिशियरी में ही है। मैं समझता हूं कि अगर राजस्थान सरकार इसके साथ भी इसी प्रकार का खिलवाड़ करेगी तो राजस्थान के लोगों में जुडिशियरी के प्रति जो विश्वास है वह भी निकल जावेगा। मैं माननीय यातायात मंत्री को यह कहना चाहता हूं कि पुराने केसेज को री-ओपन नहीं किया जावे, उनको हम वेलिडेट करने जा रहे हैं ठीक है, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या राजस्थान हाई कोर्ट की मंशा नहीं है ? आप टेकनिकेली और लीगली न जाइये कि जो आदमी अपील के लिए चुने जावें वे आदमी जुडिशियल माइन्ड और एक्सपीरियेन्स के होने चाहियें ताकि वे किसी भी प्रकार

Page No.95

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

से लोगों को जस्टिस दे सकें; जिससे लोगों को सद्भावना और विश्वास हो सके, क्या यह जजमेंट की स्प्रिट नहीं है? अगर है तो मैं पूछना चाहूंगा कि क्या आवश्यकता थी कि भविष्य में नाथूराम मिर्धा को चेयरमैन बना कर रखा जावे। मैं आपकी दलीलों की प्रशंसा करता और स्वागत करता अगर आप इस बात को कहने और घोषणा करने के लिए तैयार हैं कि जब तक अपील सुनने का प्रश्न है मैं चेयरमैन नहीं रहूँगा। माननीय उपाध्यक्ष, श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने आसाम हाई कोर्ट की तीन लाईनें सामने रखी और बताने की कोशिश की। यदि किसी माननीय मंत्री की जनता में प्रतिष्ठा भंग हो चुकी हो, यदि वे लोगों में अपना विश्वास खो चुके हों तो मैं समझता हूँ कि उनको उस पद पर नहीं रहना चाहिये। मैं समझता हूँ कि जहाँ तक यातायात का सम्बन्ध है आप किसी भी व्यक्ति के पास चले जावें, परमिट होल्डर की बात नहीं कहूँगा, साधारण पब्लिक की बात कहता हूँ, मैं बता सकता हूं जहां तक ट्रान्सपोर्ट का सम्बन्ध है लोग यही कहते हैं कि यह विभाग करप्शन का विभाग है। अजमेर और जयपुर की बसों को लें, माधोपुर और जयपुर की बसों को लें, देवली और टोंक को लें जयपुर और दिल्ली को लें। मैं यह कहूँगा कि अजमेर और जयपुर रूट पर सुबह ६ बजे स्टे ऑर्डर हो जाता है। और दो दिन बाद स्टे हट जाता है। यह कहा जाता है कि बसें नहीं चलेंगी। दो दिन स्टे ऑर्डर रहता है फिर दो दिन के बाद चलने लग जाती हैं। फिर स्टे हो जाता है। यह सारी बातें घर पर फाईलों पर दस्तखत करने से होती हैं। पूरी फाईलें सामने नहीं होती इसलिये ठीक तरह से जजमेंट नहीं होते। स्टे ऑर्डर जारी कर देते हैं। क्या अजीब तमाशा है? हाईकोर्ट के जजमेंट होते हैं मगर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। यदि मैं सारी बातें कहूँगा तो माननीय यातायात मंत्री को कड़वी लगेंगी इसलिये मैं कहना नहीं चाहता। राजस्थान में लोग ऐसा महसूस करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मर भी जावे तो मरे हुए व्यक्ति के नाम से परमिट चालू रहता है और वह रिन्यू हो सकता है। कोटपुतली में में एक आदमी मर चुका है। मगर फिर भी उसके नाम से परमिट रिन्यू हो रहा है। माननीय मंत्री महोदय से शिकायत करते हैं मगर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। आप चाहें तो मैं इसकी सारी बातें आपको बाद में बता सकता हूँ। लोग चिल्लाते हैं और पुकारते हैं मगर सारी बातों को यह कह कर टाल देते हैं कि कौए के चिल्लाने से ढोर मरते नहीं हैं। यदि इसी प्रकार का दृष्टिकोण है तो मैं यह कहूँगा कि वे किसी भी ऑथेरेटी में रहने के काबिल नहीं। इसलिये मैं यातायात मंत्री से निवेदन करूंगा कि आपके पेन्डिंग केसेज को री-ओपन नहीं करावें लेकिन भविष्य में हाईकोर्ट के डिसीजन को टालने के लिये आपने रूल १०८ में एमेन्डमेंट कर दिया है। जब हाई कोर्ट ने निर्णय ले लिया है तो हमें यह कहना चाहिये था कि इतने दिन हम गफलत में थे, हमें मालूम नहीं था कि हमें चेयरमैन रहना चाहिये या नहीं। लेकिन यह आपकी प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। मुझे भी आपसे सहानुभूति है। हम 'मगर बड़े बे आबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले'। मैं समझता हूं कि इससे प्रतिष्ठा भंग हुई है। मैं समझता हूं कि The Hon'ble Chairman of the Transport Authority Shri Nathu Ram Mirdha is not qualified for the Chairmanship. आप अब

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

तक जुडिशियल ऑफिसर का क्लेम करते थे। यह बाहरी बात है मगर उसका अब एक्स-रे हो गया और आज वह जजमेंट हिन्दुस्तान के कोने २ में जावेगा। हिन्दुस्तान के कोने कोने के लोग पढ़ेंगे। लीगल लोग उसको पढ़ेंगे। उसको सुप्रीम कोर्ट के जज भी पढ़ेंगे। अगर आप फिर भी चिपके रहेंगे जब कि आपके खिलाफ निर्णय हुआ तो यह शंका पैदा होगी कि आप इसके लिए चिपके क्यों रहना चाहते हैं ?

४ म०प०

जयपुर में एक चिपक महादेव थे। हमें पता नहीं दूसरे पैदा हो गये। आखिर इन सारी चीजों को हमें नहीं रखना चाहिये। यदि लोगों को अपने साथ लेना है, यदि हमारा पाक दामन साफ है, हमारे दिल में किसी प्रकार का कलंक नहीं है, किसी प्रकार की दुर्भावना नहीं है तो स्पष्ट कहना चाहिये। मंत्री पद से आप हटते नहीं हैं। मंत्रीत्व रखते हुए आप वहां पर हैं। आपको कोई एक्स्ट्रा तनख्वाह मिलती नहीं है, मोटर मिलती नहीं है, कोई एक्स्ट्रा भत्ता मिलता नहीं है जहां तक मेरी जानकारी है। असूल से जो कुछ आपको मिलेगा वह वहां पर भी मिलेगा। वहाँ रहें तो मिलेगा और नहीं रहें तो भी मिलेगा। फिर आपको इस झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है। फिर आपको उस काजल की कोटरी में जाने की आवश्यकता क्यों हुई ? यदि आपका पाक दामन साफ है तो फिर आपको इस झंझट में नहीं पड़ना चाहिये। आप कहते हैं कि रहूंगा। लोग पूछते हैं कि क्यों रहेंगे ? आपके ऊपर चार्जेज, एलीगेशन्स, आरोप लगने के बाद आप कहें कि मैं वहां बैठूंगा तो लोग समझते हैं कि दाल में काला है। क्या बात है ? आपको छोड़ देना चाहिये यदि आपका पाक दामन साफ है तो। प्रभुदयालजी लोईवाल एपीलेट ऑथेरिटी में रहेंगे। काम करनेवाले दूसरे लोग भी हैं। काम कोई करता है और नाम किसी का चलता है। इसी सदन में हमारे वित्त मंत्री महोदय ने भाषण देते हुए कहा कि मैं आंख मींच कर दस्तखत करता हूं, मेरे सेक्रेटरी काम चलाते हैं। परमिट किसी और के नाम है और बस चलाते कोई और हैं। जयपुर का मुझे पता है प्लॉट्स किसी के नाम से लिये गये, मकान किसी दूसरे ने बनाया, रहता कोई और है, उपयोग कोई करता है। पाक दामन साफ होकर आना चाहिये। राजस्थान की इस विधान सभा में, मैं विरोधी दल की बात नहीं करता, करता हूं आपके दल की बात, आपकी पार्टी के लोगों ने आरोप लगाये हैं, हमारे समर्थन में इस बिल पर बोले हैं, आपकी पार्टी के लोगों ने इसका विरोध किया है। भविष्य के लिए व्यवस्था न करें। अपीलेट ऑथेरिटी का जहां तक ताल्लुक है आप उसको छोड़ दें। मैं यातायात मंत्रीजी से निवेदन करते हुए कहूँगा कि आपके दिल में एक सन्यास वृत्ति जागृत हुई है कि दस वर्ष तक इस पद पर रहे, छोड़ देना चाहते हैं इसको तो फिर इस अपीलेट ऑथेरिटी में क्यों चिपकना चाहते हैं ? इससे चिपकने में खतरा है। उनके हित की दृष्टि से, शुभ चिन्तक होने के नाते, जैसा मैंने पहले कहा कोई बे-आबरू होकर निकला कूचे से, सहनुभूतियाँ होती हैं सहानुभूतियां लेकर दुबारा उस कूचे में नहीं जाता। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जिस कूचे से बे-आबरू होकर निकले उस कूचे में नहीं जाना चाहिये। मकान है, ओहदा है, गद्दी है, शान के साथ

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

आप बैठिये। मैं समझता हूँ कि जिस बात को लेकर सारा झगड़ा हुआ है उसमें नहीं पड़ेंगे और जैसी श्रीमाधोपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने माँग की है, आपके दल के, पार्टी के सदस्यों ने जो भावना व्यक्ति की है आप वोट से, कानून से जो चीज चाहें कर सकते हैं लेकिन लोगों की भावना को नहीं दबा सकते हैं। सदन में माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई भावनायें डेढ़ करोड़ जनता की भावनायें हैं, उनका समादर करेंगे, उनकी इज्जत करेंगे और इस परिस्थिति को स्वीकार करेंगे कि पिछली कार्यवाही डिवेलिडेट कर देंगे, मैं अपीलेट ऑथेरिटी का चेयरमैन नहीं रहूँगा, ऐसी घोषणा करेंगे, इन विचारों के साथ इसका विरोध करते हुए स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, काफी समय हो चुका है। बहुत से माननीय सदस्यों ने इस पर विचार रखे हैं। मुझे जहां तक माननीय सदस्यों के विचार सुनने का मौका मिला है और सभी माननीय सदस्यों को सुना है। मैं समझता हूँ अधिकांश सदस्य एक बात के लिए तो एक मत हैं और उनकी राय है कि ठीक बात है कि इस विधेयक का जहां तक सवाल है एक बात को मान्य कर लिया जाय कि जो फैसले हो चुके हैं उनको वेलिडेट कर दिया जाय और प्रायः समस्त सदस्य, एक भी सदस्य, जहां तक मैंने भाषण सुने हैं, किसी ने इस बात का समर्थन नहीं किया कि बाद में भी मंत्री महोदय उस स्थान को दूसरे दरवाजे से जो रखना चाहते हैं उनको रखना चाहिये, इसका समर्थन किसी ने भी नहीं किया।

आज सबसे बड़ा सवाल जो डेमोक्रेसी में हमारे सामने है वह यह है यदि हम को जनतन्त्र को वाकई सही माने में स्वीकृत करना है और आज जो हमारे सामने, देश के सामने जनतांत्रिक परम्पराओं के खिलाफ अप्रजातात्रिक परम्पराओं का संघर्ष चल रहा है और बार बार जो यह सवाल आता है और सत्ताधारी पक्ष को यह कहा जाता है कि वह अप्रजातान्त्रिक है, यद्यपि इसका विधान अपने आप में प्रजातान्त्रिक है किन्तु वह कार्य में अप्रजातान्त्रिक है और इसके लिए मुल्क में नाना प्रकार के उदाहरण दिये गए हैं। केरल के मामले में कितने उदाहरण दिये गए हैं? जब केरल के बारे में कहते हैं तो लोग कहते हैं कि कौन सा राज्य है भारतवर्ष में जहां जनतंत्र का हनन नहीं होता? कहाँ पर प्रजातंत्र में बुराई नहीं बताई गई? बताया गया कि राज्यों में पक्षपात है, पार्टी के लिए ही दिमाग बना हुआ है। इसको लोग बार बार कहते हैं और सारे लोग जो जनतंत्र में विश्वास करते हैं और जिनकी इसमें धारणा बन गई है कि देश में जनतंत्र की रक्षा करना है ऐसी हालत में ऐसे मुद्दे पर जो अप्रजातान्त्रिक है उस पर विचार करना पड़ेगा, प्रजातंत्र का उसूल मानना पड़ेगा।

एक ओर प्रशासन और दूसरी ओर न्याय। प्रशासन करनेवाले न्याय की कीमत नहीं करेंगे तो प्रजातन्त्र किसी हालत में स्थिर नहीं कर सकते और उसकी रक्षा नहीं हो सकती। दोनों चीजों को बराबर लेकर चलने से ही देश में जनतन्त्र को रख सकते हैं। इतना इसका कड़ा विरोध होने पर भी और एक भी सदस्य इस पक्ष का न होने पर भी उसी चीज पर डटे रहते हैं और इसको अपना व्यक्तिगत सवाल बना लेते हैं और प्रतिष्ठा का सवाल बना लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि

(श्री मुरलीधर व्यास)

हो सकता है कि आपके विचार में यह प्रतिष्ठा का हो परन्तु इस प्रकार की चीजें आगे जाकर मुल्क में जहां प्रजातंत्र कायम करना चाहते हैं उसके लिए खतरा पैदा करते हैं। मैं यहां तक कहना चाहता हूँ कि हमारे इस विभाग के मंत्री महोदय इस उद्देश्य से कि यह मेरी प्रतिष्ठा का सवाल है इस पद पर रहना चाहते हैं और इसको प्रतिष्ठा का सवाल बनाना चाहते हैं और हाई कोर्ट की ओर से फैसला होता है कि आप वहां पर नहीं रह सकते हैं। आपको सम्मान रखना है तो सम्मान उसी में होता है कि मंत्री मंडल से ही त्याग पत्र दे दें, कि मैं इसको ठीक नहीं समझता हूँ और मैं इससे त्याग पत्र देता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : As against the verdict of High Court.

श्री मुरलीधर व्यास : अपोजीशन नहीं होता। जब आप प्रतिष्ठा का सवाल बनाते हैं तो अगर इससे आपके दिल को ठेस पहुँचती है तो आपको इससे अलग हो जाना चाहिये। मैं समझता हूँ इसका विरोध करने के लिए किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का सवाल बनाना है तो उसको चाहिये कि वह उस फैसले के विरुद्ध अपना असंतोष जाहिर करे और अपने पद से अलग होकर बैठ जाय। मोरल तो यही कहता है और इसको हिम्मत के साथ करना चाहिये। चाहे न्याय की दृष्टि से ठीक ही फैसला हुआ हो अगर वह इसको ठीक नहीं मानता तो उसको चाहिये कि वह अपने पद से इस्तीफा देकर अलग हो जाय। अगर वे ऐसा करने की स्थिति में नहीं हैं तो उनको न्यायालय के फैसले को मान्य करना चाहिये। इसके साथ साथ जनतंत्र की रक्षा करने के लिये हमको इसका ख्याल अवश्य करना चाहिये। मैं आप से कहना चाहता हूँ एक बात। वह मेरे दिमाग की बात है जो मेरे दिमाग में स्पष्ट है वह यह कि यह जो कार्यवाही आप करने जा रहे हैं वह जान बूझ कर कर रहे हैं और प्रारम्भ से ही करते जा रहे हैं जब कि इस प्रकार का कानून पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया और उसके बनने के बाद भी आपने जान बूझ कर अपने आपको उससे अलग रखा और आज भी हम जानबूझ कर बनाये रखना चाहते हैं इससे बढ़ कर पतन की और क्या चीज हो सकती है ? मेरे दिमाग में यह भी बात है कि आप चाहते हैं अपने पद को कायम रखना ताकि आपके सम्पर्क में जो कुछ लोग हैं उनको फायदा पहुँचा सकें, उनको किसी प्रकार राहत दे सकें, इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप इस पद पर चिपके रहना चाहते हैं। सारे राजस्थान के आर. टी. ए. के जो मेम्बर्स हैं उनका चुनाव किस आधार पर किया गया है वह किसी से छिपा नहीं है। इसमें जातिवाद और अपने सगे सम्बन्धियों को किस प्रकार रखा है यह सर्व विदित है, आप भले ही इसको डिनाइ करिये। आप कह सकते हैं कि यह बात ठीक नहीं है लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यह जो आपका दिमाग है, आपके दिमाग में जो इस प्रकार की धारणा है और आप जिस तरह से काम करना चाहते हैं वह हमारे लिये और हमारी इस डेमोक्रेसी के लिये बड़ा भारी खतरा साबित हो सकता है। इसलिये हमें पहले से ही इस बारे में सचेत हो जाना चाहिये। इसमें कोई प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है। हमें मिल करके प्रजातंत्र की रक्षा करनी है। इसमें जो इस प्रकार की बुराइयां व्याप्त हो गई हैं उन सारी बुराइयों को दूरदर्शिता के साथ देखना चाहिये। सही मायने में अगर हम

(श्री मुरलीधर व्यास)

प्रजातंत्र की रक्षा करना चाहते हैं तो हमें जो इस प्रकार के व्यक्तिगत लाभ के लिये जो कानून बनाना चाहते हैं उसका विरोध करना चाहिये और सबको मिल कर प्रजातंत्र की रक्षा की कोशिश करनी चाहिये। मैं इस बारे में कहना नहीं चाहता कि परमिट किस प्रकार से दिये जाते हैं और किन किन को दिये गए हैं। इसके बारे में उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं। इसके बारे में सदन के सभी माननीय सदस्य परिचित हैं और राजस्थान की जनता भी परिचित है। इसके अन्दर किस प्रकार का काम चलता है यह किसी से छिपा नहीं है। इस पर ज्यादा नही कहता हुआ मैं इस संबंध में इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर इस सम्बन्ध में हमारे मुख्य मंत्री महोदय और मंत्री मंडल के अन्य सदस्यगण इस पर गम्भीरता से विचार करेंगे तो उनको पता चलेगा कि हमने पहले गलती की ऐसी ही गलती और तो नहीं कर रहे हैं। पहले तो हमने यह गलती की कि पार्लियामेंट द्वारा कानून बनाया हुआ है उसको ताक में रख कर हमने मनमाना किया यह एक गलती की। उसके बाद में हजार लोगों को परमिट दिये इस तरह से एक हजार गलतियां कीं। क्योंकि वे सब गैर कानूनी करार दे दिये गए। इस तरह से १,००१ गलतियां तो हो गई। उसके बाद भी हम सब मिल कर जनता के नाम पर जनता की भलाई के दृष्टिकोण की दुहाई देते हुए इस प्रकार के कानून को पास करने जा रहे हैं ? खैर, हमने एक गलती की उसके बाद एक हजार गलतियां की उसके बाद भी १,००२ गलती अब क्यों करने जा रहे हैं ? इससे होगा क्या कि जनता को कहने का मौका आवेगा। इस तरह से गलतियां बढ़ती जायेंगी वैसी हालत में जनतंत्रात्मक पद्धति के आधार पर काम करना हमारे लिये कठिन हो जावेगा। इसलिये माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जितनी भी गलतियां हो गई उनको वाकई समाप्त करना चाहते हैं और आगे गलती न हो तो उनको चाहिए चाहे यह कितनी ही ठीक बात हो बहुमत आपके पास है आप इसको मान्य करा लेंगे लेकिन मैं आप से यह कह सकता हूँ आप फिर सदन में इस प्रकार की बातें करने का मौका लायेंगे और आम जनता यह कहेगी कि किस प्रकार हमारी राज्य सरकार एक के बाद एक गलती करती जा रही है आम लोगों के नाम पर। हमें इस स्थिति को गंभीरता से देखना है। इस पर इतना निवेदन करता हुआ मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि आगे इस प्रकार की गलती न हो इसलिये इस पर गम्भीरता से विचार करें।

(श्री विशम्भरनाथ जोशी के बोलने हेतु खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : ऑनरेबल मिनिस्टर-इन्जार्च ऑफ दी बिल।

श्री नाथूराम मिर्धा (यातायात मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में वैधकरण विधेयक के सम्बन्ध में जो बहस हुई है उसको मैंने बड़े ध्यान से सुना है। इसी वैधकरण बिल के साथ में मैंने राजस्थान मोटर विहिकल्स रूल्स १९५१, के नियम १०८ के संशोधन को भी सदन की मेज पर रखा है। जहां तक इस कानून के वैधकरण करने का प्रश्न है वहां बहुत से माननीय सदस्यों ने इसके पक्ष में अपनी सम्मति जाहिर की है। जो रूल १०८ हमने अमेन्ड किया है उसके बारे में भी कुछ माननीय सदस्यों के दिमाग में शंका थी और कुछ ने जान बूझ कर

(श्री नाथूराम मिर्धा)

ट्रान्सपोर्ट विभाग की आलोचना जिस प्रकार बजट के समय की जाती है उसी प्रकार चर्चा का विषय बनाया। माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपके जरिये सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूँ कि यह सही बात है जिस पर जोर दिया जाता है प्रजातंत्र के पनपाने के लिये सही परम्परायें होनी चाहिये। प्रजातंत्र की यह भी मान्यता है कि बहुमत होते हुये भी अल्प मत की जो राय होती है वह सही भी हो सकती है, उसमें भी दो तरह की राय हो सकती है। अब मैं इस बारे में निवेदन करूंगा कि यह वैधकरण विधेयक हमें यहां क्यों लाना पड़ा। मैं इसकी भूमिका पहले भी कुछ निवेदन कर चुका था फिर भी दुबारा आपकी जानकारी के लिये निवेदन करना चाहता हूँ। हमारे आर. टी. ए. और एस. टी. ए. के लिए कानून के तहत में कुछ नियम थे रूल ७६ और रूल ७७। इसके बारे में जैसा कि हाई कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा और जिसका जिक्र श्रीमाधोपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने किया कि एक सज्जन ने हाई कोर्ट में इस बात की रिट की है कि जो परमिट दिये गये हैं वे गलत दिये गये हैं और इसी सिलसिले में यह पोइन्ट उठा था।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : मैंने परमिट के बारे में नहीं कहा था कि गलत दिया गया है इसलिये रिट की। उनकी परमिट की दर्ख्वास्त रिजेक्ट कर दी थी इसलिये रिट हुई।

श्री नाथूराम मिर्धा : उनका यह कहना था कि जिन लोगों को परमिट दिया गया है उनको नहीं दिया जाना चाहिये इस प्रकार की शिकायत थी। इस सिलसिले में आर. टी. ए. और एस. टी ए. के कॉन्स्टिट्यूशन को हाई कोर्ट में चेलेन्ज किया गया। हाई कोर्ट ने रिट के अनुसार हमारे नियम ७६, ७७ के अन्तर्गत जो आर. टी. ए. और एस. टी. ए. का निर्माण हुआ है उस बारे में राय जाहिर की है। ये रूल्स बने ५७ में और उस समय तक नया कानून फोर्स में आ चुका था और धारा ४४ में संशोधन होने की वजह से जुडिशियल एक्सपीरियेन्स का एक नया प्रोविजन रखा गया है। इन रूल्स के अन्दर एस. टी. ए. के कॉन्स्टिट्यूशन को सही माना नहीं जा सकता। जो दलील श्रीमाधोपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने दी है उसको मैं दुहरा देना चाहता हूँ। इस सम्बन्ध में जो हाई कोर्ट का जजमेंट है वह ४५, ४६ पेज में है उसको पढ़ना चाहें वे पढ़ सकते हैं।

जो बात कहनी है वह यह है कि कमिश्नर आर० टी० ए० का चेयरमैन है और आर० टी० ए० का चेयरमैन जुडिशियल एक्सपीरिएन्सड होना चाहिए। पर अब मौजूदा कमिशनरों को चेयरमैन बनाया गया है। हो सकता है कि जुडिशियल एक्सपीरियेन्स व्यक्ति का इन्टरप्रिटेशन कुछ और किया हो। हाई कोर्ट ने यह कहा है कि जिन्होंने सिविल या क्रिमिनल नेचर के केसों को ट्रायल किया हो वे होंगे, दूसरे केस किये होंगे तो उनको जुडिशियरी एक्सपीरिएन्स का आदमी नहीं मानेंगे। रूल ७७ के नीचे कमिशनर को बनाया गया है। वे इस प्रकार के कमिशनर भी हो सकते हैं कि जो सिविल और क्रिमिनल केसों का अनुभव न हो तो केवल कमिशनर लिख कर चेयरमैन कह देने से वर्डिंग को सही नहीं मानते इसलिए आर. टी. ए. का कॉन्स्टिट्यूशन ठीक नहीं है। ऐसा हवाला दिया है हाई कोर्ट ने।

(श्री नाथूराम मिर्धा)

इसके बाद में एस. टी. ए. के चेयरमैन के सिलसिले में यह मामला जब सामने आया जैसा कि श्रीमाधोपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने बताया हाई कोर्ट ने जो वर्ड रखा उसमें यह रखा गया कि जिस लिमिटेड सीमा में जुडिशियरी एक्सपीरिएन्स को हम मानते हैं उसका वह मतलब उसने नहीं लगाया है बल्कि एक एडवोकेट सात साल का अनुभववाला या सेशन जज दस साल की स्टेंडिंगवाला जो हाई कोर्ट का जज बन सकता है वह चेयरमैन बन सकता है अपने व्यू पोइन्ट एडवोकेट ने, सरकार के एडवोकेट ने रखा। पर हाई कोर्ट ने उसे नहीं मान कर यह माना कि जुडिशियरी एक्सपीरिएन्सड व्यक्ति उसको मानेंगे जो सिविल और क्रिमिनल नेचर के केसों को ट्रायल कर चुका हो। तो एस० टी० ए० का चेयरमैन इस हिसाब से होना चाहिए। यह हाई कोर्ट का फैसला है। इसको उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन को बता देना चाहता हूं कि सरकार ने साफ तौर से मान्य किया है। परन्तु इसके अन्दर डेफीनेट तौर से दो रायें हो सकती हैं जैसा मैंने पहले भी कहा है और इस मामले को अपील के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की भी बात है और इसके लिए हमने हाई कोर्ट से स्पेशल लीव मांगी थी पर उसे उसने नामन्जूर कर दिया। पर हमने सुप्रीम कोर्ट में सीधी अपील पेश की है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है वह अलग बात है। पर........

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : This matter of going to the Supreme Court, is it being proceeded by the Transport Department ?

श्री नाथूराम मिर्धा : Yes.

श्री भैरोंसिंह : Under your directions ?

श्री नाथूराम मिर्धा : It is under the directions of the Government, and as I am the Government of today, it is under my directions.

इस हाई कोर्ट के फैसले को हमने बराबर मान्य किया और जो बात उन्होंने कही उसके मुताबिक रूल ७६ को हमने संशोधित किया है।

श्री श्रीभानसिंह : Are you the Governmenet of today or you are a part of the Government of today?

श्री नाथूराम मिर्धा : I am the Government regarding my department. In certain matters I am the Government.

इसके बारे में Constitutional position मैंने तो रखी है। इस के बारे में मुझे ज्यादा कहने करने की जरूरत नहीं है। तो मैं यह निवेदन करना चाहता था, माननीय उपाध्यक्ष, आपके जरिये कि उस हाई कोर्ट के फैसले को पूरी श्रद्धा के साथ माना गया।

श्री बिशम्भरनाथ जोशी (बाँदी कुई) Is the Hon'ble Minister aware of the Constional position that he is only a nominee of this House ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उपाध्यक्ष महोदय इस बहस के अन्दर न पड़ते हुए मैंने जो पोइन्ट उठाये हैं और जो जवाब दिये हैं उनको सुनें तो अच्छा होगा। मैं आप से यह निवेदन कर रहा था कि इस भूमिका को दिमाग में रखते हुए राजस्थान सरकार ने ७६,७७ को सही रूप से परिवर्तित किया और धाराओं के अनुसार आर.टी. ओ., एस. टी. ओ. को पुनर्गठित कर दिया। एस. टी. ए. के चेयर-मैन लॉ सेक्रेटरी को बनाया गया और आर. टी. ओ. के चेयरमैन कमिशनरों को बनाया गया। बाई नेम कर दिया उनका अपोइन्टमेंट इस वजह से कि जुडिशियरी एक्सपीरियन्स की बात को हम मानते हैं। इसके बाद में जो कार्यवाही....

श्री बिशम्भरनाथ जोशी : On a point of informatin, Sir, I would like the Hon'ble Minister to enlighten the House as to what exactly were the findings of the High Court regarding the Hon'ble Member. Whether he was regarded as a person having sufficient Judicial Experience or not?

श्री नाथूराम मिर्धा: मैंने पहले ही कह दिया न कि Judicial Experience किस तरह का माना गया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : पट्टा और रावलजी का नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उन्होंने तो यह भी लिखा है कि रेवेन्यू बोर्ड के केसों के अनुभवी को भी जुडिशियरी एक्सपीरियेन्सड नहीं माना जावेगा। यह कितना सही है, कितना सही नहीं है इस बारे में अपनी राय नहीं बताना चाहता और हमने इसको मान्य किया है और दोनों चेयरमैनों को इस तरह से बना कर रिकॉनस्टिट्यूट किया है।

तो इसके बीच में २६ मई की जो तारीख दी है उस दिन से काफी केसेज आर. टी. ए. और एस. टी. ए. के हुए हैं और इस वजह से उनके कानून में जो खामी रही और जिसकी वजह से जो गलती हुई उसके कारण इतने लोगों को मुकदमों की परेशानी से बचाने के लिए उनको वेलिडेट करने की कार्यवाही करना जरूरी था इसलिए ऑर्डिनेन्स जारी किया गया और बाद में यहां कानून लाये। जो अपीलेट ऑथेरिटी का कान्स्टिट्यू-शन हुआ है वह हाई कोर्ट की मंशा के विपरीत नहीं है और इस प्रकार इस कानून के पक्ष में काफी माननीय सदस्यों ने अपने मत व्यक्त किये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके ज़रिये यह निवेदन करना चाहता हूं की माननीय सदस्य जिस दफा के नीचे अपीलेट ऑथेरिटी का गठन होता है उसको जरा गौर से पढ़ें तो अपीलेट ऑथेरिटी का गठन पहले भी दफा ६४ के नीचे होता था और अब भी दफा ६४ के नीचे होता है और दफा ६४ में पार्लियामेन्ट में परिवर्तन किया है। धारा ६४ के अन्दर कहीं किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया हमने और इस धारा के नीचे रूल १०८ के अनुसार गठित था। उस १०८ में एक नहीं तीन अमेन्डमेन्ट हो चुके हैं। सबसे पहले डाइरेक्टर, ट्रान्सपोर्ट अकेला ही अपीलेट ऑथेरिटी और चेयरमैन था।

श्री भैरोंसिंह : कमिशनर ट्रान्सपोर्ट।

श्री नाथूराम मिर्धा : कमिशनर ट्रान्सपोर्ट। इसके बाद में अमेन्डमेन्ट आया कि रेवेन्यू बोर्ड फैसले करेगा। इसके बाद में ५२ में यह परिवर्तन हुआ कि ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर चेरमैन होंगे। इसमें १०८ में पहले अमेन्डमेट कर दिया जाता तो कोई कठिनाई नहीं आती। इसमें अमेन्डमेंट के कई बार मामले सरकार के सामने भी आये। पर सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट की कई चिट्ठियां हमारे पास आईं जिनमें कहा गया कि वे रूल में अमेन्डमेन्ट के मामले को टेक-अप कर रहे हैं और एक मोडल फार्म बना कर भेज रहे हैं तब तक उन्होंने हमें कहा कि हम इस मामले को टेक-अप न करें तो अच्छा है। हम इसका इन्तजार करने लगे इस तरह इन कन्सिस्टेन्स विद दीज रूल्स हमने अमेन्डमेन्ट नहीं किया इसलिए यह पोजीशन आई। इसलिए एस. टी.ए. अपीलेट ६४ के नीचे कॉन्स्टिट्यूटेड थी और इसको आप पढ़ेंगे तो ए, बी, सी, डी, इ एफ, जी, एच ऐसे कई प्रोविजन हैं इसके नीचे

......within the prescribed time, in prescribed manner appeal to the prescribed authority, who shall give such person and original authority an opportunity of being heard.

....तो ऑथेरिटी इज प्रेस्क्राइब्ड और वह किस तरह से सुनेगी और कैसे करेगी यह उसमें लिखा है। किन मैटर्स में अपील सुनेगी वह भी दर्ज है। जिस समय ४४ और दूसरे प्रोविजन्स के इस क्लोज में अमेंडमेंट हुए तो उस समय ६४ में कोई अमेंडमेंट नहीं हुए। इसलिए जुडिशियल एक्सपीरियेन्स का सम्बन्ध जो धारा के साथ जोड़ा गया है वह इसके साथ नहीं जोड़ा जा सकता। इसमें प्रेस्क्राइब है : 'prescribed manner'. The Government has got the powers to prescribe that shall be the appellate authority.

और इसके बारे में गवर्नमेंट ने सोच समझ कर रूल १०८ में इसलिए अमेंडमेंट किया कि एस.टी.ए. के चेयरमैन इसके मेम्बर होंगे, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर इसका चेयरमैन होगा, डाइरेक्टर ट्रान्सपोर्ट इसका मेम्बर होगा। इस धारा के नीचे प्रेस्क्राइब करके न तो पहले चेन्ज हुआ और न अब चेन्ज हुआ। इसमें जुडिशियल एक्सपीरियेन्स का बार नहीं है। इसलिए इसको ठीक समझ करके इस बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट किया और रूल्स सदन की मेज पर रखे। तो यह वेलिडेटिंग एक्ट के साथ मामला जुड़ा हुआ नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न यह नहीं है। सदन में जो प्रश्न उठाया गया है वह यह है कि पहले एस. टी. ए. की सब-कमेटी को अपीलेट ऑथेरिटी की पावर्स दे रखी थी और अब एस. टी. ए. इसलिए जुडिशियल माइन्डेड मेम्बर्स की कॉन्स्टिट्यूट होती है तो गवर्नमेंट को अलग ६४ के अन्तर्गत अलग से कमेटी अपोइन्ट करने की क्यों आवश्यकता पड़ी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं आपको कह रहा हूँ १०८ के अन्दर अपीलेट ऑथेरिटी के अन्दर यह लिख दिया गया था कि एस.-टी. ए. का चेयरमैन अपीलेट ऑथेरिटी का भी मेम्बर होगा और एक नॉन ऑफिसियल और एक ऑफिसियल मेम्बर होगा। तो यह रूल्स के नीचे ही प्रोविजन था। मैं आपको कानूनी पोजीशन बता दूं रूल्स को चेन्ज करके जुडिशियल एक्सपीरियेन्स होने की आवश्यकता नहीं है, इसको आपने मान

(श्री नाथूराम मिर्धा)

लिया है। जिन माननीय सदस्यों ने आग्यू किया उनका यह कहना था कि........

श्री भैरोंसिंह : गवर्नमेंट को प्रेस्क्राइब करने की ऑथेरिटी नहीं है। आप जो रूल ६४ का इन्टरप्रिटेशन कर रहे हैं वह सही नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप उसको सही कर दीजिए। इन्टरप्रिटेशन के लिए तो फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट देखना होगा।

श्री श्रीभानसिंह : आप अपना इन्टरप्रिटेशन सही मान कर चलते हैं तो फिर हमें यह बता दीजिए कि सब-ऑर्डिनेट ऑथेरिटी तो जुडिशियल डिसीजन दे और उससे ऊपर ऑथेरिटी जो है वह लॉ माइन्डेड है और उसकी अपील सुने जो कि जुडिशियल माइन्डेड नहीं है और वह उसको टर्न-डाउन कर दे।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह माननीय सदस्य की समझदारी की बात हो सकती है लेकिन मैं माननीय सदस्य को बताऊँ कि यह कानून पार्लियामेंट ने बनाया है और उन्होंने जो प्रोविजन्स इस धारा में रख दिये हैं अगर उसके ऊपर इन्टरप्रिटेशन करने का काम माननीय सदस्य करना चाहें तो भले ही करें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आर. टी. ए. जुडिशियल ऑफिसर्स की होगी और आर. टी. ए. के लिए अपील एस. टी. ए. में नहीं जायेगी और अपीलेट ऑथेरिटी में जायेगी........

श्री नाथूराम मिर्धा : जरा आप इसका कॉन्स्टिट्यूशन तो उठा कर देख लें। एस. टी. ए. जो चेयरमैन होंगे वह इसके मेम्बर हैं...

श्री भैरोंसिंह : आपने एस. टी. ए. के चेयरमैन के लिए कहा है कि वह जुडिशियल एक्सपीयरेन्स के हो सकते हैं लेकिन दूसरे मेम्बरों के लिए ऐसी क्वालिफिकेशन्स नहीं हैं?

श्री नाथूराम मिर्धा : रूल में ऐसा दिया हुआ है कि इसके मेम्बर डाइरक्टर ट्रान्सपोर्ट, चेयरमैन ऑफ दी एस. टी. ए. एण्ड दी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर। जुडिशियल एक्सपीरयेन्स का चेयरमैन हो तो वह तो एस. टी. ए. के लिए है और अपीलेट ऑथेरिटी के लिए नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : The matter has been enough clarified. The Hon'ble Member will proceed with the debate.

श्री नाथूराम मिर्धा : अगर इस तरह से डिसकशन्स हुए तो खत्म नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष : You will not yield the floor. You will continue the debate.

श्री नाथूराम मिर्धा : I am continuing, but still they are standing up तो अब यह कहना कि कैसे बना दिया और क्यों कर दिया और ट्रान्सपोर्ट में ऐसा होता है, वैसा होता है और मेरा नाम है उसमें मुझे नहीं रखना चाहिए, मुझे त्याग करना चाहिए इस तरह की बहुत सी बातें सदन के फ्लोर पर माननीय सदस्यों ने कही और कुछ माननीय सदस्यों ने इतना भी कहा कि मुझे यहां

Page No.105

(श्री नाथूराम मिर्धा)

से चले जाना चाहिए तो मैं उनकी इस मार्मिक अपील को अच्छी तरह से समझता हूँ और उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी जो कहा गया कि मैं घर चला जाऊँ ताकि मुझे यह सब सुनने का अवसर नहीं मिले मैं उनकी बातों को सुनता हूँ और जो उनके प्रश्न होते हैं उनका जबाब भी उपयुक्त देता हूं.... ......

श्री भैरोंसिंह : "That I will stick to the post"?

श्री नाथूराम मिर्धा : मुझे रवाना करने के लिए दूसरी मशीनरी है और जिस दिन वह कह देगी उस दिन मैं घर भी जाकर बैठ जाऊँगा। इसलिए जो कानून के अन्दर अमेंडमेंट किये गये हैं वह लॉ डिपार्टमेंट की राय से और हाई कोर्ट की इच्छा को ध्यान में रखते हुए किये गये हैं।

श्री भैरोंसिंह : सब-कमेटी को अपील की पावर्स...............

श्री उपाध्यक्ष : The Hon'ble Member will please observe the decorum. The Hon'ble Minister is not yielding the floor.

श्री भैरोंसिंह : मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा.... ....

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ.................. ....

श्री उपाध्यक्ष : Order, Order Please.

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) Point of order, Sir, One of the members should sit when one member stand up to speak.

श्री उपाध्यक्ष : It is not necessary. This means that the Hon'ble Minister is not in a mood to yield to the floor.

श्री भैरोंसिंह : One a Point of Clarification, Sir,......

श्री उपाध्यक्ष : I will not entertain any point of clarification.

श्री भैरोंसिंह : मैं माननीय मन्त्रीजी से चाहूंगा कि वे थोड़ा सा क्लेरीफिकेशन कर दें कि अपीलेट बॉडी नई बना करके उसका चेयरमैन मन्त्री महोदय को रखने की आवश्यकता क्यों पड़ी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आप तो यह पूछेंगे कि मिनिस्टर रहने की आवश्यकता क्यों पड़ी ?

श्री भैरोंसिंह : नहीं, नहीं।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह भी तो उसी के साथ जुड़ा हुआ है, आप पूछ लीजिए। जो सवाल पूछनेवाले हैं उनको मैं समझता हूँ। उन्हें प्रश्न करने का अधिकार है तो मुझे जबाब देने का हक है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूँगा कि जो कुछ रूल्स में संशोधन किये हैं वे हाई कोर्ट के जजमेंट को मद्देनजर रखते हुए और उनकी इच्छाओं का पालन करते हुए और लोगों की दुविधा को ध्यान में रखते हुए कानून में इन्कॉरपोरेट किये हैं। मैं इस समय तो ज्यादा डिटेल्स में

(श्री नाथूराम मिर्धा)

नहीं जाना चाहता, अभी तो सप्लीमेंटरी डिमान्ड्स आयेंगी उस समय इसको दोहराऊँगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जो कुछ ये संशोधन किये हैं वे विद्इन कानून हैं और इस वैधकरण को पास करना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे हजारों आदमियों को बहुत हरेसमेंट होता था उनको इससे बचाने हम जा रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: (जौहरी बाजार, जयपुर): On a Point of Clarification, Sir,...

श्री उपाध्यक्ष : He has concluded the debate and I will not allow any Point of clarification. Here are my observations over the Constitutional Position that was raised by Hon'ble Shri Satish Chandra:—

"I have considered the constitutisonal objection raised by the Hon'ble Member. I may point out that sub-clause (2) of Article 254 of the Constitution authorises the State Legislature to legislate and make provision repugnant to the law made by the Parliament, if it receives the assent of President, it shall prevail. Hence we can legislate on the point and the Point of Order is not well taken."

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Point of Clarification Sir. It is not with regard to your decision. Are we amending any particular Section of the Act under this Bill ? We are not amending any section. Sir, we are only amending the rules.

श्री उपाध्यक्ष : Well, we have framed the rules and we are authorised to amend them.

डॉ बहादुरसिंह (धौलपुर) : मैं अपना प्रस्ताव वापिस लूँगा।

श्री उपाध्यक्ष : You are withdrawing it ?

डॉ बहादुरसिंह: Yes, Sir, जो प्रस्ताव मैंने सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया है उसे मैं वापिस लेने की सदन से आज्ञा चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव डॉ बहादुरसिंह ने सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया है उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई।

डॉ० बहादुरसिंह : मैं अपने प्रस्ताव को वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान ट्रान्सपोर्ट ऑथेरिटीज (कॉन्स्टिट्यूशन एण्ड प्रोसीडिंग्स) वेलिडेटिंग बिल, १९५६ को विचारार्थ लिया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री. नाथूराम मिर्धा (यातायात मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाय।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : माननीय उपाध्यक्ष, हमारे माननीय यातायात मंत्री महोदय ने इस बिल को पारित करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव रखा है । उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं होती यदि मेरे प्रश्नों के उत्तर माननीय यातायात मंत्री महोदय दे देते लेकिन जिस प्रकार का उनका भाषण हुआ है उससे कुछ ऐसा लगता है कि उनमें कुछ कमजोरी है और उस कमजोरी के कारण उनमें इस तरह से कहने का साहस नहीं है कि ऐसी सब-कमेटी जो पहले अपील सुना करती थी उसके ऐवज़ में सेक्शन ६४ के किसी पार्ट की शरण लेकर एक नई कमेटी बनाने की आवश्यकता सरकार को क्यों महसूस हुई ? अपील सुनने के बारे में हमारी सरकार का तो नहीं बल्कि हाई कोर्ट का निर्णय इस प्रकार का है, पार्लियामेंट का इस प्रकार का मकसद है कि अपील केवल वही व्यक्ति सुन सकता है जिसको कि जुडिशियल एक्सपीरियेन्स हो । उसकी टेकनिकेलिटीज़ में जाते हैं तो हो सकता है कि सेक्शन ६४ के मातहत सरकार इस प्रकार का कानून बनाये वह उसमें बना दे। अभी जिस प्रकार की कानून की भावना है कि जिसके पास अपील जाती है वह व्यक्ति जुडिशियल एक्सपीरियेन्स का हो या नहीं ; यह निर्विवाद रूप से सदन ने माना है और मंत्री महोदय ने भी माना है कि उस दृष्टि से जुडिशियल एक्सपीरियेन्स के व्यक्ति नहीं है । जब क्वेश्चन यह आता है कि अपील आखिर उनके पास जायेगी तो फिर इतना कुछ जुडिशियल एक्सपीरियेन्स के बारे में जितनी बातें कही गई हैं उनका मतलब क्या है ? इसका मतलब यह हुआ कि पार्लियामेंट के कानून का कोई मतलब नहीं है, हाई कोर्ट ने जिस प्रकार का वर्डिक्ट दिया है उसका कोई मतलब नहीं है, राजस्थान विधान सभा में जिस प्रकार की बहस हुई है उसका कोई मतलब नहीं है, मतलब केवल यह है कि मंत्री महोदय यह चाहते हैं कि हर कीमत पर उन्हें उसका चेयरमैन बना रहने दें । तो, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की शंका होती है कि चेयरमैन बने रहने में इतनी दिलचस्पी क्यों है ? क्वेश्चन केवल इतना ही नहीं है... .....

श्री उपाध्यक्ष : यह क्वेश्चन तो आपने पहले अपने वक्तव्य में रखा था, दुबारा वापिस वक्तव्य क्वेश्चन कैसे पैदा हो गया ?

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समय कहा था तो मैंने आर. टी. ए. के बारे में चर्चा नहीं की थी । इसलिए यह पोइन्ट नया क्रॉप-अप हुआ है । अपने नियम में एक प्रावधान है जिसके अन्दर सब-कमेटी का अधिकारी एक जुडिशियल ऑफिसर होगा, आर. टी. ए. का चेयरमैन एक जुडिशियल ऑफिसर होगा । उसके बाद एस. टी. ए. का अधिकारी होगा वह जुडिशियल ऑफिसर होगा । उन दोनों की अपील जिनके पास जायेगी उनके लिए क्वालिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है । वे अंगूठा छाप भी हो सकते हैं... ..

श्री उपाध्यक्ष : क्या भाषा है अगूंठा छाप (हंसी) यह शब्द कुछ क्लिष्ट मालूम पड़ता है ।

श्री भैरोंसिंह : यह खुश किस्मती है कि वर्तमान यातायात मंत्री महोदय एम. ए.- एलएल. बी. हैं और उन्होंने सेटलमेंट डिपार्टमेंट में कुछ प्रेक्टिस भी की है । वह चली या नहीं that is a disputed matter. उन स्थितियों के अन्दर वे कह सकते हैं कि

(श्री भैरोंसिंह)

आपको हटाने का अधिकार नहीं है। यह भी कहने का अधिकार नहीं है कि उन्हें मंत्री मण्डल में से हटाया जाय। यह भी कहने का अधिकार नहीं है कि विधान सभा से त्याग-पत्र देदें। उपाध्यक्ष महोदय, वे तो एम. ए. एलएल. बी. हैं लेकिन एक मेट्रीक्यूलेट भी आ जाय, एक अनपढ़ इस प्रकार का व्यक्ति भी आ जाय जो कुछ नहीं समझता है लेकिन वह क्लेम करे कि राजस्थान का यातायात मंत्री होने के कारण जुडिशियल ऑफिसर्स की अपील वह सुन सकता है तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की बदकिस्मती का कोई भी उदाहरण भारतवर्ष के किसी भी कोने में नहीं मिलेगा। मैं इस सरकार के चलानेवाले सभी सदस्यों को, इस सरकार केबिनेट मेम्बर्स को निवेदन करना चाहता हूँ कि लेजिस्लेचर में इस प्रकार की आलोचना होती है तो उन्हें यह चिन्ता नहीं करनी चाहिए कि यातायात मंत्रीजी नाराज़ हो जायेंगे और कुछ सदस्य जो उनके साथ में हैं वे सरकार का साथ छोड़ कर दूसरे ग्रुप में मिल जायेंगे लेकिन यह राजस्थान की प्रतिष्ठा का सवाल है। जनता की भावना को किसी प्रकार से स्वीकार करके राजस्थान के यातायात मंत्री को एस. टी. ए. की सब-कमेटी के अधिकार नहीं देने चाहिए। (विपक्ष की ओर से करतल ध्वनि) आज तक के एस. टी.ए. की सब-कमेटी जो काम करती थी उसमें से यातायात मंत्री को हटाने में सरकार को ऐतराज होगा। मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन कहना पड़ता है कि लॉ सेक्रेटरी और हमारे जो मिनिस्टर हैं इन दोनों के जुडिशियल एक्सपीरियेन्स के बारे में तुलना की जाय तो एक तरफ चार आना आयेगा और दूसरी तरफ १२ आने आयेगा। १२ आना जिसको जुडिशियरी का एक्सपीरयेन्स है, राजस्थान के लॉ सेक्रेटरी हैं, जो राजस्थान में जुडिशियल ऑफिसर रहे हुए हैं उन जैसे व्यक्ति की अपील और जो बाकी के कमिशनर्स हैं जिनके पास जुडिशियल एक्सपीरियेन्स है उनकी अपील उनके पास जायेगी जिनको कि हाई कोर्ट ने क्लियर सार्टीफिकेट दे दिया कि वे जुडिशियल एक्सपीरियेन्स के व्यक्ति नहीं हैं। तो, उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह नहीं समझा जाय कि इसके पीछे कुछ गलत मोटिव्ज़ हैं? बाकी कोई नतीजा नहीं निकलता है। चारों तरफ हाथ पसार कर देखें तो इस पद के पीछे, चिपकने के पीछे कोई सरकारी प्रतिष्ठा नहीं है, यातायात मंत्रीकी प्रतिष्ठा नहीं है, जनता की प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है। इन सब के विपरीत भी यदि वे चिपके रहते हैं तो इसका मतलब यह है कि कोई बेड मोटिव्ज़ इनके पीछे हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि बेड मोटिव्ज़ के निराकरण के पीछे यह कह दें कि जनता उनके पीछे है, बहुमत उनके पीछे है इसलिए अपोज़िशन के मेम्बर्स कुछ भी कहें उनके पीछे जनता नहीं है, उनके पीछे बहुमत नहीं है, उनके पीछे जनता की भावना नहीं है, इस प्रकार का दृष्टिकोण अख्तियार करते हैं तो वह किसी प्रकार से भी उचित नहीं होगा। मैं फिर निवेदन करूँगा कि अपने बेड मोटिव्ज को क्लियर करने के लिए सार्वजनिक रूप से इस विधान सभा से त्याग-पत्र देकर चुनाव लड़ कर देख लें।

(विपक्ष की ओर से करतल ध्वनि)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि दी राजस्थान ट्रान्सपोर्ट ऑथेरिटीज़ (कॉन्स्टिटयूशन एन्ड प्रोसीडिंग्स) वेलीडेशन बिल, १६५६ को पारित किया जाय।

Page No.109

(श्री उपाध्यक्ष)

जो इसके पक्ष में हों वे 'हाँ' कहें।

('हाँ' की आवाज)

जो इसके विपक्ष में हों वे 'ना' कहें।

('ना' की आवाज)

'हाँ' पक्ष जीता, 'हाँ' पक्ष जीता।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : 'ना' पक्ष जीता।

(विभाजन घंटी)

(विराम)

श्री उपाध्यक्ष प्रश्न यह है कि राजस्थान ट्रान्सपोर्ट ऑथेरिटीज (कॉन्स्टिट्यूशन एण्ड प्रोसीडिंग्स) वेलीडेशन बिल, १६५६ पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही दिनांक ११ अगस्त, १६५६, के प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

[तदुपरांत सदन की कार्यवाही ४.४८ बजे दिनांक ११ अगस्त, १६५६ के प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की गई]

संक्षिप्त-विवरण

(सोमवार १० अगस्त ५६)

स्कम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर

ग्राम घाटवा तहसील नावां में पत्थर पर रॉयल्टी।

काश्तकारों को कन्सोलिडेशन खर्चे की जानकारी।

उदयपुरवाटी विकास खण्ड द्वारा ग्राम पोंख को विकास कार्य हेतु द्रव्य।

दलित वर्ग संघ, अजमेर को वार्षिक सहायता।

हाई स्कूल उनियारा में एग्रीकल्चर क्लासों को प्रेक्टिकल ट्रेनिंग की व्यवस्था।

बस्सी विकास खंड द्वारा कुँए बनवाने के लिए स्वीकृत धन-राशि।

कार्यालयों का स्थानान्तरण।

राजस्थान निर्माण से पूर्व के देशी राज्यों के शिक्षकों को प्रशिक्षित करने हेतु प्रशिक्षण संस्थाओं को मान्यतायें।

मौजा सुकार, तहसील बामनवास के रकबे को जागीरदार को देना।

राजस्थान निर्माण के उपरांत नये

स्कम्भ

डिग्री कॉलेजों को पुस्तकें खरीदने हेतु स्वीकृत धन-राशि।

ग्राम बिनोरी, तहसील लालसोट के खसरा की गैर कानूनी खातेदारी।

अधिकारियों के विरुद्ध इन्क्वायरी के लिये सरकार द्वारा आदेश।

भरतपुर जिले में बाढ़ एवं वर्षा से गिरे मकानों की सहायतार्थ वितरित धन-राशि।

संस्कृत भाषा के पुनरुद्धार हेतु कार्य।

अल्प संख्यक भाषा भाषी समिति।

हायर सेकिन्डरी स्कूलों में ऐच्छिक संस्कृत विषय।

सेटलमेंट भूमि एकीकरण एवं लैंड रिकॉर्ड्स विभाग।

ग्राम डूंगरली के किसानों के नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स की रकम।

सांचोर ब्लॉक द्वारा किये गये कार्य।

नोखा-सांकडा विकास खंड

स्तम्भ

हेमावास बांध की जमीन में खातेदारी के पट्टे।

देहाती क्षेत्र की शालाओं का समय तथा उनके अवकाश।

पी० सी० बी० हायर सेकिन्ड्री स्कूल, सुजानगढ़ में हरिजन छात्र

औद्योगिक एस्टेट भीलवाड़ा।

लूणकरणसर तहसील में लैंड रेवेन्यू की वसूली।

माध्यमिकशाला, पीपल्दा कलां में संस्कृत अध्यापक की व्यवस्था।

ईशरदा गांव (सवाई माधोपुर) के चारों ओर बनी दीवार।

निलम्बित राजकीय कर्मचारियों के विरुद्ध जाँच की अवधि।

तहसील सूरतगढ़ में नाजायज काश्त की शिकायत।

देवस्थान विभाग, झालावाड़ व झालरापाटन के कर्मचारियों का फिक्सेशन।

टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, बीकानेर द्वारा आमन्त्रित टेण्डर।

सभापति-तालिका

निम्नांकित सदस्यों को सभापति-तालिका के लिये मनोनीत किया गया:-

स्तम्भ

(१) श्री आबिद अली

(२) श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल

(३) श्री बरकतुल्लाह खाँ

(४) श्री मुरलीधर व्यास

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

निम्नलिखित पत्र सदन की मेज पर रखे गये:-

(क) राजस्थान परिवहन सत्ता (संघटन तथा कार्यवाही) वैधकरण अध्यादेश, १९५९

(अध्यादेश सं० ३ सन् १९५९)

(ख) डूँगरपुर स्टेट देवस्थान निधि (संशोधन) अध्यादेश, १९५९ (अध्यादेश सं० ४ सन् १९५९)

(ग) होम (बी.) विभाग विज्ञप्ति सं० डी. ४३९७। एफ. १ (७)। १। एच. बी.। ५९, दिनांक २१ जुलाई, १९५९,

जिसके द्वारा राजस्थान मोटर व्हिकल्स रूल्स, १९५१ के नियम १०८ में संशोधन किया है

Page No.112

स्कम्भ

(घ) इंडिस्ट्रियल डिस्प्यूट्स रूल्स, १६५८

सभा द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति महोदय अथवा राज्यपाल महोदय की अनुमति

सचिव, विधान सभा, ने गत सत्र में पारित उन विधेयकों का विवरण जिन पर राष्ट्रपति महोदय अथवा राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी थी, सदन की मेज पर रखा।

वे विधेयक इस प्रकार हैं :—

राष्ट्रपति महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक

1. The Rajasthan Urban Improvement Bill, 1957.
2. The Rajasthan Industrial Tribunal (Constitution and prosceeding Validating Bill, 1959.
3. The Rajasthan Land Reforms and Resumption of Jagirs (Eleventh Amendment) Bill, 1959.
4. The Rajasthan Jagirdars Compensation and Rehabilitation Grants (Final Orders Validation) Bill, 1958.

स्कम्भ

5. The Rajasthan Land Reforms and Resumtion of Jagirs (Tenth Amendment) Bill, 1658.

राज्यपाल महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक

1. The Rajasthan Land Revenue (Amendment) Bill, 1699
2. The Rajasthan Panchayat (Amendment) Bill, 1959.
3. Tte Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments) Amendment Bill, 1959.
4. The Rajasthan Ministers Salaries (Amendment) Bill, 1959.
5. The Rajasthan Premises (Control of Rent and Eviction) Amendment Bill, 1959.
6. The Rajasthan Forest (Amendment) Bill, 1959.
7. The Rajasthan Holdings (Consolidation and prevention of

Fragmentation) Amendment Bill, 1959.

8. The Rajasthan Discontinuance of Cesses Bill, 1959.

9. The Ajmer Shamlat Deh (Regulation) Repeal Bill, 1959.

समितियों के प्रतिवेदनों का उपस्थान

निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन किया गया:—

(क) राजस्थान गौशाला विधेयक १९५८ पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन

(ख) राजस्थान बीज तथा बीज-पौध विधेयक, १९५८ पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन

(ग) राजस्थान मृत्यु भोज प्रतिबन्ध विधेयक, १९५८ पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन

(घ) कार्य सलाहकार समिति का प्रथम प्रतिवेदन।

पुरस्थापित किये गये विधेयक

निम्नांकित विधेयक पुरःस्थापित किये गये:—

(१) राजस्थान परिवहन सत्ता (संगटन तथा कार्यवाही) वैधकरण विधेयक, १९५९

(२) डूंगरपुर राज्य देवस्थान निधि (संशोधन) विधेयक, १९५९—

कार्य सलाहकार समिति का प्रथम प्रतिवेदन

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता के प्रस्ताव पर कार्य सलाहकार समिति का प्रथम प्रतिवेदन सदन द्वारा स्वीकार किया गया।

समधिराज्य संसत्-पार्षद की प्रान्तीय शाखा

श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य मन्त्री ने निम्नांकित संकल्प प्रस्तुत किया जो सदन द्वारा स्वीकार किया गया:—

"This House resolves that a Provincial Branch of the Commonwealth Parliamentary Association be formed for the Rajasthan Legislature and the Secretary, Legislative Assembly, Rajasthan, be authorised to take necessary stpes in that direction."

विचारार्थ लिया गया विधेयक

राजस्थान परिवहन सत्ता (संघटन तथा कार्यवाही) वैधकरण विधेयक, १९५९

श्री नाथूराम मिर्धा, यातायात मन्त्री, के इस प्रस्ताव पर कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय, डॉ० बहादुरसिंह ने इस आशय का संशोधन रखा कि विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। इस पर की गई

बहस में निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया :—

१. श्री भैरोंसिंह (१४)

२. श्री चन्दनमल वैद

३. श्री श्रीमानसिंह

४. श्री पी. के. चौधरी

५. श्री मदनसिंह

६. श्री पुरूषोत्तमलाल शर्मा

७. श्री लक्ष्मीचन्द

८. श्री सोहनलाल भटनागर

९. श्री हीरा भाई

१०. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल

११. श्री मुरलीधर व्यास

यातायात मन्त्री के उत्तर के पश्चात् डॉ० बहादुरसिंह ने अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस ले लिया एवं विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। तत्पश्चात् विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया।

मंगलवार, दिनांक ११ अगस्त की कार्य सूची

श्री हरिभाऊ उपाध्याय, वित्तमंत्री ने राजस्थान जन सेवा आयोग का सप्तम् वार्षिक प्रतिवेदन पूछ-पूछ मेमोरेन्डम ५६-५७ सहित सदन की मेज पर रखा।

(क) डूंगरपुर राज्य देवस्थान निधि (संशोधन) विधेयक ५६

(खंडश विचार विमर्श एवं पारण)

(ख) राजस्थान बन्दोबस्त लगान प्रभावी प्रयुक्ति (वैधकरण) विधेयक, ५६

(विचार विमर्श एवं पारण)

(ग) राजस्थान उप-अनुदान पुनर्गहण वैधकरण विधेयक, ५६

(विचार विमर्श एवं पारण)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३ का उत्तर देखिये)

उदयपुरवाटी विकास खण्ड की ओर से ग्राम पौंख में विकास कार्यों के लिये दी गई धनराशि की सूची ।

क्र० सं०	कार्य	अनुदान राशि	कार्य प्रगति
१.	पानी पीने का नया कुआ	२,४००)रु०	कार्य पूरा हो चुका है ।
२.	पानी पीने का नया कुआ (दूसरा)	१,०००)रु०	काम चालू है ।
३.	सोचालय निर्माण	५००)रु०	कार्य पूरा हो चुका है ।
४.	खुर्रा निर्माण	१,०००)रु०	कार्य पूरा हो चुका है ।
५.	पार्क	२५०)रु०	काम चालू है ।
६.	खुर्रा (दूसरा)	५५०)रु०	कार्य पूरा हो चुका है ।

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्नसंख्या ४ का उत्तर देखिए)

दलित वर्ग संघ, अजमेर को कार्यकारिणी के सदस्यों की नामावली

(१) श्री सूर्यमल मौर्य	ब्यावर
(२) श्री हरजीतलाल	अजमेर
(३) श्री मनीराम वरूण	,,
(४) श्री मोहनलाल किलाना	,,
(५) श्री सुगनचन्द	,,
(६) श्री चरणदास चावरिया	,,
(७) श्री सेवादास ऋषि	डूमाड़ा (अजमेर)
(८) श्री जेठाराम	ब्यावर
(९) श्री बुद्धदेव	अजमेर
(१०) श्री हजारीलाल पँवार	ब्यावर
(११) श्री हजारीलाल बोकोलिया	,,
(१२) श्री हजारीलाल चौहान	,,
(१३) श्री रूपराम हरिजन	,,
(१४) श्री किशनलाल चावला	,,
(१५) श्री गोरधनदास यादव	छावनी ब्यावर
(१६) श्री केसरीमल यादव	,,
(१७) श्री प्रेमलाल	अजमेर
(१८) श्री हरदेव ठेकेदार	विजयनगर
(१९) श्री शंकरलाल	मसूदा (अजमेर)

परिशिष्ट ३

कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६ का उत्तर देखिए

(१)

बस्ती विकास खण्ड द्वारा सन् १९५६-५७ में शुरू किए गये कुओं की सूची

क्र.स.	नाम ग्राम	रकम	नाम प्राप्तकर्त्ता	विशेष	विवरण
१	किशनपुरा	६००	श्री हरल्या पटेल, किशनपुरा	कुआ	पूर्ण
२	किशनपुरा	४००	,, जगन्नाथ प्रसास सरपंच, बड़वा	,,	,,
३	झाझवाड़	६००	,, जगन्नाथ प्रसाद सरपंच, बड़वा	,,	,,
४	,,	६००	,, नाथू कोठी, झाझवाड़ा	,,	वापस जमा १०-१२-५७
५	टेठड़ा	८००	,, जयनारायण सरपंच घासीराम सरपंच	,,	पूर्ण
६	,,	५००	,, ,, ,, ,,	,,	,,
७	बोरई	६००	,, सेड्या वल्द धोकला कोली, बोरई	,,	,,
८	पेमपुरा	६००	,, रामसहाय व रामेश्वर इ० ब्राह्मण	,,	,,
९	मठेरी	४००	,, कल्याण वल्द सोनूवा इ० मठेरी	,,	,,
१०	,,	४००	,, जगन्नाथ गुजर, मठेरी	,,	,,
११	,,	३४०	,, पाँचू व नारायण कोली, मठेरी	,,	,,
१२	मोटड़ा	५००	,, घासीराम सरपंच, जटवाड़ा	,,	,,
१३	पाटन	८००	,, रामप्रताप ब्राह्मण पटेल पाटन	,,	,,
१४	,,	५००	,, सोम्या वल्द राड्या चमार	,,	,,
१५	गढ़	५००	,, भूरा वल्द मन्ना हरीयाना	,,	,,
१६	,,	४००	,, अमरा वल्द रेवड़ रेगर, गढ़	,,	,,
१७	चैनपुरा	३००	,, जोधराज सरपंच, बूधली	,,	,,
१७	बस्सी	२२५	,, रामेश्वर सरपंच, बस्सी	,,	,,
१९	गुढ़ा मीना	३००	,, गंगाराम आदि	,,	,,
२०	भागीरथपुरा	१००	,, रामेश्वर सरपंच, बसूली	,,	अपूर्ण
२१	बड़या	४००	,, रामेश्वर प्रसाद, शर्मा	,,	पूर्ण

१	२	३	४	५	६
२२	जैनपुरा कचोलिया	२००	श्री छाजू वल्द मन्ना ब्राह्मण	कुआ	पूर्ण
२३	रतनपुरा	४००	,, रामनाथ, पंच, रतनपुरा	,,	अपूर्ण
२४	ईशरावाला	४००	,, रामकिशोर ह० ब्राह्मण	,,	पूर्ण
२५	रूपपुरा	५००	,, रामचन्द्र मीना, अध्यक्ष विकास मण्डल	,,	,,
२६	सांख	३००	,, छगनलाल जैन, सांख	,,	अपूर्ण
२७	डयौढ़बौढ़	५००	,, जयनारायण, डयौढाबौड़	,,	,,
२८	,, ,,	२००	,, ,, ,, ,, ,,	,,	,,
२९	हरडी	१७०	,, बद्री	,,	पूर्ण
३०	रामसिंहपुरा	४००	,, जगन्नाथ वल्द मूलराम बघाली	,,	अपूर्ण
३१	हरडी	६००	,, भौंरीलाल, उप-मन्त्री वि० म०	,,	पूर्ण
३२	कानोता	३००	,, रामनाथ वल्द चत्रु हरियाना, कानोता	,,	,,
३३	,, ,,	५००	,, धन्ना वल्द काना चमार, कानोता	,,	,,
३४	गोला की नागल	८००	,, प्रतापा, गुज्जा	,,	,,
३५	,, ,,	८००	,, केशरया	,,	,,
३६	खेड़ी	८००	,, गंगासहाय, सरपंच	,,	,,
३७	,,	४००	,, ,, ,, ,,	,,	,,
३८	,,	४००	,, ,, ,, ,,	,,	अपूर्ण
३९	भाजूपुरा	६००	,, महादेवा नानगा	,,	,,
४०	सांवलियावाला	६००	,, भोमा मीना	,,	,,
४१	फर	८००	,, जोधराज, सरपंच	,,	पूर्ण
४२	,,	२००	,, ,, ,,	,,	अपूर्ण
४३	गुढ़ा	७००	,, रामेश्वर, सरपंच	,,	पूर्ण
४४	विराजपुरा	५००	,, ,, ,,	,,	अपूर्ण
४५	,,	४००	,, ,, ,,	,,	वापिस जमा
४६	,,	५००	,, ,, ,,	,,	अपूर्ण
४७	दामोदपुरा	४००	,, रेवड़ पटेल	,,	पूर्ण
४८	बलेपुरा	६००	,, गैंदीलाल गुजर	,,	,,

Page No.119

१	२	३	४	५	६
४६	जगतपुरा	६००	श्री सुरजमल	कुआ	पूर्ण
५०	दूबली	७००	,, रामपाल	,,	,,
५१	बौली	५६०	,, गोपी	,,	,,
५२	सिंपोली	४००	,, भूंथालाल	,,	अपूर्ण
५३	दनाऊ कला	२००	,, रतनलाल	,,	पूर्ण
५४	,, ,,	३००	,, राजमल	,,	,,
५५	देवगांव	५६५	,, रामदेव	,,	,,
५६	कुन्दनपुरा	३००	,, गोपीनाथ, सरपंच, तुंगा	,,	अपूर्ण
५७	केशीपुरा	३००	,, मूल्या	,,	पूर्ण
५८	मूण्डली	१००	,, दमोदर महाजन	,,	,,
५६	अचल पुरा	३००	,, भैरूंसिंह	,,	अपूर्ण
६०	केशोरपुरा	२८०	,, मूलचन्द्र	,,	,,
६१	बालाबाला	५००	,, रामचन्द्र	,,	पूर्ण
६२	टेकचन्दपुरा	५००	,, लादूराम	,,	,,
६३	श्रीनगर	१,०००	,, भौंरीलाल	,,	,,
६४	मूडला	७००	,, ,, ,,	,,	,,
६५	,,	७४०	,, ,, ,,	,,	,,
६६	अचलपुरा	५००	,, छगनलाल, सरपंच	,,	१२,२०० रु० अपूर्ण २२६७७ ता० ११-१-५७
६७	राजपुरा बास उस्ता	१,०००	,, सूजा चमार	,,	अपूर्ण
६८	मनोहरपुरा	६००	,, गंगासहाय भौंरीलाल	,,	,,
६६	सिवरिया ति०	७००	,, छगनलाल, सरपंच	,,	,,
७०	सांभरिया	५००	,, बिरधीचन्द	,,	पूर्ण
७१	रामरसपुरा	२००	,, गणेशनारायण, सरपंच	,,	वापिस जमा
७२	चतुरपुरा	५००	,, गंगासिंह चतुरसिंह	,,	अपूर्ण
७३	चाँदपुरा	१००	,, सांवल्या पुत्र रामचन्द्र	,,	पूर्ण
७४	कुदनपुरा	५००	,, गोपीनाथ सरपंच, तुंगा	,,	अपूर्ण
७५	खतेपुरा	८००	,, रामपाल व मांगीलाल	,,	पूर्ण

१	२	३	४	५	६
७६	दनाऊ कला	६००	श्री राजमल अ० वि० म०"	कुआ	पूर्ण
७७	नारदपुरा	४००	,, माधोलाल श्रीनिवास	,,	अपूर्ण
७८	चनाऊ खुर्द	८००	,, काना व भैरू	,,	पूर्ण
७९	,, ,,	२००	,, रामगोपाल वल्द बिरधा	,,	वापिस जमा
८०	घासीपुरा	६००	,, रामनाथसिंह वल्द गंगाराम	,,	अपूर्ण
८१	हँसमहल	६००	,, रामसुख व रामानन्द	,,	पूर्ण
८२	गढ़ौली	३००	,, हरनाथ पटेल	,,	अपूर्ण
८३	पेनपुरा	१,०००	,, रामसहाय वल्द देवा	,,	पूर्ण
८४	मटेरी	१,०००	,, भौरीलाल व चौथीराम	,,	,,
८५	,,	८००	,, जगन्नाथ वल्द कुन्ना	,,	,,
८६	दयालपुरा	७५०	,, रामसहाय	,,	,,
८७	,,	७५०	,, रामचन्द्र	,,	,,
८८	पाटन	१,०००	,, रामधन पटेल स० वि० म०	,,	,,
८९	,,	१,०००	,, सोग्या चमार ,, ,,	,,	अपूर्ण
९०	झाझवाड़	५००	,, जगन्नाथप्रसाद बड़वा	,,	पूर्ण
९१	घीपुर	२८०	,, ,, ,, सरपंच ,,	,,	,,
९२	,,	१५०	,, ,, ,, ,, ,,	,,	,,
९३	बड़सोली	१५०	,, ,, ,, ,, ,,	,,	,,
९४	हाथीपुरा	१,०००	,, नारायण व गोपी पटवारी	,,	अपूर्ण
९५	,, ,,	७००	,, हरसहाय, सरपंच लालगढ़	,,	पूर्ण
९६	गुढ़ाबिराई	१,०००	,, महादेव भाडू व रामसहाय	,,	अपूर्ण
९७	टोड़ा भाटा	४००	,, जगदीशनारायण व मयरसिंह	,,	पूर्ण
९८	कल्याणपुरा	३००	,, रामेश्वर	,,	वापिस जमा
९९	निमौरा	२००	,, किस्तूरचन्द जैन	,,	पूर्ण
१००	तिलपट्टी	२००	,, नारायण	,,	,,
१०१	,,	२००	,, ,,	,,	,,
१०२	लालावाला	६००	,, बद्रीनारायण, सरपंच	,,	,,
१०३	राजेवाड़ी	२००	,, ,, ,, ,,	,,	,,
१०४	,,	१,०००	,, ,, ,, ,,	,,	,,

१	२	३	४	५	६
१०५	पृथ्वीराजपुरा	८००	श्री बद्रीनारायण सरपंच, राजपुरा	कुआ	पूर्ण
१०६	तुँगा	१,०००	,, ,, ,, ,,	,,	अपूर्ण
१०७	चरणगढ़	१,०००	,, ,, ,, ,,	,,	,,
१०८	मीपुर	१,०००	,, ,, ,, ,,	,,	,,
१०९	जटवाड़ा	३००	,, गंगूराम मीना	,,	,,
११०	गिरधारीपुरा	२००	,, घासीराम, सरपंच, जटवाड़ा	,,	,,
१११	नयावास	८००	,, श्योलाल, जटवाड़ा	,,	पूर्ण
११२	,,	७५०	,, ,, ,,	,,	,,
११३	माधोगढ़	७००	,, राधेश्याम शर्मा अ० वि० म०	,,	अपूर्ण
११४	जगतपुरा	८००	,, रामनाथ जमनालाल	,,	,,
११५	,, ,,	८००	,, रामनाथ शर्मा	,,	पूर्ण
११६	,, ,,	८००	,, श्रीलाल व रामपाल	,,	,,
११७	बूबली	८००	,, जगन्नाथ व भौंरीलाल	,,	,,
११८	,,	८००	,, रामपाल	,,	अपूर्ण
११९	भोली	२४०	,, गोपी वल्द भूधा	,,	पूर्ण
१२०	,,	८००	,, तनसुख पुत्र नन्दा	,,	,,
१२१	सावल्यावाला	१,०००	,, गेंदीलाल	,,	अपूर्ण
१२२	लालगढ़	४००	,, हरसहाय, सरपंच	,,	पूर्ण
१२३	,, ,,	३००	,, ,, ,,	,,	,,
१२४	गढ़	८००	,, जगन्नाथ पुत्र हरदेव	,,	,,
१२५	,,	८००	,, रामपाल अ० वि० म०	,,	,,
१२६	,,	७००	,, गोपी पटेल	,,	अपूर्ण
१२७	नीला की नागल	१,०००	,, केशरा, मांगा व सूजी	,,	पूर्ण
१२८	मौन्यावाला	२००	,, हरदा पुत्र जीवन, गोपाल पुत्र हरदेव	,,	अपूर्ण
१२९	कुपाड़ा	८००	,, लक्ष्मीनारायण	,,	पूर्ण
१३०	कानोता	२००	,, रामनाथ	,,	,,
१३१	,,	६००	,, कन्दा व धन्ना	,,	,,
१३२	खेड़ी	५००	,, गंगा सहाय बोहरा	,,	अपूर्ण

१	२	३	४	५	६
१३३	पाटी	८००	श्री कालू पुत्र गनेश	कुआ	अपूर्ण
१३४	बड़वा	३००	,, छीतरमल व रामेश्वरप्रसाद	,,	पूर्ण
१३५	कानेटा	४००	,, जगन्नाथ, सरपंच, रामेश्वर	,,	अपूर्ण
१३६	किशनपुरा	३००	,, ,, ,, ,,	,,	पूर्ण
१३७	,, ,,	३००	,, ,, ,, ,,	,,	,,
१३८	नांगल बोहरा	२००	,, खैरातीलाल गोरधन	,,	,,
१३९	खेड़ला	१,०००	,, राधेश्याम निर्मल	,,	,,
१४०	बाबुपुरा	१,०००	,, लक्ष्मीनारायण पुत्र रामदेव	,,	,,
१४१	कानपुरा	१,०००	,, भौंरीलाल पुत्र छीतर, मटेरी	,,	अपूर्ण
१४२	माध्यावाला	१,०००	,, सांवल्या व गणेशनारायण	,,	पूर्ण
१४३	गढ़	५००	,, गोपी पटेल	,,	,,
१४४	श्रीरामपुरा	१०००	,, देवीसिंह व राधा	,,	,,
१४५	बराला	४००	,, चन्द्रालाल	,,	अपूर्ण
१४६	तिजूरिया	७००	,, बालूराम पुत्र गंगाराम	,,	पूर्ण

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ८ का उत्तर देखिए)

भूतपूर्व स्टेट	नाम प्रशिक्षण संघ	कब स्थापित हुई	स्टेटों में क्या मान्यता थी	राजस्थान बनने के बाद क्या मान्यता रही
१	२	३	४	५
बीकानेर	पी. टी. सी. स्कूल	१९४१	केवल स्टेट में मान्यता थी	
	टी. टी. कॉलेज	१९४६	सी. टी. की परीक्षा अजमेर बोर्ड द्वारा होती थी और सर्वत्र मान्यता थी	टी. टी. को पहले की तरह ही सर्वत्र मान्यता है।
जोधपुर	एस. टी. टी. ट्रेनिंग स्कूल, महिला बाग	१९३१	पहले इसमें जो वी. सी. में मिडिल पास व्यक्ति व एस. टी. टी. में मैट्रिक, इन्टर व ग्रेजुएट लिये जाते थे और उन्हें ट्रेन्ड माना जाता था। बाद में ये दोनों स्कूल एक हो गये और दोनों ही प्रकार की ट्रेनिंग चालू रखी। इस ट्रेनिंग को केवल स्टेट द्वारा ही मान्यता थी।	राजस्थान बनने के साथ बी.ए.एस. टी. टी. जिन्हें पाँच वर्ष का अनुभव हो और बी. ए. वे. टी. सी. अथवा अन-ट्रेन्ड ग्रेज्युऐट जिन्हें दस वर्ष का अनुभव हो ट्रेन्ड माने जाते हैं।
	बी. टी. सी. ट्रेनिंग स्कूल	१९२४		
	एस. टी. टी. स्कूल		बे. टी. सी. का प्रशिक्षण होता था।	राजस्थान के बाद भी जे. टी. सी. की मान्यता रही।
उदयपुर	विद्या भवन टी. टी. कॉलेज		सी. टी. की ट्रेनिंग थी जिसमें इन्टर व बी. ए. पास अध्यापक लिये जाते थे।	राजस्थान बनने के बाद भी इसकी मान्यता है।

१	२	३	४	५
उदयपुर	नारमल वी. टी. सी. स्कूल		इसमें मिडिल व मैट्रिक लिए जाते थे और प्रशिक्षण समय दो वर्ष था।	राजस्थान बनने के बाद भी इसकी मान्यता है।
जयपुर	पावटा सेन्ट्रल ट्रेनिंग स्कूल गोनेर सेन्ट्रल ट्रेनिंग स्कूल	१६३४–३५ १६४३	इनमें जी. टी. सी. का प्रशिक्षण काल एक वर्ष का था जिसमें मिडिल पास अध्यापक लिए जाते थे। अब एस. टी. सी. है।	राजस्थान बनने के बाद जे. टी. सी. की मान्यता दी गई है।
	परशरामद्वारा ट्रेनिंग स्कूल जयपुर नॉरमल एन्ड टी. टी. स्कूल	१६४६–५० १६२६	वी. टी. सी. जिसके लिए पी. टी. सी. ट्रेन्ड अध्यापक लिए जाते थे प्रशिक्षण काल एक वर्ष का था।	राजस्थान बनने के बाद एस. टी. सी. की मान्यता की गई।
	वीमेन नॉरमल ट्रेनिंग स्कूल	१६४० से पूर्व	पी. टी. सी. का प्रशिक्षण काल एक वर्षका था और मिडिल पास व्यक्ति लिये जाते थे।	राजस्थान बनने के बाद पी. टी. सी. की मान्यता दी गई।
	अलवर नारमल स्कूल मोडल नॉरमल ट्रेनिंग स्कूल	१६२५ १६३५	यहां एक वर्ष का प्रशिक्षण काल का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद अध्यापकों को मेट्रिक इन्टर तथा ग्रेजुएट ट्रेन्ड माना जाता था।	राजस्थान बनने के बाद एस. टी. सी. की मान्यता दी गई।
कोटा	बी. टी. सी. ट्रेनिंग स्कूल, सवाई माधोपुर	१६४८	मिडिल पास अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाता था।	राजस्थान बनने के बाद भी मान्यता रखी।
	नॉरमल ट्रेनिंग स्कूल, भरतपुर	१६३४	मिडिल व मेट्रिक पास अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाता था जिसका सम्बन्ध उत्तर प्रदेशीय परीक्षा से था।	राजस्थान बनने के बाद भी मान्यता रखी।

२	३	४	५
कोटा ट्रेनिंग स्कूल, मानता		बी. टी. सी. की प्रशिक्षण व्यवस्था थी और मेट्रिक पास व्यक्तियों को ट्रेन्ड मेट्रिक का ग्रेड दिया जाता था।	राजस्थान बनने के बाद जे. टी. सी. की मान्यता दी।

नोटः—जयपुर के लिए कॉलम नम्बर २ में जितने ट्रेनिंग स्कूल थे वे राजस्थान बनने के बाद सन् १९५५ से एस. टी. सी. में परिवर्तित कर दिये गए।

परिशिष्ट ५

[कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १६ का उत्तर देखिए]

BOOKS FOR MINORITY LANGUAGES.

Books for Punjabi Language.

S. No.	Name of Book	Class	Publisher	Author	Price.
1.	Punjabi Primer I	I	Printing & Stationery Deptt. Chandigarh.		0 4 0
2.	Punjabi Reader	I	,,		0 6 9
3.	Punjabi Reader	II	,,		0 10 6
4.	Punjabi Reader	III	,,		0 10 0
5.	Punjabi Reader	IV	,,		1 2 0
6.	Punjabi Reader	V	,,		0 13 6
7.	Reader (Supplementary)	I to IV	,,		0 6 0
8.	Reader (Supplementary)	II to IV	,,		0 6 0
9.	Reader (Supplementary)	III to IV	,,		0 5 0

Books for Sindhi Language.

(Books written in Devnagri script or Arabic script to be used according to the orders of District Education Officer).

1.	Sindhi Reader I available both in Devnagri & Arabic scripts.	I	Sindhi Publishing Society, Ajmer.	Shri Prabhu Dass Deepchand	0 5 0
2.	do	II	,, ,,	,,	0 8 0
3.	do	III	,, ,,	,,	0 10 0
4.	do	IV	,, ,,	,,	0 12 0
5.	do	V	,, ,,	,,	0 14 0

Books for Gujrati Language.

1.	Primer Reader	I	Govt. of Bombay	Govt. of Bombay	0 3 6
	I or Vidyapeeth	I			0 5 0
	Vachanmala Chalangadi (Balpth) Book I		Gujrati Vidyapeeth Ahmadabad	J. D. Desai	0 4 0

2. Reader II or Vadya-peeth Vachanmala Book II	II II	Govt. of Bombay Gujrati Vidyapeeth, Ahmadabad.	Govt. of Bombay J. D. Desai	8 0 0 8 0
3. Reader III or Vidya-peeth Vachanmala	III	Govt. of Bombay Gujrati Vidyapeeth, Ahmadabad.	Govt. of Bombay J. D. Desai	0 11 0 0 11 0
4. Reader VI or Vidya-peeth Vachanmala Book IV	IV	Govt. of Bombay, Gujrati Vidyapeeth Ahmadabad.	Govt. of Bombay J. D. Desai	0 12 0 0 12 0
5. Vidyapeeth Vachan-mala Book V or	V	Gujrati Vidyapeeth, Ahmadabad.	J. D. Desai	1 3 0
Sahitya Pathavali Part I or	I	Shri Harihar pus-takalaya, Surat	Desai Bekshi Pareek	1 9 6
Sahitya Sopan Part I or	I	Ananda Book Depot, Gandhi Road, Ahmadabad	Pathak Vaidya Vakil & Majumdar	1 10 6
Sahitya Kiranavali Part I or	I	Bharat Prakashan Pankore Naka, Ahmadabad.	Thakar Jaybhikhu & Desai	1 8 0
Sahitya Parichaya Part I	I	M/S Karsandas Narendra & Sons, Nanavati, Surat	Desai & Desai	1 9 6

Books for Urdu Language.
(Names not furnished)

परिशिष्ट ६

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १७ का उत्तर देखिए)

List of Higher Secondary School Where Sanskrit is taught as an Optianal Subject

1. Governement Girls Multipurpose School, Beawar.
2. Govt. Multipurpose School. Bharatpur.
3. Govt. Multipurpose School. Baran for Boys. (Kota)
4. Govt. Higher Secondary School. Reegus.
5. Lady Elgin Girls Higher Secondary School, Bikaner.
6. Govt. Higher Secondary School, Chipa Barod.
7. Govt. Higher Secondary School, Kalu
8. Govt. Higher Secondary School, Jaitara
9. Govt. Higher Secondary School, Bichun.
10. Govt. Higher Secondary School, Rajgarh (Alwar)
11. Govt. Higher Secondary School, Bankora.
12. Smt. Kamala Nehru Higher Secondary School, for Girls, Jaipur
13. Govt. Higher Secondary School, Jalona.
14. Govt. Higher Secondary School, Amarsar.
15. Govt. Higher Secondary School, Purani Basti.
16. Govt. Higher Secondary School, Chittorgarh.
17. Govt. Higher Secondary School, Rupangarh.
18. Govt. Higher Secondary School, Nokha.
19. Govt. Higher Secondary School, Suratgarh.
20. Govt. Higher Secondary School, for girls, Jodhpur.
21. Govt. Higher Secondary School, Weir (Bharatpur)
22. Govt. Higher Secondary School, Sinsins (Bharatpur)
23. Govt. Higher Secondary School, Bhilwara.
24. Govt. Higher Secondary School, Hinan.
25. Govt. Higher Secondary School, Gandhi Nagar (Jaipur)

परिशिष्ट ७ (क)

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १६ का उत्तर देखिये)

अल्प बचत योजना की मुख्य बातें

अल्प बचत योजना में निम्नलिखित मदें सम्मिलित हैं

१. १२—वर्षीय नेशनल प्लान सेविंग्ज सर्टिफिकेटस

२. १०—वर्षीय ट्रेजरी सेविंग्ज डिपाजिट्स

३. पोस्ट ऑफिस सेविंग्ज बैंक

४. १५—वर्षीय एन्युइटी सर्टिफिकेट्स

१२–वर्षीय नेशनल प्लान सेविंग्ज सर्टिफिकेट्स पर आयकर से मुक्त अवधि की समाप्ति पर ५.१ प्रतिशत व्याज प्राप्त होता है यदि आप नियमपूर्वक प्रतिमाह एक नेशनल प्लान सेविंग्ज सर्टिफिकेट खरीदते जायें तो आपको १२ वर्ष के पश्चात् एक माहवारी पेन्शन मिलती रहेगी अर्थात् १००) रु० माहवार जमा कराने पर १२ वर्ष के बाद १६५) रु० प्रतिमाह मिलते रहेंगे। इसे प्राप्त कीजिये और मूल धन को फिर से जमा कर दीजिये। इस प्रकार इसे दुहराने पर आपको जीवन भर के लिये एक निश्चित मासिक पेन्शन मिलती रहेगी जो एक अच्छी रकम आपके तथा आपके आश्रितों के लिये काफी होगी।

१२ वर्षीय नेशनल प्लान सेविंग्ज सर्टिफिकेट्स

रुपया लगाने की सीमाएँ	कब भुनाये जा सकते हैं	अवधि से पूर्व या पश्चात लाभ की तालिका	
		पूर्ण अवधि पर	अवधि से पहिले
एक व्यक्ति या एक अवयस्क २५,००० रु०, जिसमें नेशनल प्लान, नेशनल सेविंग्ज कैश सर्टिफिकेटों में जमा रकम शामिल है। परोपकारी, धार्मिक संस्थायें आदि ६०,००० रु० प्रोविडेण्ट फण्ड के लिए कोई सीमा नहीं, बैंक व व्यापारिक संस्थाएँ आदि १५,००० रु० और सहकारी संस्थाएँ	१२–वर्षीय नेशनल प्लान सेविंग्ज सर्टिफिकेट खरीदने के १२ माह बाद आवश्यकतानुसार किसी भी समय भुनाये जा सकते हैं।	१२–वर्षीय नेशनल प्लान सेविंग्ज सर्टिफिकेट की अवधि समाप्ति पर ५.४१ प्रतिशत वार्षिक साधारण व्याज मिलता है।	१०० रु० का सर्टिफिकेट भुनाने पर रकम की प्राप्ति इस प्रकार है:— रकम १ वर्ष पश्चात् १००·०० २ ,, ,, १०४·००

१	२	४	५
१,००,००० रु०, तक सहकारी बैंकों को छोड़कर।			वर्ष पश्चात्
			३ ,, ,, १०७-००
			४ ,, ,, १११-००
			५ ,, ,, ११६-००
			६ ,, ,, १२१-५०
			७ ,, ,, १२७-००
			८ ,, ,, १३३-००
			९ ,, ,, १४०-००
			१० ,, ,, १४८-००
			११ ,, ,, १५६-००
			१२ ,, ,, १६५-००

आपके परिवार व बच्चों के लिये, आपके सुरक्षित भविष्य के लिये तथा राष्ट्र निर्माण की योजनाओं के हितार्थ इन आकर्षित योजनाओं में धन लगाइये।

१०—वर्षीय ट्रेज़री सेविंग्ज डिपाजिट्स सर्टिफिकेट्स

कितनी रकम जमा की जा सकती है	कब भुनाये जा सकते हैं	अवधि से पूर्व या पश्चात् लाभ की तालिका	
		पूर्ण अवधि पर	अवधि से पहले
एक व्यक्ति या एक अवयस्क २५,००० रु०, परोपकारी संस्थाएँ १,००,००० रु० व अन्य संस्थाएं ५०,००० रु० तक।	खरीदने के एक वर्ष पश्चात् आवश्यकतानुसार किसी भी समय भुनाये जा सकते हैं।	४प्रतिशत वार्षिक ब्याज १० वर्ष तक दिया जाता है या भेजा जाता है।	प्रत्येक १०० रु० के सर्टिफिकेट के भुनाने पर प्राप्ति की दर:— १ वर्ष तक — — — २ वर्ष पश्चात ३-५० ३ ,, ,, ६-० ४ ,, ,, १०-० ५ ,, ,, १३-७५ ६ वर्ष पश्चात् १८-०० ७ ,, ,, २२-७५ न. पै. ८ ,, ,, २८-०० ९ ,, ,, ३३-७५ न. पै. १० ,, ,, ४०-००

पोस्ट ऑफिस सेविंग्ज़ बैंक

रुपया लगाने की सीमाएँ	रकम कब निकलवाई जा सकती है	रकमों पर ब्याज की दर
एक व्यक्ति या एक अवयस्क १५,००० रु० जमा करा सकता है।	सप्ताह में एक दफा निकलवा सकते हैं।	१०,००० की राशि तक ब्याज की दर २॥ प्रतिशत वार्षिक तथा इस रकम से ऊपर की शेष रकमों पर १५,००० तक ब्याज की दर २ प्रतिशत वार्षिक होती है।

१५—वर्षीय एन्युइटी सर्टिफिकेट्स

प्रत्येक व्यक्ति या अवयस्क अधिक से अधिक अपने नाम से २८,००० रु० जमा करा सकता है। संयुक्त नामों पर ५६,००० रु०।

इन सर्टिफिकेट्स में लगाया गया धन ३॥ प्रतिशत से कुछ अधिक वार्षिक चक्रवृद्धि व्याज के साथ मासिक किस्तों के रूप में १५ वर्ष में लौटा दिया जाता है जो नीचे दी गई तालिका से ज्ञात होता है :—

लागत मूल्य	मासिक किस्त की गारण्टी	१५ वर्ष के लिये
३,५०० रुपये	२५ रुपये मासिक	१५ वर्ष के लिये
७,००० रुपये	५० रुपये मासिक	१५ वर्ष के लिये
१४,००० रुपये	१०० रुपये मासिक	१५ वर्ष के लिये
२८,००० रुपये	२०० रुपये मासिक	१५ वर्ष के लिये

इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक अवयस्क अपने नाम से कुल ६३,००० रु० की धनराशि इन मदों में लगा सकता है। दो संयुक्त नामों में इसकी दुगुनी रकम लगाई जा सकती है।

इन सब मदों पर प्राप्त व्याज आय-कर, अतिरिक्त-कर व कारपोरेशन टैक्स से मुक्त है, उसे आय-कर की दर निश्चित करने के लिये हिसाब में भी नहीं लिया जाता।

रुपया किस प्रकार जमा किया जाय :—

१. **नेशनल प्लान सेविंग्ज सर्टिफिकेट्स** :—आप अपनी रकम राजस्थान में किसी भी डाकघर में जो सेविंग्ज़ बैंक का काम करता हो, जमा करा सकते हैं। रुपया जमा कराने के प्रार्थना-पत्र, जो प्रत्येक डाकघर में बिना मूल्य के प्राप्त होते हैं, भर कर तथा चेक या ड्राफ्ट जो स्थानीय बैंक पर हो संबंधित पोस्ट मास्टर के नाम भेज दें। बैंक भी अपने खातेदारों की ओर से प्रार्थना-पत्र भर कर नेशनल प्लान सेविंग्ज़ सर्टिफिकेट्स खरीद सकते हैं।

२. **१०-वर्षीय ट्रेजरी सेविंग्ज डिपाजिट सर्टिफिकेट्स**:—राजस्थान की हर ट्रेजरी में रकमें जमा की जा सकती हैं और स्टेट बैंक की ब्रांचों में भी। प्रार्थना-पत्र भर कर उसके साथ ट्रेजरी ऑफिसर के नाम या एजेण्ट, स्टेट बैंक, सांभर के नाम चेक भेजना चाहिये, चेक किसी भी बैंक द्वारा हो।

३. **१५-वर्षीय एन्युइटी सर्टिफिकेट्स** :—प्रार्थना-पत्र भर कर राजस्थान के किसी भी जिले के खजाने में रुपया जमा कर सकते हैं।

४. **पोस्ट आफिस सेविंग्ज बैंक का खाता**:—कम से कम २ रु० जमा करके खाता खोला जा सकता है और बाद में १) रु० जैसी छोटी रकम भी जमा की जा सकती है।

परिशिष्ट ७ (ख)

A NEW SAVINGS SCHEME

CUMULATIVE TIME DEPOSIT

----

1. The Government of India have pleasure in announcing the introduction of a new Savings Scheme with effect from 2nd January, 1959.

2. The Cumulative Time Deposits, which is the new scheme, provides to small savers an opportunity to save for specific objectives, arising a few years hence., such as maraiage of daughter, high education of son, building a house, etc.

3. This Scheme is operated through the Post Offices doing Saving Bank work. There are two types of accounts—5-Year and 10-Year. Any adult or two adults jointly can open an account. So also can a guardian on behalf of a minor or a lunatic. A person may deposit upto a maximum of Rs. 100/-per month in a 10-Year account or Rs. 200/- per month in a 5-Year account provided that the total of the deposits made during the entire period of his account (for accounts, where he has more than one account) should not exceed Rs. 12,000/-. Deposits can be made of Rs. 5/-,. 10/-, 20/-, 50/-, 100/-, or 200/- and are payable once a month. In case of defaults, the date of maturity of the account is extended by the No. of months for which defaults have occurred. The accounts are, however, treated as 'dis-continued' if the period of defaults exceed 5 and 10 in the case of 5-Year accounts and 10-Year accounts respectively. On discontinued accounts proportionate amounts will be paid after the expiry of the period for which such accounts stand.

4. Withdrawals from the accounts are allowed once during the currency of a 5-Year account and twice in the case of a 10-Year account.. The amount of withdrawal should not exceed 50% of the total amount of deposits made and the account must have been in operation for more than a year. The amount withdrawn will be deducted from the amount payable under the account, with simple interest at 6% per annum.

5. The interest on these deposits at maturity works out to 3.264% on a 5-Year account and 3.795% on a 10-Year account. The interest is free of income-tax.

6. The legal heirs of the survivors can continue the account to maturity or further deposits and get a proportionate amount on maturity.

परीशिष्ट ८

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २० का उत्तर देखिए)

सूची (१)

विकास खण्ड सांचोर द्वारा किये गये कार्य जो पूरे हो चुके हैं और कम्पलीशन सर्टीफिकेट भेजे जा चुके हैं ।

क्र० सं०	नाम कार्य	क्र०सं०	नाम कार्य
	पानी पीने के कुँए:—		
		१४.	चित्तलवाना गिरधर घोरा
१.	कारोला का गोलिया	१५.	साकड रतना की ढ़ाँणी
२.	जाखल का गोलिया	१६.	बीड़ा
३.	साकड	१७.	मीरपुरा की ढ़ाँणी
४.	सांचोर सियाहियों का वास		**स्कूल भवन**
५.	बडसम	१८.	पांचला
६.	सांचोर गुन्तालाल की बेरी	१९.	बिरावा
७.	सांचोर रूपा बेरी	२०.	कम्यूनिटी सेन्टर साकड
८.	सांचोर पानी का हौज	२१.	ग्रामसेवक क्वार्टर केरिया
९.	डेडवा	२२.	साकड
१०.	सरनाऊ हरजी की ढ़ाँणी	२३.	हाडेचा
११.	गुन्दाऊ गांव ॥	२४.	पक्की सड़क साकड
१२.	गुन्दाऊ गांव ।	२५.	पब्लिक पार्क, सांचोर,
१३.	चित्तलवाना डेडोरिया की ढ़ाँणी		

———

सूची (२)

विकास खण्ड सांचोर द्वारा चालू किये गये कार्य जो प्रगति में हैं:—

क्र० सं०	नाम कार्य	क्रम सं०	नाम कार्य
	पानी पीने के कुँए		
१.	कारोला	२१.	बावरला की ढाँणी
२.	पुर	२२.	डाबल
३.	मलाबास	२३.	आरवा
४.	बिराबा	२४.	खारा
५.	हरिजन बेरी	२५.	परताबपुरा
६.	सिपाको की ढाँणी	२६.	लाघड़ी
७.	जानबी		**स्कूल भवन**
८.	रणोदर	२७.	सरनाऊ
९.	नलदरा	२८.	लादीवाड
१०.	धन्ता की ढाँणी	२९.	नैरिया
११.	सुराचन्द	३०.	सुराबा
१२.	सागडबा	३१.	घमाना का गोलिया
१३.	अरनाथ का गोलिया	३२.	बौड़ा
१४.	चोरा	३३.	चौरा
१५.	डुगाबा	३४.	गुडाहेमा
१६.	खुराबा	३५.	जालल
१७.	पराबा	३६.	ग्रामसेवक क्वार्टर सुराचन्द
१८.	कुन्डकी	३७.	,, ,, दूढ़बा
१९.	पीने की जील	३८.	,, ,, बाब
२०.	नैनोल	३९.	पंचायत भवन केरिया

———

परिशिष्ट ६

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २१ का उत्तर देखिये)

PROGRESS REPORT OF COMMUNITY DEVELOPMENT BLOCKS
NOKHA AND SANKRA

S. N.	Items of works.	Achievement Nokha	Achievement Sankra
	A. People Contribution		
1.	Labour, cash and other contributions (Value Rs.)	3,44,389	3,65,108
	B. Physical Achievement.		
2. (a)	Agr. Demonstrations held (No.)	19	145
(b)	No. of holdings taken up for demontrations.	19	—
3.	Improved Animals supplied (No.)	16	249
4.	Improved birds supplied (No.)	100	7
	C. Irrigation.		
5.	Net area under irrigation (Acres)	—	119
6.	Wells constructed (No.)	—	8
	Health & Rural Sanitation.		
7. (a)	Rural Laterines in use (No.)	12	72
(b)	Primary Health centres std. (No.)	1	1
8.	Draine constructed. (Yds.)	50	—
9.	No. of a-mikeless chullahs constd.	142	4
10.	Drinking water wells constd. (No.)	30	16
11.	Drinking water wells renovated (No.)	17	32
	D. Education.		
12.	New schools started (No.)	15	2
13.	Schools buildings constd. (No.)	9	23
14.	Ordy. School converted into Basic types.	14	3
	E. Social Education.		
15.	Adult literacy :—		
(i)	No. of adults literacy centres functioning.	153	44
(ii)	No. of adults made literate.	1,729	666

S. No.	Items of work	Nokha	Sankr
16.	Reading rooms and/or libraries opened and Community Centres Pachayat Ghars started (No.)	49	58
17.	Units of people's Organisation Developed:	40	48
	(i) Youth Clubs and farmers Clubs/Unions and Mahila Mandals (No.)		
	(ii) No. of camps held.	14	18
	(iii) No. of villagers trained.	1,059	836
	F. Communication. Kacha roads Constructed		
18.	(i) New roads constructed (Miles)	5	44
	(ii) Existing roads improved (Miles)	—	95
	G. Housing.		
19.	Houses constructed (No.)	180	144
20.	Houses reconditioned (No.)	237	95
	H. Co-operation.		
21.	Total No. of Co-op. Societies functioning.	48	65
22.	Total No. of Co-op. Societies of all types.	2,093	2,072
	I. Local Bodies.		
23.	No. of non-statutory bodies like Village Councils Vikas Mendals etc. started.	122	64
24.	No. of Panchayats and other statutory bodies started (No.)	26	21

परिशिष्ट १०

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २४ का उत्तर देखिये)

LIST OF STUDENTS WHOSE FORMS WERE SUBMITTED TO THE SOCIAL WELFARE DEPARTMENT FOR THE AWARD OF SCHOLARSHIP FOR THE YEAR 1958-59

S. N.	Name of the Student.	Class	Father's name
1.	Mohan Lal Prajapat.	VII	Sri Cirdhari Lal
2.	Babu Lal „	VII	„ Surajmal
3.	Dulichand „	VIII	„ Bilashrai.
4.	Rameshwarlal „	VIII	„ Prabhuram
5.	Laxminarayan Sadh.	IX	„ Bholadass Sadh.
6.	Lal Chand Prajapat	VII	„ Megharam Prajapat.
7.	Prem Chand Dhobi.	VIII	„ Pratapji Dhobi.
8.	Kishan Lal Nai.	IX	„ Banwarilal Nai.
9.	Govindram Prajapat.	IX	„ Nanakram
10.	Kanyalal „	IX	„ Prabhuram
11.	Puranmal Dakot	XI	„ Sagarmal.
12.	Bhagirathmal Prajapat.	X	„ Nolaram
13.	Pemaram Prajaapat	VII	„ Nanakram
14.	Kesharichand Prajapat	XI	„ Mal chand
15.	Noratanmal Nai.	VII	„ Sohan Lal
16.	Bajranglal „	XI	„ Manmal

S. No.	Name of the Student	Class	Father's Nam
17.	Kushalchand Prajapat	XI	Sri Nangaram
18.	Dalaram	VII	,, Puraram
19.	Sheraram Prajapat	VII	,, Binjaram
20.	Snawarmal Nai.	VIII	,, Jai chand.
21.	Idan Dhobi.	VI	,, Malchand
22.	Dhairaram Nai.	VII	,, Jai chand
23.	Rameshwar Lal Prajapat.	VII	,, Devaram
24.	Hira Lal Regar	XIB	,, Birdharam
25.	Laxman Ram Regar	VII C	,, Khetaram
26.	Asharam Regar	VII A	,, Kanaram
27.	Ramdhan Regar	XI A	,, Mangalram
28.	Tarachand Harijan	VII	,, Bal chand
29.	Bhudharamal Harijan	VII	,, Ramdeo
30.	Ashkaran Swami.	VIII B	,, Banadas Swami
31.	Deepchand Prajapat	,,	,, Kesharam
32.	Umaram Regar	XI	,, Ganeshram
33.	Annaram Regar	VIII C	,, Bhazanram
34.	Ratanlal Dhobi.	VII D	,, Moolchand
35.	Hariram Prajapat	VII	,, Khetaram
36.	Madan Lal Prajapat	VI	,, Nathmal
37.	Prahalad Rai Regar	VI D	,, Ramhiwan
38.	Durgadat Regar	,,	,, ,,
39.	Manshi Lal Regar	,,	,, Sarwanchand

S. No.	Name of the Student	Class		Father's Name
40.	Cirdhari Lal Nai	VI	Sri	Nathmal
41.	Mahiver Pd. Harijan	VI	.,	Pemaram
42.	Murlidhar Regar	VI B	,.	Bhanwar lal
43.	Rukmanand Prajapat.	VI	,,	Laxminarayan
44.	Ganashmal Nai	VI	,,	Jaichand lal
45.	Sitaram Nai. ,,	VI C	,,	Premshukh
46.	Laxmichand Regar	VI B	,,	Gopalram
47.	Ramnarain Prajapat	VI	,,	Peramal
48.	Dalaram	VI	,,	Puraram
49.	Bachraj Harijan	VI	.,	Mangturam.

S. No.	Name of the student	Caste	Class		Father Name	
1.	Ramlal Regar		XI	Shri	Birdharam	No.
2.	Ramdhan	,,	XI	,,	Mangalaram	No.
3.	Anaram	,,	XI	,,	Ganesram.	No.
4.	Anaram	,,	VIII	,,	Dhanaram	,,
5.	Dalaram	,,	VII	,,	Pooranram	,,
6.	Laxmanram	,,	VII	.,	Khetaram	,,
7.	Ashraram	,,	VII	,,	Kanaram	,,
8.	Tarachand	Harijan	VII	,,	Balchand	,,
9.	Budharmal	,,	VII	,,	Ramdeo	Recd.
10.	Durgadatt	Regar	VI	,,	Ramjiwan	,,
11.	Prahladrai	,,	VI	,,	,,	,,
12.	Mansilal	,,	VI	,,	Shravanchand	,,
13.	Mahavirprasad.	Harijan	VI	,,	Pemaram	,,
14.	Murlidhar	Regar	VI	,,	Bhanwarlar	No.
15.	Laxmichand	,,	VI	,,	Gopalram	No.
16.	Dallaram	,,	VI	,,	Pooraram	Recd.
17.	Bachraj	Harijan	VI	,,	Mangtooram	,,

Received schoarship of only 6 students out of 17 students, while their forms have been submitted under No. 1015 dated 23-8-58 to Social welfare Department.

LIST OF THE STUDENTS WHOSE SCHOLARSHIP RECD. FOR THE YEAR 1958-59.

S.No.	Name of the student.		Name of father	Caste	Class	Amount
1.	Mohan lal	Sri	Parlooram	Sikligar.	VI	40/-
2.	Girdhari lal	,,	Nathmal	Nai	VI	,,
3.	Aeedan	,,	Malchand	Dhobi.	VI	,,
4.	Bhairaram	,,	Jaichand Lal	Nai	VII	,,
5.	Rameshwar lal	,,	Deoram	Kumbhar	VII	,,
6.	Ramnarain	,,	Peeraram	,,	VI	,,
7.	Puranmal	,,	Sagarmal	Dakot	XI	80/-
8.	Kanhaya lal	,,	Prabhu Ram	Kumbhar	IX	,,
9.	Govind Ram	,,	Nangram	,,	IX	,,
10.	Kishan lal	,,	Bhanwar Lal	Nai	X	,,
11.	Premchand	,,	Pratap	Dhobi	VIII	40/-
12.	Lal Chand	,,	Meghram	Kumbhar	VIII	,,
13.	Laxminariain	,,	Bholadas	Sadh	IX	,,
14.	Banwarmal	,,	Jaichand	Nai	VIII	,,
15.	Nawaratanmal	,,	Sohanlal	Nai	VIII	,,
16.	Kesharichand	,,	Malchand	Kumbhar	IX	80/-
17.	Pemaram	,,	Nanakram	,,	VII	40/-
18.	Bhagirath	,,	Navalram	,,	IX	80/-
19.	Rukmandan	,,	Laxminarayan	,,	VI	40/-
20.	Ganeshmal	,,	Jaichand Lal	Nai	VI	,,
28.	Seelaram	,,	Premsukh	,,	VI	,,
22.	Kusalchand	,,	Naugram	Kumbar	XI	80/-
23.	Bajranglal	,,	Manmal	Nai	XI	,,
24.	Seraram	,,	Bheenjaram	Kumbhar	VIII	40/-
25.	Deepchand	,,	Kesharam	,,	VIII	,,
26.	Rameshwar lal	,,	Prabhuram	,,	VIII	,,
27.	Dulichand	,,	Bilashnarain	,,	VII	,,
28.	Babulal	,,	Surajmal	,,	VII	,,
29.	Mohan lal	,,	Girdhari Lal	,,	VII	,,

S. No.	Name of the student.	Name of the father		Caste	Class	Amount
30.	Madan lal	Sri	Nath Mal	Kumbhar	VI	40
31.	Hariram	,,	Khetaram	,,	VII	,,
32.	Ratan Lal	,,	Moolchand	Dhobi	VII	,,
33.	Mahvir Pd.	,,	Premaram	Bhangi	VI	,,
34.	Durga Dutta.	,,	Ramjiwan	Regar	VI	,,
35.	Mansulalj	,,	Sarvanji	,,	VI	,,
36.	Prahladrai	,,	Ramjiwan	,,	VI	,,
37.	Bachhra	,,	Mangtooram	Bhangi	VII	,,
38.	Dalaram	,,	Poorarani	Regar	VI	,,

परिशिष्ट ११

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २६ का उत्तर देखिए)

No. F. 23 (36) Apptts. (A)/57 Deted Jaipur the 10th October 1957.

The Governor or Rajasthan is pleased to constitute a Board to be called the Rajasthan Anti-Corruption Board (hereinafter referred to as the Board) as provided below :—

I. Constiution of the Board.

1. The Board shall consist of six members, namely :-
   - (a) Chief Minister.
   - (b) Home Minister.
   - (c) Chief Secretary.
   - (d) Chairman, Board of Revenue.
   - (e) Two non—official members to be nominated by Government.

2. The names of the non-official members shall be notified in the Rajasthan Gazette. Their term of office shall be two years. Any vacancy occuring among the non—official members, for any cause, may be filled up by the State Government by nomination for the residuary period of the termo office of the members whose seat becomes vacant.

3. The Chief Minister shall be the Chairman of the Board.

4. The Special Inspector General of Police shall function as ex-offcio Secretary of the Board.

2. Procedure for Transaction of Business.

1. For the transaction of business, the Board shall ordinarily meet a Jaipur once a quarter.

2. The Chairmam may call a special meeting of the Board to be held at any place and time and on any date specified by the Chairman and the Secretary shall forthwith inform the Members accordingly.

3. The presence of three members shall form the quorum requisite for the transaction of the business of the Board provided that one of the members present is either the Chief Minister or the Home Minister.

4. The Chairman may co—opt the Minister—incharge of the Department or any other person technically qualified to deal with the matter under consideration as a member of the Board for the disposal of any particularr case.

5. The Chairman shall preside over all the meetings of the Board provided that when he is unavoidably absent from any such meeting and the quorum requisite for the transaction of the business there at is present, the Hon e Minister shall preside.

III. **Functions of the board.**

1. In generral, the Board shall advise the Government regarding the steps to be taken to fight bribery,corruption, mis-use of public funds, etc.

2. The Special Inspector General of Police shall submit to the Board every quarter a statement of :—

(a) complaints received by him,

(b) cases on which no action was taken,

(c) preliminary enquiries made,

(d) investigations ordered,

(e) prosecutions ordered,

(f) convictions obtained and

(g) cases referred to the appointing authorities for disciplinary action.

3. The Appointments Department will submit to the Board every quarter a statement of cases instituted against Gazetted Officers, exonerations and penalties, in respect of charges involving corruption.

4. In all cases where Departmantal Enquiries on Charges of Corruption have been ordered against a Gazetted Officer, the report of the Enquiry Officer shall be placed before the Board for advice. The Board's advice shall be forwarded to the authority entitled to pass orders along with the report of the Enquiry Officer,

5. Where the Special Inspector General of Police recommends Departmental Enquiry, but the Appointing Authority does not consider it necessary to hold an enquiry, the case shall be placed before the Board.

6. The Chief Minister or the chief Secretary may place before the Board any other case in which they consider the advice of the Board necessary.

7. The Board may request the Special Inspector-General of Police to enquire further into any case in which it considers such enquiry necessary.

8. In particular the Board may recommend that a Departmental Enquiry should be ordered even in cases in which such action has not been recommended by the Special Inspector General of Police or other Authority.

By order of the Governor,
Sd..................
Special Secretary to the
Government of Rajasthan.

F, 23 (36) Apptts (A)/57 Dated, Jaipur, the 10th October, 1957

Copy forwarded to :—

1. All Secretaries to Government.
2. All Heads of Departments.
3. The Director, Printing and Stationery for publication in the next issue of Rajasthan Gazette.

Sd...............
Special Secretary to Government.

परिशिष्ट संख्या १२

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १२ का उत्तर देखिये)

Government Teacher's Training College, Bikaner

Nc. TTC/BNK/59/993 to 999 Dated 16-2-59

FROM

Principal,
Govt. Teacher's Training College,
Bikaner.

Quotation sealed tenders for the articles given below are invited for the supply to this college by 28-2-59. No tender shall be accepted after the expiry of the due date. Prices must be inclusive of all taxes and F. O. R. Bikaner-College, delivery charges like paking, forwarding etc. shall not be paid by this College. Please note that approved material shall have to be supplied by you within 20 days from the date of the order.

Sd/—
F. Principal,

Record Changer Electridriven Automatic
make Correct, G. N. C. R. W. V. Phillips.
Radiograms (N. M. V., O. E. C., Phillips)
Philligrams (C. N, C., H. M. V., „)

Requirement one of the three articles.

1. M/S Vyas Mercantile, Daga Building, Bkn. H. M. V. Agent.
2. M/S Dayal Radio Co. K. E. M. Road, Bikaner. (C. R. C. Dealer)
3. M/S Kanhaya Lal & Sons —do— (Phillips Dealer)
4. M/S Modern Electric Bkn. —do— (—do—)
5. M/S Veer Arjun Sound System, Daga Building (H. M. V.)
6. Rhytha House Private Ltd. 40, Ram Parat Row Bombay.
7. Melody Sales, York House, Golecha cause way, Bombay,

Government Teacher's Training College Bikaner.

No. TTC/BKN/1234 to 1248   Dated 14-3-59.

Sub:—Tender. and approval of Electric Fan, Table lamp and Bulbs Osram or Phillips.

Dear Sir,

There shall be the selection of Electric Fan, Table and Padostrel, Table lamps & Bulbs (Osram or Phillips) 40 & 60 . Watt. coiled, coil place glass; Gas filled.

Quotations are invited for the supply of the material with the samples by 2. 0. P. M. today. The selection of the material shall take place from 2. 0 p. m. to 3. 0 p. m. and the samples will be returned back after that.

Sd/—B. L. Maloo.
F. Principal, Govt. Teachers
Training College, Bikaner.

List of the persons whom tenders were issued is attached herewith for perusal.

1. M/S General Electrics Works, Kote Gate, BKN.
2. M/S Mool Chand Magan Lal & Sons, Kote Gate, BKN.
3. M/S Greater Rajasthan Elecric Co., Kote Gate, BKN.
4. M/S Bikaner Stores Supply & Trading Co., Kote Gate, BKN.
5. M/S Pan Mal HansRaj Sukhlacha, BKN.
6. M/S Dayal Trading & Co., K. E. M. Road, BKN.
7. M/S Bhikham Chand & Sons, K. E. M. Road, BKN.
8. M/S Manak Chand & Sons, K. E. M. Road, BKN.
9. M/S Mool Chand Parakh & Sons K. E. M. Road, BKN.
10. M/S Vyas Brothers, BKN.

11. M/S Makhan Lal & Sons, K. E. M. Road, BKN.
12. M/S Ganga Ram Sindhi & Sons, K. E. M. Road, BKN.
13. M/S Sethiya Bros, K. E. M. Road, BKN.
14. M/S Binani General Store, K. E. M. Road, BKN.
15. M/S Dhariwal & Co., Daga Building, Bikaner.

परिशिष्ट

ELECTRIC GOODS

Names of tenderers and rates quoted by them

Articles	Binani General Stores	Dhariwal & Co. with S. T.	Manak Chand with S.T.	Mool Chand with S.T.	Gangaram Sindhi	Makhan Lal & Sons with S. T.
Electric Table Fan . Revolving —do— (Fixed)	*123/-Each 16" Deluxe S.T. Extra 99.94 Plus 5.00 Plus T.Fixed Usha Deluxe	*175.00 (i) Kessels 16"	141.20 Usha 16" 119.20 nP.	156.00 Usha 16" 115.00Fixed Usha	132.00 Usha16" 112.00 Fixed Usha 16"	136.34 Usha 16"
Electric Padstls Fan.	*158/-Plus5/- Plus S. T. Usha 7/—	216.00 16" Kessels	167.20 nP. Usha 16"	174.90	175.00 Each Usha 16"	105.00 Usha
Volb carom 60 wt. Phillips 40 wt.	1/8/6 Each } Arg- 1/7/3 Each } enta			16.44Doz. 24.K.K.C. (6) *14.75 Doz.		15.49 Doz.
40 wt. 60 wt.	1/5/6 Each Plain			16.44 Doz.		16.23 Doz. *(18

Appoved as marked. * Please orders for the number indicated.

Sd/- K.K. Choturvedi.

ELECTRIC MULTI RECORD CHANGER

Names Of Tenderers And Rates Quoted By Them

Government Teacher's Training College, Bikaner.

	Philligrame	Rediograme	Record Changer
1. M/S Modern Electrics S.T. Extra S 8/–	Rs. 595.00 less 15/– (Phillips.)		Rs. 425.00 (Garrerd)
2. M/S Vyas Mercantile Co., (Including S T.)		Rs. 1133.50 nP. (Princess Model) No. 5366. Rs. 859.41 (4 Speed Model) No. 5464.	Rs. 475.00 (Perpetum Eleven) Rex A. Rs. 750.00 Above (With Amplifier & Speaker 8") Rs. 260.00 (Player only) Rs. 560.00 (Above with amplifier & speaker 8")
3. M/S Kanhaiya Lal & Sons. S.T. Extra.		Rs. 1275.00 Less 15.00 (Phillips)	
4. M/S Dayal Raido Co. with S.T.			Rs. 450.00 (Carrad)

I propose to purchase philligrame as it contains Record changer together with Amplifier & speaker where as the price of Record changer only is Rs. 450/—If approved order may be placed.

Approved.

Sd. K.K. Chaturvedi. Dt. 2-3-59

Sd/—B.L. Maloo.
Dt. 2-3-59.

NAMES OF DEALERS WHO WERE ASKED TO SUPPLY CERTAIN ELECTRIC GOODS.

S. NO.	Name of Dealer	Article to be supplied	Rate
1.	M/S Dhariwal & Co., Daga Building, Bikaner.	One Table fan kessels oscilating 16"with chromim blades and open Mesh Guard.	157.00
2.	M/S Binani General Store, K. E. M. Road, Bikaner.	One table fan Usha oscilating 16" one fan oscilating padstle 16" Blades.	131.26 nP.
3.	M/S Makhan Lal & Sons. Bikaner.	18 Bulb Phillips Plain Glass 60 W. T. Coiled Coil gas filled.	16. 23 N.P. Dozen.
4.	Mool Chand Parak & Sons, Bikaner.	6 Bulb Miky Court Phillips	19. 44 N.P. Dozen
		24 Bulb plain 40 W.T. Phillips coiledcoil Gas filled.	14.75 N.P.Dozen.

....

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण सोमवार, दिनांक १० अगस्त, १९५९)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
२	११	कन्सोलिडेश	कन्सोलिडेशन
३	२१-२२	फ्रेगमेन्टशन, १९५४	फ्रेगमेन्टेशन) एक्ट, १९५४
२६	१३	श्री महेन्द्रसिंह पांवर	श्री महेन्द्रसिंह पंवार
२७	अन्तिम से ५	सरकार को	सरकार जो
२९	अन्तिम से २	एप्लीकेशनन्स	एप्लीकेशन्स
३१	१७	कस	केस
३२	१७	कर्यो	क्यों
३२	२७	बंटवारा	बँटवाना
३३	अन्तिम से ७	बोन्स	बॉन्ड्स
३७	९	खिए	लिए
५४	२०	स्टेट	एस्टेट
५५	अन्तिम से ७	ccmpleted	completed
५८	अन्तिम से ३	निवासियों को	निवासियों के
६१	१	as for as	as far as
७५	१७	पुन:स्थापन	पुर:स्थापन
७६	शीर्ष	पुन:स्थापन	पुर:स्थापन
८८	१३	Appeal	Appellate
,,	,,	in	it
९२	१७	अपीलेन्ट	अपीलेट

१	२	३	४
६६	८	सप्लाई	एप्लाई
१०७	१	उद्धारण	उद्धरण
,,	२३	फैक्सन	फंक्शन
१०२	१६-१७	ओनेस्टूली	ऑनस्टली
११०	१	कोन्सिल	कैन्सिल
,,	७	विररीत	विपरीत
,,	१६	लेजिस्टेचर	लेजिस्लेचर
११४	अन्तिम	एक्सपीरियेन्ट	एक्सपीरियेन्स
११७	२	चेयगैन	चेयरमैन
११८	११ व २१	इनफोर्स	एनफोर्स
१२०	१६	परनेली	पर्सनली
१२५	अन्तिम	बिन	दिन
१२६	२३	ओगेसाइजेशन	ऑर्गेनाइजेशन
१३०	अन्तिम	Mr. Nathu Ram Mirbha	Mr. Nathuram Mirdha
१३७	१७	हिन्दुस्तान	हिन्दुस्तान
१३८	२१ व २२	एक्सपोर्ट	एक्सपोज
,,	अन्तिम से ३	अपीलेट	अपीलेट
१५४	१८	अल्ट्रावायर्स	अल्ट्रावायरस
१५६	२२	गुडिशियरी	जुडिशियरी
१५६	अन्तिम से २	सुपरमेसी	सुप्रीमेसी
१६०	७	द्प्टिकोण	दृष्टिकोण
,,	६ व १५	लुकोना	लेकुना

१	२	३	४
१६१	५	लुकोना	लेकुना
१८१	१४	propelle	propelled
,,	२२	nontains	contains
,,	२४	axisting	existing
२२३	१६	prosceeding	proceedin g
२२४	६	अनुमूर्ति	अनुमति
२२६	१०	संसत्–पार्षद	संसद्-पार्षद
२२७	अन्तिम से २	पम्चात्	पश्चात्
२२८	११	प्रतिवेदन पूछताछ मेमोरेन्डम	प्रतिवेदन, ५६–५७ मेमोरेन्डम
,,	१७	प्रभावी	अतीत प्रभावी
,,	अन्तिम से ७	विदोयक	विधेयक